(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] सप्तम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का 25वां दिवस [संख्या 18

1] [2

बृहस्पतिवार

13 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक म० पू० 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री राम किशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(मुख्य मंत्री, वित्त, सिंचाई, चिकित्सा, शिक्षा, अकाल सहायता, विद्युत्, सार्वजनिक निर्माण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आबकारी, गृह, समाज कल्याण, जन-स्वास्थ्य, योजना, यातायात, उद्योग विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा

450. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधी-नगर, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत 3 वर्षों में कितने सरकारी अधिकारी विभिन्न देशों की यात्रा हेतु विदेश भेजे गये तथा उन प्रत्येक पर कितना कितना राज्य तथा केन्द्र सरकारों ने खर्चा किया ?

(2) विदेशों से वापिस आकर उपरोक्त अधिकारियों ने किस-किस विभाग में कार्य किया तथा जिस समय उनको विदेश के लिए उपयुक्त समझ कर चुना गया उस समय वे किन पदों पर कार्य कर रहे थे ? सूची सदन की मेज पर रखने का का कष्ट करें।

(3) अगले वित्त वर्ष में से किन-किन अधिकारियों को विदेश भेजने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं तथा वे किस-किस देश की यात्रा करेंगे ?

(4) कृपया ऐसे अधिकारियों के नाम व पद बताने का कष्ट करें जो विदेश से आने के पश्चात् एक ही वर्ष में सेवा-निवृत्त हो गये ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) :(1) गत तीन वर्षों में जन-शक्ति विभाग के माध्यम से चयन समिति के द्वारा 54 सरकारी अधिकारी विभिन्न देशों में प्रशिक्षण हेतु भेजे गये। इन अधिकारियों पर राज्य सरकार प्रशिक्षणकाल के दौरान वेतन एवं इन्टरनल यात्रा भत्ता वहन करती है और

Page No 2

(2)

(श्री चन्दनमल बैद)
इन पर अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा व्यय एवं अन्य विदेशी व्यय सम्बन्धित विदेशी सरकारें एवं संस्थाएं ही वहन करती हैं । प्रत्येक अधिकारी पर किये गये कुल व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(2) उपरोक्त अधिकारियों का विवरण संलग्न सूची संख्या 1 में दिया गया है जो कि सदन की मेज पर रख दी गई है । इसमें अधिकारी का नाम, पद एवं विभाग जहां वह प्रशिक्षण में जाने से पूर्व कार्य कर रहा था एवं वर्तमान पद एवं विभाग जहां अब वह कार्य कर रहा है आदि सूचना दी गई है । इन अधिकारियों ने प्रशिक्षण से लौटने के पश्चात् समय-समय पर जिन विभागों में कार्य किया, इस सम्बन्ध में सूचना देना इतनी अल्प अवधि में सम्भव नहीं है ।

(3) अगले वित्तीय वर्ष में, अब तक जिन अधिकारियों के नाम विदेश प्रशिक्षण हेतु जन-शक्ति विभाग के माध्यम से चयन समिति द्वारा चयनित कर भारत सरकार को प्रस्तावित किये गये हैं उनकी सूची संख्या 2 सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) उपरोक्त अधिकारियों में से कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है, जो कि विदेश से आने के पश्चात् एक ही वर्ष में सेवा-निवृत्त हो गया हो ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो सदन को जवाब दिया है निश्चित तौर से मैं मानकर चलता हूं कि पहले जवाब में यह कहा कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कई चीजों के तो वह जवाब पूर्ण रूप से नहीं दे पाये हैं । दूसरे जो अधिकारी जहां पर थे उनको फिर उस स्थिति पर नहीं भेजा गया, जैसे सत्यनारायण सिंह, अतिरिक्त आयुक्त, डवलपमेंट अपने सही मायने की पोस्ट पर काम नही कर रहे हैं और उनको नगर परिषद, न ही यू० आई० टी०, अजमेर में लगाया हुआ है । उसी प्रकार से जैसे······

श्री अध्यक्ष : आप पूरक सूचना क्या चाहते हैं ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो रिप्लाई दिया गया है वह बिल्कुल गलत है; सही मायने में पूरी सूचना नहीं है । जो अधिकारी थे उनको गलत पद दिये गये हैं । पूरा जवाब नहीं है ।

दूसरा यह है कि जिस जगह से गये थे वहां पर उनको नहीं भेजा गया है । किसी को टाउन प्लानिंग की ट्रेनिंग के बाद में उनको दूसरे विभाग में लगाया हुआ है । जैसे आर० सी० सक्सेना ने ट्रेनिंग ली टाउन प्लानिंग की, वह आज विकास अधिकारी के पद पर लगे हुए हैं । इसलिए जिस उद्देश्य के लिए भेजे गये थे उन पर उनका उपयोग नहीं हो रहा है । इसलिए उनका दुरुपयोग हो रहा है बड़ी संख्या के अन्दर । कितना रुपया खर्च हुआ, कितने अधिकारियों पर कितना पैसा खर्च हुआ है उसके आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं तो फिर रिप्लाई का कोई महत्व ही नहीं है । या तो इसको पोस्ट-पोन कर दिया जाय·········

श्री निरञ्जननाथ आचार्य (मावली) : वह बाद में।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) Let him reply.

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : मैं भी पूछ लूं क्योंकि सत्यनारायण सिंह का····

श्री चन्दनमल बैद : मैं जवाब दे देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न किसी एक ही विभाग से सम्बन्धित नहीं है, कई विभागों से सम्बन्धित है। क्योंकि जन-शक्ति विभाग योजना विभाग के तहत है इसलिए मेरा यह कहना था कि बारबार यह प्रश्न उठता है कि मेरे विभाग में जानकारी नहीं थी तो दूसरे विभाग से जानकारी उपलब्ध हो सकती है। यह एक विभाग से सम्बन्धित नहीं है, क्योंकि बाहर ट्रेनिंग के लिए सरकारी अधिकारी दूसरे विभागों से भी जाते हैं और कुछ जन-शक्ति विभाग के माध्यम से जाते हैं और कुछ दूसरे तरीकों से जाते हैं। जितनी जानकारी मेरे विभाग में उपलब्ध थी वह जानकारी मैंने सदन में दी है। इसके पश्चात दूसरे विभागों की जानकारी दूसरे मंत्रियों से पूछकर या विभागों से पूछकर उसकी जानकारी मिल सकती है तो या तो मुझे समय दिया जाय कि उसकी जानकारी करके जानकारी दे सकूं····

कई माननीय सदस्य : इसको पोस्टपोन फर्मा दिया जाय।

श्री चन्दनमल बैद : जितनी जानकारी मेरे पास थी उतनी जानकारी मैंने दे दी है।

दूसरी बात माननीय सदस्य जिन्होंने प्रश्न किया है यह पूछा है कि उन पर खर्चा कितना हुआ है तो विदेश में आने-जाने का खर्चा तथा विदेश का दूसरा खर्चा विदेशी एजेन्सी या सरकार ने दिया है। उन्हें यहां से जो तनख्वाहें दीं और यहां से आने जाने का टी० ए०, डी० ए० दिया उनके बारे में अधिकारियों से पूछना पड़ेगा। तो 54 आदमियों से पूछना पड़ेगा कि कितनी तनख्वाहें आपको दी गई। वह सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : माननीय प्रश्नकर्ता को जो कुछ उत्तर प्राप्त हुआ है उस पर आपकी व्यवस्था चाही गई है कि अगर उत्तर अधूरा माननीय मंत्रीजी देते हैं तो उस स्थिति में सवाल को पोस्टपोन किया जाय।

दूसरी बात यह है कि जो सूची दी गई है उसको देखकर यह जाहिर होता है कि जितने भी यात्री विदेश यात्रा को भेजे गये, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में गये वह वेस्टर्न कन्ट्रीज, अमेरिका और यूरोप गये हैं। ऐसे अधिकारियों को, जो समाजवादी देश हैं वहां पर ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं भेजा गया? इसके क्या कारण हैं?

श्री अध्यक्ष : मैं यह जानना चाहता था, मंत्री महोदय, कि यह क्वेश्चन एड्रेस्ड था मुख्य मंत्रीजी को तो आप उनकी तरफ से उत्तर दे रहे हैं?

श्री चन्दनमल बैद : यह प्रश्न माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछा गया था लेकिन अधिकांश अधिकारी योजना विभाग

Page No 4

(५)

(श्री चन्दन मल बैद)
के मारफत जाते हैं इसलिए मैंने उत्तर दिया है। जो कुछ मेरे विभाग से संबंधित था उसका जवाब मैंने पेश कर दिया, लेकिन और दूसरे विभागों के मारफत भी कुछ अधिकारी जाते हैं तो मैंने मंत्री महोदय को और उनके दफ्तरों का इत्तिला कर दी है कि बाकी का जवाब आपको देना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : इसको स्थगित करते हैं। नो मोर सप्लीमेंट्रीज नाऊ ।

प्रश्न संख्या 451

श्री भगराज चौधरी ?

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 452

श्री भुवनेश चतुर्वेदी ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 453

श्री भूराराम ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री राम किशन ।

चिकित्सा एवं परिवार नियोजन विभाग में नियुक्तियां

454. **श्री रामकिशन** (भरतपुर) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (अधिनियम सेवायें) नियम सन् 1965 के अन्तर्गत नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं तथा पदोन्नतियां भी नियमानुसार नहीं दी जा रही हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस विभाग में मुख्य परिचारिका द्वारा प्रसविकाओं तथा स्वास्थ्य दर्शिका की भर्ती स्वयं के आदेशों के नियम विरुद्ध की जाती है जबकि नियमों के अन्तर्गत केवल विभागाध्यक्ष ही नियुक्त करने के सक्षम हैं ?

राज्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) सामान्यत: नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां नियमानुसार ही की जाती हैं किन्तु अस्थायी नियुक्तिदेने का अधिकार विभागाध्यक्ष को है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (अधिनियम सेवाएं) नियम, 1965 के अन्तर्गत, पदोन्नति के मामलों को स्क्रीनिंग करने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष शीघ्र ही रखने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं ।

श्री रामकिशन : आपने कहा "सामान्यत:" तो अभी तक कितनी नियुक्तियां हुई हैं तो सामान्य कितनी हैं और गैरसामान्य कितनी हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : असामान्य बतला दें ।

श्री रामकिशन : आप बतायें कि सामान्य कितनी हैं और गैरसामान्य नियुक्तियां कितनी हैं ?

Page No 5

(5)

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह विवरण उपलब्ध नहीं है कि सामान्य कितनी हुई हैं और असामान्य कितनी हुई हैं।

श्री रामकिशन : विवरण नहीं है तो किस आधार पर कहा कि सामान्यतः इस प्रकार से की जाती हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : प्रावधान जो अभी तक है उस मुताबिक असल में नियुक्तियां दी गई हैं।

श्री रामकिशन : सामान्य और गैर-सामान्य का प्रश्न में उत्तर दिया है तो दोनों केटेगरीज का बता दें।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : अध्यक्ष महोदय, वैसे एडहाक एपाइंटमेंन्ट्स करने का अधिकार सर्विस रूल्स में डाइरेक्टर को होता है। आपका यह प्रश्न पहले प्रश्न से जुड़ा हुआ है। उस समय आप अनुपस्थित थे और उसी प्रश्न के साथ यह जुड़ा हुआ है। हमारे यहां जो कुल नियुक्तियां हैं वह 26354 हैं और ये कर्मचारी जो हैं आपकी इस श्रेणी में आते हैं। उन कर्मचारियों में से 2361 कर्मचारियों की पोस्ट्स टेम्पोरेरी हैं और कुछ जो पोस्ट्स परमानेन्ट हैं उनके अगेन्स्ट में टेम्पोरेरी कर्मचारी लगे हुए हैं। यह आधार है। कुछ लगातार टेम्पोरेरी पोस्ट्स रहेंगी, मसलन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, स्माल पॉक्स का प्रोग्राम है, मलेरिया इरेडिकेशन का प्रोग्राम है, जो प्लानिंग के प्रोग्राम हैं या नेशनल स्पोन्सर्ड स्कीम्स हैं और प्लानिंग के तहत प्लान में पैसा मिलता है, वह लगातार पोस्ट्स टेम्पोरेरी रहेंगी जब तक प्लान पूरा होकर उनको परमानेन्ट पोस्ट्स में कन्वर्ट नहीं किया जाय। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, करीब 3361 कर्मचारी तो लगातार जब तक पोस्ट्स टेम्पोरेरी रहेंगी वह भी टेम्पोरेरी रहेंगे। अब सवाल यह उठता है कि हमारे पास करीब 2171 कर्मचारी ऐसे कर्मचारी हैं, जो लगातार वर्षों से परमानेन्ट पोस्टों पर काम कर रहे थे। इसके लिए हमने एक कमेटी का चयन किया है। उनकी सीनियोरटी लिस्ट के अनुसार डी० पी० सी० का चयन कर दिया है। अब जब फैमिली प्लानिंग में पोस्ट्स परमानेन्ट हो गई हैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाता हूं कि 6 महीने के अन्दर अन्दर सीनियोरिटी लिस्ट के अनुसार उनका फिक्सेशन और कन्फर्मेशन कर दिया जायेगा।

श्री रामकिशन : यह कमेटी कब बनाई है ?

कुछ माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय,......

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह कमेटी बनाई है। इसकी बैठकें कब कब हुई हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, यह नवम्बर में बनी है। इसकी बैठक 1-2-74, 11-6-74, और 12-8-74 को हुई है। इसमें सीनियोरिटी लिस्ट बनाने की बात थी। उसके बाद कुछ अमेन्डमेन्ट कर दिये हैं। जो 73 के पहले पहले 6 महीने तक लगातार सर्विस में रहे हैं, उनको कन्फर्म कर दिया जायेगा। ऐसे

Page No 6

(6)

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

अमेन्डमेन्ट रूल्स में ले चुके हैं। उसके बाद सीनियोरिटी लिस्ट आने के बाद जो प्रोसेस होता है। ऑब्जेक्शन वगैरह इन्वाइट करेंगे। और जिसका गलत तरीके से प्रमोशन हो गया होगा, उसको दिक्कत उठानी पड़ेगी। 6 महीने में यह कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री शंकरसिंह रावत : आपने यह बताया है कि परिवार नियोजन में सूची अभी तैयार नहीं हुई है तो वह कब तक तैयार हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : नया सवाल ले लिया है।

श्री राम किशन : आप नियुक्तियां दे रहे हैं, क्या यह सही है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैडिकल सर्विस रूल्स के अनुसार डाइरेक्टर को यह अधिकार है वह एडहॉक अपाइन्टमेन्ट दे सकता है। यह कहना कि नहीं हुआ है, मैं कहता हूं कि हुआ है। कई बार करते हैं। एडहॉक को कन्टीन्यू किया जाता है। अब चूंकि काफी परमानेण्ट पोस्ट हो चुकी हैं तो जो टेम्परेरी आदमी काम कर रहे थे, उनकी सीनियोरिटी लिस्ट फाइनेलाइज होकर, ऑब्जेक्शन्स लिये जायेंगे और उनको कन्फर्म कर दिया जायगा।

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, अभी तो वरिष्ठता का आधार ही तय नहीं हुआ है। जिन्होंने 6 महीने काम किया है, उनको प्रमोशन दे देंगे। वरिष्ठता के आधार से सभी रह जायेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय वरिष्ठता के आधार पर ही यह होगा। उसमें डायरेक्टर ऑफ मैडिकल सर्विसेज, एडीशनल डायरेक्टर आदि हैं। ज्योंही सीनियोरिटी लिस्ट फाइनेलाइज होगी, उन लोगों को पोस्ट पर कन्फर्म कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री केसरीमल : यह डी० पी० सी० कमेटी कब से नहीं बैठी है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह डॉक्टरों की बात है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: आपका सारा ही एड हॉक बेसिस पर रहा है। कब से होगा इस का आधार क्या है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जब से ज्वाइन किया है, उसी को आधार माना जायेगा। सीनियोरिटी–कम–मैरिट पर फाइनेलाइज होगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : सीनियोरिटी-कम–मैरिट या मैरिट–कम–सीनियोरटी ? क्या होगा ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जैसा आप कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीराम रघुनाथ !

जयपुर नगर में देशी व अंग्रेजी शराब की बिक्री

455. **श्री रामरघुनाथ** (डेगाना) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

नवम्बर माह सन् 1974 में जयपुर नगर में प्रत्येक दिन अंग्रेजी और देशी शराब

(श्रीराम रघुनाथ)
की कितनी मात्रा में बिक्री हुई? कृपया इस माह की प्रतिदिन की बिक्री का चार्ट सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

श्री श्राबकारी मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : माह नवम्बर, 1974 में जयपुर नगर में प्रत्येक दिन देशी एवं विदेशी शराब की बिक्री हुई, उसका मानचित्र सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा की एक्सरे मशीन

456. **श्री राम गोपाल** (किशनगंज) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा की एक्स-रे मशीन बन्द पड़ी रहती है जिससे जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ती है? यदि हां, तो इसे ठीक क्यों नहीं किया जाता है या नई मशीन क्यों नहीं लगाई जाती है?

चिकित्सा, राज्य मंत्री (श्रीमती कमला बेनीवाल) : जी हां। मरम्मत कराये जाने की कार्यवाही जारी है। वर्तमान में उक्त चिकित्सालय का काम जिलाधीश, कोटा के निर्देशानुसार रेड क्रॉस, कोटा की एक्स-रे मशीन पर सरकारी एक्स-रे प्लेट एवं टेक्निशियन भिजवाकर कराया जा रहा है। नई एक्सरे मशीन क्रय करने के लिए निदेशालय द्वारा सम्बन्धित फर्म को आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

श्री राम गोपाल : अध्यक्ष महोदय, एक्सरे मशीन कब से खराब हुई है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : 5-12-74 से खराब है। एक मशीन 29-1-75 को बोम्बे भेजी गई है। एक 13-2-75 को फिर से भेजी गई है। तीसरी जो मशीन है, जून, 74 से खराब है। इसके लिए फर्म को मरम्मत के लिए लिखा गया था। उसमें कुछ कमी रह गई है। उसको पुन: मरम्मत के लिए भेजा गया है। तीसरी नई मशीन को खरीदे जाने के लिए निदेशालय द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री राम गोपाल : अध्यक्ष महोदय, उसकी कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कोटा होस्पिटल का बहुत महत्व है। वहां पर दूर दूर से, मध्य प्रदेश की सीमा तक के लोग, झालावाड़ के लोग आते हैं। केशोराय पाटन के माननीय सदस्य बैठे हैं। उनसे पूछ सकते हैं। बहुत गरीब लोग वहां पर रहते हैं। उनके जीवन से सम्बन्धित यह प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री राम गोपाल : अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि जो प्राइवेट मशीनें हैं, उन लोगों से उनकी सांठ-गांठ है। इसीलिए मशीनें खराब है, उनको ठीक कराने की कोशिश नहीं की जाती है।

श्री ओंकार लाल चौहान : यह मशीनें कब तक आ जायेगी?

Page No 8

(8)

श्री मूलचन्द सामरिया : दौसा के बारे में भी आपने घोषणा कर दी है।

श्री अध्यक्ष : उनको पूरा कर लेने दें।

श्री शंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक्स-रे मशीन खराब है तो यह तो जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना है। जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वह मिल नहीं पाता है। क्या मंत्री महोदय, खुद जाकर इस प्रकार की व्यवस्था को करायेंगे कि कब तक वह मशीन तैयार हो जायगी ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : 5-12-74 से आप ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे 74 का पूरा साल हो।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकारी अस्पतालों की प्रायः एक्स-रे मशीन करीब करीब सभी ठप्प हैं। क्या यह सही है कि समानान्तर रूप से प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स की मशीन बराबर चालू हैं ? क्या मंत्री महोदय, स्वयं इस बात की जानकारी रखते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मन्त्री महोदय, को यह जानकारी है निश्चित रूपसे कि राजस्थान के अन्य जनरल हॉस्पिटल में ऐसी जगह एक्स-रे मशीन खराब पड़ी हैं। यदि उनको जानकारी है तो कृपया उनकी जानकारी देते हुये, आप किस रूप में इस सारी व्यवस्था को करना चाहते हैं वह बताने की कृपा करें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब से प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द हुई है, निश्चित रूपसे वह एक अच्छा कदम था। आज आम आदमी जाता है तो उसके लिए मशीन खराब पड़ी है। लेकिन सन्तोकबा दुर्लभजी अस्पताल में एक्सरे मशीन पर काम होता है। इसका लोग प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं। उनको फायदा हो रहा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय····

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दिगोद) : अध्यक्ष महोदय, यहाँ कोटा से सम्बन्धित प्रश्न है, मन्त्री महोदय ने कहा है कि वहां पर रेडक्रॉस की मशीन है। इस बारे में जिलाधीश से सहयोग ले रहे हैं। क्या यह सही है कि एमरजेंसी केसेज में अस्पताल में मशीन नहीं होने से ऐसे मरीजों को जिनका मूवमेन्ट होना मुश्किल था, उनको यह कहा गया है कि यहां एक्स-रे मशीन नहीं है इसलिए दूसरी जगह पर इलाज करायें ? क्या यह सही है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जहां पर एक्स-रे मशीन खराब होती है, उसका मुख्य कारण यह है कि यह अधिकतर डॉक्टर्स की मिली-भगत से होता है। जो प्राइवेट प्रेक्टिस में जिनके मशीन है, सरकारी एक्सरे मशीन खराब कराई जाती है। जिससे कि प्राइवेट प्रेक्टिस और उनकी क्लिनिक पनप सके। क्या यह मन्त्री महोदय की जानकारी में है ?

श्री अध्यक्ष : इनका जवाब सुनिये साहब। (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) मन्त्री महोदय, इतने प्रश्नों का जवाब दे नहीं पायेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं कोटा के बारे में कहना चाहूंगा। कोटा की दो मशीनें खराब हुईं, 5-12-74 को खराब हुईं। ऐसा नहीं है कि 1974 की साल में खराब हो गई हों। 5-12-74 को खराब हुईं और 21-1-75 और 10-2-75 को दोनों कम्पनी के इंजीनियरों ने आकर मशीनों को देखा और उनके पार्ट खराब थे, उनको निकाल कर बम्बई ले गये। एक मोबाइल मोन्डोर है, वह जून, 1974 से खराब पड़ा है। उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। यह पुरानी कम्पनी है, जो ऑफिस वगैरह अपना उठा चुकी है इस कारण रिपेअर और मेन्टेनेन्स में तकलीफ होती है। केवल इस सम्बन्ध में एक चीज कहना चाहूंगा, यह मशीन रिपेयर होगी, कोटा की मशीन भी रिपेयर होगी। और कोटा के लिए तो एक नई मशीन का ऑर्डर दे दिया है। वहां पर नई मशीन उपलब्ध हो सकेगी। इतना आश्वासन मैं देता हू।

श्री राम गोपाल : कब तक उपलब्ध हो जायगी ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैंने आर्डर दे दिया है, विभाग ने आर्डर दे दिया है। अब कम्पनी कब सप्लाई करती है, कहां सप्लाई करती है—यह उस पर डिपेण्ड करता है। अभी थोड़ा वैट करना पड़ेगा। वहां के लिए मशीन आ जायगी। मैडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर भेजा जा चुका है।

दूसरा मुद्दा उठाया, कई जगहों पर मशीनें खराब पड़ी हैं। यह सही है। यह बहुत अहम मामला है। हमारे जो इन्स्ट्रूमेंट हैं, ई० सी० जी० का इन्स्ट्रूमेंट हो, कोई हो, वह खराब हो जाता है तो यह कहना कि प्राइवेट प्रेक्टिस वाले खराब करते हैं, यह आंशिक सत्य हो सकता है। लेकिन हमारे इंजीनियर देखते हैं ......

श्री राम गोपाल : कोटा के अस्पताल के गेट के सामने ही व्यवस्था है, आपको मालूम है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सुनिये हम चाहते हैं कि सारे इन्स्ट्रूमेंट चलते रहें, सारी एक्स-रे मशीन चलती रहें। लेकिन यह पुरानी मशीन हैं, जो खराब हो जाती हैं लेकिन फिर भी इन्हें चालू रखना पड़ेगा। हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट करने को नहीं है कि सब जगह नई मशीनें लगा दी जायें। वैसे इसके लिए हमने कुछ कदम उठाये हैं। पहला कदम तो यह है, जब सुब्रामनियम साहब यहां आये थे, इंण्डस्ट्रीज मिनिस्टर ने तो उनके साथ बात की और फिर हमने उनको लिखा कि यहां पर एक सेन्ट्रल वर्कशॉप की स्थापना हो। मैंने चिट्ठी लिखी है और मुख्य मंत्रीजी ने भी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने जवाब में लिखा है कि यह मामला विचाराधीन है। अब पायी साहब की चिट्ठी आयी है कि जल्दी कार्यवाही करेंगे। अगर यहां पर सेन्ट्रल वर्कशॉप की स्थापना हो जाती है तो राजस्थान भर में जो इन्स्ट्रूमेंट बेकार पड़े हैं, उनकी रिपेयर का साधन हो जाता है और फिर रिपेअर में दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। वैसे यह जो इन्स्ट्रूमेंट हैं, इनकी रिपेअर और मेन्टेनेन्स का मामला है, यह बहुत पेचीदा है और कम्पनी के इंजीनियर के अलावा कोई नहीं कर सकता क्योंकि टेक्निकल नोलेज नहीं है। इसलिए जब कभी मशीन

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
खराब हो जाती है तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

माननीय गहलोत ने सवाल उठाया, आस-पास पेथोलोजिस्ट हैं, ऐसे प्राइवेट पैथोलोजिस्ट पर डिपेन्ड हो रहे हैं। हमने जो प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगायी, वह इसी कारण लगायी कि रेडियोलोजिस्ट नहीं मिलता था, अनस्थेसिया लगाने वाला नहीं मिलता था। अब उनकी प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं हो पाती है इसलिए उनके इन्स्टीगेशन से सारा मामला ठप्प हो गया—यह कहा गया। मेरा निवेदन है कि हमने जो प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगाने का कदम उठाया है, मैं समझता हूं, इसका परिणाम निकलेगा!

(व्यवधान : अश्रव्य)

प्रश्न संख्या 457

श्री अध्यक्ष : श्री नानालाल !

(अनपस्थित)

श्री ओंकारलाल चौहान : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे····

श्री रामगोपाल : प्राइवेट मशीन चलती रहती है। कोटा के हास्पिटल के दरवाजे के सामने एक लगी हुई है।

श्री अध्यक्ष : मैंने सवाल बन्द कर दिया है।

श्री विजय सिंह : 457 मुझे कह कर गये है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

आरक्षी केन्द्र, गंगापुर (जिला भीलवाड़ा) में हरिजन बालक के साथ मारपीट

457. **श्री विजयसिंह** (मांडल) : [श्री नानालाल (राजसमन्द) की अनुपस्थिति में] क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 29-12-74 को आरक्षी केन्द्र, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा में एक हरिजन बालक के साथ मारपीट की गई तथा विद्युत् करेंट भी लगाया? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बालक को बेहोश अवस्था में आरक्षी केन्द्र के बाहर डाल दिया गया था? यदि हां, तो इस अपराध की जिम्मेदारी किसकी थी तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि उस बालक का भीलवाड़ा चिकित्सालय से इलाज कराना पड़ा? यदि हां, तो उसको क्या चिकित्सा सुविधा दी गई?

(4) क्या यह भी सही है कि उस बालक की स्थिति अब भी काम करने योग्य नहीं है? यदि हां, तो सरकार ने इसके लिये क्या व्यवस्था की है?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना एकत्रित नहीं हो सकी है इसलिए स्थगित करने का निवेदन है!

प्रश्न संख्या 458

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह कुड़ी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री रामानन्द अग्रवाल !

आदर्श विद्या मन्दिर, जयपुर के विरुद्ध पुलिस में दर्ज रिपोर्ट

459. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): [की अनुपस्थिति में श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा (सूरतगढ़)] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आदर्श विद्या मन्दिर, जयपुर के विरुद्ध सी. आई. डी. (अपराध शाखा), जयपुर ने दफा 408, 467 एवं 420 ताजीरात हिन्द के तहत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो यह रिपोर्ट कब दर्ज कराई गई थी ? कृपया रिपोर्ट की नकल सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या पुलिस ने उक्त केस की जांच पूरी कर ली है ? यदि हां, तो इसके आगे क्या कार्यवाही की गई है ? यदि जांच नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार को यह सूचना मिली है कि आदर्श विद्या मन्दिर के प्रबन्धक संस्था के उन कर्मचारियों को जो कि सरकार के गवाह हैं, उन पर अनुचित दबाव डाल रहे हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने उक्त कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) :

(1) जी हां, अभियोग संख्या 113 दिनांक 3-4-73 धारा 408।467।420, भा०द०स० के अन्तर्गत पुलिस थाना आदर्श नगर, जयपुर में पंजीबद्ध कराया गया है। प्रथम सूचना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी है।

(2) उपरोक्त अभियोग का अनुसंधान जारी है। कुछ गवाहान से भी तफतीश करना बकाया है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : यह एफ. आई. आर. दर्ज हुई, माननीय मंत्री महोदय, 3-4-73 को दर्ज हुई, आज दो वर्ष से अधिक हो गये उसको दर्ज हुए। यह अनसंधान कितने वर्ष तक चलता रहेगा ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अनुसंधान है :

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो एफ० आई० आर० की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी है, उसमें आदर्श विद्या मन्दिर के खिलाफ कोई सोलह एलीगेशन लगाये गये हैं, उसमें रकम के दुरुपयोग करने का है, कुछ व्यक्तियों को, उनको नौकरी में न होते हुए नौकरी में बताते हुए बी० ए० परीक्षा में भेजने का है....

श्री रामगोपाल : यह एफ० आई० आर० पढ़ने के काबिल है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इस एफ० आई० आर० को खुद पढ़ सकते हैं ? जो मुझे प्रति दी है वह बहुत फेन्ट है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो अभियोग लगाये हैं, उसमें किताब खरीदने का और कई तरह के अभियोग हैं। किताबें दिल्ली से खरीदना बताया है, और जगह से खरीदना बताया है।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

तीन व्यक्तियों के बयान और लेना बाकी है और अकाउन्ट्स की कॉपी लेना बकाया है क्योंकि वह ऑडिट के तहत चले गये थे इसलिए उसकी कॉपी प्राप्त नहीं हो पायी है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इस पर कार्यवाही दो महीने में पूर्ण कर ली जायेगी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या यह बात सही है कि आपके अधिकारियों की सुस्ती की वजह से बहुत से डाकूमेंट वहां से खत्म कर दिये गये हैं, समाप्त कर दिये गये हैं और ट्रेस नहीं हो रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि बहुत से व्यक्तियों की एवीडेन्स जो रिकार्ड की गई थी, उनको भी सस्पेन्ड कर दिया गया है ? यह भी बताने की कृपा करें, कौन से जिम्मेदार अधिकारी इसकी इन्वेस्टीगेशन कर रहे हैं ?

श्री दीपंकर : आप एफ० आई० आर० पढ़ दीजिये। शायद साफ है, पढ़ देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आदर्श विद्या मन्दिर अभियुक्त नहीं हो सकता। सारी बिल्डिंग अभियुक्त नहीं हो सकती। कौन-कौन अभियुक्त हैं आपकी तफतीश के आधार पर ? इसका जिक्र करिये मन्त्री जी।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एक प्रश्न मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : पूछ लीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रश्न 3 का उत्तर दिया है कि कोई किसी प्रकार का दबाव गवाहों पर नहीं डाला जा रहा है। यह गारन्टी किस आधार पर देते हैं ? आपकी तफतीश को दो वर्ष हो गये, संसार में ऐसा कौनसा नेक मुल्जिम है जो गवाहों को तोड़ने की कोशिश नहीं करता है ? आपने किस आधार पर "जी नहीं" कह दिया ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एक प्रश्न और है·····

श्री अध्यक्ष : आप फर्मा चुके हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपके द्वारा मैं यह पूछना चाहूंगा, क्या यह भी सही है कि जिन लोगों ने इस केस में एवीडेंस दी, उनकी खिदमत खत्म करके उनको वहां नौकरी से हटा दिया गया ? इसका भी जवाब दे दें मन्त्रीजी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसकी जांच सी० आई० डी० इन्सपेक्टर, मि० चड्ढा कर रहे हैं। गवाहों पर जहां तक दबाव डालने का प्रश्न है, मैंने "जी नहीं" इसलिए कहा कि राज्य सरकार के पास इस प्रकार की कोई शिकायत, गवाहों पर दबाव डालने की, प्राप्त नहीं हुई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : दो दर्जन एप्लीकेशन्स तो माननीय मन्त्रीजी को मैं दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जिन लोगों ने गवाही दी है उनको नौकरी से हटा दिया गया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अधिकारियों की सुस्ती की वजह से डाकूमें

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
समाप्त कर दिये गये हैं। यह मैंने प्रश्न पूछा। इसका जवाब नहीं देना चाहते हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 3-4-73 को दर्ज हुई, इसके बाद इन्क्वायरी में लम्बा विलम्ब किया गया। जिन कर्मचारियों ने यह रिपोर्ट दर्ज करवायी थी उनको नौकरी से हटा दिया गया है। गवाहों पर इस तरह दबाव के बारे में होम डिपार्टमेंट को पत्र भेजे गये हैं। लेकिन इसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह शिक्षण संस्था, जो पहले ग्राण्ट-इन-एड लेती थी, जिसके बारे में इस सदन में हंगामा भी हुआ, उसके बारे में तफतीश करने में दो-दो वर्ष की डिले हो जाय और प्रारम्भिक जांच की कार्यवाही नहीं हो। यह जो उदासीनता है--इसका कारण बताने की कृपा करें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह प्रश्न कई बार यहां पर उठ चुका है। विधान सभा के सौ विधायकों ने हस्ताक्षर करके इस संस्था के बारे में बताया था। लेकिन राज्य सरकार ने दो साल तक कार्यवाही नहीं की है। सौ विधायकों के हस्ताक्षर से गई चिट्ठी के बाद भी दो साल की जांच में विलम्ब हो—यह गम्भीर प्रश्न है। माननीय मन्त्रीजी इसकी गम्भीरता में जायेंगे तो देखेंगे कि जिन्होंने कम्पलेन्ट की थी उनको दबाया जा रहा है, उनको परेशानी में डाल रहे हैं, उनको नौकरी से हटाया जा रहा है। इस पर कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए कागजात की चोरी हुई है और लोगों को हटाया गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सारे रिकार्ड में फेर-बदल कर दी गई है।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): क्या यह सही है कि अनुसंधान करने वाले के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं ? और क्या सरकार इस अनुसंधान के बारे में कोई समय की सीमा निश्चित करना चाहती है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इन्स्पेक्टर कब से तफतीश कर रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष : आप काफी पूछ चुके हैं, जवाब आने दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आप इस बात से इन्कार करते हैं कि शिक्षक महा संघ ने इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दी है कि गवाहों को इन्फ्लूएन्स करने की कोशिश की जा रही है, उनको हटाया जा रहा है और उनको इनटिमीडेट किया जा रहा है और दो दर्जन से अधिक चिट्ठियां उन्होंने आपको लिखी हैं ? क्या यह सही नहीं है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मंत्री महोदय आश्वासन क्यों नहीं दे रहे हैं कि 12 महीनों के अन्दर इसको फाइनल किया जायेगा, तब तक असेम्बली को याद भी नहीं रहेगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसकी तफतीश पहले एक डी० एस० पी० कर रहे थे बाद में उनके ट्रान्सफर होने के कारण इन्स्पैक्टर जांच कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : विलम्ब का कारण तो यह है कि सोलह एलीगेशन्स थीं और काफी रेकर्ड है, कुछ रेकर्ड दिल्ली से भी और दूसरी जगहों से भी लाना पड़ेगा। अब मैं यह आश्वासन देता हूं कि इस मुकदमे की तफतीश दो माह के अन्दर समाप्त करके अभियुक्तों को चालान कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री !

(शोरगुल)

श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं पूछना चाहता हूं·····

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री !

माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे मना करने के बाद भी आप बराबर बोलते रहते हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री !

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को यह कहना चाहिये था कि तफतीश के बाद निर्णय किया जायेगा। उनका यह कहना गलत है कि उनका चालान किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने सही कहा या गलत कहा इसकी जिम्मेदारी उन पर ही है।

(शोरगुल)

श्री भानुकुमार शास्त्री !

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : स्कूल में तो क्या होता होगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के निदेशक पद पर नियुक्ति

460. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): व **श्री जयकिशलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के निदेशक पद पर कौन कौन व्यक्ति कब कब से सेवारत हैं ? निदेशक पद के लिये कौनसी योग्यतायें अपेक्षित हैं ? क्या ये योग्यतायें वर्तमान निदेशक में हैं ? यदि नहीं, तो इनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई ?

(2) उक्त अकादमी की गवर्निंग कौंसिल बनाने के क्या नियम हैं तथा उनका क्या क्या काम है ? क्या गवर्निंग कौंसिल को बदलने की प्रक्रिया चालू है ?

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

(3) उक्त अकादमी के निदेशक राजकीय सेवा से कब मुक्त किये गये ? क्या अकादमी में पुनः नियुक्ति करते समय उन सरकारी नियमों का पालन किया गया जो प्रथम दर्जे के रिटायर्ड कर्मचारियों के नियुक्ति के लिये हैं ?

(4) उक्त अकादमी के भाषा सम्पादक के पद पर किसकी नियुक्ति कब से और किस आधार पर की गई है ? क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति को भाषा सम्पादक के पद पर नियुक्त किया गया है वह अकादमी की चयन समिति द्वारा दो बार रद्द किया जा चुका है ?

(5) उक्त अकादमी के नये निदेशक के कार्यभार के पश्चात् कितने कर्मचारियों को सेवा मुक्त या निलम्बित किया गया है ?

(6) उक्त अकादमी के नये निदेशक के आने पर अकादमी का कौन कौन सा कार्य चल रहा है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

शिक्षा मंत्री (श्री खेत सिंह) : (2) (अ) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ब) निदेशक पद के लिये 17-2-75 को गवर्निंग कौन्सिल ने निम्नांकित योग्यताएं निर्धारित की :

(1) एम० ए० द्वितीय श्रेणी।

(2) कम से कम दस वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।

(3) हिन्दी, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं की अच्छी जानकारी ।

(4) दस वर्ष का अध्यापन अनुभव ।

(5) योजनाबद्ध कार्य करने की विशेष क्षमता ।

(स) वर्तमान निदेशक अभी तदर्थ रूप में कार्य कर रहे हैं। इनकी तदर्थ नियुक्ति केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के अध्यक्ष के पत्र द्वारा बताए गये आधार पर इनके पर्याप्त अनुभव, विश्वविद्यालय से सम्पर्क प्रशासनिक योग्यता तथा कल्पनाशीलता को ध्यान में रख कर की गई है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह कल्पनाशीलता क्या बला है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : कल्पना के आधार पर होता होगा ।

श्री खेतसिंह : (2) (अ) गवर्निंग कौंसिल अकादमी की ज्ञापिका तथा नियम, उपनियमों के अनुसार गठित की जाती है ।

(ब) गवर्निंग कौंसिल सर्वोपरि परिषद है और अकादमी की सम्पूर्ण नीति का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है।

(स) जी हां।

(3) (अ) 30 नवम्बर, 1974 ।

(ब) इनकी प्रतिनियुक्ति रिटायरमेंट से पहले ही 15-5-1974 को हिन्दी ग्रन्थ अकादमी में कर दी गई थी ।

(4) (अ) भाषा सम्पादक के पद पर श्री मणि मधुकर, एम० ए० (प्रथम श्रेणी) की नियुक्ति की गई है।

(ब) दिनांक 4-2-1975 से ।

Page No 16

(16)

(खेतसिंह)

(स) यह तदर्थ रूप में नियुक्ति की गई है तथा इनकी योग्यता व अनुभव को आधार मान कर ही की गई है।

(द) जी नहीं, ऐसी कोई सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(5) (अ) अकादमी की प्रशासनिक एवं वित्तीय समिति के निर्णय के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया गया है।

1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
2.	पैकर	2
3.	लागत लेखा सहायक	1

(ब) एक कनिष्ठ लिपिक को अनुशासनात्मक कार्यवाही द्वारा निलम्बित किया गया है, राजस्थान वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील नियमों के अनुसार जांच चालू है।

(6) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैंने साफ प्रश्न पूछा है कि निदेशक पद के लिये कौनसी योग्यतायें अपेक्षित हैं और माननीय मंत्री महोदय ने सदन को गुमराह करने के लिये गलत बात प्रस्तुत की है। इस निदेशक पद के लिये जो विज्ञापन हुआ था वह इस प्रकार है :

"Applications are invited for the post of the Director of Rajasthan Hindi Granth Academy with following qualifications:—

He should be scholar of established reputation in any discipline with known experience of writing, publishing and editing books in Hindi on any specialised branch of learning."

इस विज्ञापन के अन्दर जो योग्यतायें निर्धारित की गई हैं, क्या उनमें से एक भी वर्तमान निदेशक में है ? क्या उन्होंने एक भी किताब लिखी है ?

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : कल्पनाशीलता में सभी कुछ आ गया।

श्री खेतसिंह : बस यही पूछना है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : और भी पूछना है लेकिन पहले इसका जवाब दे दीजिये।

श्री खेतसिंह : यह जो विज्ञापन आपने पढ़ कर सुनाया उस समय यह खयाल था कि इस पद का चयन लोक सेवा आयोग की तरफ से होगा। बाद में हमने देखा कि गर्वनिंग कौन्सिल को ही यह सब अधिकार है, तो हमने गवर्निंग कौन्सिल के तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई और उन्होंने तय किया और उन्होंने जो क्वालीफिकेशन्स निर्धारित की हैं वह मैंने पढ़कर सुना दी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपने जो रिवीजन किया है उसमें भी यह है कि एम० ए० द्वितीय श्रेणी। वह थर्ड क्लास एम० ए० है।

Page No 17

(17)

श्री खेतसिंह : अगर वह थर्ड क्लास एम० ए० है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। हमने तो अभी एड हॉक अपाइन्टमेंट दिया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : एड हॉक भी कैसे कर दिया ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : एड हॉक के लिये सैकन्ड क्लास एम० ए० नहीं मिला क्या ?

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय,

श्री जयकिशन लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछना है।

श्री अध्यक्ष : श्री जयकिशन लाल।

श्री जयकिशन लाल : इस पद के लिये जो योग्यता निर्धारित की गई है उसके पीछे क्या आधार हैं ? किस आधार को लेकर नियुक्ति कर दी गई है। मंत्री महोदय ने कहा कि एड हॉक नियुक्ति की गई है, तो क्या इस पद से हट जाने पर उनको जो अब तक लाभ मिला है, वह वापिस लिया जायेगा ?

दूसरा मेरा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि जिन तीन मेम्बर्स की कमेटी आपने नियुक्त की, यदि उन्होंने इस प्रकार की गलती की है और राज्य सरकार के नियमों के विरुद्ध काम किया है और किसी को व्यक्तिगत रूप से या किसी की पर्टीक्युलर स्थिति को लेकर उसकी नियुक्ति की है, और इस प्रकार जो बहुत ज्यादा गलती की है, उनके खिलाफ मंत्री महोदय या राज्य सरकार उनको दोषी ठहरा कर दंड देगी या नहीं ? यह मेरा प्रश्न है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल): अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह प्रश्न है कि इस चयन समिति के सदस्य कौन कौन से हैं ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न यह है कि राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के निदेशक पद पर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वह अंग्रेजी में एम० ए० है और हिन्दी में नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने खड़े होने पर अश्रव्य : शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक एक करके सवाल पूछेंगे तो जवाब आ सकेगा वरना मन्त्री महोदय को याद कैसे रहेगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि····

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि पहले मुझे जवाब आपने जितने सवाल पूछे हैं उनका दे देने दीजिये वरना ज्यादा प्रश्न शामिल हो जायेंगे तो सभी सवालों का एक साथ रिप्लाई कैसे दिया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि श्री मणिमधुकर, एम० ए० हिन्दी में फर्स्ट क्लास पास है थर्ड डिविजन नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : निर्देशक थर्ड डिविजन है, यह गवर्नमेन्ट ने कहा है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक साथ प्रश्न नहीं पूछें।

श्री खेतसिंह : पहले आप मुझे रिप्लाई तो देने दीजिये। फिर ज्यादा सवाल हो जायेंगे तो रिपलाई कैसे दिये जायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप रिप्लाई देने के लिये समर्थ हैं आप रिप्लाई दे सकेंगे, यह मैं जानता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि यह एडहॉक एपोइन्टमेन्ट करने का आपको अधिकार था क्या? दूसरा अगर यह आपका अधिकार नहीं था और गवर्निंग बॉडी को अधिकार में था तो आपने गवर्निंग बॉडी का अधिकार किस प्रकार ले लिया, तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या वहां जो ज्योइन्ट डाईरेक्टर पहले काम कर रहे थे वह प्रमोशन के लिये काबिल नहीं थे क्या उनके अन्दर क्वालिफिकेशन इतनी सफ़िशियेन्ट नहीं थी कि जिससे आपको क्राईटेरिया बदल कर इन नये महाशय को लेना पड़ा। इसके अलावा आपने यहां जो कल्पनाशील शब्द का जो यूज किया तो इससे क्या मतलब था का यह शब्द कोई मैथेमेटिक्स एलफा, बीटा, कामा है क्या?

श्री रामकिशन (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि क्या आपने जब इन महाशय को लिया तो दुबारा क्वालिफिकेशन को रिवाईज करके उसका एडवर्टाईजमेन्ट कराया था क्या? इसके अलावा आपने रिटायर्ड व्यक्ति को री एपोइन्टमेन्ट देने के लिये राज्य सरकार से सहमति पहले प्राप्त करली थी और अगर सहमति प्राप्त करली थी तो कब और अगर सहमति प्राप्त नहीं की तो क्यों नहीं की गयी?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि इस चयन समिति के सदस्य कौन-कौन हैं, तो मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि चयन समिति के अन्दर उदयपुर युनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति श्री रामचन्द्र मलहोत्रा, केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय से डॉक्टर गोपाल शर्मा, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान और शिक्षा आयुक्त, राजस्थान सरकार हैं। जहां तक भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पूछा कि दुबारा क्वालिफिकेशन रिवाइज करके आपने अखबारों में विज्ञापन किया क्या या नहीं? तो इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसके लिये दुबारा न्यूज पेपर में एडवरटाइजमेंट दिया गया था। और रिवाइज्ड क्वालिफिकेशन्स के अनुसार एप्लिकेशन्स मांगी थीं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : कब मांगी थी?

श्री खेतसिंह : यह डेट मुझे याद नहीं है। मेरे पास अभी सूचना नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपके विज्ञापन किसके पास पहुंचे?

श्री जयकिशन लाल : अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह प्रश्न मेरा भी है इसलिये मैंने

Page No 19

(10)

(श्री जयकिशन लाल)
जो प्रश्न पूछा था, मन्त्री महोदय उसका उत्तर नहीं आया ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जहां तक नियुक्ति का प्रश्न यह है यह पोस्ट उसके लिये थी जो कि संसार के श्रेष्ठतम अंग्रेजी की पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया जाय इसके लिये चयन करना था । मैं समझता हूं कि इनसे पहले जो निदेशक के पद के लिये श्री अज्ञेय का नाम था जो कि हिन्दी के बड़े भारी लेखक थे और हिन्दी में बहुत भारी कीर्तिमान स्थापित किया था । वह उपयुक्त नहीं थे क्या ?

श्री खेतसिंह : माननीय भूतपूर्व शिक्षा मन्त्रीजी सलेक्शन कमेटी में श्री रामचन्द्र मलहोत्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति थे उनको तो शायद जानते ही होंगे ।

एक माननीय सदस्य : सवाल तो यह है कि किस व्यक्ति को एड होक एपोइन्टमेंट दिया गया ?

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री खेतसिंह : मैं सदन की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एड हॉक एपोइन्टमेंट किया गया है और तीन महीने के अन्दर चयन करने जा रहे हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने हेतु खड़े होने पर, अश्रव्य : शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : नक्स्ट क्वेश्चन । श्री रमेशचन्द्र ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को जो जवाब देना था दे दिया । नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा पूछ लीजिये ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय को यह निवेदन है कि राज्य सरकार ने ऐसी पोस्ट के लिये एड हॉक एपोइन्टमेन्ट की शुरूआत भी पोछे आदमी से की है । क्या मन्त्री महोदय पोछे आदमी से शुरूआत करना अच्छा समझते हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछा ही नहीं । मैंने आपको मौका दिया था लेकिन आपने अपना राइट विश्नोई साहब को दे दिया था । अच्छा पूछिये ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री महोदय से डाइरेक्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं क्या आपने इस पोस्ट के लिये रिवाइज्ड क्वालिफिकेशन का विज्ञापन अखबारों में नहीं कराया था ? आपने कहा कि हमने विज्ञापन कराया था यह गलत कहा है । दूसरा वह महाशय एम० ए० थर्ड क्लास ही हैं क्या ? इसके अलावा क्या यह सही है कि रिटायर्ड व्यक्ति को अगर वापिस री एपोइन्टमेन्ट दिया जाता है तो उस व्यक्ति की नियुक्ति के लिये कैबिनेट से सेंक्शन लेनी पड़ती है । तो आपने कैबिनेट की सेंक्शन ली थी, नहीं तो आपने नियमों के विरुद्ध उनकी नियुक्ति कैसे की ? इसके आगे मेरा प्रश्न यह है कि जब यह प्रिंसिपल, भीलवाड़ा कॉलेज थे

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
तो वहां के हनुमान मल मेघ ने इनके खिलाफ में 26 आरोप भ्रष्टाचार के लगाये थे और उनकी शिकायतें राज्य सरकार के पास इस आशय की गयीं कि इनको कम्पलसरी रिटायर किया जाय लेकिन आपने इनको कम्पलसरी रिटायर नहीं करके इन्हें पदोन्नति करके यहां पर निदेशक के पद पर नियुक्त कर दिया। यह आप बतावें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी ! अब इस प्रश्न के ऊपर कोई सप्लीमेन्ट्री नहीं होगी।

(शोरगुल, ऑर्डर प्लीज ! माननीय मंत्रीजी)

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही जानता हूं कि इन्होंने जबसे कार्य भार सम्भाला है आज आठ महीने हुए हैं बहुत ही अच्छा काम किया है। पहले वाले निदेशक ने कोई काम नहीं किया था। और इन्होंने जबसे चार्ज लिया है करीब साढ़े तीन लाख रुपये की किताबें बिक चुकी हैं जो पहले पड़ी हुई थीं।

(व्यवधान: अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या इनको सेल्समैन नियुक्त किया गया था।

श्री खेतसिंह : अब मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि चयन समिति द्वारा तीन महीने के अन्दर अन्दर नियुक्ति कर ली जायगी।

(व्यवधान: अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ! नो सप्लीमेन्ट्री।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप सदन में इस गलती को मन्जूर कर लीजिये मन्त्री महोदय और प्रश्न समाप्त हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री रमेशचन्द्र !

तहसील नैनवा का दुगारी बान्ध

461. **श्री रमेशचन्द्र सैनिक** (हिण्डौली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी जिले में तहसील नैनवा के ग्राम दुगारी में दुगारी बान्ध को क्या राज्य सरकार ने वहां के भूतपूर्व जागीरदारों से मुक्त करा अपने आधिपत्य में ले लिया है ? यदि हां, तो इसकी कितनी केपेसिटी है तथा इस प्रकार के बांध को आज बनाने में कितना खर्च आ सकता है ? आंकड़े सदन की पटल पर रखें।

(2) इस समय इस बांध से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की जा रही है ? क्या यह सिंचाई विधिवत तरीके से की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त बान्ध से व्यवस्थित ढंग से कितनी सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है और इसके लिए कितनी राशि व्यय करनी पड़ेगी ? कृपया सर्वे रिपोर्ट पटल पर रखें ?

(4) क्या राज्य सरकार ने इस पर पहले भी विचार किया था ? यदि हां, तो अब तक बहुत कम खर्च से अधिक किसानों को लाभ क्यों नहीं पहुंचाया गया ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां, इस बान्ध की जल ग्रहण क्षमता 629 मी० घन फीट है। आज इस बान्ध की लागत लगभग 55-60 लाख रुपये हो सकती है ?

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(2) इस बान्ध से लगभग एक हजार एकड़ भूमि सिंचित होती है। नहरें पुरानी होने से सिंचाई पूरी विकसित नहीं हो पाई है।

(3) इस बान्ध से व्यवस्थित ढंग से प्रति वर्ष 3,440 एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है। नहर के निर्माण का पूरा तखमीना अभी नहीं बना है। अतः इसकी अनुमानित लागत क्या होगी, यह कहना अभी सम्भव नहीं है।

(4) इस बान्ध की नहर पर अकाल राहत के अन्तर्गत 1972-73 में 15,000 रुपये का कार्य किया गया था। सरकार शीघ्र ही तखमीना बनवाकर इस बान्ध की नहरों का निर्माण कराने का प्रयत्न करेगी।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल मैंने पूछा है उसका जवाब मेरे पास नहीं आया है इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे जवाब मेरे पास नहीं आया पर मेरे पास इस विषय में काफी सूचना है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हमेशा से ही इस बान्ध के लिये आश्वासन मिलता रहा है लेकिन आज तक वह बान्ध उसी स्थिति में है जैसा पहले था। जो हालत इस बान्ध की आजादी के पहले थी उसी हालत में वह आज है। इसमें कोई मरम्मत वगैरह नहीं हुई। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब राज्य सरकार ने इसको सन् 60-61 में ही अपने अधीन ले लिया था तो इतने सालों में इसे ठीक तरह से क्यों नहीं बनवाया गया? मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि मजदूरों की कमी है तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर बहुत से ग्रामवासी मजदूर मिल सकते हैं, दूसरा अकाल के समय काफी मजदूर मिल सकते हैं कोई कमी नहीं है। जब कि सन् 60-61 में इस बान्ध को गवर्नमेन्ट ने एक्वायर कर लिया और आज 15-16 साल हो गये तो सरकार ने इस बान्ध को पूरा करवा कर इस का सदुपयोग क्यों नहीं किया गया यह बतावें?

श्री नन्दलाल : जब भूतपूर्व जागीरदार के पास यह था तब कितनी इससे सिंचाई होती थी? दूसरा राज्य सरकार के पास आने के बाद अब इससे कितनी सिंचाई होती है और इस पर खर्चा कितना हुआ है?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह बात सही है कि इस बांध को सरकार के द्वारा लेने के बाद इस पर जो काम होना चाहिये था वह नहीं किया गया है। इससे 1 हजार बीघा में सिंचाई होती है और वह उन्हीं पुरानी नहरों से होती है। मजदूरों का जो रेफरेन्स माननीय प्रश्नकर्ता ने दिया है यह उसी वक्त के हैं। विभाग की ओर से यह कहा गया है कि इसको जल्दी ही लिया जायगा। इसलिये मैं आश्वस्त करता हूं, कि अगले वर्ष यह काम हाथ में लिया जावेगा और विद इन टू इयर्स इसकी नहरों को कम्पलीट करवा दिया जायगा और इससे जो मेक्सिमम इरिगेशन हो सकता है वह कराया जायगा।

श्री दीपंकर : स्थगित प्रश्न ले लिये जायं।

श्री रमेशचन्द्र : कम से कम खर्चा करके अधिक से अधिक किसानों को लाभ

(श्री रमेशचन्द्र)
पहुंचाया जा सकता है। माननीय मंत्रीजी ने बताया कि इस पर 55 से 60 लाख का खर्चा हो सकता है यदि प्रश्न के हिसाब से काम कराया जाय तो....

श्री अध्यक्ष : नो। श्री लूणाराम।

श्री रमेशचन्द्र : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम : प्रश्न संख्या 480।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : स्थगित प्रश्न ले लिये जायं। श्री भीमसेनजी।

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मंत्री) : (1) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्लीज। यस। श्री भीमसेन।

स्थगित प्रश्न

प्रश्न संख्या 168

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दीपंकर।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26-2-75)

निगम की बसें

169. **श्री दीपंकर (लाडनूं) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस समय राज्य पथ परिवहन निगम के पास कुल कितनी बसें हैं इनमें कितनी बसें चालू हैं तथा कितनी बसें किन कारणों से खराब पड़ी हैं और इनको ठीक करवाने की दिशा में क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं?

(2) कितनी बसों की बॉडियों निगम ने प्राइवेट कम्पनियों से बनवाई हैं तथा कितनी केन्द्रीय कार्यशाला में तैयार की हैं? प्राइवेट कम्पनियों से बॉडी बनवाने में निगम को क्रमशः डीलक्स व साधारण बसों के लिये कितनी कितनी राशि देनी पड़ती है तथा केन्द्रीय कार्यशाला में डीलक्स व साधारण बस की बॉडी बनाने में क्या लागत आयी है?

यातायात मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : (1) इस समय निगम के पास 1,201 बसें हैं। इनमें से 61 बसों को निगम की कार्यशाला में ठीक किया जा रहा है।

(2) निगम ने सन् 1970 से 1975 तक 901 बसों की बॉडी प्राइवेट कम्पनियों से बनवाईं एवं 30-1-75 तक 29 बसों की बॉडी केन्द्रीय कार्यशाला द्वारा तैयार की गई हैं। प्राइवेट कम्पनियों से बॉडी बनाने में आई लागत की तालिका सदन के पटल पर रख दी गयी है। निगम की कार्यशाला में प्रथम बार बनाई गई बॉडी की लागत के अलग से लेखे नहीं रखे गये। वर्ष 73-74 व 74-75 में बनाई गई बॉडियों पर अनुमानतः क्रमशः 32,000 रु० व 35,000 रु० लागत आई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये।)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । एक सवाल और है, वह आगे पूरा हो जाय ।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, सूची की कॉपी सदन के पटल पर रखी गयी यह फरमाया लेकिन मुझे मिली नहीं । लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कि इतनी बसें हैं, जिन पर इन्जिन रखे हुए नहीं हैं और ऐसे ही खड़ी हैं । दूसरा यह है कि प्राइवेट फर्म्स के द्वारा बसों की बॉडीज बनाते हैं उनकी लागत में और आपके कारखाने की बनी बॉडीज की लागत में कितना अन्तर आ रहा है यह बतायें ? क्या वजह है कि प्राइवेट फर्मस् से बनी बॉडीज बनाने में ज्यादा इन्ट्रेस्टेड हैं ? 161 बसें खड़ी हैं और कोई उनका उपयोग नहीं हो सकता है ? लोग बाग इन्तजार करते हैं । इसलिये इसको स्पष्ट कर दें ।

श्री माणकचन्द सोगानी : एक छोटा सा सवाल है जो इसी से जुड़ा हुआ है । अजमेर सैन्ट्रल वर्कशॉप को बसों की बॉडीज बनाने के लिये बनाया गया । वहां से काम निकल रहा है या वैसे ही कर्मचारी तनख्वाह ले रहे हैं ?

श्री किशन मोटवानी : यह सैन्ट्रल वर्कशॉप में बॉडीज बनाते हैं क्या यह सत्य है कि हर पार्ट के लिये इन्तजार करते हैं और एक-एक पार्ट को पर्चेज किया जाता है ? एक फेज्ड प्रोग्राम बना कर छोड़ दिया गया है । दूसरा जो सुदृढ़ प्रोग्राम है उसको कब तक पूरा करेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यहां वर्क शॉप में जो बॉडी बनती है उसकी क्या कीमत पड़ती है और प्राइवेट फर्मस् जो बनाती हैं उसकी कितनी कीमत पड़ती है यदि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो क्यों नहीं प्राइवेट पार्टीज को बॉडीज बनाने का अवसर दें जिससे सेटिस्फेक्शन के अनुसार तो बॉडीज बनें और अधिक से अधिक लोगों को काम मिले ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जोधपुर से डीलक्स चलती है । इतनी हालत खराब है उसकी कि सिर दर्द हो गया । कन्डक्टर भी कहने लगा कि क्या करें । एक मिनिट भी चैन नहीं पड़ा बहुत ही हालत खराब है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रणजीतसिंहजी की तोंद ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, वैसे हम चाहते हैं कि सैन्ट्रल वर्कशॉप ज्यादा से ज्यादा बॉडीज बनाये । इन्वेस्टमेन्ट और दूसरी बातें सामने आयीं बड़ा काम हाथ में लेकर 1,500, 2,000 बॉडीज बनायें और उस तरह का म्पलॉयमेन्ट दे पायें उसके लिये हम अभी तक सक्षम नहीं हो पाये हैं । मेरा यह निश्चित मानना है कि ज्यादा से ज्यादा सैण्ट्रल वर्कशॉप के पास काम हो । राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि हमारा इन पर क्या खर्च आता है ? मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि निगम के द्वारा जो बॉडीज बनाई गयी थी 73–74 और 74–75 में अनुमानतः क्रमशः 32,000 व 35 हजार की लागत आयी थी । और प्राइवेट से बनायी गयी बॉडीज पर 74–75 में 36,300 टाटा पर और 37,950 लेलेंड पर लागत आयी । वर्क शॉप का अभी एक्सपान्शन अभी हो रहा है । 25 परसेन्ट का

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
राष्ट्रीयकरण किया है और आगे प्लानिंग कमेटी के पास कर्ज की रिक्वेस्ट विचाराधीन है। जब एलोकेशन और इन्वेस्टमेन्ट की मंजूरी मिल जावेगी तब इसको अधिक बढ़ाया जा सकेगा। अभी तो 67 आदमी कुल लगातार काम करते हैं इससे इसको आगे बढ़ायेंगे और ज्यादा से ज्यादा बॉडीज हमारे वर्क शॉप में ही बने इसकी कोशिश करेंगे।

अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि एक एक बॉडी देते हैं और अलग अलग तरीके से पार्ट आदि देते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हम यह कोशिश करेंगे जैसा उन्होंने कहा कि बल्कि पर्चेजेज होती रहे, एल्युमिनियम वगैरा की, यहां पी०एम० आये थे तो मेमोरेण्डम दिया था ताकि हमको एल्युमिनियम मिलता रहे, यह व्यवस्था हो जायगी तो सैण्ट्रल वर्क शॉप को आगे बढ़ा सकेंगे और लगातार काम हो सके इसकी व्यवस्था करेंगे। सैण्ट्रल वर्क शॉप में अच्छी बॉडी बन कर तैयार हो ऐसी कल्पना हम करते हैं।

श्री दीपंकर : अब मुझे सूची मिली है। उसको देखने से मालूम होता है कि 1970 में 23 हजार लागत आती थी और अब 74-75 में 37 हजार की लागत आती है। रेट्स बढ़ गई हैं। छोटे-मोटे कारखाने चलते हैं उनके मिस्त्रियों से जांच की तो पता चला कि वे कहते हैं कि हमें मौका दिया जाय तो जितनी बस हैं उनका पुनर्निमाण कर सकते हैं, उनकी बॉडीज बना सकते हैं। परन्तु उनको मौका नहीं दिया जाता है। प्राइवेट फर्मों को क्यों मौका दिया जाता है?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जैसा मैंने पहले निवेदन किया है वहां पर व्यवस्था ठीक न होने के कारण बहुत बड़े पैमाने पर यह कार्य हाथ में नहीं लिया जा सका है। किसी मिस्त्री ने लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य को यह सूचना दी है, परन्तु हरेक मिस्त्री अपने आपको होशियार समझता है, काबिल मानता है, किन्तु कितना इन्वेस्टमेन्ट हो, कितना काम है, यह सारी व्यवस्था न हो तब तक बड़े पैमाने पर इसका विस्तार नहीं किया जा सकता है———

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुए।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : प्रश्न 227 रह गया है। इसको पोस्टपोन किया जाये।

(शेष प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर जिले के ग्राम राखी का विद्युतीकरण

451. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की पंचायत समिति सिवाना के ग्राम राखी से करीब 3 मील की दूरी पर स्थित अन्य ग्राम मायलावास, लूदराड़ा में कुओं पर विद्युतीकरण किया जा चुका है?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार राखी ग्राम की बस्ती एवं कृषि कुओं पर विद्युती-

(श्री मगराज चौधरी)
करण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) चूंकि अभी पर्याप्त मात्रा में विद्युत् क्षमता इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हो पायी है इसलिये राखी ग्राम का विद्युतीकरण कब तक हो सकेगा निश्चित नहीं कहा जा सकता।

शालाओं में वोकेशनल कोर्स

452. **श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने इस सत्र में कितनी शालाओं में वोकेशनल कोर्स प्रारंभ किये हैं और इनकी नियमित कक्षायें कौनसी तिथि से प्रारम्भ की गईं ?

(2) उक्त वोकेशनल कोर्स की परीक्षायें कौनसी तिथि को और किस प्रकार आयोजित की जावेंगी ?

उत्तर

(1) 6 विद्यालयों में। 12-8-74 से। किन्तु कुछ स्थानों पर कक्षाएं विलम्ब से भी प्रारम्भ की गईं।

(2) अनिवार्य अंग्रेजी और हिन्दी परीक्षाएं अप्रेल में ली जावेंगी तथा प्रैक्टिकल जून में होंगे।

आबू रोड-पोसीना सड़क का कार्य

453. **श्री भूराराम (आबू)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि आबू रोड से पोसीना वाया निचलागढ़ सड़क अधूरी पड़ी है ? यदि हां, तो सरकार इस सड़क को कब तक पूरी करवाने का विचार रखती है ? इस वित्तीय वर्ष में उक्त सड़क के निर्माण के लिये कितना प्रावधान रखा गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

इस सड़क पर अकाल राहत कार्य एवं क्रेश प्रोग्राम में कार्य कराया गया था। इस सड़क का कार्य विभागीय योजना में स्वीकृत नहीं है। अतः विभागीय बजट 1974-75 में कोई प्रावधान नहीं किया जा सका।

ग्राम ईडवा (नागौर) का राजकीय माध्यमिक विद्यालय

458. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नागौर जिले के ग्राम ईडवा में जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय चल रहा है, उसमें मौजूदा में क्या क्या भवन मौजूद हैं? प्रत्येक कमरा वगैरह का नाप एवं कब-कब कैसे निर्माण हुआ इसकी विगत देकर बताने की कृपा करें।

(2) उक्त विद्यालय में मौजूदा में किस-किस कक्षा में कितने कितने छात्र हैं ? तथा क्रमोन्नत होने से पूर्व इस पाठशाला में तारीख 31-7-74 को प्रत्येक कक्षा में कितने-कितने छात्र थे ?

(श्री खेतसिंह)

उत्तर

(1) भवन का विवरण मय कमरों के नाप के सदन की मेज पर रख दिया गया है। विद्यालय भवन का निर्माण मुख्यतया जन-सहयोग द्वारा किया गया है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 26-2-75)

राजस्थान नहर की मूल योजना में संशोधन हेतु सिफारिश

168. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राष्ट्रीय कृषि आयोग, नई दिल्ली ने राजस्थान नहर की मूल योजना में कोई संशोधन हेतु सिफारिश की है? अगर हां; तो वे क्या सिफारिशें हैं तथा राज्य सरकार उन सुझावों के संबंध में क्या राय रखती है?

उत्तर

जी हां। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान नहर योजना की स्टेज II में परिवर्तन कर चूरू, नागौर, कौलायत फलोदी एवं पोकरण, बाड़मेर लिफ्ट नहरों द्वारा 5,10,000 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। यह सिफारिश अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री

245. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी का गठन कब किया गया था और किस उद्देश्य से किया गया था?

(2) इस अकादमी ने अभी तक कुल कितनी पुस्तकें प्रकाशित की हैं और उन पर कितनी लागत आई है? प्रकाशन और लागत के आंकड़े सालवार बताने का कष्ट करें।

(3) इस अकादमी को भारत सरकार से कितना रुपया मिला है और राज्य सरकार से कितना रुपया मिला है?

(4) इस अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में कितनी पुस्तकें बिक चुकी हैं और कितनी अभी तक स्टॉक में बची हुई हैं। बचे हुए स्टॉक की लागत क्या है? बिक्री के आंकड़े सालवार देने का कष्ट करें।

(5) क्या अकादमी को अपनी प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री में किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव हो रही है?

उत्तर

(1) (अ) राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी का गठन दिनांक 15 जुलाई, 1969 को हुआ था। इस संस्था का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (राजस्थान अधि-

(श्री खेतसिंह)

नियम नं० 28) के अन्तर्गत दिनांक 5 अगस्त, 1969 को पंजीकरण कराया गया।

(ब) इस संस्था की स्थापना निम्न उद्देश्यों से की गयी है।—

(1) हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर के वैज्ञानिक, तकनीकी तथा मानविकीय साहित्य का निर्माण तथा प्रकाशन करने के निमित्त जयपुर में राजस्थान ज्ञान-विज्ञान हिन्दी रचना संस्थान की स्थापना करना।

(2) उक्त संस्था के प्रबन्ध तथा प्रशासन का संस्थान के नियमों के अनुसार संचालन करना।

(3) हिन्दी में तकनीकी, वैज्ञानिक तथा मानविकीय साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहित करना।

(4) (इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए) ऐसी शैक्षणिक तथा अन्य संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना है जिनके उद्देश्य पूर्णतः या अंशतः संस्थान के उद्देश्यों के अनुरूप हों।

(5) संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति में केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों का सहयोग प्राप्त करना तथा उन्हें सहयोग देना, तथा ऐसे सब वैध कार्य तथा व्यवहार करना जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक अथवा उनके अनुकूल हों।

(2) (अ) अकादमी ने अब तक कुल 142 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, इन पुस्तकों में से 13 पुस्तकें तो 'रचना हिन्दी केन्द्र' से अकादमी की स्थापना होने पर हस्तान्तरित की गयीं। शेष 129 पुस्तकें अकादमी द्वारा अब तक प्रकाशित की गयी हैं इनमें से 98 मौलिक हैं और शेष 31 अनुदित हैं।

(ब) पुस्तकों के प्रकाशन के सम्बन्ध में प्रशासनिक व्यय एवं पुस्तक उत्पादन व्यय के आंकड़े, वर्षवार की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। उससे ज्ञात होगा कि इस सम्बन्ध में कुल 22,70,342.22 रु० का हुआ है।

(3) अकादमी को भारत सरकार से अब 27 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार से इस अकादमी को अनुदान के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(4) अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में से 38,692 पुस्तकें बिक चुकी हैं और 2,37,308 पुस्तकें स्टॉक में बची हैं। बचे हुए स्टॉक की लागत 12,81,141.87 रुपये है। बिक्री के वर्षवार आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(5) जी हां। अकादमी को अपनी प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री में काफी कठिनाई अनुभव हो रही है। इसके निम्नलिखित कारण हैं:—

(अ) प्रारम्भ में जब अकादमी का गठन हुआ था केन्द्रीय सरकार का निर्देश था कि हिन्दी में मानक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है और इससे माध्यम परिवर्तन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है? इसलिए शीघ्रातिशीघ्र मानक ग्रन्थों का और संदर्भ ग्रन्थों का निर्माण कराया गया। केन्द्रीय सरकार की इस नीति के अनुसार कई पुस्तकें ऐसी हैं

(श्री खेतसिंह)

जो केवल पुस्तकालयों में ही खरीदी जा सकती हैं सामान्य नागरिक द्वारा नहीं। ये मानक ग्रन्थ और संदर्भ अभी बहुत कम बिक पाये हैं।

(ब) पिछले दो वर्षों से वित्तीय कठिनाई के कारण केन्द्रीय सरकार का निर्देश हुआ है कि छात्रोपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन किया जाय ताकि जल्दी बिक सकें। अत: अब जो पुस्तकें लिखवायी जा रही हैं वे विश्वविद्यालयों के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित होने के कारण ही लिखवायी जाती हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा खेल संघों को मान्यता

246. **श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य क्रीड़ा परिषद् से कितने खेल संघों को मान्यता प्राप्त है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संघों को पिछले पांच सालों में कितनी-कितनी आर्थिक सहायता किन-किन प्रयोजनों के लिए दी गई ? पूर्ण ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

(3) वर्ष 1974-75 में कितने संघों द्वारा राज्य प्रतियोगिता कहां और कब आयोजित की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान क्रीड़ा परिषद् से 22 खेल संघ मान्यता प्राप्त हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन संघों को पिछले पांच सालों में दिये गये अनुदान की सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(3) वर्ष 74-75 में जिन-जिन राज्य संघों ने जहां-जहां राज्य प्रतियोगिता की हैं उसकी सूची तिथियों सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

दीगोद के सैकण्डरी स्कूल के हैड मास्टर के विरुद्ध शिकायतें

247. **श्रीमती नगेन्द्र बाला** (दीगोद): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि दीगोद के सैकण्डरी स्कूल के हैड मास्टर, श्री श्रवण कुमार के बारे में शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायत मिली है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

श्री श्रवण कुमार, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, दीगोद (कोटा) के विरुद्ध छात्र संसद के प्रेसीडेन्ट द्वारा कुछ शिकायतें प्रस्तुत की गई थीं जिनकी जांच विद्यालय निरीक्षक, कोटा से करवाई गई थी। जांच प्रतिवेदन में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत

(श्री खेतसिंह)
नहीं होने के कारण विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई। जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्रम न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें

248. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य के श्रम न्यायालय में कुल कितने मुकदमें विचाराधीन हैं तथा इनसे कितने श्रमिक सम्बन्धित हैं ?

(2) इन मुकदमों में से कितने ऐसे हैं जो दो साल व पांच साल से अधिक समय से इस न्यायालय में चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या राज्य सरकार श्रम न्यायालय को फैसले देने के सम्बन्ध में कोई अवधि निश्चित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) श्रम न्यायालय में 675 मुकदमें विचाराधीन हैं। कितने श्रमिक सम्बन्धित हैं, यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) दो साल से अधिक समय से चलने वाले मुकदमों की संख्या 15 है, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। पांच साल से अधिक समय से चलने वाले कोई मुकदमें नहीं हैं।

(3) जी नहीं। ऐसा करना औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में बिजली एवं नल

249. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सन् 1972-73 व 1973-74 में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में बिजली एवं नल लगाने के लिये कितनी रकम स्वीकार हुई ?

(3) इसमें से कितनी कितनी रकम किस-किस जिले में व्यय हुई ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1972-73 में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में नल लगाने के लिये समाज कल्याण विभाग के बजट में 5.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी। वर्ष 1972-73 के पश्चात् इस कार्य हेतु प्रावधान जन स्वास्थ्य एवं जलप्रदाय विभाग के बजट में रखा जाता है। वर्ष 1972-73 व इसके आगे

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
अनुसूचित जाति व जन-जाति के मोहल्लों में बिजली लगाने का प्रावधान राजस्थान विद्युत् मण्डल के बजट में रखा जाता है।

(2) वर्ष 1972-73 में अनुसूचित जाति व जन-जाति के मोहल्लों में नल लगाने के लिए समाज कल्याण विभाग के बजट में उपलब्ध 5.50 लाख रुपये की राशि जिन-जिन जिलों के लिये स्वीकृत की गई उसकी सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

बाल अपराधों में वृद्धि

250. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में वर्ष 1972, 1973 और 1974 में कुल कितने बच्चों को बाल अपराधों में सजायें मिली और अब उनको किन-किन स्थानों पर रखा जा रहा है? प्रत्येक वर्ष की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आंकड़ों से बाल अपराधों में वृद्धि का संकेत मिलता है? यदि हां, तो सरकार बालकों में अपराध-वृत्ति को रोकने के बारे में क्या उपाय करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्ष 1972 व 1973 में विभिन्न अपराधों के लिये सजा पाये गये बाल अपराधियों की संख्या निम्न प्रकार है:-

वर्ष	बाल अपराधियों की संख्या	कहां रखा गया: संरक्षक को सौंपा गया	परिवीक्षा पर छोड़ा गया	सुधारगृहों में भेजा गया	संस्थाओं में भेजा गया	विभिन्न कारागृहों में रखा ग
1972	447	19	226	2	84	116
1973	492	67	166	28	90	141

वर्ष 1974 की सूचना संकलित की जा रही है।

(2) उक्त आंकड़ों से बाल अपराधियों की संख्या में वृद्धि का संकेत मिलता है। सरकार ने बालकों में अपराधवृत्ति को रोकने और बाल अपराधियों को सुधारने की दृष्टि से राजस्थान बालक अधिनियम, 1970 लागू किया गया है। यह अधिनियम 17 अगस्त, 1971 से जयपुर व अजमेर जिलों में तथा 14 अगस्त, 1974 से जोधपुर व कोटा जिलों में लागू किया गया है। जिन जिलों में बालक अधिनियम लागू किया गया है, उन जिलों में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बाल अपराधियों को कारागृहों म नहीं भेजा जाकर अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित विशेष संस्थाओं-संप्रेक्षण गृह व विशेष विद्यालय में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त बालकों में अपराधवृत्ति को रोकने के लिये राजस्थान बालक अधिनियम के अन्तर्गत उपेक्षित पाये जाने वाले बालकों के संरक्षण में लिये जाने का प्रावधान किया गया है जिससे कि प्रतिकूल परिस्थितियों में पड़ने वाले बालकों को समाज में उचित रूप से पुनः स्थापित किया जा सके।

बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

251. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने बेरोजगार व्यक्ति हैं ? जिलेवार संख्या की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) राज्य में हरिजन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के कितने बेरोजगार हैं ? संख्या की सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या राज्य में बेरोजगार खेत मजदूरों तथा अन्य कार्य करने वाले मजदूरों को भी पंजीकृत किया जाता है ? यदि हां, तो ऐसे कितने श्रमिक हैं जिन्हें पंजीकृत किया गया है ?

उत्तर

(1) राज्य के नियोजन कार्यालय में दिनांक 31-12-74 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बेकार व्यक्तियों की संख्या जिलेवार परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य के नियोजन कार्यालयों में दिनांक 31-12-74 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हरिजन अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के बेरोजगार व्यक्तियों की सूची जिलेवार परिशिष्ट 'ब' व 'स' पर संलग्न है।

(3) जी हां। नियोजन कार्यालयों में बेरोजगार खेत मजदूरों तथा अन्य कार्य करने वाले मजदूरों को भी पंजीकृत किया जाता है।

(4) नियोजन कार्यालयों में दिनांक 31-12-74 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल 7,707 बेरोजगार खेत मजदूरों तथा अन्य कार्य करने वाले मजदूरों का पंजीयन किया गया। इन बेकारों में कृषक, मछुए, शिकारी, लकड़हारे एवं सम्बन्धित व्यक्ति सेवावृत्ति वाले शामिल हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्राम खजवाणा (नागौर) में ट्यूब वैल पर खर्चा

252. श्री रामसिंह कूड़ी (जायल): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला नागौर में ग्राम खजवाणा में जो ट्यूब वैल मशीन फिट हुआ पड़ा है एवं जहां मकान आदि सब तैयार पड़े हैं ? यदि हां, तो इस सब पर कब-कब, कितना-कितना धन व्यय हुआ है ?

उत्तर

जी हां। भू-जल विभाग ने अकाल राहत योजना के अन्तर्गत वर्ष 1968-69 में ग्राम खजवाणा, जिला नागौर में नल-कूप का निर्माण किया है। वर्ष 1969-70 में इस नल कूप में पम्पसैट मशीनरी आदि लगाई गयी तथा वर्ष 1970-71 में पम्प हाउस तथा पानी एकत्र करने के लिये हौज का निर्माण किया गया है।

मदवार हुए धन के व्यय की सूचना इस प्रकार है :—

(1) नलकूप निर्माण की लागत (वर्ष 1968-69) 33,825.00

(जन-स्वास्थ्य मंत्री)

(2)	पम्पसैट मशीनरी आदि की लागत (वर्ष 1969-70)	35,000.00
(3)	पम्पसैट मशीनरी आदि लगाये जाने की लागत।	4,579.29
(4)	पम्प हाउस, हौज आदि निर्माण की लागत। (वर्ष 1970-71)	51,622.12
	योग	125,026.41

चूंकि यह दुर्भिक्ष सहायता मद से बना है अतः चालू करने का प्रावधान नहीं होने के कारण चालू नहीं किया जा रहा है।

ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाएं

273. **श्री हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ): क्या जन-स्वास्थ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में 1 अप्रेल, 1972 से आज तक किन-किन ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं को स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कराया गया है? कृपया इन योजनाओं के ग्रामों के नाम एवं स्वीकृत धनराशि तथा कार्य की प्रगति से अवगत करावें।

(2) क्या यह सच है कि जनता द्वारा अंशदान के रूप में 2,500), 2,500) या इससे अधिक राशि 1 अप्रेल, 1972 के पश्चात् जमा कराई गई है यदि हां, तो किन-किन ग्रामों की जनता, पंचायत द्वारा जमा कराई गई है तथा कब कब यह योजनाएं स्वीकृत की गई हैं? स्वीकृति करने में क्या-क्या मापदण्ड रखा गया है?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति, शाहबाद के एकाउन्ट्स क्लर्क का स्थानान्तरण

254. **श्री रामगोपाल** (किशनगंज): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि श्री भगवती प्रसाद शर्मा, एकाउन्ट्स क्लर्क, पंचायत समिति, शाहबाद, जिला कोटा का स्थानान्तरण अन्य स्थान पर किया जा चुका है? यदि हां, तो उसे अब तक क्यों नहीं रिलीव किया गया है?

उत्तर

जी हां। क्योंकि स्थानान्तरण आदेश रद्द कर दिये गये थे।

बीमा ऋण आवेदन-पत्रों का डिस्पोजल

255. **श्री विजयसिंह राठौड़** (मांडल): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जो राज्य कर्मचारी राज्य बीमा विभाग से ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन करते हैं उनको एग्रीमेंट कई महीनों तक नहीं भेजा जाता है?

(2) क्या यह सही है कि जिनकी पहुंच निदेशक, उप-निदेशक, अथवा सहायक निदेशक तक है उनका एग्रीमेंट, ऑथोरिटी व पेमेन्ट चन्द ही समय में हो जाता है और बाकी लोगों का वर्षों तक नहीं होता?

(3) क्या यह सही है कि ऋण आवेदन-पत्रों के डिस्पोजल में देरी इसलिये होती है कि इस कार्य के लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी अवधि निर्धारित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। व्यावहारिक नहीं।

जनस्वास्थ्य विभाग का बोर्ड

256. श्री हरिशचन्द्र पहलीवाल (गंगापुर): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार राजस्थान राज्य विद्युत् बोर्ड की तरह जन-स्वास्थ्य विभाग का भी बोर्ड बनाने का विचार रखती है? अगर नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सत्य है कि जन-स्वास्थ्य विभाग का बोर्ड बन जाने पर ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं को शीघ्र कार्य करने के लिये अन्य संस्थाओं से बोर्ड को ऋण मिलने की सुविधायें प्राप्त हो जावेंगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। वित्तीय अभाव के कारण।

(2) संस्थाओं से मिलने वाली राशि को पहले ही प्लान में शामिल कर लिया गया है। अतिरिक्त ऋण मिलने की कोई संभावना नहीं है।

पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच

257. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पुलिस विभाग में सन् 1972 से अब तक कितने लोगों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है?

(2) इनमें से कितनी जांच रिश्वत सम्बन्धी शिकायतों पर आधारित है? सूची मय नाम, पद, शाखा आदि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(3) सन् 1972 से अब तक कितने लोगों को रिश्वत के आरोप में दण्डित किया गया? सूची मय नाम व दण्ड जो दिया गया वह दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(4) सन् 1972 से अब तक रिश्वत के आरोप में रंगे हाथों पकड़े गये अधिकारियों की सूची मय वर्ष दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उक्त रंगे हाथों पकड़े गये अधिकारियों के विरुद्ध अब क्या कार्यवाही हो रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

पुलिस विभाग में भर्ती

258. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1972 से अब तक पुलिस विभाग में कितनी नई भर्ती व पदोन्नतियां की गईं?

(2) क्या उक्त पदोन्नतियां विभागीय नियमों के अनुसार ही की गईं? यदि हां, तो कितने पदों पर सीनियोरिटी को खत्म करके पदोन्नति की गई?

(3) सीनियोरिटी समाप्त कर पदोन्नति किन-किन की व किस-किस पद से

(श्री मूलचन्द सामरिया)
किस-किस पद पर की गई ? इसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सन् 1972 से अब तक कितने लोगों को रिवर्ट किया गया ? मय पद व नाम के कारणों सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या पुलिस विभाग में सीधी भर्ती भी की जाती है ? यदि हां, तो किस आधार पर।

(6) क्या सन् 1972 से अब तक भाग 5 में दर्शाये गये पदों के अलावा भी सीधी भर्ती अन्य पदों के लिए की गई ? यदि हां, तो किस-किस पद पर ?

(7) वर्ष 1972 से अब तक भाग 6 में भर्ती किये गये लोगों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(8) सन् 1972 से सीधी भर्ती किस-किस वर्ष में कब-कब की गई ?

(9) क्या इस प्रकार की भर्ती से खुली स्पर्धा में आने वाले लोगों का अधिकार समाप्त नहीं होता ? यदि नहीं, तो कैसे ?

(10) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की सीधी भर्ती से जिन लोगों को नुकसान होता है उससे परिचित है ?

(11) क्या उक्त पदों में भर्ती किये गये लोगों को पदोन्नति के अवसर भी प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो किस-किस को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

पुलिस स्टेशन सांडवा (चूरू) के थानेदार के विरुद्ध शिकायतें

259. **श्री घुमीलाल इन्दलिया** (लोहा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सन् 1972 में पुलिस स्टेशन, सांडवा, जिला चूरू के थानेदार श्री मूलचन्द मेहरा के विरुद्ध सन् 1973 में रतनगढ़ मुन्सिफ मजिस्ट्रेट द्वारा झूठी कार्यवाही एवं षड़यंत्र करने का अपने द्वारा किये गये एक मुकदमे के फैसले में अभियोग लगाया गया था ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने श्री मूलचन्द मेहरा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? समस्त कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखा जाय।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त थानेदार के विरुद्ध सेशन जज, चूरू ने स्टेट बनाम अनाराम जाट, जुर्म 302 में सन् 1973 में किये गये फैसले में अनाराम को बरी करते हुए, झूठी कार्यवाही काट-छांट कर आदि 2 षड़यंत्र करने का अपने फैसले में उल्लेख किया गया था ? यदि हां, तो सरकार ने आज तक थानेदार श्री मूलचन्द मेहरा के विरुद्ध कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि मूलचन्द मेहरा, थानेदार पुलिस, जिला चूरू अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार, षड़यंत्रों एवं दुराचार जैसे गम्भीर अभियोगों में कई बार सस्पेंड भी रह चुके हैं ? यदि हां, तो कब-कब किन-किन अभियोगों में। मय सरकार की जांच के विवरण सहित व इन पर लिये गये निर्णयों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(गृह मंत्री)

(1) जी हां। दिनांक 27-4-73 को मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, रतनगढ़ ने मुकदमा नं० 23/1972 धारा 447, 435 भा० द० स०, थाना सांडवा में मुलजिम को डिस्चार्ज करते हुये अपने फैसले में श्री मूलचन्द, थानेदार की भर्त्सना की है। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, रतनगढ़ के उपरोक्त फैसले के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चूरू की अदालत में रिवीजन प्रस्तुत किया जा चुका है जो अभी तक गैर तजवीज अदालत है।

(2) जी हां। दिनांक 31-10-73 को सेशन जज, चूरू ने मुकदमा नं० 12/1973, धारा 302, भा० द० सं० में उक्त थानेदार के विरुद्ध टिप्पणी की है जिस सम्बन्ध में दोषी थानेदार से जवाब तलब किया गया था। चूंकि मामला हाजा में थानेदार की कोई बदयानती नहीं समझी गई, फिर भी उसे भविष्य में सतर्क रहने के लिये चेतावनी दी जा चुकी है।

(3) जी नहीं। उक्त थानेदार अपने कार्यकाल में कभी निलम्बित नहीं हुये हैं।

श्री गंगानगर जिले में कत्ल एवं डकैतियों के मामले

260. **श्री गुरदयाल सिंह सन्धु** (करणपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला श्री गंगानगर में कत्ल, डकैतियों आदि के कितने मामले हुए और उनमें से कितनों में मुलजिम पकड़े गये और कितनों में पुलिस मुलजिमों को पकड़ने में असफल रही ?

(2) क्या यह सच है कि इन डकैतियों व कत्लों आदि के मामले में पुलिस बेगुनाहों लोगों को पकड़ कर मारपीट करती है और डरा-धमका कर उनसे पैसे बटोरती है ?

(3) सगराना में हुई डकैती अगस्त 1974 में, चक 2 पी. एस. में हुई चोरी, चक 5 ई. ई. ए. में हुए कर्मसिंह के कत्ल व चक 53 जी. जी. में हुई हजारासिंह के कत्ल के मामलों में पुलिस ने कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो सरकार भविष्य में क्या कार्यवाही करेगी और आज तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

(4) क्या सरकार उपरोक्त सारे मामलों में गंगानगर के पुलिस प्रशासन के असफल होने व गुप्तचर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण सी० बी० आई० द्वारा जांच करवाने को तैयार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला श्री गंगानगर में सन् 1974 में डकैती के 11 अभियोग, कत्ल के 95 अभियोग व अन्य अपराधों के 2,985 अभियोग भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीबद्ध हुये हैं। इन पंजीबद्ध अभियोगों में से डकैती के 7 अभियोगों, कत्ल के 64 अभियोगों व अन्य अपराधों के 1750 अभियोगों में अभियुक्तगणों को बन्दी बनाया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) इस संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैं:—

(1) **सगराना डकैती:**—

इस घटना का अभियोग संख्या 28

Page No 36

(36)

(गृह मंत्री)

दिनांक 29-4-74 धारा 302, 455, 382, 34, 396, 120 बी भा०दं०सं० के अन्तर्गत पुलिस थाना गजसिंहपुर में पंजीबद्ध हुआ जिसका अनुसंधान जारी है।

(2) चक 2 पी. एस में हुई चोरी:

इस घटना का अभियोग संख्या 50, दिनांक 2-8-74 धारा 447, 379 भा०,दं० संहिता के अन्तर्गत पुलिस थाना धूमड़वाली में पंजीबद्ध हुआ है। इस अभियोग का अनुसंधान अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर के तत्वावधान में किया जा रहा है।

(3) चक 5 ई.ई.ए. में हुए कर्मसिंह का कत्ल:

इस संबंध में पुलिस थाना, पदमपुर में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। प्रश्न-कर्ता (विधायक) द्वारा एक रिपोर्ट दिनांक 7-5-74 को माननीय मुख्य मंत्री को दी थी जिसमें अंकित किया है कि कर्मसिंह पिछले 7 महीनों से गुम है तथा यह भी चर्चा है कि उसका कत्ल कर दिया गया है।

इस रिपोर्ट की जांच ए० एस० पी०, करणपुर ने की। जांच में अभी तक यही मालूम हुआ है कि कर्मसिंह शराब पीने का आदी था और घर से 100 रुपये लेकर चला गया। परिवार वालों को किसी पर भी संदेह नहीं है।

(4) चक 53 जी. जी. हजारासिंह का कत्ल:

दिनांक 22-11-73 को श्री डांगरसिंह ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना, करणपुर में हजारासिंह के लापता होने की दर्ज कराई। इसके पश्चात् दिनांक 15-1-75 को एक रिपोर्ट पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेन्ज बीकानेर को प्रस्तुत की जिसमें हजारासिंह का कत्ल होने का सन्देह व्यक्त किया है। जिसकी जांच वृत्त अधिकारी, करणपुर कर रहे हैं।

(4) उपरोक्त मामलों में पुलिस प्रशासन गंगानगर कार्यवाही कर रहा है। अतः अन्य किसी जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

तहसील पदमपुर के गांवों में बिजली

261. **श्री गुरदयाल सिंह संधु** (करणपुर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले दो वर्षों में तहसील, पदमपुर क्षेत्र के किस-किस गांव को बिजली दी गई?

(2) क्या यह सच है कि रजत जयन्ती के समय जिन दो गांवों को (धूमड़वाली व 39 आर. बी.) मान्यता दी गई थी उन्हें आज तक बिजली नहीं दी गई? मगर कुरड़ाराम को सात दिन के अन्दर-अन्दर, जीवनदेसर में चार मील की लाइन खिचवा कर बिजली दे दी गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सच है कि राज्य सरकार के पास बिजली फालतू है? यदि हां, तो सरकार पदमपुर के बड़े बड़े गांव-तामकोट, जलूका, राजपुरा, दूदामोड़, डेहलबां, धुद्दवाला, चीदाबुटर, सांवतसर, धमूड़वाली, करसेवाला, बीमवाला, रतनपुरा, फकीरवाली,

Page No 37

(37)

(श्री गुरबयाल सिंह संधु)
मामुवास, नरसिंहपुरा आदि को बिजली कब तक देगी ?

उत्तर

(1) पिछले दो वर्षों में पदमपुरा, तहसील के 17 बी.बी., 11 बी. बी. 13 बी०बी० एवं 15 बी.बी. ग्रामों का विद्युतिकरण किया गया है।

(2) जी हां। जीवनदेसर ग्राम के विद्युतिकरण की स्वीकृति जनवरी, 73 में दी गई थी और उसका विद्युतिकरण मार्च, 73 में हुआ है। रजत जयन्ती में चुने गये इन दो गांवों के विद्युतिकरण हेतु विद्युत् श्रोत दूर होने व धनाभाव के कारण इन्हें अभी तक स्वीकृत नहीं किया जा सका है।

(3) उपलब्ध बिजली का उपयोग हो रहा है। पदमपुरा, तहसील के प्रश्न में अंकित गांवों को कब तक बिजली दी जा सकेगी यह निश्चित रूप से अभी नहीं कहा जा सकता।

घग्घर नदी में छोड़ा गया पानी

262. श्री गुरबयालसिंह संधु (करणपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिंचाई विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा वर्ष 1973 व 1974 में कितना-कितना पानी किस-किस नहर का, घग्घर नदी में छोड़ा गया और किस-किस नहर को कितना कितना दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि घग्घर नदी में अब पानी छोड़ने के कारण हर दो सालों में कपास व धान की फसलों के समय राजस्थान नहर, गंग नहर व भाखरा नहरों में हानि हुई है ?

(3) नहरी पानी घग्घर नदी में छोड़ने से विभाग को क्या आय हुई ? और उस सिंचित भूमि पर जिसकी कि नहरी पानी से सिंचाई हुई है, सिंचाई दर न कायम करने का क्या कारण है और उसकी अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग के गंग व भाखरा नहर सिस्टम से घग्घर नदी में वर्ष 1973-74 में पानी छोड़ा गया। घग्घर नदी में राजस्थान फीडर से जो पानी छोड़ा गया तथा जो नहरों में दिया गया उसका विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) नहरी पानी से सिंचित भूमि पर सिंचाई दर लगाई गई है। विभाग को हुई आय का ब्यौरा संलग्न है। सिंचित क्षेत्र पर सिंचाई दर कायम करने में अवहेलना नहीं की गई। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवायी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखिये।)

पंचायत समिति, शाहपुरा क्षेत्र का विद्युतिकरण

263. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की पंचायत समिति, शाहपुरा के

(श्री हनुमान सहाय व्यास)
सम्पूर्ण क्षेत्र का विद्युतिकरण हो चुका है ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से गांवों को अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है ? इन शेष गांवों से कितनी-कितनी दूरी पर विद्युत् लाइनें हैं तथा इन ग्रामों को स्वीकृत करने में कितनी धनराशि की आवश्यकता है तथा कब तक स्वीकृत किए जाने का विचार है ?

(2) क्या यह सच है कि ग्राम चतर-पुरा, बीलवाड़ी, धूलकोट, पापड़ी, नौरंगपुरा, बीचपड़ी में 11 के० वी० ए० लाइन इन ग्रामों से होकर गए 12 वर्ष हो गए हैं ? तथा इन अस्वीकृत ग्रामों में विद्युत् कनेक्शन काफी वर्षों पूर्व दिए हुए हैं ? यदि हां, तो कब तक इन ग्रामों का विद्युतिकरण किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिन ग्रामों को स्वीकृत नहीं किया है उनकी सूची 'अ' संलग्न है। इन ग्रामों से विद्युत् लाइनें कितनी दूरी पर हैं व उन्हें स्वीकृत करने के लिये कितनी धनराशि चाहिये यह सर्वे करने पर ही पता लग सकता है। इन सब ही गांवों का विद्युतिकरण कब हो जावेगा इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(2) जी नहीं। इस क्षेत्र में 1967 में बैराठ का विद्युतिकरण करते समय एक लाइन चतुरपुर व बीलवाड़ी के पास से निकाली है। इसी प्रकार किशनपुरा के जयसिंहपुरा के 1973 में विद्युतिकरण करते समय 11 के० वी० की लाइन धूलकोट के पास से व 1974 में ग्राम मेड़ के विद्युतिकरण के लिये खींची गई लाइन नौरंगपुरा के पास से निकली है। अस्वीकृत ग्राम पापड़ी में कुछ कनेक्शन पास के गांवों के ट्रान्सफार्मर्स से दिये गये है। अस्वीकृत गांवों का विद्युतिकरण कब तक हो जायगा यह अभी नहीं कहा जा सकता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखिये।)

भरतपुर में मंजूरशुदा लोकेलिटीज में बिजली

264. श्री **गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी** (बयाना) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर में मंजूरशुदा लोकेलिटीज में बिजली लगाने का कार्य पूरा नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही नहीं है कि कई लोकेलिटीज में तो अभी तक कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) ग्राम बीरमपुरा, तहसील बयाना से खेरली, बरखेड़ा लाइन एवं ग्राम अहमदाबाद से महमदपुरा, बन्दखारेठा, नगला तुला लाइनों का काम कब से प्रारम्भ होकर अब कब तक पूरा होने की आशा है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष जनवरी में मन्डल द्वारा स्वीकृत गांवों के विद्युतिकरण का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है परन्तु ग्रामीण विद्यु-

(विद्युत् मंत्री)
तिकरण निगम द्वारा स्वीकृत गांवों का कार्य स्कीम की "फेजिंग" के अनुसार चल रहा है।

(2) स्वीकृत गांवो के विद्युतिकरण का कार्य स्कीम के फेजिंग व आवश्यक सामान की उपलब्धि के अनुसार किया जा रहा है।

(3) ग्राम बन्दवारेठा व नागल तुल स्वीकृत नहीं होने के कारण ब्रह्मवाद से इन ग्रामों की लाइन खींचने का प्रश्न हीं नहीं उठता। ग्राम वीरमपुरा से खेरली बरखेडा लाइन का कार्य प्रगति पर है, जिसके इस माह में पूर्ण होने की संभावना है। ग्राम ब्रह्मवाद से महमदपुरा की लाइन पूरी हो गई थी, पर यह लाइन आंधी में गिर गई थी जिसे अब ठीक किया जा रहा है।

ग्रामीण विद्युतिकरण योजना

265. श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत राज्य में सन् 1974-75 में कृषि उत्पादन हेतु कितने कृषकों को बिजली दी है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

वर्ष 1974-75 में दिये गये कुओं के कनेक्शनों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 25-2-75)

वर्कमेन कम्पेनसेशन कमिश्नर की अदालतों में विचाराधीन केसेज

83. श्री केसरीमल (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में वर्कमेन कम्पेन्सेशन कमिश्नर की कितनी अदालतें हैं जिनमें कामगारों के कम्पेनसेशन के मामले सुने जाते हैं तथा इनमें से किस किस अदालत में कितने कितने केस कब कब से विचाराधीन हैं?

(2) उन सभी अदालतों में वर्कमेन कम्पेनसेशन के कितने ऐसे केसज हैं जिनके फैसले हो चुके हैं किन्तु रिकवरी नहीं हो सकी? इन केसों के फैसलों की तारीख क्या हैं और रिकवरी की कार्यवाही किस स्टेज पर कहां कहां हो रही रही है? पूर्ण विवरण सहित पत्रावली सदन के पटल पर रखावें।

(3) रिकवरी कराई जाकर भुगतान शीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और देरी के क्या कारण है?

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्कमेन कम्पेनसेशन कमिश्नर की कुल 9 अदालतें हैं, जिनमें 281 केसेज् विचाराधीन हैं। (विस्तृत जानकारी तालिका 'अ' में दी गई है।)

(2) राजस्थान में वर्कमेन कम्पेनसेशन कमिश्नरों की अदालतों में 37 केसेज् ऐसे हैं जिनके फैसले हो चुके हैं।

(श्रम मंत्री)

किन्तु मुआवजे की अभी तक रिकवरी नहीं हो सकी। इन केसेज के मामले की तारीखों तथा रिकवरी की कार्यवाही की स्टेजों के बारे में विस्तृत जानकारी तालिका 'ब' में दी गई है।

(3) (क) वर्कमेन कम्पेनसेशन कमिश्नर की अदालत में फैसला हो जाने के पश्चात् नकद जमा नहीं कराने पर अदालत द्वारा वसूली की कार्यवाही के लिये सम्बन्धित जिलाधीश को लिख दिया जाता है। वसूली में विलम्ब होने की दशा में जिलाधीश (पी०डी०आर०) को पुनः स्मरण-पत्र दिया जाता है। चूंकि रिकवरी का कार्य पी०डी०आर० के अन्तर्गत आता है जो कानूनी कार्यवाही है इसमें विलम्ब कानूनी प्रक्रियाओं के कारण होता है।

(ख) कुछ केसेज में रिकवरी इसलिये भी नहीं हो पाती है कि नियोजक जिसके विरुद्ध रिकवरी के लिये डिक्री की जाती है उसके पास चल-अचल सम्पत्ति नहीं होती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

1. श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट चिकित्सालय में गत 11 मार्च को एक महिला की इन्जेक्शन के कारण मृत्यु हो जाने के विषय में,

2. श्री केशरीमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर, टाटगढ़ और जवाजा की जल-प्रदाय योजनाएं बन्द हो जाने के विषय में,

3. श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला गंगानगर में गत 9 फरवरी को थाना गजसिंहपुर की एक हरिजन लड़की के साथ पुलिस के हैड कान्स्टेबल व सिपाहियों द्वारा किये गये बलात्कार के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों के विषय में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

4. श्री बेगाराम चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला गंगानगर, गंग नहर के आस पास बारानी जमीन को पानी देने के विषय में,

5. श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 4 मार्च को एक चोरी के शक में श्री नियाज अहमद को गिरफ्तार करने के विषय में,

6. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 10 जनवरी को डूंगरगढ़ के अकालग्रस्त क्षेत्र की एक हरिजन महिला के साथ किसी व्यक्ति द्वारा किये गये बलात्कार के सम्बन्ध में,

7. श्री गिरधारीलाल भार्गव, श्री भानु-कुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की

Page No 41

(५१)

(श्री अध्यक्ष)
ओर से राजस्थान में कई नगरों में गेहूं के स्थान पर खराब लाल ज्वार और खराब चावल दिया जा रहा है, इस विषय में,

8. श्री मनोहरलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान शिक्षक संघ के नेतृत्व में विद्यालय निरीक्षक, जिला भरतपुर के विरुद्ध कुछ शिक्षकों द्वारा धरणा प्रारम्भ कर देने के विषय में,

ये प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं और इनमें से जिन विभागों से संबंधित बजट की मांगें सदन में पेश की जाने वाली हैं, उस समय माननीय सदस्य इनकी चर्चा कर सकते हैं। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, ··

श्री केसरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था····

श्री अध्यक्ष : आप बिना आज्ञा के बोलना शुरू कर देते हैं·······

श्री केसरीमल : आपकी नजर कभी भी मुझ पर नहीं होती है।······

श्री अध्यक्ष : It is the law. You should catch the eye of the Speaker.

ऐसी बात तो नहीं है कि जानबूझ कर आपको मौका नहीं देता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : नजर का मतलब दूसरा भी होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री सन्धु ?

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव गंगानगर जिले में लक्ष्मा नाम की एक हरिजन लड़की को पुलिस द्वारा गजसिंहपुर के ए० एस० आई०, एक हैड कान्स्टेबल और दो सिपाहियों द्वारा गजसिंहपुर थाने में लाने के सम्बन्ध में है। इस लड़की को थाना गजसिंहपुर लाकर करीब 9 व 10 तारीख को ए० एस० आई० और हैड कान्स्टेबल ने बलात्कार किया और सारी रात वहां पर रखा और दस तारीख को ले जाकर के श्री करणपुर न्यायालय में बयान करवाये। उसको डराया, धमकाया और दूसरी रात को फिर वहां पर रखा गया। इस तरह उसके साथ दो दिन त बलात्कार किया थाने के अन्दर रख कर और 13 तारीख को वह लड़की भाग कर उच्च अधिकारियों के पास गई और उनको सूचना दी। मगर इस मामले में वहां की पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं यह अर्ज करूंगा कि ऐसी पुलिस की नीति है बराबर यह सदन में आ रहो है। इसको छोटी घटना मानकर न चलें। यहां पर तो बहुत थोड़े मामले ही पेश किए जा रहे हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा राज्य सरकार से यह अपील करूंगा कि इस तरीके की जो पुलिस की नीति है उसको सख्ती से रोका जाना चाहिए और इस मामले में सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिये, यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीमल। अब आप उठ नहीं रहे हैं।····

श्री केसरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसमें जिक्र किया है कि ब्यावर में पेय जल की भयंकर स्थिति, संकट, उत्पन्न हो गया है । कुछ गांवों में जहां पर पेय जल के वितरण की व्यवस्था थी, खास तौर से टाटगढ़ और जवाजा में। वहां भी कुछ दिनों में भयंकर अव्यवस्था पैदा हो गई है और बराबर इस विषय पर सरकार को लिखा जाता रहा है कि वहां की व्यवस्था को ठीक किया जाये ताकि वहां के लोगों को पीने को पानी मिल सके । अध्यक्ष महोदय, जो मशीनरी लगाई जाती है तो यह सोच-समझ कर, जांच कर के कि इस कुए से पीने का पानी मिलेगा तब मशीन उस कुए पर फिट की जाती है और उसमें मशीन लग जाने के बाद लोग उस कुए का पानी किसी और जरिये से नहीं निकाल सकते हैं । इन गांवों को पानी वैसे ही नहीं मिल रहा है और मशीन लग जाने के बाद सरकार की ओर से भी पानी के वितरण की व्यवस्था नहीं हो रही है । टाटगढ़ और जवाजा की हालत खराब हो गई है । इसी तरह ब्यावर में तीन, चार दिन पहले से पानी देने के समय को कम कर दिया है । वहां के लोगों को पानी की मात्रा पूरी नहीं मिल पा रही है । इसकी वजह से ऐसे मोहल्ले जो ऊंचे हैं या जो दूर पड़ते हैं वहां पर पानी मिलना मुश्किल हो गया है और जो पानी मिल रहा है वह इतना गंदा है कि पीने के लायक नहीं है । वहां पर पानी का संकट उपस्थित हो गया है । इस सदन के शुरू होते ही यहां पर निवेदन किया गया था, ध्यान आकर्षित किया गया था कि इस अव्यवस्था को दूर किया जाये । बड़ी योजनाएं तो कब आएंगी परन्तु आज तो इस संकट के समय लोगों को पीने का पानी मिल जाए, यह व्यवस्था हो जाए, इसके लिए सरकार शीघ्र कदम उठावे तो उचित होगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा, वे जल्दी व्यवस्था कर रहे है परन्तु हालत यह है कि वहां के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। इसलिये आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि टाटगढ़, जवाजा और ब्यावर और उसके आस-पास के इलाके में पानी की बेहद कमी है, इसके लिए शीघ्र व्यवस्था की जाय, लोग प्यासे मर रहे हैं उनको संभालना सरकार का काम है । वहां पर भयंकर स्थिति बन गयी है जो बरदाश्त नहीं की जा सकती । इसलिए सरकार द्वारा जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जानी चाहिए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, अकालग्रस्त क्षेत्रों के लोग नहरी इलाकों में रह रहे उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उस सम्बन्ध में जब मैं कटमोशन प्रस्तुत करूंगा उस वक्त कहूंगा परन्तु अभावग्रस्त क्षेत्रों से हजारों लोग नहरी क्षेत्र में आकर काम कर रहे हैं उनके साथ किस प्रकार का निम्नतम व्यवहार, अत्याचार होता है। बोना नाम की, नायक परिवार की एक महिला अपने पति के साथ राज थान के गंग नहर क्षेत्र में मिट्टी डालने का काम कर रही थी, उसके दूर के रिश्तेदार उस गांव में रहते हैं । यह गांव भूपतियों का है । वहां के बड़े जमींदार सोहन सिंह के लड़के राजेन्द्र सिंह जो बहुत बदनाम और क्रिमिनल आफेन्डर है, व बेचारी अपने पति को रोटी

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
देकर वापिस आ रही थी तो उसको खींचकर उसकी इज्जत लूटी गई और दो दिन तक रायसिंहनगर के थाने में बैठी रही। उसका पर्चा दर्ज नहीं किया गया मैंने स्वयं ने टेलिफोन किया तब जाकर पर्चा दर्ज किया गया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की। बन्दूक लेकर वहां के भूपति दिन भर उनके घर वालों को डराते रहे, गांव वाले भी जो गवाही के लिये तैयार हुये उनको भी डराया गया। ऐसा भयंकर आतंक उन भूपतियों द्वारा उस गांव में किया गया। मैंने स्वयं ने एस०पी० महोदय को टेलिफोन किया तो ए० एस० पी० वहां गये और मैं निश्चित रूप से कहता हूं उन्होंने डूंगरपुर से दूर-दराज से आने वाली महिला के साथ न्याय नहीं किया।

हजारों रुपये वहां की पुलिस उन भूपतियों से रिश्वत के खा गई और इस बेचारी गरीब महिला का कोई सुनने वाला नहीं और स्थिति ऐसी है कि मुलजिमान को पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। किसी भी समय महिला को उठाया जा सकता है, हत्या की जा सकती है। आखिर गांव के लोग आतंकित हो चुके हैं। सफेदपोश लोग भी उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सके मैं अधिक समय न लेता हुआ चूंकि कटमोशन में लेने का यह मामला नहीं था इसलिये इसको जानकारी के लिये भेज दें, यह मेरा निवेदन है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उसके जरिये बहुत नाजुक मसले की तरफ तवज्जोह दिलाना चाहता हूं.........

श्री अध्यक्ष : यह आपका इन्डीज्युअल केस है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं सिद्धान्त की बात रखूंगा और सिद्धान्त की बात यह है, अध्यक्ष महोदय, कि पुलिस ने एक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया वह सही था या गलत इसमें तो मैं नहीं जाना चाहता लेकिन गिरफ्तार करने के बाद एन्क्वायरी जारी है। सांभर के ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट साहब इस चोरी के मामले से कहीं सम्बन्धित होंगे। वे यहां आये और वह रेलवे मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में था, वह छुट्टी पर था, उनकी एब्सेन्स में जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने सांठ-गांठ करके इस्तगासा कराया और यह इस्तगासा कराया की जो एन्क्वायरी कर रहे हैं उनसे लेकर सी० आई० डी० को दिया जाय क्योंकि वहां मुनासिब कार्यवाही नहीं की जा रही है। हमारी जो जुडिशियरी है हम उस पर गौरव करते हैं, फख्र करते हैं। अगर उनका कोई सम्बन्ध था तो पुलिस में आकर दरख्वास्त देते। अगर पुलिस के जो अख्तयारात हैं वह मजिस्ट्रेट लेंगे तो राज्य का खात्मा हो जायगा। मुझे अफसोस है, यहां न विधि मंत्री हैं और न होम मिनिस्टर साहबान हैं। सम्बन्धित थाने में उनको केस भेजना चाहिये इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस्तगासा लेकर कार्यवाही की, यह अनुचित है। मेरा निवेदन करना यह है चाहे उस पर सख्ती होती है या नहीं होती है दूसरी बात है लेकिन यह थर्ड ग्रेड टार्चर किया गया है तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। इसलिए मैं विधि मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुये कि उनको जूडिशियरी को इन्डिपेन्डेन्ट रखते हुये जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरफ से इस प्रकार

Page No 44

(४४)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
की कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये थी और अगर इस तरह के किस्म की कार्यवाही होती है तो हमारी जुडिशियरी खत्म होती है। यह बड़ा नाजुक मसला था इसलिये मैं आपके ध्यान में लाया हूं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : हम भी जुडिशियरी को डिस्टर्ब कर रहे हैं उनका ध्यान भी आकर्षित न किया जाय तो...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा निवेदन है जुडिशियरी के लोग गलत तरीके अपनाते हैं..

श्री अध्यक्ष : Lesser we discuss, better in the interest of judiciary.

श्री निरंजननाथ आचार्य : It must have some foundation.

श्री अध्यक्ष : कह दिया समाप्त कर रहे हैं..

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं जानकारी देना चाहता हूं, मैंने अध्ययन किया है तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं जुडिशियरी का बहुत कम तजकरा किया करता हूं। मगर मैं चाहता हूं जुडिशियरी के लोग ईमानदार होने चाहियें, इसीलिये मैंने अर्ज किया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले कानपुर के अस्पताल में ग्लूकोज के नाम से ऐसी स्थिति पैदा हुई थी कि जहां भी उस कम्पनी के ग्लूकोज की बोतलें मिल रही थीं उनको सीज किया गया था और कई व्यक्तियों के मरने के बाद में ऐसे आदेश किये गये थे। यही स्थिति हमारे राजस्थान में खेतड़ी में परसों काण्ड हुआ है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी भी बिराजमान हैं एक महिला के इन्जेक्शन लगाने का सेन्सेटिव टैस्ट किया गया और उस सेन्सेटिव टैस्ट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई जिसका अर्थ यह है कि वह इन्जेक्शन स्फूरियस था, वह इन्जेक्शन पाइजनस था। यह उस व्यक्ति पर असर हुआ हो, ऐसा नहीं है लेकिन जिस कम्पनी ने इसको मेन्युफेक्चर किया है वह स्फूरियस इन्जेक्शन मेन्युफेक्चर हुआ है इसका प्राइमा फेसी केस उस मृत्यु से मिलता है मेरा निवदन है आपने सरकार से जानकारी चाही है लेकिन जानकारी आने से पहले उस विशिष्ट कम्पनी और विशिष्ट ग्रुप का जो इन्जेक्शन है चाहे वह पेनिसिलिन का हो, डाइक्रिस्टीसन का हो, डिटेल मेरे पास नहीं आई है लेकिन उस विशिष्ट ग्रुप को सीज किया जाय ऐसे आदेश इमीजियेटली यदि अब तक चिकित्सा विभाग ने जारी नहीं किये हैं क्योंकि यह केस परसों हुआ था, और मैं समझता हूं कल आदेश जारी हो गये होंगे और यदि नहीं हुआ है तो निवेदन करूंगा जहां-जहां इस विशिष्ट ग्रुप के इन्जेक्शन एवेलेबल हों चाहे केमिस्ट के यहां हों, चाहे किसी आफिस में हों और चाहे कम्पनी में हों कहीं भी हों उनको इमिजियेटली सीज कर लेना चाहिये जिससे व्यापक रूप से जो घातक प्रभाव हो सकता है सेन्सेटिव टेस्ट के दौरान तो मैं समझता हूं ऐसी कई हत्याओं को बचाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जानकारी तो आयेगी ही लेकिन प्राम्प्ट एक्शन मेडिकल विभाग द्वारा इस प्रकार का हो और उसके तुरन्त बाद कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही की जाय और किन परिस्थितियों में हुई इसका पूर्ण

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
विवरण रखा जाय । केवल मैं यही निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, बड़ा खतरनाक केस है जीवन मरण से सम्बन्ध है · · ·

श्री अध्यक्ष : इसको दोहरायें नहीं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सर्व विदित है कि राजस्थान के नगरों में 3 किलो गेहूं और 300 ग्राम चीनी प्रति मास राज्य सरकार ने देने की नीति अपनाई है ? पर खेद का विषय है जयपुर शहर में ही नहीं अन्य शहरों में भी गत माह की चीनी अभी तक नहीं दी गई और नही इस माह की चीनी दी जा रही है । पता नहीं राज्य सरकार कब तक मौन बैठी रहेगी माननीय अध्यक्ष महोदय, होली का त्यौहार भी इसी माह में है तो इस पर्व पर अधिक चीनी देनी चाहिये, वह भी नहीं दे रहे हैं । मैं आपके द्वारा राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय रसद मंत्री सदन में घोषणा करें और विश्वास दिलायें कि दोनों महीनों की चीनी और होली के पर्व की विशेष चीनी कब तक दिलवा देंगे ।

तीन किलो धान राज्य सरकार ने देने की घोषणा की है और, माननीय अध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि जयपुर में सड़ा-गला चावल जिसको जानवर भी नहीं खाते हैं वह दुकानदारों को सप्लाई किया गया है और उनसे कहा गया है कि इस निकम्मे चावल को लोग खरीदें और जितना खरीदेंगे उतना ही गेहूं कम दिया जायगा · · · ·

यानी 3 किलो में से खराब चावल को खरीदना अनिवार्य है जयपुर शहर में, इसी प्रकार करौली में यह व्यवस्था की गई है कि सड़ी गली ज्वार है जिसको जानवर भी नहीं खा सकते उसको वहां के नागरिक खरीदें और जितनी ज्वार वह खरीदेंगे उतना ही कम गेहूं उनको दिया जायेगा । तो मेरी आपसे यह प्रार्थना यह है कि आखिरकार लोगों के जीवनमरण का प्रश्न है । सरकार ने गेहूं का राष्ट्रीयकरण किया तो जब राष्ट्रीयकरण कर लिया सरकार ने तो सरकार का यह मौलिक कर्तव्य हो जाता है कि लोगों को भरपेट भोजन दे । 10 किलो और 12 किलो वाली बात तो सदन में जितनी प्रेश्चुराइज करके में रख सकता था उस ढंग से मैंने उसको रखा लेकिन मेरा निवेदन करना यह है कि 3 किलो में भी टोटा पड़ा हुआ है । इसलिए में निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने चीनी के बारे में, गेहूं के बारे में घोषणा की नहीं तो ऐसी कौनसी पद्यति आपकी आज्ञा से बनाई जाये । क्योंकि अभी सदन चल रहा है और राजस्थान की जनता दुखी है, जयपुर की जनता भी दुखी है तो राजस्थान सरकार के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डाला जाये । आज गेहूं और चीनी का प्रश्न जुड़ा हुआ है और लोगों को निकम्मी ज्वार और चावल दिया जा रहा है, उस ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से केवल यह दिखाना चाहता हूं सदन में अभी आप आज्ञा देंगे तो मैं सदन की पटल पर यह ज्वार रखूंगा · · ·

श्री अध्यक्ष : नो ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह इस

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
प्रकार की ज्वार है, ऐसी निकम्मी ज्वार है जिनको जानवर भी नहीं खा सकते ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब तो नमूना पहली बार ही लाये हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : 4 सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाये जो इस सब का निरीक्षण कर लें ।

श्री अध्यक्ष : वह लाबी में कर लिया जाये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह निकम्मा चावल जयपुर के लोगों को लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है । यह निकम्मी ज्वार जो मैंने आपके सामने पेश की यह करौली के लोगों को खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : मेरी मुश्किल यह है कि आपके स्थगन प्रस्ताव में किसी एक चीज के लिए इजाजत दी है तो उसके साथ चीनी होगी तो चीनी के साथ गेहूं भी आयेगा, ज्वार भी आयेगी और चावल भी आयेगा ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अभी तो हल्दी और मिर्च और बाकी है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: ज्वार और चावल लेने के बाद भी लोगों को ? किलो या डेढ़ किलो दिया जा रहा है और वह भी मिट्टी मिला हुआ दिया जा रहा है इसलिए अंत में मेरा आपसे यही निवेदन है कि राजस्थान के लोगों के जीवन के साथ सरकार इस प्रकार का निकम्मा गेहूं, इस प्रकार का चावल और ज्वार जिसको जानवर भी खाना पसन्द नहीं करते वह दें और चीनी की सप्लाई नहीं करें तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार एक निश्चित तारीख दे कि उक्त तारीख तक यह व्यवस्था ठीक कर देंगे और चीनी कब तक मिल जायेगी इसकी भी घोषणा करें । नहीं तो आपकी आज्ञा से सरकार को झुकाने का रास्ता अपनाना पड़ेगा ।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द इस संबंध में अवश्य कहना चाहूंगा । मैं समझता हूं कि सरकार की यह वितरण व्यवस्था है यह बुरी से बदतर है दिन ब दिन समस्या भयंकर होती जा रही है । आप समाजवाद का तो नारा लगाते हैं और हजारों गरीब लोग ऐसे हैं कि जिनको शक्कर तो क्या मुंह मीठा करने के लिए महीनों तक गुजर जाते हैं । त्यौहार हो या कुछ भी हो, वह बिलकुल मीठा भी उनको नहीं मिलता । आपकी वितरण व्यवस्था अनाज के संबंध में क्या गेहूं, क्या बाजरा और गरीब लोगों को तो आधा धूला और आधा अनाज और वह भी सड़ा हुआ माइलो आप देते हैं । तो अभी होली का भी त्यौहार आ रहा है । माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है जयपुर की वितरण व्यवस्था के संबंध में, मैं तो समझता हू कि यह सर्वव्यापी समस्या है, जयपुर की समस्या है । सरकार को इस संबंध में विचार करना चाहिए । होली जैसे त्यौहार के ऊपर भी अगर लोगों को मीठा मुंह करने के लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर सकती तो यह सरकार बिलकुल नालायक और निकम्मी है । कोटा शक्कर का गायब

(श्री लक्ष्मणसिंह)

हो जाता है, पता नहीं कहां जाता है, तो यह भी खा जाते हैं इधर से उधर और कोई भी किसी को पकड़ता नहीं है। तो यह क्या है? अन्धेरगर्दी है और सरकार इस संबंध में ध्यानपूर्वक विचार करे, गम्भीरतापूर्वक विचार करे। जनता का दिनोंदिन जीवन क्लिष्ट होता जा रहा।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : यह शिकायत है कि गंगानगर जिले में नवम्बर, 74 से खांड नहीं मिली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इस बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए कि शक्कर देंगे या नहीं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सका जवाब तो आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इसका अभी क्या जवाब आयेगा?

श्री गुमानमल लोढ़ा : जवाब नहीं तो शक्कर दें और शक्कर नहीं तो जवाब दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : और नहीं तो मीठा जवाब तो दे दें।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री!

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री गिरधारी लालजी ने एक स्थगन प्रस्ताव रखा वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार इस फ्लोर पर आकर इस बजट सत्र के अन्दर वाहवाही लूटने के लिए बड़ी बड़ी घोषणायें करने जा रही है कि हमने जनता के लिए यह कर दिया, वह कर दिया...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शक्कर भी नदारद तो मंत्रीजी भी नदारद होने वाले हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : और दशा यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यह जो चावल दिया जा रहा है इसको मजाक में नहीं लें। यह माइलो है, मिट्टी है या क्या है? इसको पहचाना नहीं जा सकता कि यह कौनसा धान है। मिट्टी, कंकर, माइलो न जाने क्या क्या मिला हुआ है। ऐसी चीजें देते हैं जो हमारे बनवासी और गांवों में रहने वाले लोग हैं उनको यह देते हैं और इधर बड़ी-बड़ी घोषणायें करते हैं कि हमने लेवी लगा दी है। किसानों को डंडे मारकर गेहूं ले लिया है। उनको उचित दाम नहीं देंगे और कहते हैं कि वितरण व्यवस्था चलानी है तो लेवी लगानी पड़ेगी। किसानों को गावों में पूरा पैसा नहीं देंगे लेकिन वितरण में ऐसा मिलेगा और गेहूं को देखें तो इतनी मिट्टी है कि फेंकू तो सब माननीय सदस्य भर जायें ..

श्री अध्यक्ष : ऐसा काम मत करो।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप कम से कम इस प्रश्न को गम्भीर समझकर गांव और शहर में वितरण होने वाली चीजों की जांच तो करा लीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरलाल!

Page No 48

(48)

श्री मनोहरलाल (कामां): मान्यवर, भरतपुर जिले से आने वाले सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि वहां पर जो आजकल इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स हैं श्री मन्जु साहब वह अपने व्यवहार में ठीक नहीं हैं। उनके खिलाफ स्पष्ट आरोप भी हैं और अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता कि उनकी सब की यहां पर चर्चा हो लेकिन मुख्य बात यह है कि अध्यापक लोग उनके पास मिलने जाते है तो वह गाली-गलोच से पेश आते है और बारबार यह कहते हैं कि मैं गुण्डों का दादा और गुण्डों का नेता हूं मैं गुण्डे पालता हूं और गुण्डागर्दी करना जानता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खोह के हैड मास्टर के खिलाफ बहुत गम्भीर आरोप थे। वह अपने आप कच्ची शराब बेचते हैं स्कूल में। वहां पर लड़कियों ने स्कूल में पढ़ना बन्द कर दिया है। लोगों ने शिकायतें कीं और वहां पर इन्स्पेक्टर कच्ची शराब पीने बैठ गया। वहां पर दंगा हुआ, मार-पीट की नौबत आ गयी और इसके बाद वहां के अध्यापकों ने भी विरोध किया कि यहां का खोह का एक ऐसा हैड मास्टर है जो कि कच्ची शराब बेचता है और उसमें इन्स्पेक्टर शामिल है। इन्स्पेक्टर साहब से शिकायत की गई तो वह भी गाली गलोच पर आमादा हो गया। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, दस बारह अध्यापकों के म्यूचल ट्रांसफर होने थे, उन्होंने दरखवास्तें दे रखी थीं लेकिन उनके म्यूचल ट्रांसफर भी नहीं किए। जो अध्यापक परेशान थे, जिनके मां बाप बीमार थे जो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते थे, अच्छे आदमी थे जो संग में, काम करते थे उन अध्यापकों के सत्र के बीच में तबादले कर दिए।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि कोई भी पत्रकार या जन प्रतिनिधि उनसे मिले या पूछे टेलीफोन पर, कोई शिकायत करे तो वह न कोई जवाब देता है और न उनसे पूछ करके शिकायत दूर करने के लिए कहें तो कोई काम करें और जिन अध्यापकों के खिलाफ शिकायत है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करे तो मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूं कि अध्यापकों ने खासतौर से उनके खिलाफ धरना जारी कर रखा है, वहां पर पढ़ाई नहीं हो रही है और कई स्कूलें बन्द हैं, नतीजा यह होगा कि निश्चित रूप से किसी न किसी दिन मारपीट होगी, मंजुल साहब को पीटेंगे। वे समझते होंगे कि अध्यापक पिटेंगे तो यह नहीं होगा और मंजुल साहब पिटेंगे। अगर वह यह समझते हों कि अध्यापक पिट जायेंगे या जनता पिट जायेगी तो ऐसा कतई नहीं होगा और यह निश्चित है कि दो चार दिन में ही आपके मंजुल साहब पिटेंगे, आप उनको वहां से हटा दें।

श्री अध्यक्ष: श्री बेगाराम।

श्री बेगाराम (रायसिंह नगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है गंग केनाल के आस पास बारानी जमीन को पानी देने के सम्बन्ध में। अध्यक्ष महोदय, इस टाईम में सिंचाई मन्त्रीजी यहां पर विराजमान हैं। मैं यह सही बात कहूंगा कि राजस्थान में हमारे यहां गंग केनाल पर आड़ोस पड़ौस में जमीन नहरी है जिसमें सर्वे हो गया जिसमें पानी लग सकता है उस जमीन की एप्लीकेशनें किसानों से ले ली

Page No 49

(49)

(श्री बेगाराम)
गई कि आपको पानी दिया जाएगा, आज करीबन दो साल हो गए तो उनको न तो पानी दिया गया है और कई मौके लगाए गए हैं। एक मौका छोटा तो एक मौका बड़ा करके जो सारी जमीन है, जो पानी लगने वाली जमीन है, जिसमें अनाज पैदा हो सकता है, वहां पर पानी नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, एक मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में 15 बी. एस. और महेन्द्रनगर और भीमपुरा में 1947 से पहले कम से कम तीस मूरब्बा जमीन मुसलमानों के पास थी····

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर ही फरमावें।

श्री बेगाराम : स्थगन प्रस्ताव है इस सम्बन्ध में। तीस मुरब्बा जमीन मुसलमानों की थी, वह मुसलमान पानी लगा रहे थे······

श्री अध्यक्ष : आज डिमाण्ड भी है और कटमोशन भी है इस पर।

श्री बेगाराम : मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस पर पानी लग रहा था और गेहूं पैदा होता था। तो उनके बाद मुसलमानों को निकाल दिया गया और 1947 के बाद पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए उन्हें वह जमीन दी गई। तो 48-49 में क्या हुआ कि वहां के दो तीन सरदारों ने जो बड़े 2 आदमी हैं उन्होंने जमीनों का मौके का पानी बन्द कर दिया और आज आधा आधा मुरब्बा जमीन जो तीन मुरब्बा जमीन थी वह साठ हरिजनों में बांटी गई और साठ हरिजनों के पास आज वह जमीनें हैं। उनका पानी कितने ही सालों से बन्द पड़ा है। कई लोगों ने आपको अप्लीकेशन दी, आपसे बात चीत भी करी पर पानी नहीं मिला। आज यहां पर वे लोग डेपूटेशन लेकर आए हैं और पास में बैठे हैं, मैं माननीय मंत्री जी से उनको मिलाऊंगा, आप उनको पानी दिलाने की कृपा करें। उनके पास आधा आधा मुरब्बा जमीन है, सारे हरिजन हैं जिनको पानी दिया जावे। इसके अलावा एक टोढो महेन्द्र से चौधरी रामचन्द्रजी ने सेंक्शन भी किया था, वह पानी लगने वाली भूमि है, नहरें सेंक्शन तो जरूर कर देते हैं पर न नहर में पानी दिया गया है न नहर खुदाई गई है न किसानों को पानी दिया गया है। टोढो महेन्द्र और भीमपुर नहर में पानी दिया जावे ताकि लाखों मन अनाज पैदा होगा। उन हरिजनों के पास कोई साधन नहीं है, आधा आधा मुरब्बा जमीन है।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द कहना चाहूंगा। आज उन बेचारों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज गरीबों की सुनवाई बिल्कुल नहीं है। यह गरीब पानी के लिए गंगानगर से यहां पर आये हैं। मंत्री महोदय कम से कम इतनी तो कृपा करें, इतना कष्ट करें कि उनको बुला करके और उनकी बात तो सुन लें, अगर उनकी बात गैर वाजिब हो तो आप तत्काल कह दीजिए कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हों तो जरूर कुछ करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय उनसे मिलें और उनसे पांच मिनिट के लिए बात करें।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था.....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपकी तो लम्बी चौड़ी बात हो गई केवल निर्णय देना बाकी है। कम से कम 25 दफा मिल चुके हैं। आप निर्णय ही घोषित कर दीजिए।

सूचना-प्राप्ति प्रश्न

चूरू काण्ड की जांच से सम्बन्धित हूजा प्रतिवेदन

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : ओन ए पोइन्ट आफ इन्फार्मेशन सर। मैंने आपके सम्मुख चूरू काण्ड के सम्बन्ध में हूजा रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का निवेदन किया था और....

श्री अध्यक्ष : मैं अर्ज कर दूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपने आज्ञा फरमाई थी कि लिखित में दे दिया जावे तो उसके बाद में उचित निर्णय, उचित आज्ञा हो जाएगी। मैंने उस पर और दूसरे विधायक बन्धुओं ने लिखित में आपके पास में निवेदन किया था कि चूरू काण्ड की जो हूजा रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जावे ऐसी सरकार को आज्ञा दी जाय। आपके पास प्रस्तुत करने के बाद कुछ समय निकल गया और कल हाउस में फिर निवेदन किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चेयर पर थे उन्होंने यह कहा कि आप चेम्बर में, अध्यक्ष महोदय, से मिल लें उसके पश्चात् मैं, समाजवादी पार्टी के माननीय रामकिशन, केदारजी व मोहर्रसिंह व अन्य आपके पास में उपस्थित हुए और फिर आपसे निवेदन किया। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हूजा रिपोर्ट के अभाव के अन्दर आज वहां पर चूरू बन्द परसों हुआ था। सारा चूरू जिला बन्द रहा था इसलिए कि पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया जाय। अभी तक वहां का एक भी पुलिस का अधिकारी नहीं हटाया तो मैंने आपसे पुन: निवेदन किया था कि आप हूजा रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखवा दिया जाय, ताकि स्थिति स्पष्ट हो जावे और सरकार ने इस बात को मान लिया है कि वहां पर पुलिस की कस्टडी में शिवपूजन, बालमुकुन्द ओझा, पत्रकार और विमल सारस्वत के साथ मार-पीट की गई तो भी मैं समझता हूं कि इसके बाद में भी उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही अभी तक किसी प्रकार की नहीं हुई है, न तो एफ. आई. आर. रजिस्टर हुई, उनको न गिरफ्तार किया गया और न उनका चालान किया गया.....

श्री अध्यक्ष : ऐसी स्थिति पैदा न करें कि सारा स्टेटमेंट ही आप अभी ही दे दें और बाद में आपको मौका न मिले।

श्री गुमानमल लोढ़ा : It is a very important matter.

श्री अध्यक्ष : It will not be in your favour, I think.

श्री गुमानमल लोढ़ा : सारा चूरू जिला बन्द रहा है, कल की फिर हड़ताल होगी, जन आक्रोश बढ़ रहा है। हूजा रिपोर्ट को आप....

श्री अध्यक्ष : आप फैसला सुनना चाहते हैं या अपनी ही सुनाना चाहते हैं।

Page No 51

(51)

श्री गुमानमल लोढ़ा : हूजा रिपोर्ट को प्रस्तुत कराने के लिए हमने निवेदन किया है····

श्री अध्यक्ष : मेरा निर्णय तो सुन लीजिए ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह रिपोर्ट यहां पर आ जाय जिससे वहां की स्थिति स्पष्ट हो जाय। आपने कल हीं देखा होगा कि सी. आई. का ट्रांसफर किया गया है, सरकार की ओर से वहां पर कार्यवाही की गई लेकिन यह एक बड़ा जघण्य कुकृत्य किया गया है । आज सारा चूरू जिला प्रभावित है, सारे राजस्थान में जन आक्रोश फैल रहा है। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में हूजा रिपोर्ट यहां पर रखी जावे और माननीय मुख्य मंत्री ने भी अपने भाषण में उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में यहां पर कहा था ······

श्री अध्यक्ष : निर्णय में आ जाएगा ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : चार पांच तारीख को यहां पर कहा था लेकिन आज तक हूजा साहब वहां पर नहीं गए हैं और वह यहां पर शिक्षा आयुक्त बन कर बैठ गए हैं, अभी तक उन्होंने कोई जांच नहीं की है, न तो सैंकिड पार्ट आफ दी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिए ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा निवेदन है कि रिपोर्ट को यहां पर प्रस्तुत करवा दिया जाय ताकि उस पर विचार कर सकें।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : मुझे सुन लीजिए पहले।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द इस बारे मे कहना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : पहले मुझे सुन लीजिए, आपका काम हल्का हो जाएगा। मैं निवेदन कर रहा था कि वैसे तो यह चूरू वाला विषय इस सदन में दो तीन दफा आ चुका है और दो दफा इस सम्बन्ध में वक्तव्य सरकार की तरफ से हो चुके हैं इसलिए स्थगन प्रस्ताव के जरिये या किसी मोशन के जरिये तो अब यह विषय आने वाला रहा नहीं। आपका जो पत्र हूजा रिपोर्ट के सम्बन्ध में मेरे पास आया था मैंने उस पर गौर किया है और उस सम्बन्ध में जानकारी चाही है । आज उसकी आखिरी तारीख है। अगर वह आ जाती है तो ठीक है उनका उत्तर और नहीं आ जाता है तो ठीक है। उस सम्बन्ध में निर्णय कल आपको सुनाऊंगा इसलिए उसके बाद जो स्थिति हो आप उसके मुआफिक करें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, दो शब्द इस सम्बन्ध में, अवश्य कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : कल ही फरमाइये, वरना औरों को भी मौका देना पड़ेगा ।

श्री लक्ष्मणसिंह : हमारे विरोधी पक्ष की यह धारणा है कि विरोधी पक्ष से कोई भी ठोस सुझाव सरकार को दिया जाता है, सरकार उसकी उपेक्षा करती है, अवहेलना करती है। कल ही में समझता हूं कि लाडनूं से जो माननीय सदस्य पधारे हैं उन्होंने कोई शिकायत की, वहां पर पुलिस के जो भी

(श्री लक्ष्मणसिंह)
अफसर थे उसका तुरन्त तत्काल ही तबादला कर दिया गया है। हूजा रिपोर्ट यहां पर आये या नहीं आवे, उसका जिक्र यहां पर हो चुका है, वह सदन की सम्पत्ति हो चुकी है। सरकार का यह अधिकार है कि सारी रिपोर्ट यहां पर न रखे लेकिन कुछ न कुछ हिस्सा, अंश यहां पर रखे··ताकि उसके ऊपर अनुमान किया जा सके कि यह मामला क्या है और क्या नहीं है। मैं कोई लम्बी-चौड़ी बात तो इस सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता अध्यक्ष महोदय, आपको भी हमारी मांग के प्रति एक हद तक सहानुभूति है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। परन्तु मैं निवेदन करता हूं कि अगर सरकार हूजा रिपोर्ट सारी नहीं तो उसकी एक्स्ट्रेक्ट भी रखने की चर्चा करती तो हमको शान्ति मिलेगी वरना मैं इस धारणा पर पहुंचूंगा कि सरकार डिस्क्रीमिनेटरी ट्रीटमेन्ट करती है, कांग्रेस वालों को तो सहुलियतें देती है। चूरू नगर में इतना बड़ा काण्ड हो गया वहां पर घोर अशान्ति है और जो कुछ भी हुआ अगर सरकार चाहे तो उसको जस्टीफाई तो कर ही सकती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिये हैं कल तक रिपोर्ट देने पर अपना निर्णय देने के लिए। मेरा मतलब यह है कि मुख्यमंत्रीजी ने दूबारा आश्वासन दिया था जांच के लिए हूजा को भेज रहे हैं। इसके बावजूद भी यह उनका एक दकियानूसी रुख है उसकी हम निन्दा कर सकते हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार से कि इतनी गम्भीर घटना हो गई, आपको आदेश भी देने पड़े, सरकार झिझक रही है, जांच कर रही है, जांच का नतीजा है फिर दूबारा उसको नियुक्त किया गया तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार कोई न कोई जबाब निश्चिततौर से आज ही दे। और जो दूसरा आश्वासन के बारे में जो जानकारी मिली उसके बारे में क्या कार्यवाही हो रही है इससे भी अवगत कराया जावे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि सदन में जबाव की स्टेज बदल गई है लेकिन स्टेज तो बहुत बाद में बदली। 6 तारीख को घोषणा कर दी कि हूजा को दूबारा भेज रहे हैं कि पुलिस ने कोई गड़बड़ियां कीं या नहीं कीं। अब तो प्रश्न यह है कि हूजा वहां पर गये ही नहीं और उन्होंने दूसरा विभाग भी संभाल लिया, परिस्थितियां बदल रही हैं इसलिए निवेदन है कि सरकार से कहे कि कम से कम रिपोर्ट तो आज रख दें और जिस पुलिस अधिकारी के खिलाफ बात है उसको वहां से हटा दें। पीछे कौनसी बात जस्टीफाई होगी जिसकी जांच आप करने जा रहे हैं।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति के खिलाफ, डी. एस. पी. के खिलाफ सारा कान्ड है जिसने पत्रकार और युवक विद्यार्थियों को मारा पीटा वह वहां पर है। ऐसी सूरत में जांच कैसे हो सकती है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आज इस घटना को 32 दिन हो चुके हैं फिर भी सारे जिले में भारी रोश है, घोर अशान्ति है, विरोध होता है, प्रदर्शन होते हैं इसलिए डी. एस. पी. के मुतल्लिक फौरन कार्यवाही की जानी

(श्री मोहरसिंह)

चाहिए। वह तो वहां पर बैठा है छाती पर और इस प्रकार से सही जांच कैसे हो सकती है यह तो नेगलीजेन्स ही हो रही है। विरोधी पक्ष की ओर से कोई भी शिकायत की जाती है तो उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सी. एम. की तरफ से आज ही सदन में रिपोर्ट आनी चाहिए, यह निहायत जरूरी है। परसों चूरू बन्द रहा है इसलिए आन्दोलन और भी भड़क सकता है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट आनी है, वह कोई पार्लियामेन्ट में उस विवाद ग्रस्त डोक्यूमेन्ट पेश करने जैसी तो है नहीं। हूजा साहब को भेजा गया उनसे भी सम्बन्धित नहीं, पुलिस से भी सम्बन्धित नहीं, उस पर कोई प्रिविलेज भी क्लेम नहीं किया जाता। आपकी तरफ से सदन में ही आदेश हो जाने चाहिए, उस डोक्यूमेन्ट को जिसका रेफरेन्स, दिया गया है हाउस की टेबल पर रखा जाना चाहिए।

श्री दीपंकर : On a point of order, sir,

श्री अध्यक्ष On a point of order or point of explaination ?

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, डीडवाना से सी ओ. का ट्रान्सफर नहीं किया गया है, हमने हाउस में मांग की थी कि थानेदार को सस्पेन्ड किया जाय। इसलिए यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हमने मांग की थी इसलिए उसको बदल दिया।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, वह भी मांग है अगर उसको सरकार स्वीकार करे तो उसका स्वागत है परन्तु कांग्रेस पक्ष के लिए सरकार अमुक व्यवहार रखे और विरोधी पक्ष के साथ पक्षपात करे तो यह अच्छा नहीं है।

श्री केदारनाथ : माननीय अध्यक्ष महोदय, हूजा रिपोर्ट के चार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स थे, दो टर्म्स ऑफ रेफरेन्स पर रिपोर्ट आ गई, दो पर नहीं आई। दो व्यक्ति थे, श्री लालचन्द और श्री मूलचन्द इन दोनों के बारे में यह था कि हूजा साहब खुद मौके पर जाकर यह रिपोर्ट करेंगे कि वे मौके पर थे या नहीं थे, इसके बारे में आपके आदेश के मुताबिक 19 तारीख को स्टेटमेन्ट दिया गया, हूजा साहब यहां पर गये इससे हमारा वास्ता नहीं, मान्यवर, यह तो पहले ही तय हो चुका था कि तीन व्यक्ति पुलिस कस्टडी में मारे गये, यह भी मालूम था कि इनको किस व्यक्ति ने मारा। उनमें से मान्यवर मुख्यमन्त्रीजी ने 6 तारीख को यह कहा था कि एस० डी० ओ० और एस० पी० के नाम उनमें से नहीं हैं। तीन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति रतनगढ़ का हैड कान्स्टेबल भी है, यह कहां से आ गया ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष मोहदय, मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की शिथिलता जो पुलिस की कार्यवाही के विरुद्ध, जुर्म के विरुद्ध अगर राज्य सरकार की ओर से की जाती है तो वह निन्दनीय ही होगी और यह निश्चित रूप तथ्य से

Page No 54

(54)

(श्री केदारनाथ)

है कि चूरू के अन्दर जो अत्याचार पुलिस ने किया है राज्य सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए थी और कम से कम डी.एस.पी. को तो वहां से हटा देना चाहिए था और एस० डी० ओ० को भी। यह कोई मामूली काण्ड नहीं है। लोगों को बहुत बेहरमी से थाने में ले जाकर पीटा गया और उनको जलील किया गया है। अध्यक्ष महोदय, कहीं उसी तरह की कार्यवाही न हो जैसे लाडनूं वाले मामले में किया गया था। वहाँ पर सी० ओ० का तबादला नहीं बल्कि उसकी तरक्की करके उसको डी.एस.पी. केवल इसलिए बना दिया कि राज्य सरकार ने वहां पर भयंकर जुल्म और अत्याचार पुलिस ने किये उसके लिये उसको डी.एस.पी. बना दिया। इसलिए कहीं ऐसा न हो कि डी. एस. पी. को हटा कर उसको एस० पी० बना दें।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहना है।......

श्री अध्यक्ष : मैं समझ लेता हूं कि इस विषय पर आज ही प्रश्न कर के इसको पूरा करेंगे। I shall finish it. You are not accepting my proposal. You may speak and the matter will finish.

श्री रामकिशन : अंग्रेजी में बात समझ में नहीं आई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपसे ज्यादा अंग्रेजी समझता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपकी आज्ञा मान ली।

श्री अध्यक्ष : अब तक तो उसके मानने न मानने में कोई फर्क नहीं रह जाता है वह फेट अकम्पली है। इसलिए मैं बैठता हूं आप अपना कार्य करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : वह आपकी आज्ञा हमने मान ली है।

श्री अध्यक्ष : उसके लिए धन्यवाद है बाकी जो करना था वह तो कर ही लिया।

श्री गुमान मल लोढ़ा : कल के लिए इन्तजार करेंगे आपकी आज्ञा मानकर।

श्री अध्यक्ष : आज ही हो जाय उसमें और करना ही क्या रहा है?

श्री गुमानमल लोढ़ा : हम आज नहीं चाहते हैं। अगर आज आप निर्णय करना चाहेंगे तो निर्णय सुनना चाहेंगे और चाहेंगे कि सरकार उस पर सहानुभूति से विचार करे।

श्री अध्यक्ष : Call Attention notice.

श्री चतुर्भुज : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आज जनाब आपका नहीं है। आपने सूची देखी होगी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत 2 अक्तूबर, 1974 से डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर विचार करने के पहले हमें इसके ऐतिहासिक और सामाजिक पहलूओं पर विचार करना पड़ेगा। विश्व में किसी भी सरकार में, कहीं पर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रेक्टिस करते हों, सिर्फ भारत वर्ष में जब अंग्रेज आये और अंग्रेजों ने एलोपेथी की शुरूआत की और कम डॉक्टर थे, और एक ऐसा वर्ग शहरों के इर्द-गिर्द एक सम्पन्न वर्ग कायम हुआ जो अंग्रेजों के हिसाब से ही अपना इलाज भी करवाता था। ऐलोपेथी के डवलपमेंट के साथ-साथ उस सम्पन्न वर्ग को सुविधाएं प्रदान करने के लिये यहां पर स्टेट्स ने पर्मिशन दी कि डॉक्टरों को प्राइवेट प्रेक्टिस चालू रखी जाय और उसी प्रेक्टिस के आधार पर यहां पर जो एलोपैथी के डाक्टर पैदा हुए वह सरकारी नौकरी भी करते और प्राइवेट प्रेक्टिस को भी कायम रखते रहे। यह परम्परा कोलोनियल परम्परा है। अंग्रेजों की विरासत में हमको मिली हुई है। उस परम्परा को हम कब तोड़ पाते हैं, कैसे तोड़ पाते हैं यह हमें सोचने की आवश्यकता है। जब हमनें इस प्राइवेट प्रेक्टिस को बन्द करने का निर्णय लिया तो प्राइवेट प्रेक्टिस सब डाक्टरों की बन्द नहीं की, केवल कॉलेजों के डॉक्टर्स की बन्द की है, जो हॉस्पिटल्स कॉलेजों से अटेच्ड हैं उनकी प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द की थी।

इसमें सबसे बड़ा अहम सवाल यह था कि जो हमारा हैल्थ सर्विसेज के अन्दर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो हमारे सीमित साधन हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि जो साधारण साधन मौजूद हैं चाहे किसी के द्वारा हों, चाहे और दूसरे तरीके के हों, चाहे बेड्स हों, जो सुविधाएं प्रदान करते हैं, प्राइवेट प्रेक्टिस ने इस सुविधा का फायदा उठाया। घर पर मरीजों को देखते हैं और भर्ती वहां पर करते, और उन सारी सुविधाओं से जो गरीब लोग हैं वह वंचित रह जाते हैं। इस तरह की मोनीपोली डॉक्टरों की बन गई थी। इस मोनोपोली को तोड़ना अत्यन्त आवश्यक था ताकि जो हमारे पास एक्सपर्टीज़ हैं वह एक्स्पर्टीज़ सर्वसाधारण को एवेलेबल हो जायं, उनको मिल जायं। और जो बड़े-बड़े डॉक्टर हैं वह अपने स्वार्थों की लड़ाई लड़ने में व्यस्त थे व्यक्तिगत रूप से चाहे बंगले बनाने में और तरह से जो वे हिपोक्रेटिक ओथ पर चल रहे हैं कि जनता की सेवा करेंगे, आम साधारण आदमी की सेवा करेंगे, उनको किस तरह से इस रास्ते पर लाया जाय तो कि उनको साधारण से साधारण जो लोग हैं उनको उपलब्ध कराया जा सके। एक तो यह कारण है। सबसे अहम कारण यह है कि हमारे जितने भी सीमित साधन हैं उन सीमित साधनों को किस तरह से जनता को ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराया जाय।

दूसरा पहलू जो इसका है कि प्राथ-

Page No 56

(56)

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

मिकता हमने कॉलेजेज को दी । कॉलेजेज के अन्दर टीचिंग का स्टेण्डर्ड लगातार गिर रहा था, रिसर्च का स्टेण्डर्ड गिर रहा था । अध्यक्ष महोदय, यहां तक बात है कि जो दवाइयां कैंसर के इलाज की हैं, कोई कम्प्लीकेटेड बीमारी की हैं उनकी जानकारी उनको नहीं है और हमारे डाक्टरों को रेग्युलर दवाइयां किस तरह से देना चाहिए इसकी जानकारी तो थी और उनको ही हम स्पेशियेलिस्ट समझने लगे । इसके परिणामस्वरूप रिसर्च वर्क लगातार गिरता रहा, और जो स्टेण्डर्ड विद्यार्थियों का होना चाहिए वह भी क्योंकि प्राइवेट प्रेक्टिस में लगातार रहने के कारण वह स्टेण्डर्ड भी गिरने लगा । क्लाजेज में उनका इन्ट्रेस्ट कम होने लगा । उनका जो लगातार सम्बन्ध होना चाहिए विद्यार्थियों को लेक्चरार्स, रीडर्स और प्रोफेसर के साथ वह सम्बन्ध कम होने लगा । यह एक कारण था कि किसी तरह से मेडिकल एज्युकेशन का स्टेण्डर्ड बढ़े, और किस तरह से जो बड़े-बड़े डॉक्टर हैं वह ज्यादा से ज्यादा ज्ञान विद्यार्थियों दे सकें । यह दूसरा दृष्टिकोण था जिसके कारण यह सोचा गया कि यहां से शुरूआत की जाय ताकि ये हमारे पांच मेडिकल कॉलेजेज चाहे रिसर्च का मामला हो, चाहे पढ़ाई-लिखाई का मामला हो किसी भी देश से कम साबित न हो । यह दूसरा कारण था इसलिए यहां से शुरूआत की ।

इससे जितने डॉक्टर्स अफेक्टेड हैं वह 230 डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स, रीडर्स और लेक्चरार्स । 120 सिन्योर पोस्ट्स हैं ट्यूटर्स की और जो सी० ए० एम० उनको पूरा कर लेते हैं उनको दूसरी जगह लगाया जाता है । यह सारे के सारे इतने डॉक्टर्स अफेक्टेड हुए है ।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इसके परिणामस्वरूप कई तरह की कन्ट्रोवर्सीज पैदा हुई । कई डॉक्टर हजारों की प्रेक्टिस करते थे । उनको दुःख होने लगा, क्योंकि उनकी प्रेक्टिस का आधार हमारी सारी की सारी हैल्थ सर्विसेज थीं इसलिए एक बवण्डर खड़ा किया गया कि प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने में लोगों का इलाज नहीं हो पाता है । यहां तक मुझे सूचना मिली है कि कोई जेनुअन मरीज जाय वह किस तरह से इस पॉलिसी के खिलाफ हो इस बात की व्यवस्था की गई । परन्तु, अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद हमने प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करके रिफार्मेटिव स्टेज पर हमने पे-क्लिनिक खोलीं । जो आदमी दिखाना चाहें प्रोफेसर को. रीडर को वह उनको दिखा सके और उनके इलाज की सुविधा हासिल करना चाहे तो कर सके ।

अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट प्रेक्टिस जो कॉलेजेज में बन्द हुई उसके पहले और उसके बाद में व्यवस्था में कितना परिवर्तन आया है । उसका थोड़ा ब्यौरा देना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय ।

प्रतिबन्ध लगने से पूर्व की जो देखने की व्यवस्था थी:—

(1) डॉक्टर अस्पताल में अपने ओ० पी० डी० के दिन ही मरीजों को देखने के लिए बाध्य था ।

(2) ओ० पी० डी० के अलावा भी वह मरीजों को देख सकता था लेकिन वह उसकी मर्जी पर निर्भर था । उसे बाध्य नहीं किया जा सकता था । अतः वे लोग

(श्री मोहनलाल रंगाणी)

जिनकी डॉक्टरों से जान-पहचान हो अथवा जो घर पर उनको फीस दे चुके होते थे उन्हें आम तौर पर ओ० पी० डी० के दिन के अलावा डॉक्टर अस्पतालों में देखा करते थे ।

उस समय ऐसा सिस्टम चल रहा था अस्पतालों में जिसको आम तौर से चिट सिस्टम से जाना जाता था । उसको मैंने एबॉलिश किया । अध्यक्ष महोदय, पहले डॉक्टर जिन मरीजों को अपने घर पर देखते थे उनको चिट दी जाती थी तो भर्ती में उनको प्राथमिकता मिलती थी । जहां कहीं भी जनाना अस्पताल हो या एस० एम० एस० हॉस्पिटल हो वहां पर दो कतारें लगी रहती थीं, एक चिट वाली अर्जी घर पर दिखा कर आते थे और दूसरी उनकी जो वहां पर अस्पताल में दिखाने आते थे, वह अलग कतार लगाते थे । प्राथमिकता चिट वालों को मिलती थी ।

(3) अपने घर पर अथवा मरीजों के घर पर फीस लेकर मरीजों को देखा जाता था । प्रतिबन्ध लगाने के बाद अब केवल अन्तर यह है कि:—

(अ) डॉक्टर अपने घर पर किसी मरीज को नहीं देख सकता है ।

(ब) ओ० पी० डी० के दिन के अलावा अस्पताल के समय में केवल विशेष परिस्थितियों में ही मरीजों को देखा जा सकता है, लेकिन ऐसे मरीजों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और निर्धारित फीस देनी होती है ।

(स) अस्पताल के समय के अलावा पे-क्लिनिक में तथा आपातकाल में मरीजों के घर पर निर्धारित फीस पर मरीजों को देखा जा सकता है । इसके लिए कोई सीमा नहीं रखी गई है ।

प्रतिबन्ध के पहले और बाद में अन्तर यह है कि:—

(1) डॉक्टर जिन मरीजों को फीस लेकर देखता है उनका ब्यौरा रखा जाता है और रजिस्ट्रेशन किया जाता है ।

(2) डॉक्टर अपने घर पर किसी को नहीं देख सकता है ।

(3) जिन जान-पहचान वालों को डॉक्टर अपनी इच्छानुसार अस्पताल में देख लेता था उस पर प्रतिबन्ध लग गया है ।

(4) मरीज के घर पर भी मरीज को देखा जा सकता है लेकिन उसका ब्यौरा डॉक्टर को देना पड़ता है ।

(5) जो फीस डॉक्टर पे-क्लिनिक में या मरीजों के घर पर, मरीज से लेता है, उसका 50% ही डॉक्टर को मिलता है ।

(6) डॉक्टरों को इस प्रतिबन्ध के बाद निर्धारित मात्रा में नॉन-प्रेक्टिसिंग भत्ता स्वीकृत किया गया है ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो गया होगा कि प्रतिबन्ध लगाने से केवल उन लोगों पर प्रभाव पड़ा है जो चिकित्सा सुविधाओं का लाभ अपने प्रभाव के कारण चाहे वह प्रभाव फीस द्वारा या अपने जान पहिचान द्वारा हो, उपार्जित उठाने के आदी थे ।

प्राईवेट प्रेक्टिस केवल मेडिकल कॉलेजों

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
में नियुक्त निम्न डॉक्टरों की बन्द की गई है:—

प्रोफेसर	50
रीडर	70
लेक्चरार	120
कुल	230

अध्यक्ष महोदय, इससे 230 डॉक्टर प्रभावित हैं। हमने खासतौर से दूसरी जो ब्रांचेज थीं उनका डेटीरियोरेशन होना शुरू हो गया है। जो प्रेक्टिस चलती है। सबसे ज्यादा धनोपार्जन इसके द्वारा हो सकता है। मैं सबके लिए यह प्रयोग नहीं करता हूं। बहुतसे भले डॉक्टर भी हैं। हमको रेडियो लॉजिस्ट की जरूरत पड़े। एनेस्थीसिया की जरूरत पड़े तो एन्सथीसिया नहीं मिलता है। लगातार यह पिछड़ता गया। उसका परिणाम यह हुआ कि एक हैल्थ सर्विस स्कीम कि हम तहसील लेविल और ग्राम इकाई तक पहुंचायेंगे, वह हैल्थ सर्विस योजना सारी बेकार हो गई। सारे बड़े से बड़े डॉक्टरों का कन्स्ट्रेशन शहरों में होने लगा। कोई खिसकने को तैयार ही नहीं होता था। अभी तक भी सारे के सारे डॉक्टरों की एक रिंग बनी हुई है। वह तोड़ी जाये ताकि जो बड़े से बड़े डॉक्टर जिन पर हम गर्व कर सकते हैं, वह बांसवाड़ा और जैसलमेर तक जाकर देखें। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। सारे के सारे जो एक्सपर्ट हैं, उनको गांवों तक प्रयोग किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, 1946 में भोर समिति बनी। नये आयाम बने। उस समिति ने जो लिखा, वह मैं सुनाना चाहता हूं।

"As regards medical relief the practice has so far been to permit private practice, but the desirability of doing so in the future requires serious consideration. There was a general agreement among those whom we interviewed that prohibition of private practice was essential in order to ensure that the poor man received equal attention with his richer neighbour."

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मुदालियर कमेटी 1961 में बनी। उसने खासतौर से जो टीचिंग कॉलेजेज हैं, उनके बारे में लिखा था:—

We are definitely of the opinion that in the teaching cadres which we have suggested full time units must be there with no practice whatsoever. Even in regard to other persons recruited as whole time Government Officers, we would suggest that it is desirable to have a service which will be completely non-practising.

अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत अच्छी तरह से विचार किया गया था। हमने एक्स्पर्ट्स की ओपीनियन ली थी। जितने एडवाइजर्स मिल सकते थे, उनकी एडवाइज ली गई थी। उस स्कीम को इस प्रकार से लागू किया जाये ताकि कोई असुविधा नहीं हो। जिस तरह से आज कई डॉक्टर इटेक्केड हुये उसी प्रकार से जब जागीरदारी उन्मूलन हुआ था तो उन्होंने भी बहुत हो-हुल्ला मचाया था। इसी प्रकार से इसका

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

भी मनाया गया है। पर आज प्रश्न यह है कि हमने जो कदम उठाये, हम उन पर अडिग हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि कोई बच्चा इलेक्ट्रिक से घबराकर उसको छूना छोड़ दे, वैसे ही हम इसमें किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। जो कदम उठाये गये हैं, अध्यक्ष महोदय, इसके लिए प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द होनी चाहिए, वह व्यवस्था की है। (अल्प विराम) पे-क्लिनिक के बारे में मैं निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, हर सम्बद्ध अस्पताल में पे-क्लिनिक खोला गया है। जहां पर पहले मरीजों का पंजीकरण होता है और फिर उनके पसन्द के डॉक्टरों को निम्न प्रकार की फीस देकर देखा जा सकता है:—

	प्रथम बार	दूसरी बार
प्रोफेसर	20.00 रु०	12.00 रु०
रीडर	16.00 रु०	10.00 रु०
लेक्चरार	12.00 रु०	8.00 रु०
सी०ए०एस०	8.00 रु०	5.00 रु०
एवं ट्यूटर/सी० ए०एस०		

पे-क्लिनिक का समय प्रिंसिपल द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है, परन्तु कोई डॉक्टर निर्धारित समय के पूर्व अथवा पश्चात् किसी मरीज को देखना चाहता हो तो पे-क्लिनिक सिवाय रविवार के सब दिन चलते हैं। सी० ए० एस० ट्यूटर एवं सी० ए० एस० के सिवाय उपरोक्त वर्णित डॉक्टरों को पे-क्लीनिक में बैठना अनिवार्य है। जहां एक डॉक्टर हो उसे सप्ताह में चार घण्टे तथा एक से अधिक डॉक्टर हैं वहां सप्ताह में सात घण्टे बैठने का प्रावधान है। जो फीस प्राप्त है उसका 50% डॉक्टर को दिया जाता है।

आपातकाल में मरीजों को उसके मकान पर भी देखा जा सकता है। उसके लिए फीस निर्धारित की गई है। अध्यक्ष महोदय, एमरजेंसी के बारे में यहां पर हो-हल्ला मचा था। मैंने कहा था कि एमरजेंसी, उसकी हालत को देखते हुये जिसे एमरजेंसी कहा जाये उसको लगातार देखना पड़ेगा। जो डॉक्टर जिन मरीजों को 2 अक्टूबर, 1974 के पहले मुफ्त में अपने सामाजिक सम्बन्धों से देखते थे उन्हें अब भी वे देख सकते हैं परन्तु उनको एक लिस्ट ऐसे मरीजों की देनी होगी। वह लिस्ट छः माह बाद बदली जा सकती है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, इसके छुपे पहलू भी अनिवार्य हैं। इसी उद्देश्य को मानकर हमने 5 मैडिकल कॉलेजेज में प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने की पहल की है। उस पहल का परिणाम निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा निकला है। अजमेर कॉलेज में देखा गया कि वहां बच्चों के पढ़ने का स्टेण्डर्ड बढ़ा है। जहां तक प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने के कारण जो डॉक्टर्स खिलाफत कर रहे हैं, क्योंकि उनको वित्तीय हानि हुई है। वह प्रतिक्रिया उनमें होनी आवश्यक है। प्रजातन्त्र में हमने भी उनको ढील दी है। अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में जो स्कीम होनी चाहिए वह अभी हो नहीं पाई है इसका कारण यह है कि कुछ डॉक्टरों ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर रखी है। उनकी सुनवाई होने वाली है। दूसरे जो कुछ रूल्स होने चाहिएं वह अभी तय नहीं कर पाये हैं। केन्द्रीय कर्मचारियों के बारे में विचार-विमर्श चल रहा है। जो भी निर्णय होगा, अगर सदन सेशन में रहेगा तो मैं अवगत कराऊंगा। विधान सभा के सदस्यों के बारे में तय

(श्री मोहनलाल इंगाणी)

नहीं हुआ है। यह तय नहीं होने के बावजूद जो जो रूल्स बने हुये हैं, जिसे जिस केटेगरी को इस रूल्स के तहत जो सुविधा है, वह मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वी० आई० पीज० के बारे में तय नहीं हुआ है कि उनको किस तरह से ट्रीटमेण्ट दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह पूरी आशा है कि जो प्राइवेट प्रेक्टिस के विरोध में हैं। वे निश्चित रूप से इसमें एडजेस्ट करेंगे। और इसकी सामाजिक उपादेयता को स्वयं मानेंगे। इससे हैल्थ सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा आम जनता को उपलब्ध हो पायेंगी।

श्री रामकिशन : एक मिनट में यह और साफ कर दें····

श्री अध्यक्ष : आप बोल लीजिये, अगर आप बोलना चाहें।

श्री रामकिशन : बोलना नहीं चाहता।

पहले यह बता दें कि आपने कुछ जानकारी की, तो इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ पाई? आपने कहा, और सुधार कर रहे हैं नियमों में। तो क्या क्या दिक्कतें आयी हैं, क्या अनुभव किया है, क्या दिक्कतें हैं, जो सदन को आश्वासन दिया, उसको पूरा करने में ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द हुई, इस सम्बन्ध में इस सदन में हमारे श्रीमान् सतीशचन्द्र अग्रवाल और श्रीमान् भैरोंसिंहजी ने कई बार यहां पर कहा था। लेकिन उस सम्बन्ध में अधिक न जाकर माननीय मंत्री से (1.30 म०पू० श्रीरामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन) केवल चार प्रश्न पूछना चाहूंगा।

एक तो यह है, सायंकाल 5 बजे से लेकर 9 बजे तक किसी भी गम्भीर रोगी को अस्पताल में देखने की कौनसी व्यवस्था है ? मरीज एक किस्म का है, दूसरे डॉक्टर को दिखा नहीं सकता। इसलिए पहला निवेदन तो आपसे यह है।

दूसरा निवेदन आपसे यह है कि क्या आपके ध्यान में है, आपके पे-क्लिनिक का समय सायंकाल 4 से 5 बजे तक का है। सायंकाल 4 से 5 बजे के बीच राज्य कर्मचारी को पे-क्लिनिक में जाना है, जबकि उसके दफ्तर की 7 बजे छुट्टी होती है और जो पे-क्लिनिक है उसकी भी 5 बजे छुट्टी हो जाती है। यह दूसरी समस्या है।

तीसरा निवेदन करना यह है, राज्य कर्मचारी 5 बजे बाद दफ्तर से आयेंगे और आने के बाद यह निवेदन करना है, जो कुछ पे-क्लिनिक में खर्च होता है, जो दवाई के बिल हैं, अन्य जांच के बिल हैं, उनके, सबके रीएम्बर्समेंट के लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था नहीं की है कि उसका पैसा राज्य सरकार दे देगी, जिस प्रकार राज्य सरकार मैडिकल सुविधा का पैसा देती है, उस प्रकार की व्यवस्था नहीं की है।

अगला निवेदन करना है पे-क्लिनिक में राज्य कर्मचारी जायेंगे, डॉक्टर की फीस आपने रखी है दिन में 25 रुपये और रात में 35 रुपये, घर पर ले जायेंगे पांच मील दूर तो इतनी। मेरा निवेदन करना है, केन्द्रीय कर्मचारी पे-क्लिनिक

(श्री रामकिशन)
में जाने वाले हैं, उनको फीस वहां से मिल जाती है. लेकिन राज्य कर्मचारी पे-क्लिनिक में फीस देगा वह वापिस मिल सकेगी या नहीं ? यह व्यवस्था नहीं की है ।

अन्त में प्रार्थना यह है मंत्रियों और वी०आई०पी० को सुविधा देने के लिए कहा जायगा, किसी जगह पर बुलाइये, किसी समय पर बुलाइये कोई चार्ज नहीं होगा समाजवादी नीति के आधार पर आप ज्यादा प्रगतिशील मंत्री हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह भेद-भाव करने की ओर इशारा किया है, इस सम्बन्ध में आप बतायेंगे ।

मूलतः प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द की है, इसका मैं यहां पर विरोध नहीं कर रहा हूं । प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द की है, वह अच्छा है लेकिन जनता की कठिनाइयां हैं, राज्य कर्मचारियों की व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उन पर विचार करने के लिए मैंने निवेदन किया है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करना स्वयं में एक उपलब्धि है । सिर्फ प्रश्न इतना ही उठता है कि जो इसमें रुकावट है, उनको किस तरह दूर किया जाय । मैं आपसे पहले तो डेंटल सर्जरी के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । इसके दो अंग हैं । सर्जरी और डेंचर । डेंचर के सम्बन्ध में आपने क्या व्यवस्था की है ? यह व्यवस्था जरूरी व्यवस्था है । इस सम्बन्ध में कुछ रिलेक्सेशन करने वाले हैं या वर्कशॉप खोलने वाले हैं, जिससे आगे की स्थिति सम्भव हो सके ।

दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं, लाइफ इन्श्योरेन्स के केसेज के सम्बन्ध में यह राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग है । पहले डॉक्टर घर पर जाकर देख लेता था और जो इन्श्योरेन्स कराना चाहता था, उसको सुविधा होती थी । अब आप यह अनुभव करते हैं, यह प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द होने से लाइफ इन्श्योरेन्स के मामले में दिक्कतें आ रही हैं, इन दिक्कतों को कैसे अलग करेंगे । यह मैं जानना चाहता हूं ।

तीसरा प्रश्न मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द की है राइट फ्रोम प्रॉफेसर, रीडर एण्ड लेक्चरार तक । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेविन ऑवर्स ए वीक डॉक्टर को मिलते हैं, जिसका मतलब यह हुआ 1 घण्टे 10 मिनट प्रतिदिन उसको पे-क्लिनिक में काम करना पड़ेगा । इसकी क्या सर्वे की है ? पे-क्लिनिक में सिर्फ अपना समय नष्ट करता है या दरअसल उसके पास मरीज भी आते हैं ? सर्वे के आधार पर आप यह सदन को बताय ।

दूसरा मुझे निवेदन करना था, यह आपने कहा पर हण्ड्रेड 10 पेशेन्ट फ्री देखने की इजाजत डॉक्टर को है, मेरा यह विश्वास है, न तो इसको फ्री पेशेन्ट देखने का मौका मिल सकता है, न हण्ड्रेड पेशेन्ट देखने का मौका मिलता है । यह सारा प्रश्न प्राइवेट प्रेक्टिस बीस-पच्चीस डॉक्टर का है, लेक्चरार का नहीं, रीडर का बहुत कम है, केवल उच्चत्तम डॉक्टरों का इससे सम्बन्ध है । इसलिए इनका समय नष्ट होता है । लेक्चरार समय वेस्ट करते हैं । 1 घन्टा 10 मिनट बिना किसी का निदान किये । सौ मरीजों को

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)
देखने पर 10 मरीज फ्री देखने का, यह प्रिविलेज न इस डॉक्टर को मिलता है, न उसके समय का सदुपयोग होता है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक ह्यूमिलिटेटिंग ग्रास्पेक्ट इसमें है। फर्ज कीजिये, ऊंचा डॉक्टर देख रहा है, मरीजों की वहां क्यू लगी हुई है। यह वही लेक्चरार बेबसी में बैठा हुआ है, 1 घन्टा 10 मिनट अपना किसी तरह खराब करता है, उधर ताकता रहता है, बड़े भाई साहब के वहां कितनी बड़ी क्यू चल रही है। यह ह्युमिलेशन लेक्चरार, डॉक्टर के विपरीत पड़ेगा।

इसमें कई संकट आने वाले हैं, विरोध तो है ही, संकट कई हैं व्यवहारिकता के। व्यवहारिकता के संकट दूर करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसी मेरी आशा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री का सिद्धान्तवादी भाषण सुना। जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है······

श्री उपाध्यक्ष : Only in the form of question. Not a regular debate.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा, इंडियन मैडिकल एसोसियेशन के सामने जो घोषणा की थी, सारे भारतवर्ष के डॉक्टरों के समक्ष घोषणा की थी, क्या उस समय की गई घोषणा पर मजबूती के साथ आज के पैटर्न में कायम हैं? मेरी गिला इसकी नहीं है कि प्राइवेट प्रेक्टिस बान की दी गई। मेरी गिला यह है, प्राइवेट प्रेक्टिस एक बेकार तरीके से, एक फेशनेबल तरीके से बन्द की गई है और जितना बड़ा सिद्धान्तवादी भाषण उन्होंने दिया, वह उससे तालमेल नहीं खाता है। सारे राजस्थान के हजारों डाक्टर में से 230 टीचिंग डॉक्टर की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द की है, वह भी कन्डीशन्ड प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करके, 100 पेशेन्ट के पीछे 10 पेशेन्ट फ्री देकर, पे-क्लिनिक देकर तो यह कौनसी प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द की है? मैं समझता हूं कि प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द नहीं की गई है बल्कि प्राइवेट प्रेक्टिस को बन्द करने का मजाक उड़ाया गया है।

नम्बर दो, टीचिंग डॉक्टर रिसर्च स्कॉलर हैं, इसलिए उनको प्रेक्टिस नहीं करनी चाहिए और बहुत बड़े डॉक्टर रिसर्च स्कॉलर नहीं हैं इसलिए उनको प्रेक्टिस करनी चाहिए। कोई भी डॉक्टर में इस प्रकार का डिफरेन्सियेशन मैं मान सकता हूं, लेकिन कोई डॉक्टर है, उसका क्या मनुष्य जीवन से ताल्लुक नहीं है, क्या एमर्जेन्सी से ताल्लुक नहीं है, क्या डॉक्टर की सबसे बड़ी आवश्यकता एमर्जेन्सी में नहीं होती है? चाहे तो एमर्जेन्सी किसी के घर पर राइज हो जाय, चाहे होस्पिटल के सामने राइज हो जाय, चाहे एमर्जेन्सी पे-क्लिनिक में राइज हो जाय, डॉक्टर का सम्बन्ध अगर एमर्जेन्सी से तोड़ दिया, तो मैं समझता हूं, डाक्टरों की समाज के अन्दर, बहुत बड़े ऐसे समाज में डॉक्टरों की आवश्यकता है, वह बन्द हो जाती है। इसलिए प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने का प्रश्न है, तो क्या माननीय मंत्री अपनी उस दृढ़ता पर वापिस आयेंगे जो इंडियन मैडिकल ऐसोसियेशन के सामने घोषित की थी, आज हर डॉक्टर को

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

समाज की सेवा करती है। हर डॉक्टर की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द की जायगी। प्राइवेट प्रेक्टिस की जगह प्रेक्टिसिंग अलाउन्स दिया जायगा। क्या इस प्रकार प्राइवेट प्रेक्टिस को बन्द करके निश्चित रूप से समाज को रिलीफ दिया जायगा (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय इस पूंजीवादी व्यवस्था में इलाज को व्यापार न बना कर इलाज को सेवा बनाने की दिशा में कदम उठाया, लेकिन क्या सारे के सारे कॉम्प्लीकेशन्स पर विचार कर लिया है। पचास पर्सेन्ट गवर्नमेंट को प्राये प्रेक्टिस का और 50 पर्सेन्ट डाक्टर के पास रह जाय। अगर वह फोर टाइम्स कर ले तो। आपने प्रॉफेसर, रीडर, लेक्चरार की फीस तय की है, क्या समाज की उस फीस पर कन्ट्रोल है, जो ब्लैक मनी के नाम से सारी दुनिया लेती है, जो एक्टर लेता है। आप व्यापार अलाऊ करते हैं तो आपके पास कौनसी मशीन है जिससे आप डिटेक्ट कर लेंगे कि डॉक्टर ने 20 रुपये लिये हैं या 100 रुपये लिये हैं। इसलिए आपको स्टोप करनी है तो इन एक्टिविटीज को बन्द कीजिये, छोटे डॉक्टर को ज्यादा प्रेक्टिसिंग अलाउन्स दीजिये, बड़े डॉक्टर को कम दीजिये और समाज के इस वर्ग को समाज की सेवा करने दीजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं सिर्फ दो-तीन बातें मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। जो सरकार की ओर से मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया, मैं उसका एक हद तक स्वागत करता हूं। बहुत मुश्किल है प्राइवेट प्रेक्टिस को बन्द करना, मैं मानता हूं, सरकार के समक्ष इस संबंध में दिक्कतें आयेंगी। उसके साथ मेरी सहानुभूति होते हुए भी मैं आशा करता हूं कि सरकार को इस संबंध में सफलता मिले।

मंत्री महोदय ने एक्स्पर्टाईज के संबंध में कहा, तो निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर से दूर से दूर कोई भी अच्छे से अच्छा डॉक्टर वहां पर जाए, वहां पर उनके तबादले हों और सिद्धान्ततः कोई भी डॉक्टर एक स्थान पर दो वर्ष से या तीन वर्ष से ज्यादा न रह पाए ताकि वहां पर वेस्टेड इन्टरेस्ट्स क्रीएट न हों।

माननीय सदस्य जो मेरे पास ही बिराजे हुए हैं उन्होंने डेन्चर्स के बारे में कहा। प्रगतिशील देश वहां के गरीब लोगों को डेन्चर्स फ्री देते हैं। शायद राजस्थान में डेन्चर्स फ्री नहीं दे सकें। बड़े अस्पतालों में डेन्चर्स के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जो डेन्टिस्ट्री विभाग है वह भी प्रिमिटिव है। साथ ही साथ समान रूप से डेंटिस्ट्स अस्पतालों के पास में अपनी व्यवस्था करते हैं, क्लिनिक खोल रखी हैं, उसको आप बंद करें या नहीं, यह तो आप ही समझें और उचित समय पर बंद करें लेकिन जब तक सरकार के डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट के अन्दर प्रगति नहीं हो सकती, आप ऐसे कदम नहीं उठा सकते। आप अगर कल्याणकारी सरकार का दावा करते हैं तो दंत विभाग के संबंध में भी आपको ध्यान रखना चाहिए।

प्रश्नोत्तरकाल के समय एक्स-रे की व्यवस्था के बारे में भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया था। सब बड़े

(श्री लक्ष्मणसिंह)

अस्पतालों में प्रायः एक्स-रे मशीन करीब-करीब ठप्प से हैं। जानबूझकर किया गया है या नहीं, इस संबंध में मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता। आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए लेकिन मैं व्यक्तिगत रूपसे ऐसा अनुभव करता हू कि अगर बड़े अस्पतालों की एक्स-रे मशीन्स काम नहीं करतीं तो आप एक्स-रे मशीन वालों को थ्राइव क्यों कर रहे हैं। वहां पर कहा जाता है गरीब लोगों से कि फलां जगह जाओ, वहां एक्स-रे मशीन उपलब्ध है, वहां ट्रीटमेंट हो सकेगा। यह भी शोभाजनक व्यवस्था नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संबंध में विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस सीमित दायरे में जो प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द की है तो इस दायरे को विस्तृत करने का उनका क्या प्रोग्राम है ? वह किस वक्त तक 50 या 75 या 25 फीसदी लागू करेंगे ? दूसरा सवाल, यह जो 5 बजे शाम से सुबह 9 बजे तक इन्डोर मरीजों को सीनियर डाक्टर्स की सेवायें उपलब्ध नहीं होती हैं, उसके लिये मंत्रीजी का क्या सोचना है ? क्या वे इसको आवश्यक नहीं समझते हैं ? नहीं तो क्यों ? समझते हैं तो क्या करना चाहते हैं ? तीसरा सवाल, क्या मंत्री महोदय यह सोच सकते हैं कि पे–क्लीनिक का जितना पैसा है एक पूल में जमा करके तीनों कैडर के लोगों में बांट दिया जाए याने वह कठिनाई जो माननीय आचार्यजी ने पैदा की है वह भी दूर हो जाएगी और हमारे सामने सोशियलिस्ट पैटर्न भी पैदा होगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने पैदा नहीं की है, पैदा हो गई है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या मंत्री महोदय इस प्रोपोजल को इम्पलीमेंट करने के लिए तैयार हैं कि उसको कामन पूल में जमा करके 8, 10 या 12 पर्सेंट, इस तरह से उनमें बांटा जाए क्योंकि व सेवाभाव से काम कर रहे हैं चाहे सीनियर हैं या जूनियर ? चौथा सवाल है, क्या आप इस बात को सोच रहे हैं कि रीइम्बर्समेंट करप्शन है उसमें 500 या उससे कम जो लोग वेतन पाते हैं उनको एक मुकर्रर अलाउंस देकर बाकी सबके लिए यह सुविधा बंद कर दी जाए ? पांचवा सवाल, क्या मंत्री महोदय सोच रहे हैं कि जो एजेन्सी आपको एक्स-रे प्लेट्स नहीं प्रोवाइड कर रही है वह इसलिए कि एक्स-रे प्लेट्स पर सरकार जो सेल्स टैक्स लेती है, उसको राज्य सरकार द्वारा बंद किया जाए और एक्स-रे प्लेट्स पर कोई कर लागू न हो ? क्या इस बात पर मंत्री महोदय आप ध्यान देंगे ? 5 साल पहले आपने एक कमेटी का निर्माण किया था उसकी बदनसीबी से दो साल के अन्दर कोई बैठक नहीं हुई। इसलिए मेरे इन पांचों सवालों के बारे में आपका क्या रवैया है ?

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : जिस इनीशिएटिव और ड्राइव से आपने चैंज को शुरूआत की उसका हमने स्वागत किया, लेकिन फालो-अप एक्शन में इनीशिएटिव

(श्री केदारनाथ)

श्रौर ड्राइव में नहीं देख रहा हूं । हमें आशा थी कि फेज्ड प्रोग्राम बनकर पूरे राजस्थान में प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हो जाएगी । अगर आपकी चैंज लिमिटेड स्केल पर है तो जो चैंज की हम आशा करना चाहते हैं उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं । तो क्या यह सही है कि इन दो परसेंट पर ही नाराज हैं, बाकी सबकी प्राईवेट प्रैक्टिस को चालू रखेंगे ? व्यवस्था इस समय यह है कि दवाइयां ठीक नहीं मिलतीं; वहां पर अच्छे डाक्टरों की सुविधा नहीं है, बिना पैसे इलाज नहीं होता । यह व्यवस्था तभी ठीक होगी जब प्राइवेट प्रैक्टिस राजस्थान में बन्द होगी । आप इनीशिएटिव और ड्राइव से इस काम को करें, हम आपके साथ हैं ।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि आपने जो प्राइवेट प्रैक्टिस समाप्त करने के लिए एलाउंसेज दिये हैं । उनमें ट्यूटर और सी० ए० एस० जो टीचिंग स्टाफ में हैं उसको वंचित क्यों रखा गया ? उनकी भी प्राइवेट प्रैक्टिस आपने बन्द कर दी लेकिन एलाउंसेज देते समय उनको भूल गये, तो क्या यह अनुचित नहीं है ? इसके लिए आप एलाउंसेज देने का प्रावधान करें ।

आपने पहले मित्रों और परिवार वालों की लिस्ट प्रसारित की उस लिस्ट के अन्दर आपने पत्नी तो रखा लेकिन कोई डाक्टर यदि स्त्री है तो वह अपने पति को देख सके, यह प्रावाधान नहीं है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : संशोधन हो गया ।

श्री गुमानमल लोढा : आपने 6 महीने के अन्दर ऐसे मित्रों की सूची देने के लिए कहा है जिनसे कभी भी किसी भी रूप में कोई फीस डाक्टर ने नहीं ली हो, तो मैं जानना चाहता हूं कि 6 महीने के अन्दर किसी व्यक्ति से यदि फीस ले ली और उससे उनका संबंध है या बाद में मित्रता हो गई, तो वह वंचित हो जाएगा । तो यह मित्रता की सही डेफीनेशन नहीं है ।

दूसरी बात, आपने यह प्रावधान कर दिया जिसके कारण से कोई गरीब व्यक्ति जिसको पैसे का साधन नहीं है वह यदि पे-क्लिनिक में जाता है तो पेमेंट करना पड़ेगा और आपने अपनी समाजवादी नीति की जो घोषणा की तो क्या उसमें गरीब व्यक्ति को आपने मन चाहे प्रोफेसर या रीडर या डॉक्टर को दिखाने के लिए कोई सुविधा प्रदान की है ? यदि नहीं, तो यह प्रगतिशील समाजवाद की घोषणा है । क्या यह केवल धोखा नहीं है । फीस की कीमत के ऊपर, पेमेण्ट के ऊपर कोई व्यक्ति च्वाइस कर सकता है और जिसके पास में पैसा देने को नहीं है, फिर चाहे वह केन्सर का बीमार है चाहे और किसी भयंकर बीमारी का रोगी है, देने को उसके पास पैसा नहीं है तो वह अपने च्वाइस के डाक्टर को नही दिखा सकता है । क्या यह व्यवस्था आपकी घोषित नीति के प्रतिकूल नहीं है ? एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो मध्यमवर्गीय व्यक्ति हैं वह जाकर पे-क्लिनिक में अपने च्वाइस के डॉक्टर को दिखाता है और उसको जनरल वार्ड में 5 रोज के लिए 15 रुपये देकर भर्ती कर लिया जाता है और पांच रोज बाद फिर फीस चार्ज करेंगे तो क्या यही आपकी प्रगतिशील नीति है ?

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

साधारण व्यक्ति वहां पर अपना इलाज कैसे करा पायेगा आपने अपनी इस नीति के माध्यम से, पहले जिन निर्धन व्यक्तियों को राहत मिलती थी, उससे उनको वंचित कर दिया है। यह जो पे-क्लिनिक आपने बनाये हैं, उनमें आप बतायें, जोधपुर का उदाहरण ले लें, पहले महीने कितना परसेन्टेज आया, दूसरे महीने में और तीसरे महीने में कितना परसेन्टेज आया। इसके बारे में फीगर देने का कष्ट करें। यह भी जानना चाहूंगा इस सारी रीति-नीति के अन्दर डिस्पेंसरीज में जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं खास तौर से जयपुर में, इस बारे में यह आम अफवाह है कि ये डॉक्टर्स डिस्पेन्सरीज में आने को लालायित हैं, और बड़ी कीमत देकर और सुविधासूद देने के बाद उनका ट्रांसफर होता है, अपाइन्टमेंट होता है। आपने जो प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द की है वह आंशिक तौर पर बन्द की है····।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह सुविधासूद क्या है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय विधायक बोल रहे हैं यह चोर की दाढ़ी में तिनका है···

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमारे तो नहीं किन्तु वकील साहब की दाढ़ी में जरूर ही तिनका लगा है···

श्री गुमानमल लोढ़ा : × × × मैं कहना तो नहीं चाहता जब तक कि इसके बारे में प्रमाण न हो····

× × × शब्द अध्यक्षपीठ आदेशानुसार निकाले गये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने, इस सदन के माननीय सदस्यों पर आरोप लगाया है। इसलिए मैं उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि या तो वे इस आरोप को साबित करें या अपने शब्दों को वापिस लें। विधायक मैं भी हो सकता हूं और दूसरे माननीय सदस्य भी हो सकते हैं किसी विधायक पर आरोप लगाते हैं तो उसको प्रमाणित करना चाहिये। मैं यह निवेदन करता हूं कि वे क्षमा इस सदन से मांगें····

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है···· (शोरगुल)

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह चुनौती देकर कहता हूं कि किसी विधायक के बारे में वे आरोप लगाते हैं तो उसको साबित करें। या तो वे इस्तीफा दें या मैं दूं····

(शोरगुल)

श्री दीपंकर (लाडनूं) : माननीय सदस्य जो जोधपुर से आये हैं, उनको अपने इन शब्दों के लिये खेद प्रकट करना चाहिये—वे सदन के माननीय सदस्यों पर इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते। यह मर्यादा का सवाल है ?····

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। ···

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है।

मैं यह कहना चाहता था·· लेकिन माननीय विधायक बीच में ही बोल पड़े··

श्री दीपंकर : यह गलत कह रहे हैं··

(शोरगुल)

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपका दल चरित्र हनन् का कार्यक्रम योजनाबद्ध तरीके से करता है। इसके बारे में मैं यह निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि जिन विधायकों के बारे में आप कहना चाहते हैं उन पर आरोप आप प्रमाणित करें यदि नहीं करते हैं तो पहले आप इस सदन से क्षमा मांगें और दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुरोध करूंगा कि यह प्रसंग, सदन की कार्यवाही से निकालने का आदेश प्रदान करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने यह निवेदन किया है। मुझे ऐसा बताया गया है, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन माननीय विधायक बीच में बोल पड़े··—

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप सदन के माननीय सदस्य होकर इस तरह से गैर जिम्मेदाराना ढंग से बात कहते हैं। मैं समझता हूं कि आप किस प्रकार से इतने बड़े वकील हैं?·······

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह आपका उतावलापन है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।····

श्री दीपंकर : आप यहां पर कान्क्रीट बात करिये। आपके पास डाक्युमेन्टरी प्रूफ हो तो बताइये या फिर आप इसको विथड्रा करिये। सदन से क्षमा मांगिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्यों शोर कर रहे हैं? आप माननीय उपाध्यक्ष महोदय व्यवस्था दे देंगे।

श्री दीपंकर : इनको गलत बात न कहने देने का हमारा अधिकार है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो आप जानते हैं आपके स्वार्थों पर चोट पहुंच रही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको क्या चोट लगी है? आप क्यों बार-बार खड़े हो रहे हैं?···

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने कहा है × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमारे करेक्टर पर इस प्रकार आरोप लगाये जाते हैं और इस सदन के माननीय सदस्य गैर जिम्मेदाराना ढंग से आरोप लगाते हैं तो उनको रोकने का हमारा अधिकार है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस विषय पर व्यवस्था देनी चाहिये। हम व्यवस्था की मांग करते हैं। या तो माननीय सदस्य प्रमाणित करें या सदन से क्षमा मांगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य ··· आप (श्री दीपंकर) बिराजिये। अभी एक पाईंट ऑफ आर्डर रेज किया है···।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं तो [illegible] था जो बात माननीय विधायक महोदय के

× × × शब्द अध्यक्षपीठ आदेशानुसार से निकाले गये।

Page No 68

(68)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

बारे में यहां पर बतायी गई है उसकी जब तक कि पूरी जानकारी न हो, में यहां पर नहीं कहूंगा । इसलिए मैंने उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है । जो बात कही है वह यह कि आपके द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने के साथ जयपुर की कई डिस्पेन्सरीज में डाक्टर्स का तबादला करने, उनको वहां पर रखने के लिए डाक्टर्स की भाग दौड़ हुई । आपके द्वारा मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस बंद कर देने के कारण कुछ लोगों की, डाक्टर्स की प्रैक्टिस बंद हो गई और बाकी लोगों को आपने प्रैक्टिस करने की छूट दे दी । यह आपकी घोषित नीति, समाजवादी नीति के विपरीत है ।

श्री उपाध्यक्ष : दिस इज ....

माननीय सदस्य ने जो पाइंट आफ आर्डर रेज किया है वह यह है कि आपने आरोप लगाया है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने आरोप नहीं लगाया है ।

श्री उपाध्यक्ष : आरोप है । आर्डर प्लीज ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : विथ्ड्रावल का कोई प्रश्न नहीं है । वे गिल्टी कोशिश हैं । मैंने माननीय सदस्य पर आरोप नहीं लगाया है । वे अपने आप चिल्ला रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

जिस प्रकार का प्रसंग चल रहा था और जिस प्रसंग में माननीय सदस्य ने कहा, वह विधायक के प्रति सीधा आरोप है । मैं इसे आरोप मानता हूं और किसी भी माननीय सदस्य के विरुद्ध या मंत्री महोदय के विरुद्ध यदि कोई माननीय सदस्य आरोप लगाता है तो इसके लिए नियम 273 में प्रक्रिया दी गई है । इस प्रक्रिया के अन्तर्गत कोई माननीय सदस्य किसी तरह का आरोप लगाते हैं, आपने जो शब्द कहे उनके बारे में आसन को सूचना देनी चाहिये । परन्तु यह नहीं किया गया है । मंत्री महोदय या किसी माननीय सदस्य के प्रति जो शब्द आपने कहे हैं उनको मैं आरोप मानता हूं या अभ्यारोप मानता हूं और उनको विलोपित करने का आदेश देता हूं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह आपको प्रोसिडिंग्ज देख कर करना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : यह ठीक है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहूंगा और मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि अस्पताल में पे-क्लिनिक के जरिये से आपको इस घोषणा के बाद कितना परसेन्ट एडमिशन होता है । क्या पे-क्लिनिक के माध्यम से जो एडमिशन हो रहे हैं उनकी संख्या 5 परसेन्ट भी नहीं है । मैं यह भी जानना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि यू० पी० और मसूर, इन दो स्थानों पर इस प्राइवेट प्रैक्टिस को लागू किया गया था और उसका क्या अनुभव रहा है और क्या आपने इस अनुभव के अनुकूल यहां पर प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी लगायी है....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अपने अनुभव की जरूरत है। दूसरे प्रॉविन्स के अनुभव की जरूरत नहीं है। आप अपनी गलतफहमी निकाल लें।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं कि इन्होंने यह प्राइवेट प्रैक्टिस शहरों में ही बन्द की है या गांवों में भी की है। इसका इम्पैक्ट जनरल पब्लिक पर क्या पड़ा ? आज अगर कोई गरीब व्यक्ति मर रहा है तो पैसे देकर भी डाक्टर को अपने घर पर बुलाकर नहीं दिखा सकता और उसके पास अगर वाहन नहीं हो तो वह चाहे मर जाये पर डाक्टर तो उसे नहीं देख सकता है। उसे तो जाकर पे-क्लिनिक में ही दिखाना पड़ेगा। अगर इसी बीच में वह गरीब व्यक्ति मर जाता है तो क्या होगा ? इसके अलावा आपको मैं एक-दो प्रश्न और पूछना चाहता हूं। यह जो आपने पे-क्लिनिक किनके लिये बनाये हैं ? एक गरीब आदमी अगर पे-क्लिनिक को अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वह गरीब व्यक्ति तो बड़े डाक्टर प्रोफेसर्स, रीडर्स और जो एक्स्पर्ट्स हैं उनके ट्रीटमेन्ट से वन्चित हो गया। तो यह आपने गरीबों के साथ अन्याय किया है। एक गरीब व्यक्ति तो स्पेशल फैसीलिटीज स्पेशेलाइज्ड डाक्टरों से प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आपको चाहिये कि आप अपने इस होल सिस्टम को चेन्ज करें। नहीं तो, आपने डाक्टर को किसी मरीज को घर देखने के बजाय उसे पे-क्लिनिक में देखने की व्यवस्था आपने की है इससे गरीब तबके के लोगों को कहाँ पर राहत मिली है ?

अब आपने यहां पर जैसा कि कहा कि आप अब वी० आई० पीज० को इसके लिये कुछ छूट दिला रहे हैं। इसमें आप लिस्ट बना रहे हैं। अब वी० आई० पीज० में कौन कौन होंगे ? और वह लिस्ट पता नहीं कितने महीनों में बने और बने भी या नहीं बने। इसमें कितने आदमी होंगे और किस किस केटेगरी के होंगे ? पर यहां पर जो आज हम समता और समानता की बातें करते हैं वह तो आप समाप्त करने जा रहे हैं। इसमें तो आप किसी खास वर्ग को राहत देने जा रहे हैं और गरीब व्यक्ति के राहत की बात कहां कर रहे हैं। इसमें तो प्रिविलेज्ड व्यक्ति को राहत मिलेगी, वह कोई भी डाक्टर को कभी भी दिखा सकता है। दूसरे लोग सामान्य हैं, वह वन्चित रह जायेंगे। इसके लिये आपका क्या कहना है इसके अलावा आपने तो अपने स्वयं के लिये जैसे एम० पी ज०, एम० एल० एज०, बड़े बड़े आई० ए० एस० आफिसर हैं, मंत्री लोग हैं, उनके लिये आपने छूट दिलाने की व्यवस्था की है। आज जब हम एक तरफ प्रिविलेजेज को बन्द करते हैं दूसरी तरफ आप प्रिविलेज क्लास पैदा कर रहे हैं। तो आपने यह स्लोगन मोंगरिंग की तरफ गरीबों के लिये पे-क्लिनिक का नारा क्यों दिया ? अब एक आदमी गरीब है वह कहां-कहां पर कब-कब कैसे अपने मरीज को लेकर जायेगा ? जिसके पास साधन नहीं हैं आपने पे-क्लिनिक खोल दिये हैं। डाक्टर अगर वहां उस दिन नहीं हो तो, अगर उस डाक्टर को उस दिन पे-क्लिनिक में बैठने का दिन नहीं हो तो उस गरीब की क्या स्थिति होगी ? इन सभी बातों का मंत्री महोदय जवाब देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी ।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द की थी कि मेडिकल विभाग में जो एक्स्पर्ट लोग हैं उनकी सर्विसेज हर जनता के वर्ग को मिले। मैं एक प्रश्न यह करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय क्या इन्टेन्सिव केअर युनिट स्कीम लागू करना चाहिये जिससे कि प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द हो जाने से बेकार डॉक्टर जो बैठे हैं वह काम पर लग जायेंगे। और इससे सम्पन्न लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी। उसके लिये आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि गरीब लोग जो गांवों में रहते हैं मैं समझता हूं कि उनके लिये आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर भी आप प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने की कब से व्यवस्था कर रहे हैं। आपको जब प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करनी है तो आपको शहरों और गांवों में दोनों ही जगह बन्द करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने का जहां तक सवाल है इसका तो यह सदन मन्त्री महोदय का स्वागत करता है। लेकिन आज स्थिति ऐसी बन गयी है, उपाध्यक्ष महोदय, कि मन्त्री महोदय और डॉक्टर्स के बीच में कनफ्रन्ट्रेशन की स्थिति पैदा हो गयी है और डॉक्टर्स लोग आज ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि किसी प्रकार से यह प्राइवेट प्रेक्टिस की नीति असफल हो जाये और मन्त्री महोदय डॉक्टर्स के किसी प्रकार का ताल मेल रखने को तैयार नहीं हैं। मैं यह नहीं कहता कि सभी डॉक्टर क्रिमिनल हैं। लेकिन बात यह है कि आज मन्त्री महोदय और बड़े डॉक्टर्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यह होना आवश्यक है उपाध्यक्ष महोदय। वरना डॉक्टर्स पे-क्लिनिक के लिये यह जोर लगायेंगे कि यह असफल हो और मन्त्री महोदय के खिलाफ जनता में टैंपो इस बात का बने कि हमें मेडिकल फेसिलिटीज प्राप्त नहीं हो रही है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन कर दूं कि आज भी डॉक्टर्स लोग उसी तरह अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस चालू रख रहे हैं। उसका नुकसान हमारी सरकार को इन्कम टैक्स में हजारों रुपये महीने का हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके लिये व्यवस्था राज्य सरकार को करने की आवश्यकता है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि यह पे-क्लिनिक इसलिये खोले गये हैं कि जिससे कि आम जनता को टेलेन्टेड और बड़े-बड़े डाक्टर्स का लाभ मिलता रहे। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि आम जनता को टेलेन्टेड डॉक्टरों का लाभ तो दूर आपके होस्पिटल में दवाइयां और बेन्डेज तक नहीं मिलते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, आज भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि डॉक्टर लोग मरीजों को घर पर जाकर और अपने घर पर देखते हैं पर पे-क्लिनिक में पैसा जमा नहीं हो रहा है। सिर्फ आम जनता को इससे प्रोपर कॉओर्डिनेशन नहीं होने की वजह से लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिये मैं

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)
मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आप डॉक्टर्स के साथ बैठ कर इस पे-क्लिनिक को किस तरह सफल बनाया जा सकता है और किस तरह से जनता को इसका समुचित लाभ मिल सकता है इसके लिये डॉक्टरों को कॉन्फिडेन्स में लेकर कार्यक्रम बनावें तो इसका आम जनता को लाभ मिल सकता है। वरना आपका यह पे-क्लिनिक असफल हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने का सवाल है उसके लिये तो यह सदन पूरा मंत्री महोदय का साथ देने को तैयार हैं। लेकिन आज लोगों में इसके विपक्ष में यह चर्चा आम बनी हुई है कि यह आपने बड़े-बड़े शहरों के अन्दर ही क्यों प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द की है ? गांवों में क्यों नहीं की ? डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर क्यों नहीं की ? आज आपने जहां कि मेडिकल कॉलेजेज हैं वहीं पर ही प्राइवेट प्रक्टिस बन्द क्यों की है। इसके अलावा मन्त्री महोदय को मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसके लिये कदम उठायें। इसके अलावा आज प्राइवेट प्रैक्टिस के खिलाफ में जो वातावरण बनाया जा रहा है वह बड़े-बड़े डाक्टर्स के द्वारा बनाया जा रहा है। जिनकी हजारों रुपये मासिक प्रक्टिस थी। वह चाहते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द नहीं होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी डॉक्टर्स लोग अपने घरों पर मरीजों को देख रहे हैं। इसके लिये व्यवस्था करने की जरूरत है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर आपने प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी है लेकिन इन-बड़े बड़े डॉक्टरों ने बेरोजगार डॉक्टर्स को एम्पलॉय कर रखा है और वह प्रेसक्रिप्शन लिख देते हैं, फीस ले लेते हैं और परची दूसरे डॉक्टरों के नाम की बना देते हैं। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह तो आपने इनको इन्कम टैक्स में छूट, गड़बड़ी करने में दे दी है। आज राज्य सरकार को इसका बहुत भारी नुकसान हो रहा है। इसको तुरन्त रोकने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं यह भी कहूंगा कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस को एक सिद्धान्त के रूप में बन्द करें तो सभी जगहों पर करें इसको आप सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं रखें। आपको इसे सभी जगह के लिये लागू करना चाहिये। नहीं तो हाफ हार्टेडली किसी व्यवस्था को चलाना चाहते हैं तो इससे आपको सफलता नहीं मिल सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, आज यह प्रश्न डाक्टर और मरीज दोनों के लिये समस्या बन गया है····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इन डॉक्टरों के चक्कर में सिंचाई विभाग की मांगों का तो चक्कर पड़ गया है।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द हो जाने की वजह से यह स्थिति बन गयी है कि डॉक्टर लोग घर पर अपने किसी मरीज को देख नहीं सकते हैं। आज डॉक्टर

(श्री शंकरलाल)
मरीज को देखना चाहे तो भी नहीं देख सकता। उसका मोरल अलाऊ नहीं करता। अगर कोई मरीज डॉक्टर के घर पर जाता है तो वह कहता है आप चलो मैं आ रहा हूं। मैं आपके पीछे-पीछे आ रहा हूं और बाद में वहां जाकर डॉक्टर उसको पे-क्लिनिक में देखता है इस दरम्यान में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो फीस तो उस व्यक्ति को देनी ही पड़ेगी।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि सब कोमन मैन को और दूसरों को एक जगह लाना चाहते हैं, जैसा कि इसका उद्देश्य है यह मन्त्री महोदय ने बताया और सदन भी यही चाहता है, हमारा यह तजुरबा रहा है कि कोमन मैन को देखने लिए डॉक्टर को कहां इतनी फुरसत होती थी। दूसरा आदमी, बड़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता तो कोमन आदमी उनको नहीं दिखा सकता था। जो समृद्धशाली लोग हैं उनको पे करना

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पड़े। दे शुड पे। लेकिन गरीब आदमी आपकी व्यवस्था से, मौजूदा व्यवस्था से कैसे पार लग सकता है इस पर विचार करना होगा।

तीसरा, करप्शन का जहां तक सवाल है डॉक्टर घर देखने के लिए जाते हैं, पे-क्लिनिक की फीस तो मरीज देता ही है जो कि वह स्लिप काट कर दे देता है लेकिन मरीज ऊपर से और ज्यादा दे देता है, जबकि गरीब आदमी कहां से पैसा दे सकता है। मुझे मालूम है कि पाली में डॉक्टर गरीब आदमी को देखते नहीं थे, उठकर चले जाते थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात और बता रहा हूं। आपकी फाइनेन्सेज पर इसका कितना असर हुआ है। जनवरी से अब तक इससे आपको कितनी आमदनी हुई है, कितना आपको डॉक्टरों को देना पड़ेगा और क्या फाइनेन्शियल पोजिशन होगी? दूसरी स्टेट में भी प्राइवेट प्रैक्टिस को लागू किया था लेकिन वहां पर उसको विथड्रा कर लिया। वहां क्यों फेल हुई? क्या कारण था? सारी परिस्थितियों को देखकर जवाब देने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी!

श्रीमती उषा प्रकाश : माननीय उपाध्यक्षजी, एक मिनिट। लेडी मेम्बर में से कोई नहीं बोली हैं।

श्री रामकिशन : माननीय उपाध्यक्षजी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी। फिर तो इसका कोई अन्त नहीं होगा। आई शैल नोट अलाऊ।

श्री मोहनलाल छंगाणी (स्वास्थ्य मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय काफी सवाल उठे हैं। सबसे पहले भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य का सवाल था प्रक्रिया का। किस तरह से इम्प्लीमेन्ट होना चाहिए, यह पोलिसी किस तरह से लागू की जानी चाहिए, इस सामाजिक व्यवस्था के सन्दर्भ में। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है, इसी के कारण कई तरह के प्रश्न और उपजते हैं कि आया हमारी

Page No 73

(73)

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
सोसायटी इस प्रकार से है कि वेदर भाईदर है या और है। इसमें से कुछ चुन लें। हमें यह दिक्कत नहीं होती तो हम इसको इम्प्लीमेन्ट कर लेते।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वाट इज वी० आई० पी० ?

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल छंगाणी : भारतीय समाज अलग-अलग रंगों में बिखरा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन : वी० आई० पी० जरूर बता दें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप सुन लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के कारण हमारा समाज आज अलग-अलग सामाजिक टुकड़ों में बंटा हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमारे मुख्य वी० आई० पी० चिन्तित हो रहे हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जब कोई नयी प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उसके विपरीत कई प्रतिक्रियायें होती हैं। यहां तक कि समाज का आदमी मस्जिद में जाकर कम्युनिस्टों का-सा भाषण कर सकता है। और वापिस वहां से निकल हनुमानजी के दर्शन कर सकता है। इस समाज में अपनी नीतियों को लागू करना और आइदर और सोसायटी के न होने के कारण हमको कठिनाई उठानी पड़ती है उन कठिनाइयों के कारण.....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप जरूर गये थे हनुमानजी के मंदिर के अन्दर।

श्री मोहनलाल छंगाणी : और हमारा गणतन्त्रीय ढांचा होने के कारण हम यह नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से थोपा जाय। किन्तु हम चाहते हैं कि हमारी नीतियां लागू हों, शनैः शनैः नीतियां लागू करने एवं उनको अमल में लाने की शुरूआत करते हैं। मेरा यह अनुभव है कि इस प्रक्रिया में थोड़े डाक्टर हैं, जो सुविधाकारक हैं, बाकी दूसरे इसको एडोप्ट कर रहे हैं। सुविधाकारक जो हैं इसीलिये वे इसमें व्यवधान करने की कोशिश करते हैं। सरकार सक्षम है और व्यवधान सहन करने को तैयार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कई सवाल उठाये। पांच से नौ बजे तक सरकारी कर्मचारी कहां जायं। मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनता के लिए डाक्टर कहां मिलेगा ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : विडम्बना तो यह है कि जनता तो बोलती नहीं, हम सब बोलते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनता प्रतिनिधि बोल रहे हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यदि हम यह कहें कि वी० आई० पी० को ट्रीटमेन्ट अलग मिलेगा तो लिस्ट देखेंगे तो कौन-कौन छोड़ने वाले हैं। हम कहते हैं वी० आई० पी० के लिये अलग से लागू करना चाहते हैं और यह लिस्ट है तो कौन कौन छोड़ना चाहते हैं, हम देखेंगे, सच्चे माने में जो त्यागी होंगे वे ही छोड़ेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तैयार है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हम इसको छोड़ने के लिये तैयार हैं, इसको अनाउन्स तो कीजिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हमारा-आपका सवाल नहीं है। कौन वी० आई० पी० पसन्द करेगा और कौन नहीं, साधारण जनता का प्रश्न है। प्रश्न स्वयम् को पूछना है और उत्तर भी स्वयम् को देना है, सामूहिक प्रक्रिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इस प्रजातन्त्र के युग में आप वी० आई० पी० हो जायं यह आपकी और मेरी हस्ती नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जब भी कोई आदमी बीमार पड़े, हमारी इमरजेन्सी राउन्ड दी क्लाक खुली रहती है। आप जाकर देख सकते हैं। प्रश्न यह उठता है कि प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने के बाद अस्पताल इम्पोर्टेन्ट है या नहीं, आप क्या मानना चाहेंगे? अस्पताल को इम्पोर्टेन्ट मानना होगा।

यह प्रश्न उठता है कि मोरल, रिलेशन डाक्टर और मरीज का क्या हो? वह ही डाक्टर अच्छा है, इस तरह की जो भावना है वह हैल्थ सर्विसेज को कमजोर करने की बात होती है। सरकारी कर्मचारी जाय इमरजेन्सी में उसी वक्त उनको देखने की व्यवस्था वहां पर है। ऐसा शोक होता है कि फलांने डाक्टर को ही दिखाऊंगा तो निश्चित रूपसे दिखा सकता है, किसी प्रकार का बीमार हो, इमरजेन्सी में जाकर दिखा सकता है। यहां तक व्यवस्था है कि किसी डाक्टर को बुलाना चाहे तो बुला सकता है। जितना भी फायदा उठाना चाहे डाक्टरों से बीमार, वह उठा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वी० आई० पीज० के ट्रीटमेन्ट के बारे में कोई कमिटमेन्ट नहीं करना चाहता हूं, यह प्रक्रिया विचाराधीन है, निश्चित रूप से जल्दी तय करने वाले हैं और माननीय सदस्यों को अवगत कराऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी प्रश्न उठाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : रिएम्बर्समेन्ट पे-क्लिनिक की फीस का?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे प्रश्नों के बारे में क्यों डिस्टर्ब करते हैं?

श्री मोहनलाल छंगाणी : 5 से 7 बजे के बीच में तकलीफ रहती है। रिएम्बर्समेन्ट नहीं मिलता है उनको।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उनको नहीं मिलता है, आपने आदेश प्रसारित नहीं किये हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : 'ओ० पी० डी० में जाना नहीं चाहते, रिएम्बर्समेन्ट

(**श्री मोहनलाल छंगाणी**)

नहीं मिलता। पे-क्लिनिक में बताना चाहते हैं, उनको उसका पैसा नहीं देते हैं, उसका रिएम्बर्समेन्ट होना चाहिये। सर्विस रूल्स में इस बारे में कितना कर पायेंगे, नहीं कर पायेंगे, यह फाइनेन्स के विचाराधीन है।

उपाध्यक्ष महोदय, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल उठाया डेन्टल सर्जरी के बारे में, यह सही है डेन्टल सर्जरी का मामला अभी हमारे विचाराधीन है क्योंकि आपकी जो बत्तीसी बनती है उसका सामान घर ले जाया जाय या कहां ले जाया जाय, क्योंकि माननीय सदस्य को शायद जल्दी ही जरूरत पड़ जाय......

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले मुझे होगी फिर आपको भी होगी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, इस बत्तीसी को बनाने की व्यवस्था कैसे की जाय उसके बारे में निर्णय ले चुके हैं.......

श्री गिरधारीलाल भार्गव : निकालने की या बनाने की ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपके लिये निकालने की इनके लिये बैठाने की।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके लिये तो मुक्का इस्तेमाल करना पड़ेगा और मेरे लिये इलाज दूसरा है......

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अगर यही तरीका रहा तो न आपकी बत्तीसी बचेगी और न इनकी बत्तीसी बचेगी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, एल० आई० सी० के बारे में यहां कहा गया। एल० आई० सी० से दो-तीन चिट्ठी आ चुकी है हमने एल० आई० सी० को लिख दिया है अगर आप अपने स्तर पर सुचारु रूप से बैठाना चाहें तो मेरे सवाल से इस बारे में जल्दी निर्णय हो जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हाण्डाजी ने जो सवाल उठाये इंडियन मैडिकल एसोसियेशन की बात कही, जो बातें कही गई हैं, मैं उसी बात पर चल रहा हूं, किन्तु बात यह है कि हिन्दुस्तान की सामाजिक व्यवस्था में कैसे चला जाय वह इनमें और हमारे में भेद है....

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह कब से भेद पैदा हो गये ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, एल० आई० सी० से शीघ्र व्यवस्था होने जा रही है उसके बाद कोई एल० आई० सी० की तकलीफ नहीं होगी क्योंकि जो इन्श्योरेन्स कराते रहे उनको कोई दुविधा न हो इसके लिये हम भी जागरूक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आचार्यजी से मेल-जोल खाने वाली बातें उठाईं। एक्स-रे का प्रश्न प्रश्नकाल में उठ चुका है। जितने उपकरण इन्स्ट्रूमेंट हैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जब सुब्रामन्यम् इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट मिनिस्टर थे उनको पत्र लिखा था कि एक सेन्ट्रल वर्कशाप खोलने का प्रश्न विचाराधीन है। उसके बाद माननीय पाई साहब को चिट्ठी लिखी है और कल ही पत्र आया है कि

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
मामला विचाराधीन है । यह व्यवस्था कभी-कभी दुःख देने वाली है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गफ्फार साहब ने जो प्रश्न उठाये वह थे कि विस्तार करने की आपकी योजना है या नहीं या यहीं तक सीमित रखने की आपकी इच्छा है । उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारी मान्यता है प्राइवेट प्रेक्टिस दरअसल इस पेशे का जो सिस्टम है उसके विपरीत है और इसको जल्दी से जल्दी बन्द करना चाहिय और इसी के आधार पर हम चल रहे हैं लेकिन इसका विस्तार कैसे हो, इसके बारे में हम 2-3 महीनों में जब अनुभव हासिल कर लेंगे । हां, यह बात अलबत्ता सही है कोई न कोई पाइलेट प्रोजेक्ट लेना चाहिये । जयपुर शहर बड़ा शहर है हम भी यहां कोई न कोई प्राइलट प्रोजेक्ट लेना चाहेंगे । हमारे पास मशीनरी नहीं होने से ऐसा कदम नहीं उठायेंगे जल्दी में जिससे वह कदम वापिस लेना पड़े ।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कॉमन पूल का प्रश्न उठाया गया—सी० ए० एस० ट्यूटर के बारे में, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया सी०ए० एस० कॉलेज का अंग नहीं है टेन्योरपोस्ट है और दो साल बाद लगाया जाता है जो प्रोफेसर, लेक्चरार्स को मिलता है उससे महरूम रखा गया है लेकिन उसके बाद भी हम विचार कर रहे हैं और यदि हमें अच्छे आशीर्वाद मिल गये तो हम सी० ए० एस० को कुछ न कुछ देने की कोशिश करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य काफी कह गये थे। तबादलों के अन्दर और दूसरों के अन्दर क्योंकि कभी-कभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ब्रह्मचारी भी नहीं रहते हैं और शादी भी नहीं करते हैं. . . .

(व्यवधान–अश्रव्य)

तो मेरा निवेदन है एक व्यवस्था के बारे में दृष्टिकोण होना चाहिए । आरोप-प्रत्यारोप के चक्कर में कुछ कह जाते हैं । सी० ए० एस० के बारे में मैंने निवेदन किया अब उनके लिये किसी भी टाइम और यहां तक कि रिविजन. का टाइम दिया हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न उठाया गया था कि ये जो पे–क्लिनिक हैं वह दूसरी व्यवस्था का बदला हुआ रूप तो नहीं है जो घर जाकर दिखा देते हैं वह तो ग्रुप नहीं है लेकिन इसमें मुझे माननीय सदस्यों को ज्यादा नहीं कहना है न तो कमाने वाले डॉक्टर विरोध करते, इसका विरोध ऐसा है जैसा जागीरदारों का विरोध हो रहा था । इससे अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये और भी माननीय सदस्य सुझाव देंगे, उन पर विचार करके अगर उपयोगी हुए तो मैं इम्पलीमेंट करने की कोशिश करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा यह इन्टेंसिव केयर की स्थापना प्राइवेट प्रेक्टिस की बेकडोर एन्ट्री तो नहीं है यह तो एक तरीका है इलाज कराने का । ज्योंही आप पे-क्लिनिक में एन्टर होंगे अगर आप इन्टेंसिव केयर का इलाज कराना चाहते हैं तो आपका वैसा ही इलाज किया जायगा और अगर इन्टेंसिव केयर का इलाज नहीं कराना चाहते हैं तो आपका इलाज उसी तरह किया जायगा इसलिये यह प्राइवेट प्रेक्टिस का तरीका हो सके यह मेरी मान्यता नहीं है ।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी यहां पर कहा गया कि यह विलेजेज में शुरू होना चाहिये यह बात सही है कि इसको विलेजेज में शुरू करना चाहिये लेकिन इसमें विजिलेन्ट रहने के लिये हमें विशाल व्यस्वथा करनी पड़ेगी जो अभी राज्य सरकार के बस की नहीं है। आप और हम सब मिलकर सामूहिक रूप से इसको नहीं उठायेंगे तब तक प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द होना मुश्किल है क्योंकि इंगलैण्ड में भी बिवरीज रिपोर्ट के बाद सारा का सारा देश जागरूक हो गया था। तो उसी प्रकार मैं आशा करता हूं हमने जो प्रगति के कदम उठाये हैं उसको आप भी मजबूत करें और जो आगे आने वाली प्रगति है उसके लिये भी तैयारी रखें ताकि हमारी नीतियां क्रियाविन्त हो सकें··

श्री गुमानमल लोढ़ा : ···इन्हीं शब्दों के साथ····

श्री मोहनलाल छंगाणी : अब इन्होंने कह ही दिया है तो, उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं जो माननीय सदस्य प्राइवेट प्रैक्टिस को बन्द करने के सुझाव देना चाहेंगे और अगर उपयोगी हुए तो निश्चित रूप से उनको लागू करने की कोशिश करेंगे।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 45 व 37

श्री हीरालाल देवपुरा (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि, मांग संख्या 45 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 74,07,80,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,32,60,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक स्टेटमेंट देना था। मैंने इस संबंध में निवेदन कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुख्य मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

औद्योगिक संस्थानों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की स्थापना के संबंध में मुख्य मंत्रीजी का वक्तव्य

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में इस बात पर जोर दिया गया था कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों को प्रबंध में भाग लेने का अवसर दिया जावे और इसके लिए संयुक्त प्रबंध परिषद् स्थापित की जावे। यह प्रश्न राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल की 17वीं बैठक में, जो दिनांक 10 जनवरी, 1974 को हुई थी, विचारार्थ रखा गया था। मण्डल की बैठक में यह घोषणा की गई थी कि राज्य सरकार उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जहां 500 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, संयुक्त प्रबंध परिषदें (Joint Management Councils) स्थापित

(श्री हरिदेव जोशी)

करने के संबंध में कानून बनायेगी। इन परिषदों का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों व प्रबन्धकों में आपसी हित के मामलों में विचार विमर्श करना, अच्छे संबंध व आपसी सद्भाव बनाये रखना होगा। इस घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए राज्य मंत्री परिषद् ने औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन कर औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन अधिनियम), 1975 का प्रारूप स्वीकृत कर दिया है।

प्रस्तावित विधेयक के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जिनमें निजी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों के प्रतिष्ठान सम्मिलित हैं, प्रतिष्ठान के प्रबंध में श्रमिक प्रतिनिधियों को शामिल कर अनिवार्य रूप से संयुक्त प्रबन्ध परिषद् बनाने के लिए कहा जायेगा। इन प्रबन्ध परिषदों में प्रबन्धक व श्रमिकों के बराबर प्रतिनिधि होंगे। श्रमिक प्रतिनिधियों का चुनाव निर्धारित पद्धिति के अनुसार किया जावेगा। इन संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के निम्न मुख्य कार्य होंगे :—

1. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रबंध में सहायता करना जिससे प्रतिष्ठान अधिक सुचारु रूप से मितव्ययता से चल सके तथा आपसी हितों के संबंधों पर विचार विमर्श किया जा सके।

2. श्रमिक व प्रबन्धकों में आपसी सद्भाव व विश्वास करना।

3. उन सभी कार्यों के संबंध में विचार करना जिससे उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

4. श्रम कल्याण कार्य तथा श्रमिकों की सुरक्षा कार्यों के प्रशासन का संचालन करना।

5. श्रमिकों को प्रबन्ध में जिम्मेदारी लेने के लिए प्रशिक्षित करना।

मुझे आशा है कि उक्त व्यवस्था के अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदों का गठन श्रमिकों को प्रबन्ध में भागीदार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और इससे श्रमिकों व प्रबन्धकों में सौहार्द व स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित होंगे।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, यह पॉलिसी स्टेटमेन्ट है लेकिन इस पर चर्चा का मौका जरूर मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप भी पूर्णतया पारिचित हैं नियमों में जो प्रावधान हैं और जो प्रक्रिया है। उसका आश्रय लीजिए। अगर किसी पालिसी पर स्टेटमेंट चाहिए गवर्नमेंट से तो आप उन रूल्स के अन्तर्गत आइये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर),

श्री मनोहरलाल,

श्री मूलचन्द सामरिया,

श्री भानुकुमार शास्त्री,

श्री मीठालाल मीना :

1. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग की अकर्मण्यता से नवनिर्मित बांधों में से पानी रिसने पर चर्चा के लिये)।

Page No 79

(79)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

2. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवण्टन में हुई अनियमितताओं के संबन्ध में चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में बाढ़ के कारण टूटे हुये बांधों की समय पर मरम्मत नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 45 मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मध्यम योजना के सिंचन संबंधी निर्माण कार्यों को समय पर पूरा नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद):

5. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग की लापरवाही से तालाबों से हरे वृक्षों का काटना व समय पर मोरियों का नहीं छोड़ने पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 533 के अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में बनास नदी से लिफ्ट सिंचाई कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी).

7. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी एवं चाकसू तहसील में सिंचाई के साधन अधिक उपलब्ध कराने में विभाग की असफलताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में वृहत्त सिंचाई योजना चालू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छापरवाड़ा बान्ध को दो फुट और ऊंचा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी तहसील में हचुकड़ा ग्राम के पास मासी नदी के एनीकट को पुनः बन्धवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री दीपंकर (लाडनूं, नागौर):

11. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई के अन्तर्गत लाडनूं के कुओं को गहरा कराने हेतु चर्चा के लिये)

12. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिगत जल साधनों की उचित जांच नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री दीपंकर)
कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई हेतु विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 498 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्लस्टर ट्यूब वैल योजना का विस्तार सहकारी स्तर पर किया जाय, पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (लाडनूं में मध्यम योजना चालू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर):

16. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राणा प्रताप सागर बांध पर व्यय की गई राशि का उचित लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने हेतु तालावों के निर्माण में की जाने वाली उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर):

18. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लिफ्ट कैनाल निर्माण गति के निर्धारित समयावधि में पूरा न करने पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 533 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लिफ्ट कैनाल निर्माण को तेज गति प्रदान कर निर्धारित समय पर पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भारत सरकार द्वारा नियुक्त सिंचाई आयोग की सिफारिशों के अनुसार सिंचाई दरें निर्धारित न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा):

21. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में सरकार द्वारा सिंचाई साधन उपलब्ध करवाने में भारी कमजोरी रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान कैनाल के निर्माण कार्य के धीमि गति से चलने से सिंचाई सही ढंग से नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के मैनसर क्षेत्र में कुओं से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु इन्हें गहरा कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No 81

(81)

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
कम कर दिया जाय (जिला बीकानेर के ग्राम मैनसर, विभील, नोखा तथा जिला चूरू में सरकार द्वारा ट्यूब वैल लगवाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री झाबर मल सूण्डा (फतेहपुर):

25. मांग संख्या 45; मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फतेहपुर-शेखावाटी क्षेत्र के लिये गंगा नदी का जल सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामगोपाल (किशनगंज):

26. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की सिंचाई की समस्याओं का समाधान करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोपालपुरा परियोजना एवं खटका प्रोजेक्ट पंचायत समिति, शाहबाद के निर्माण कार्यों के लिये बारां में सिंचाई डिविजन खोलने पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विमासी बांध के कार्य को स्वीकृति देकर शीघ्र ही इस पंचवर्षीय योजना में क्रियन्वित कराने पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे-छोटे तालाबों से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति द्वारा संचालित छोटे तालाबों को सिंचाई विभाग के अधीन हस्तान्तरित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तालाब हतवारी, तहसील शाहबाद का तालाब टूट चुका है, उसकी मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 87, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिरसीपुर तालाव, तहसील शाहबाद जो टूट चुका है उसे पूरा कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा):

34. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई साधनों की सार्थकता पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई के बढ़ाने हेतु छोटे तालाबों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) :

36. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई साधनों की सार्थकता पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

37. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर को राष्ट्रीय नहर घोषित करवाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के विभिन्न जिलों में लिफ्ट कैनाल के निर्माण की योजना के कारण बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में राजस्थान नहर का पानी कम या बिल्कुल उपलब्ध न होने के कारण उक्त सीमावर्ती जिलों में जनता में घोर असन्तोष व्याप्त है, इस पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नर्बदा नदी से बाड़मेर और जालोर जिलों में सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराने में राज्य सरकार द्वारा विशेष दिलचस्पी न लेने पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में खड़ीनों के विकास की बहुत गुंजाइश है परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस ओर उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर में कार्य कर रहे मजदूरों की मजदूरी की दर अक्टूबर' सन् 1971 के बाद में अक्टूबर, 74 को पच्चीस प्रतिशत बढ़ाई गई है जबकि मंहगाई दुगुनी बढ़ी है, उक्त मजदूरी से मजदूरों को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता जिसके कारण उनमें घोर असन्तोष है, इस पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर को केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय नहर मानकर पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सारे कार्य को सम्पूर्ण करने के विषय पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की लघु सिंचाई हेतु कोई ठोस योजना बनाने में उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में लघु सिंचाई के अधूरे कार्य को सम्पूर्ण कराने में ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये)।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

45. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में सन् 1973-74 में अधिक वर्षा और बाढ़ आने के कारण मेली बांध के टूट जाने पर सिंचाई विभाग ने दुबारा जिस प्रकार बनाया है वह पहिले से भी कमजोर है जिसके कारण असन्तोष व्यक्त करने पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में एग्रीकल्चरल रीफाइनेन्स कारपोरेशन स्कीम में अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के कार्यों में राज्य सरकार द्वारा अवहेलना, उदासीनता एवं शिथिलता की नीति अपनाने के कारण असन्तोष व्यक्त करने पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 307 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के भू-संरक्षण के कार्यों को बढ़ावा देने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) :

48. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में सीपेज एवं उसर से हजारों बीघा कृषि योग्य भूमि खराब हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल क्षेत्र में ड्रेनेज का कार्य नहीं चलाये जाने से केशवरायपाटन के ग्राम अरनेटा, अडीला, हीरापुर, कापरेन, आदि गांवों में हजारों बीघा भूमि में पानी भरे रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल नहर से बून्दी ब्रांच को खटकड़ से गेन्डोली, उतराना लाखेरी, इन्द्रगढ़ से खण्डार, सवाई माधोपुर तक नहीं बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में बारांबन्दी, समय पर नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशवरायपाटन में लवान से बडा खेड़ा माइनर को ग्राम बसवाड़ा तक बढ़ाये जाने के बाद भी समय पर पानी नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केशवरायपाटन के ग्राम प्रतापगढ़, खराइता आदि स्थानों पर चम्बल नहर का पानी टेल पर गिरने से कृषि की भूमि का कटाव हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री नन्दलाल बैरवा)

कम कर दिया जाय (बून्दी जिले की लघु सिचाई योजना के अन्तर्गत जो कार्य अधूरा है उसे अब तक पूरा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

पंडित गोपीलाल (पीपल्दा):

55. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नायब तहसील, इन्द्रगढ़ के सोदानपुरा ग्राम के पास बांध की बुनियादें खुदवा कर काम बन्द करने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में चम्बल नहर द्वारा उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़):

57. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र को लिफ्ट इरिगेशन लखुवाली हैड या अन्य हैड से जोड़ कर योजना में शामिल कराने हेतु चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की खुदाई व चिणाई का कार्य साथ-साथ न होने से हुई क्षति पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिधमुख नहर का कार्य तत्काल आरम्भ कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले व श्री डूंगरगढ़ तहसील में अधिक से अधिक नलकूप खुदाने के संदर्भ में चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):

61. मांग संख्या 45 मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीमसागर व हरिश्चन्द्र सागर बांध, जिला झालावाड़ को पूरा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में लघु सिचाई की राजपुरा अलवा व सामरीयत योजनाओं को पूरा न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बकानी पंचायत समिति, जिला झालावाड़ में लघु सिंचाई योजना न होने पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में सारंगा खेड़ा व रीजोन ग्राम में तालाब न बांध जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री करणसिंह (डीग):

65. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक

(श्री करणसिंह)

333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान सिंचाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई हेतु कुओं को गहरा करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

श्री नारायणसिंह (दातारामगढ़) :

67. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई बांधों का कार्य विभाग द्वारा पूरा न कराये जाने के कारणों पर चर्चा के लिये) ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) :

68. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बड़ी सिंचाई योजनाओं की धीमी गति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

69. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई हेतु भूमिगत जल का उचित विदोहन नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

70. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता में निर्मित अधूरे कार्य को सिंचाई विभाग द्वारा पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

71. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्षाकाल में बांधों पर टेलीफोन या वायरलैस की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

72. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई पटवारियों द्वारा समय पर डिमाण्ड स्लिप न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

73. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (50 एकड़ तक के तालाबों का साधारण सरकार कराये व मोरियों और नहरों का निर्माण कराये, इस हेतु चर्चा के लिये)।

श्री केशरीमल (ब्यावर) :

74. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तालाबों से मोरियां निकालने व पक्का कराने में रही ढिलाई के बारे में चर्चा के लिए) ।

75. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बरखान के तालाब में फीडर द्वारा पानी लाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

76. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बड़ा खोदा गांव के

Page No 86

(86)

(श्री के.र.मल)
तालाब की मोरियां जो खराब फूटी हुई व कम पानी सप्लाई की हैं उन्हें बदलवा कर नई नालियां दो और बनवाने पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालिया तालाब से निकालने वाली मोरियों को गांव के पास पटाव डलवा कर पाटने की चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नरवद खेड़े के पास का तालाब को पक्का बनवाने की चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुरेघाटे की फीडर के रहे अधूरे कार्य को पूरा कराने की चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाजा देयाता होते हुए जालिया तक फीडर खुदवाने की चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शेरो के वाले से जवाजा तालाब तक आने वाली फीडर में मलबा ढह कर भर जाने से रुकावट को दूर कराने हेतु चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सारोठे फीडर के अधूरे कार्य को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिलीवेरी कोटरा पंचायत में गूर्जरों के गांव के पास की रपट को ऊंचा कराने की चर्चा के के लिये)।

84. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भोमादे के अधूरे बांध को पूरा कराने की चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाजा पंचायत समिति के किसानों को कुए गहरे कराने हेतु कर्ज व अन्य सहायता दिये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल से अजमेर जिले में और ब्यावर तहसील में सिंचाई हेतु लिफ्ट से पानी की योजना लागू कराने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) :

87. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई की अधूरी योजनाओं को पूरी कराने हेतु चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्रीमती निर्मलाकुमारी

कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में ट्यूब वैलों के अभाव से सिंचाई की उचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर परियोजना से सबको लाभ मिलना आवश्यक है, इस पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु सिंचन के कार्यों का सीधा सम्बन्ध प्रायः छोटे व सीमान्त कृषकों से है अतः सामाजिक न्याय के हित में इस ओर सरकार का ज्यादा ध्यान दिलाने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री चेतराम (टोडाभीम):

92. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले की पर्याप्त सिंचाई योजनायें स्वीकृत नहीं होने से व्याप्त जन असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में लघु सिंचाई योजनाओं के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन):

94. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृहत सिंचाई योजना का उचित लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर):

95. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान कैनाल क्षेत्र में खाली पड़ी भूमि को सिंचित किया जाने व शहरों में बसने वाले मजदूर काश्तकारों को सही ढंग से सिंचित कार्य पर सहयोग दिलाने पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के छोटे छोटे तालाबों को सिंचाई हेतु ठीक कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं से सिंचाई करने के लिए कुओं को अधिक खुदवाकर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा):

98. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिंगलोट मध्यम

(श्री जगमोहनसिंह)

सिंचाई योजना तहसील छबड़ा को बजट में स्वीकृत नहीं किए जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा तहसील कोटा जिले में गुगोर हायडल इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा तहसील में पार्वती नदी के किनारे के 50 गांवों में लिफ्ट सिंचाई योजना को स्वीकृत नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम फलिया, तहसील छीपाबड़ोद के तालाब की लघु सिंचाई योजना को बजट में स्थान न दिये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम कालपा तहसील छीपावड़ौद में तालाब के निर्माण के लिये बजट में प्रावधान न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अटरू की अमर सारन, छतपुरा, सदनू, गोविन्दपुरा, सारन लघु सिंचाई योजनाओं की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा):

105. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में डाया योजना स्वीकृत कर काम चालू कराने को चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में डाया योजना स्वीकृत कराकर कार्य चालू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ):

107. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (तहसील जाय विराटनगर के ग्राम पणदो, लुहाकना, छापड़ा, देवीपुरा, पीपलोद, चतरपुरा, कुहाड़ा एवं राडावास में बांध निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)

108. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील विराटनगर क्षेत्र में लघु सिंचाई की योजनाओं को प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री हनुमानसहाय व्यास)

109. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जमवारामगढ़ एवं बैराठ तहसीलों के भूमि कटाव को रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री मोहनराज (बाली):

110. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली क्षेत्र में अधूरी पड़ी सिंचाई योजनाओं को विभाग द्वारा अभी तक पूरी न करने के कारण हो रही भारी हानि पर चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली क्षेत्र के आदिवासी इलाके के गांवों में लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत तालाब व एनिकट व कुओं की मरम्मत हेतु कोई प्रावधान न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवाड़ी, तहसील बाली के निकट मीठड़ी नामक बांध की क्षमता बढ़ाने हेतु आवश्यक धनराशि का प्रावधान बजट में न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर):

113. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (1974 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त बल्लभगढ़ आदि बंधों की मरम्मत का काम अभी तक प्रारम्भ नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम):

114. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तारागढ़ के पहाड़ों से बरसात के पानी को सिंचाई के लिये सही रूप से काम में लाने के लिये व शहर एवं जनता का नुकसान न हो, के लिये सिंचाई विभाग ने एक स्कीम "तारागढ़ एस्केप चैनल" तैयार की गयी थी, परन्तु उसका कार्य शुरू न करने पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटी नाल व बड़ी नाल के बन्धे जो अजमेर के नाग पहाड़ों में है जिनकी मरम्मत के लिये सर्वे हो चुकने के उपरान्त भी मरम्मत नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा):

116. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडक नदी पर बांध बनाये जाने सम्बन्धी आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा तहसील के खारी व बनास नदियों के बीच स्थित क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खमनोर के फेवदा धरे, सेभा व फतहपुर में लिफ्ट सिंचाई योजना पर चर्चा के लिये)।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) :

119. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट लागू करने हेतु चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के निर्माण की मन्थर गति पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (राजस्थान नहर के पानी के पूर्ण उपयोग न होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर पर पंजाब सरकार द्वारा हैड बना कर नहर निकालने से उत्पन्न दुर्लक्षपूर्ण स्थिति पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा सिस्टम की टेलों पर पानी न पहुंचने की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर की मरम्मत न कराये जाने से पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरूलाल (अकलेरा) :

125. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा तहसील की नदियों के देहों पर लिफ्ट सिंचाई की कोई योजना न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा तहसील क्षेत्रान्तर्गत पर्वन व छापी नदी के बांधों के निर्माण कार्य को योजनाबद्ध ढंग से कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा तहसील के सदैव बहने वाले नालों पर छोटे 2 बांधों का निर्माण सरकार द्वारा कराया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा तहसील के तालाबों के अपूर्ण निर्माण कार्यों को सम्पन्न करने से होने वाली देरी पर चर्चा के लिये)।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) :

129. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार भाखरा व व्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड में अपने हिस्से के अनुपात में अधिकारियों एवं इंजीनियरों को नियुक्त करने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार

(श्री केदारनाथ)
सिधमुख नहर को राजस्थान में लाने में असमर्थ रही पर चर्चा के लिये) ।

131. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार चक 16 पी. टी. डी., 28 पी. टी. डी. व 1 बी. डब्ल्यू. एम. से 5 बी. डब्ल्यू. एम. से 1 बी. डब्ल्यू. एस. एम. 4 बी. डब्ल्यू. एस. एम. में हरिजन व गरीब काश्तकारों को उनके हिस्से का पानी दिलाने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

132. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार मोतीराम कमेटी की सिफारिशों को लागू करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये) ।

133. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गंग कैनाल में खाल माइनर्स को पक्का करने में, सामान जुटाने में असफल रही, पर चर्चा के लिये) ।

134. मांग संख्या 45, शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गंग कैनाल की मरम्मत व देखभाल के कामों को अपने हाथ में लेने में असफल रही, पर चर्चा के लिये) ।

श्री शंकरलाल (पाली):

135. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सोई योजना की धीमी प्रगति के बारे में चर्चा के लिये) ।

136. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के सरदारसमन्द बांध की नहरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

137. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के हेमावास व सरदारसमन्द बांधों के कमाण्ड के काश्तकारों की पुरानी जुमाने की रकम राइटआफ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

138. मांग संख्या मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली से डी० पी० ए० पी० का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

139. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाई बांध के पानी का सदुपयोग करने हेतु चर्चा के लिये) ।

140. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में लघु सिंचाई की विभिन्न योजनाओं के प्रति उदासीनता पर चर्चा क लिये) ।

141 मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306, के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के

(श्री शंकरलाल)

बोभादड़ा बांध को तीन फुट ऊंचा लेने हेतु चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील में वायद बांध के कार्य पर हुई अनियमितताओं की चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के लम्बीया गांव के तालाव को लघु सिंचाई योजना में लेने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डोली):

144. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (बून्दी जिले पर चम्बल कमाण्ड के प्रभाव पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले की हिण्डोली नौनवां तहसील की लघु सिंचाई योजनाओं से किसानों को होने वाली परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में खेराड़ का एकमात्र स्वर्ण का नाला बनाने पर चर्चा के लिये।

147. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में दुगरी के पानी का सदुपयोग करने पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल):

148. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में सिंचाई के साधन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधूरी लघु सिंचाई योजनाओं को पूरी कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीडोरा):

150. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माही परियोजना में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में स्थानीय बेरोजगारों की उपेक्षा किए जाने पर चर्चा के लिये।

151. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बजाज सागर डैम के निर्माण में शिथिलता, अनियमितता एवं धन का दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [माही परियोजना (बजाज सागर बांध) के विस्थापितों के पुनर्वास में विभाग द्वारा आदिवासियों की उपेक्षा किये जाने पर चर्चा के लिये]।

153. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री माथूराम)
कम कर दिया जाय (कडाना बांध के निर्माण में गुजरात सरकार की हठधर्मी व राज्य सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कडाना बांध के बैकवाटर के प्रभाव के अनुमान लगाने की असफलता पर चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पोषाहार कार्यक्रम में हुई अनियमितताओं पर कार्यवाही नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये।

156. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पहाड़ी क्षेत्र में लिफ्ट इर्रीगेशन के सघन कार्य-क्रम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्य-क्रम को और अधिक गतिशील बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री चतुर्भुज (टोड़ारायसिंह):

158. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई के लिये बनाये गये बांधों की विभाग द्वारा मरम्मत नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा क लिये।

159. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाई नदी पर बान्ध बान्धने हेतु योजना बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोडा रायसिंह में बंधा नदी विसलपुर योजना के पानी के मांग पर चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विसलपुर योजना में सिंचाई व बिजली का प्रावधान रखना टोंक जिले एवं माधोपुर जिले के विकास के लिये आवश्यक है पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):

162. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय जिला (जालोर में एवं जिला बाड़मेर में नर्मदा नदी घाटी योजना की क्रियान्विति में होने वाली देरी के बारे में चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर योजना की शीघ्र क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में सरकार की घोर उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में कृषि कुओं पर पंपिंग सेटस् लगाने के लिये लघु सिंचाई हेड से काश्तकारों को ऋण उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में भूसंरक्षण कार्यों की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूनी नदी लघु सिंचाई बांधों को शीघ्र पूर्ण करवाने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां)

168. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग द्वारा सर्वे अमीन व अन्य कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतानों को समय पर न करने पर चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई योजनाओं को अधिक उपयोगी बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री नत्थासिंह (नदबई) :

170. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर की सिंचाई समस्याओं की ओर विभाग का ध्यान आकर्षित करने पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर की लघु सिंचाई समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) :

172. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपय कम कर दिया जाय (क्षेत्रीय असन्तुलन तथा वास्तविकता पर आधारित योजनाएं न होने के बारे में चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्थानीय सिंचाई के स्रोतों का उपयोग करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) :

174. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट को शीघ्र लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री ज्ञान सिंह चौधरी)
कम कर दिया जाय (सिधमुख नहर योजना को स्वीकृत कर शीघ्र कार्य शुरू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री भीमराज चौधरी (नोहर):

176. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर फीडर स्कीम को क्रियान्वित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देईदास भगवान लिफ्ट सिंचाई स्कीम को पूरी कराने की चर्चा के लिये)।

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली):

178. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली तहसील के बनाड़ी व दांतील बांध का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छीतोली बांध की नहर ठीकरियां ग्राम तक पक्की करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बून्दी) :

180. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल क्षेत्र में सिंचाई के लिए बाराबन्दी करने के विषय में चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल क्षेत्र में लिफ्ट इरिगेशन से अधिक क्षेत्र को लाभान्वित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक से लिए गए लोन को खर्च करने के विषय में चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में बरउ क्षेत्र के आदिवासियों की छोटी-छोटी पालों की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में अक्षयपुर बांध को यदि ऊंचा किया जाय तो अधिक क्षेत्र में पानी पहुंचने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री गौरीशंकर (खानपुर) :

185. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीम सागर व हरिश्चन्द्र बांध जो वृहत बांध हैं और उनको पूरा करवाया जाय तो लाखों बीघा भूमि सिंचाई हो सकती है, पर चर्चा के लिये।)

186. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, (झालावाड़ जिले में 18 नदियां हैं जिनको न बांधने से किसानों

Page No 96

(96)

(श्री गौरीशंकर)

की फसल को नुकसान पहुंचता है और उन पर बांध बांध दिए जाएं तो किसान के लिए वे वृदहस्त होकर देश के अन्न संकट को मिटा सकती हैं, पर चर्चा के लिये)।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर):

187. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर के पांचना बांध के निर्माण का कार्य इसी वर्ष शुरू करने हेतु चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले के समस्त छोटे तालाबों को, जिनसे 200 एकड़ तक की सिंचाई हो सके, सिंचाई योग्य बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर):

189. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर संभाग में देवास योजना को अधूरा छोड़ देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृहत योजना के धीमी गति पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के विषय में चर्चा के लिये)।

श्री रामचन्द्र (चौरासी)

192. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले में सिंचाई विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये अधूरे तालाबों को पूरा करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

193. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले में लघु सिंचाई योजनाओं को अधिकाधिक रूप से प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री जयनारायण (लसाडिया):

194. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिये जाय (जाखम सिंचाई परियोजना एवं उदयपुर जिले में सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री शिवनारायण (बारां):

195. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पार्वती नदी पर छबड़ा तहसील में गुगोर सिंचाई योजना को स्वीकृत किये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री शिवनारायण)
कम कर दिया जाय (पार्वती नदी की कैनाल सिचाई कार्य में असुविधा के कारण सिचाई कम होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

197. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा में लघु सिचाई के अन्तर्गत दहों पर पम्पिंग सेटों को विभाग द्वारा बन्द किये जाने और उनसे हुई क्षति के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा) :

198. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में सिचाई की कमी को दूर करने हेतु अधूरी नहरों को पूर्ण करने पर चर्चा के लिये)।

199. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में लघु सिचाई योजनाओं को बढ़ावा दिया जाय और उसका प्लान बनाकर सरकार कार्य करे, पर चर्चा के लिये) ।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) :

200. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर से बाड़मेर जिले में एक शाखा लाने हेतु चर्चा के लिये) ।

201. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में से लूनी नदी पर नालाबन्दी द्वारा सिंचाई के विस्तार की मांग पर चर्चा के लिये) ।

202. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पचपदरा में चतुर्थ योजनाकाल में प्रारंभ किये सिंचाई कार्यों के अभी तक अधूरे पड़े रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

203. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग द्वारा बाड़मेर जिले में लूनी नदी पर तहसील पचपदरा में क्षतिग्रस्त ठोकरों की मरम्मत न कराये जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

204. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [दूसरा पार्वती (धोलपुर) बांध का कार्य प्रारंभ न किये जाने पर चर्चा के लिये] ।

205. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बजट में कुओं को गहरा करने की योजनाओं के लिये धन का कम प्रावधान होने पर चर्चा के लिये) ।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) :

206. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिधमुख कैनाल के निर्माण कार्य में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये) ।

(श्री मोहरसिंह)

207. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला चूरू में सिंचाई व्यवस्था करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील राजगढ़ में सिंचाई के लिए कूप निर्माण कार्य में आ रही दिक्कतों पर चर्चा के लिये)।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) :

209. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में किसानों द्वारा जो खातेदारी भूमि एक खातेदार से दूसरा खातेदार खरीदता है, उसका नामान्तरण नहीं किया जाता, उस पर चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव खिचिया, तहसील रायसिहनगर में 42 सिख परिवारों को जिन्हें सन् 1955 से भूमि का स्थाई आवंटन है और जिनमें से 20 परिवारों को स्थायी आवंटन कर दिया गया था वह सब खारिज कर देने पर चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर जो आर. डी. 45 से लेकर आर. डी. 423 तक बुरी तरह टूटी हुई है उसकी मरम्मत कराने पर चर्चा के लिये)।

212. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग नहर जो आर. डी. 45 से लेकर आर. डी 423 तक टूटी हुई है जिसमें गत वर्ष 16 लाख रुपये के व्यय से करीब पौने चार लाख मुरब्बा फुट की मरम्मत हुई थी और उसमें से 5% से अधिक मरम्मत के चन्द दिनों बाद ही मरम्मत वाला स्थान दुबारा गिर गया था, उस पर चर्चा के लिये)।

213. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग नहर जो करीब 70 मील लम्बी नष्ट हो चुकी है, उसमें से राजस्थान सरकार द्वारा पंजाब सरकार की देख-रेख में केवल ग्यारह लाख रुपये के व्यय से करीब अढ़ाई लाख मुरब्बा फुट की मरम्मत कराई जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग नहर क्षेत्र में वृक्ष जो राज्य की लाखों रुपये की सम्पत्ति हैं उन्हें नष्ट किया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

215. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग नहर क्षेत्र में किसानों को तंग करने की दृष्टि से उन पर बड़े-बड़े तैवान नहर विभाग द्वारा लगाये जाते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोतीराम कमीशन

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)
रिपोर्ट लागू न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

217. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पौंग डैम के एक दरवाजा की सील टूट जाने और किसी अपराधों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

218. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड जिसमें राजस्थान का 57½% हिस्सा है उसमें राजस्थान सरकार द्वारा अपने हिस्से की सेवाओं में हिस्सा न लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखड़ा मैनेजमेन्ट बोर्ड द्वारा अपने कन्ट्रोल में हरीके हैड को आज तक न लिए जाने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

220. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बगीचों के लिये सिंचाई विभाग द्वारा अधिक पानी दिये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्ष 1973-74 व 1974-75 में उस समय जब कि गंग नहर में कपास व चावल की फसल को पानी की आवश्यकता थी और राजस्थान नहर में चावल की व कपास की फसल को पानी की आवश्यकता थी। घग्घर नदी में नहरों का पानी छोड़कर चावल व कपास की फसल को हानि पहुंचाई गई और घग्घर नदी में छोड़े गए पानी पर सिंचाई दर न वसूल की जाने पर चर्चा के लिये)।

222. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नहरों के किनारे लगे वृक्ष जो सिंचाई विभाग की लाखों की सम्पत्ति है नष्ट किये जाने पर चर्चा के लिये)।

223. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोतीराम योजना के अन्तर्गत हनुमानगढ़ में 1974 से खोले गए मुख्य अभियन्ता के कार्यालय को समाप्त कर दिए जाने पर चर्चा के लिये)।

224. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एक्स० ईएन० सिंचाई विभाग, गंगानगर (उत्तरी खण्ड) द्वारा चक 2 डी. डी. की पानी की बारी में गड़बड़ करने, बार बार उसमें तबदीली करने व पक्षपातपूर्ण नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में तहसील पदमपुर-करणपुर, गंगानगर व सादुलशहर के भूमिहीनों को भूमि न देने और उन्हें भूमि आवंटन से वंचित रखना, पर चर्चा के लिये)।

(100)

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

226. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार द्वारा यह विश्वास दिलाए जाने पर कि 25 बीघा तक सिंचित भूमि जिन भूमिहीनों के पास कम है; उनको पूरी की जावेगी और इस आधा पर राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि का आवंटन कर देना और बाद में 15 बीघा या उससे अधिक भूमि के मालिकों को भूमि से वंचित रखना तथा उन्हें अस्थायी भूमि आवंटित हुई है उससे बेदखल करना इस पर चर्चा के लिये)।

227. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा 25 मार्च, 1970 की घोषणा द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर की जिन्हें भूमि आवंटित है और यदि वह 2 वर्ष तक काश्तकारी नहीं कर पाया और भूमि किसी अन्य को आवंटित नहीं की गई तो उस 2 वर्ष की काश्त की माफी समझी जावेगी जिस घोषणा की अवहेलना राजस्थान नहर क्षेत्र में की जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में लेख पुत्र पुरना गांव 41 आर. बी. गंगापत पुत्र चेना, राजपुरा, रावता पुत्र नन्दा, राजपुरा, तिरू पुत्र कालू, 25 एम. एल., गिधा पुत्र ताजू 25 एम. एल. सोना पुत्र कुनता, गंगापत पुत्र सिरदारा का गांव सेनीवाला व डूंगर पुत्र श्योजी, बीज बायला, सुरजो पुत्र आसा बीज बायला का गांव रोजा, तहसील लूणकरणसर में जमीन अलाट सन् 1971 में की गई—पट्टे आज तक रिन्यू नहीं हुए, रकम एक साल की भर दी गई, फिर भी पट्टे नहीं दिये गए, इस पर चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (29 परिवारों को चक 2 पी में नाजायज तौर पर भूमि का आवंटन करने पर चर्चा के लिये)।

230. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चक 6 एन. जेड. पी. तहसील रायसिंह नगर में भूमि का नाजायज आवंटन करना, पर चर्चा के लिये)।

231. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरदारपुरा बीका में सरकारी भूमि का अस्थाई आवंटन 42 परिवार सिख भूमिहीनों को 1955 से हो चुका है, उनका आवंटन रद्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

232. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चक 78 जी. बी. तहसील अनूपगढ़ में भूमिहीनों के नाम पर सोदे चौबीस मुरब्बे सरकारी भूमि का आवंटन करने व उस पर नाजायज कब्जा हटाने में उपनिवेशन विभाग की अकर्मण्यता, पर चर्चा के लिये)।

(श्री गुरदयालसिंह सिन्धु)

233. मांग संख्या, 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग नहर क्षेत्र में किसानों की असिंचित भूमि को सिंचित भूमि में परिवर्तित करने हेतु राज्य सरकार ने आदेश जारी किये पर विचार करने हेतु चर्चा के लिये)।

234. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 309 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त खाद्य सामग्री का जिला गंगानगर के देहातों में वितरण न करना, पर चर्चा के लिये)।

235. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग नहर की आर० डी० 87 से पंजाब द्वारा कान्यावाली राजवाह बनाया जाना और जिससे गंग कैनाल को हमेशा के लिए क्षति पहुंचेगी, इस पर चर्चा के लिये)।

236. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में ऐसे भूमिहीन जिन्होंने समय पर प्रार्थना पत्र पेश किए थे, उन्हें भूमि पाने के हकदार मान लिया जा चुका था मगर भूमि उपलब्ध न होने के कारण उस समय भूमि नहीं दी जा सकी थी, उन्हें आज तक भूमि आवंटित नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

237. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में ऐसे भूमिहीन जिनकी भूमि सुरक्षित क्षेत्र में जैसे पोंग डेम विस्थापितों की भूमि आबादी फार्म व नहरों में आ जाने वाली भूमि के कारण उनके पट्टे रिन्यू नहीं हो सके थे और उन्हें आज तक भूमि न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

238. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र के चक 3 डी० उपनिवेशन तहसील विजयनगर में 29 ऐसे परिवारों को जो भूमिहीन नहीं है, राजस्थानी नहीं हैं, भूमि का स्थायी आवंटन करना, इस पर चर्चा के लिये)।

239. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में चल रहे नलकूपों के द्वारा जिनकी धरती का पानी खारा है और उस पानी को नहरी पानी के साथ मिलाकर सिंचाई की जाती है उस पर सिंचाई दर कायम किये जाने पर चर्चा के लिए)।

240. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 307 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों से नहरी क्षेत्र में असिंचित भूमि को सिंचित में परिवर्तित करते समय सर्वेक्षण चार्जेज की बड़ी बड़ी रकमें वसूल करने पर चर्चा के लिये)।

241. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 706 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। कृषकों को विभाग

(श्री गुरदयाल सिंह सिन्धु)
के माध्यम से उनकी आवश्यकता के अनुसार नल कूपों आदि के लिये ऋणों का न चुकाया जाना, पर चर्चा के लिये) ।

श्री मीठालाल (लालसोट) :

242. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगा-जमुना का पानी राजस्थान को दिलवाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

243. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर का अधिकाधिक विकास करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

244. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट तहसील के उत्तरी सागर दक्षिणी सागर व मिगरोली बांध (नव-निर्माणाधीन) तीनों बांधों को मिलाकर एक बांध बनाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

245. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट तहसील में मोरेल सागर से ऊपर सुमेल के स्थान पर तीनों नदियों के संगम पर एक बांध बनाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

246. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट-तहसील में कुटक्या व गोल के मध्य एक बांध बनाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

247. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [मोरेल सागर (लालसोट) की नहरों का विकास करने के बारे में चर्चा के लिये] ।

248. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट तहसील के ऐड़-जेड़ के बालाजी पर बांध बनाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री मीठालाल मीणा (लाल सोट) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

249. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू-लालसोट तहसीलों के कुओं को गहरा करवाने के बारे में चर्चा के लिये)।

250. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोरेल सागर लालसोट को दो फुट ऊंचा उठाने के बारे में चर्चा के लिये)।

251. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू-लालसोट-दौसा तहसीलों में नये कुओं को गहरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

252. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू-लालसोट-दौसा तहसीलों को नये कुओं के लिए आवश्यक ऋण दिलवाने पर चर्चा के लिये) ।

(श्री मीठालाल, श्री मूलचन्द सामरिया)

253. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू व लालसोट तहसीलों में ट्यूब वेल चालू करने पर चर्चा के लिये)।

254. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय अनावश्यक खर्चों को कम करने के बारे में चर्चा के लिये)।

255. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू-लालसोट तहसील के कुओं के पानी में कड़वाहट, व भारीपन को मिटाने के बारे में चर्चा के लिये)।

256. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में अधिकाधिक लघु सिंचाई योजनायें चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

257. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट, चाकसू; जयपुर तहसीलों में लघु सिंचाई योजनायें चालू करने के बारे में चर्चा के लिये)।

258. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट-चाकसू (जयपुर) तहसीलों में अत्यधिक कुएं बनवाकर सिंचाई कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

259. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [लालसोट तहसील-जयपुर के कई नदी नालों को रोक कर सिंचाई के लिये छोटे तालाब बनाने के बारे में चर्चा के लिये)।

260. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। लालसोट कस्बे के पास बावले कुए के पास एक बांध बनाकर पानी रोकने के बारे में चर्चा के लिये)।

261. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट तहसील के राहुवास बांध को ठीक कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

262. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उत्तरी व दक्षिणी सागर बांधों (लालसोट) की मरम्मत कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) :

263. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 308 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्ल्ड बैंक से चम्बल क्षेत्र के विकास के लिए हुए समझौते पर चर्चा के लिये)।

श्री बनवारी लाल (निवाई) :

264. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर उप जिले में सिंचाई के साधन बढ़ाने के क्रम में रात

(श्री बनवारीलाल)
का खपर का तालाब शुरू करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री नारायणसिंह चौधरी (दांतारामगढ़) :

265. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधूरे सिंचाई बांधों को पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

266. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में सिंचाई के लिये ट्यूब वैल की व्यवस्था किये जाने कि आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

267. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में करीब 5 साल से पानी का स्तर ऊंचा हो जाने के कारण सैकड़ों बीघा काश्त की जमीन खारग्रस्त होने से बचाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) :

268. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर तहसील में फेमीन में बनाये गये बांध तथा डी० पी० ए० पी० एवम् क्रेस में बनाये गये बांधों को पूरा करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

369. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्यूब वैल के निर्माण में भेद भाव बरतने पर चर्चा के लिये)।

270. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुओं व तालाबों के निर्माण में अपनाई जाने वाली दोषपूर्ण प्रकिया पर चर्चा के लिये)।

271. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिगत जल साधनों की जांच या उचित प्रबन्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री नानालाल (राजसमन्द) :

272. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुओं के पानी की पूर्ति हेतु एनीकट की स्थापना कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री सांवरलाल मोर (श्रीमाधोपुर) :

273. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में खंडेला बांध का कार्य शुरू न होने से हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये)।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) :

274. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 306 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में पाताल तोड़ कुओं का निर्माण करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 45 व 37 पर विचार

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई की मांगों के संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने सिंचाई योजनाओं पर ध्यान देना छोड़ दिया है। आज भी ऐसी पचासों योजनायें हैं कि जो धन के अभाव में अधर-झूल में पड़ी हैं और यदि वह योजनायें पूरी नहीं की गई तो दिनों दिन वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं इन योजनाओं को पूरा करने में दुगनी लागत आयेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेई, मेजा, जेतपुरा, गोपालपुरा, भीमसागर और हरिश्चन्द्र सागर जैसे मीडियम प्रोजेक्ट्स महज इसलिए पूरे नहीं हो रहे हैं कि सरकार समय समय पर उनको धन अवाप्त नहीं करती। यह 6 परियोजनायें 6 साल से बराबर अधूरी पड़ी हुई हैं पर सरकार को इस ओर चिन्ता नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके विपरीत सरकार का ध्यान मुख्य मंत्रीजी की कान्सटीटुएन्सी बांसवाड़ा की ओर लगा हुआ है। वहां पर माही योजना है....

श्री उपाध्यक्ष (श्री गुरदयालसिंह संधु के खड़ा होने व दूसरे माननीय सदस्य के साथ वार्ता करने पर): माननीय सदस्य सदन में खड़े होने का यह तरीका नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस योजना पर 80 करोड़ रुपये की लागत का प्रस्ताव है और राज्य सरकार पैसे की व्यवस्था दूसरी ओर कर नहीं सकती, माही की योजना 1990 तक भी पूरी नहीं होगी और यह मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। इसी के इन्जीनियर श्री कचोरिया का कहना है कि सरकार योंही माही योजना के पीछे पड़ी हुई है जब कि आलरेडी 10 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आखिरकार जो योजना पूरी होने वाली नहीं है और जब इन्जीनियर साहब का कथन है तो उसके पीछे नहीं पड़ कर जो योजनायें 6 वर्षों से पड़ी हुई हैं उनको आपको पूरा करना चाहिए। पर हालत यह है कि राजनैतिक पक्षपात सिंचाई के आधार पर भी चल रहा है। आदिवासियों के नाम पर उदयपुर, बांसवाड़ा जिलों में 14 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा, सिंचाई की योजनायें प्रारम्भ की जायेंगी। मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार 10 करोड़ रुपया उन आदिवासियों पर खर्च करने जा रही है तो यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह 14 करोड़ की योजना केवल एक ही जिले में आदिवासियों के नाम पर और राजनीति के आधार पर खर्च किया जाये तो शेष जो राजस्थान के जिले हैं उनमें स्वाभाविक रूप से राजनैतिक असन्तोष व्याप्त होगा।

यहां पर मुझे यह भी निवेदन करना है कि सरकार ने सेई परियोजना के लोगों को प्रोजेक्ट अलाउन्स नहीं दिया है जबकि शहर से काफी दूर वह योजना है। वहां पानी उपलब्ध है नहीं, खाना उपलब्ध है नहीं, तो फिर सरकार उन सेई परियोजना में रहने वाले लोगों को क्यों नहीं अलाउन्स देती है। जब कि सरकार इसके विपरीत बीकानेर और बांसवाड़ा शहरों में बैठे कर्मचारियों को प्रोजेक्ट अलाउन्स सिंचाई के नाम पर दे रही है। मेरा निवेदन करना है कि जब एक ही राज्य है तो एक ही राज्य में इस प्रकार का सौतेला व्यवहार, एक को अलाउन्स देना और दूसरे को नहीं देना यह कहां तक उचित

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सेई आदर्श परियोजना है । इसका काम बड़ा कठिन काम है, लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत प्रार्थना करना चाहूंगा कि वहां पर भी लोगों को प्रोजेक्ट अलाउन्स देने की राज्य सरकार घोषणा करे ।

यहां पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार छोटी छोटी बातों में राजनैतिक नजरिया बनाकर सिंचाई योजनाओं में से लोगों को अकाल के नाम पर रोजगार देगी । अपने जिलों में योजनाओं को खींचकर ले जायेगी तो अन्य जिलों में राजनैतिक असन्तुलन होगा और भेद-भाव बढ़ेगा । यहां पर एक निवेदन और है कि सिंचाई के नाम पर भीलवाड़ा जिले में हमारे देश का सबसे बड़ा मखौल हुआ है ।

भीलवाड़ा जिले में यह हुआ है कि मेजा बांध जो 20 साल पहले बना यह बांध बना और बांध के बन जाने के बाद केवल वह 3 बार भरा। और चित्तौड़गढ़ जिले से याने 60 मील दूर बनास से पानी लाकर इसमें पानी डालने की योजना है । तो यह बांध है या पानी की टंकी है यह विचार करना पड़ेगा । यह भयंकर मजाक मैं समझता हूं कि राजस्थान में हो रहा है । तीन बार पानी भरा और इसी बनास नदी से लाकर पानी डाला जायेगा । तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के पास धन नहीं है और राज्य सरकार ने मात खाई है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से सिंचाई योजनाओं के लिए धन इकवित करने के लिए असमर्थ रही है और इसका सीधा-साधा कारण यह है कि केन्द्र में हमारी लाबी नहीं है जो हमारी वहां पर वकालात कर सके । इन्दिराजी के सामने सिंचाई का पक्ष है उसको रख सके । यह सरकार की कमी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं राजस्थान नहर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । राजस्थान लैण्ड डवलपमेन्ट कारपोरेशन बनाया लेकिन 8 माह से इसमें मैनेजिंग डाइरेक्टर एक के बाद एक हटते रहे तो काम चालू नहीं हुआ । इसी कारण से सारे राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र में नहरों को पक्की बनाने का काम जमीन को समतल करने का काम चालू नहीं हुआ । 8 महीने तक सिंचाई का काम ठप्प रहा और सरकार बैठी रही और वहां के कमिश्नर, श्री ए० के० राय ने सचिवालय को बार बार लिखा लेकिन उनकी सारी लिखापढ़ी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेकार गयी । निवेदन यहां पर करना चाहूंगा कि राजस्थान नहर का आजकल कार्य ढीला हो रहा है, माननीय मंत्रीजी आपको तो उसकी खबर ही नहीं है । बैंक किसानों को ऋण देना चाहता है, बैंक तैयार है, पर सरकारी अफसर उन पर काम करने को तैयार नहीं हैं । राजस्थान नहर में आपने अधिकारियों की फौज नियुक्त कर दी है और राजस्थान नहर में कमाण्ड एरिया में अधिकारियों की फौज खड़ी कर दी है, लेकिन वे अधिकारी उस कमाण्ड क्षेत्र में टिकते नहीं हैं, वे जयपुर की ओर भाग भाग कर आते हैं । फिर आपने फौज इस प्रकार की खड़ी कर दी अधिकारियों की कि किसानों

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

के खेतों पर जो हैं घाट बनाने के लिए, पक्की नालियां बनाने के लिए और पक्की नहरें बनाने के लिए उनको कर्जा भी इस प्रकार से नहीं मिल रहा है। आखिरकार यह क्या मखौल है? मैं माननीय मंत्रीजी निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक जो है, वह वर्ल्ड बैंक की सारी योजना बनाई पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए और उस रिपोर्ट को बनाने वाले जो डेनियल बैनर नामक इजराइली विशेषज्ञ ने उस रिपोर्ट को बनाया था वह रिपोर्ट आज भी बीकानेर के दफ्तर में बेकार पड़ी है, आपके अधिकारियों को खबर ही नहीं है। यह क्या तरीका है। राजस्थान नहर का प्रचार तो खूब किया जा रहा है मगर दरअसल में काम कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नहरी क्षेत्र में आम किसान रो रहा है और रो क्यों रहा है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजनेता उन्होंने जमीनें हथिया लीं, गरीब किसानों को वह जमीनें प्राप्त हुई नहीं हैं। बड़े बड़े राजनेता उस नहर को मरोडना चाहते हैं, इन सिंचाई के साधनों को कांग्रेस के दिग्गजों ने हथिया लिया है, इसमें भी उनकी ही चलती है। वे जैसा चाहते हैं पानी को मोड़ लेते हैं। आम किसान की किसी प्रकार से पानी के मामले में चलती नहीं है। निवेदन करना है कि आज आम किसान को जो राहत मिलनी चाहिएं, जमीनों के अलाटमेंट में जो राहत मिलनी चाहिए, पानी मिलने के आधार पर जो राहत मिलनी चाहिए लेकिन कभी भी उसको छूट नहीं है। माननीय सिंचाई मंत्रीजी मैं यह निवेदन करूंगा कि इन्टेंसिटी आफ इर्रिगेशन दुगुनी करने की बात कही जाती है मगर यह कैसे होगी, कब होगी, यह आप सरकारी अफसरों के भरोसे करना चाहते हैं लेकिन यह पानी आगे नहीं बढ़ रहा है। नहर में मिट्टी धंसती जा रही है। पानी बेकार जा रहा है और खेतों के पास पड़ा हुआ पास का किसान को उस पानी के लिए मुंह ताकना पड़ रहा है। निवेदन करना है कि राज्य सरकार को समय समय जितना पैसा देना चाहिए जो पैसा इस योजना पर देना चाहिए, वह दे नहीं पाती है और इसका परिणाम यह है कि साल भर राजस्थान नहर में जो काम होना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय, वह वर्ष भर में तीन माह ही हो पाता है। अब मैं आपके सामने यह प्रश्न रखता हूं कि क्या सरकार वास्तव में ही राजस्थान नहर को जैसलमेर तक ले जायेगी? घोषणायें तो आपकी बराबर होती हैं और राजस्थान नहर के नाम पर तालियां भी पिटवा लेते हैं। सायंकाल को तालियां पीट देंगे ये आपके कांग्रेसी विधायक और मेजें थपथपा कर फर्नीचर और खराब करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि छतरगढ़ में अब नहर को मोड़ा जा रहा है। इसे शिफ्ट करके लूणकरणसर में ला रहे हैं। छः और योजनाएं बना रहे हैं। आखिर कर क्या कर रहे हैं? आप राजस्थान नहर को केवल बीकानेर में ही धसाना चाहते हैं। राजस्थान के वित्त मंत्री-जी श्रीमान चन्दनमलजी वैद के जिले चूरू में राजस्थान नहर को ले जाना चाहते हैं क्या? तो सच तो कह दें कि क्या करना चाहते हैं? वास्तव में ही आप जैसलमेर तक पहुंचाना चाहते हैं राजस्थान नहर को या राजनैतिक आधार पर चूरू में लेजा कर या वर्तमान मुख्य मंत्री महोदय के निवास स्थान बांसवाड़ा जिले में

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ले जा कर धंसाना चाहते हैं ? अब मैं चम्बल क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा ।

(व्यवधान: अश्रव्य)

सारा चम्बल क्षेत्र का प्रोजेक्ट ही बहुत गलत आधार पर बना है, उसमें नमी है । निवेदन करना है कि वहां पर भी कोटा बैराज बना कर सरकार ने बड़ी भयंकर भूल की है । इंजीनियर्स भी यही कहते हैं माननीय मंत्रीजी । निवेदन करना है कि सरकार की हालत वहां पर खराब है और हालत यह है कि कोटा में समय समय पर किसानों के लिए जो परीक्षण किये जा रहे हैं जो वहां पर आविष्कार किए जा रहे हैं, कोटा के किसान समय समय पर किये जाने वाले आविष्कारों से दुःखी हैं । आज यहां पर निवेदन करना है कि सिंचाई की दिशा आखिर क्या है ? कोटा में जितना पानी है इस सम्बन्ध में क्या सरकार ने कभी विचार किया है ? नहीं किया । आपने कहा कि कृषि की उन्नति विश्व बैंक के आधार पर होगी लेकिन जितना पानी है, पानी लोगों को मिलना चाहिए उस ओर विचार नहीं किया । नहरें कच्ची हैं उन्हें पक्का नहीं किया गया और पानी से धंसती रहती हैं और पानी जिसका उपयोग खेतों में होना चाहिए, पानी का उपयोग खेतों में नहीं हो करके वह पानी उस नहर की नालियां बनी नहीं इसलिए उसमें सूख रहा है, खेतों तक नहीं पहुंच पाता है । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसका परिणाम यह है कि पानी जिस किसान को मिलना चाहिए उसको नहीं मिल करके दूसरे किसान के, पास वाले किसान के यहां पहुंच जाता है । अधिकारी उस बारे में चुप हैं, सरकार चुप है । आपकी नहरें कच्ची हैं, जिनमें पेड़ उग आए हैं और पौधे उग आने के कारण पानी का बहाव बराबर कम हो गया । इसका अर्थ यह है कि किसान, माननीय मंत्रीजी, पैसा जमा कराता है पानी लेने के लिए लेकिन उसको पानी नहीं मिलता है ।

मैं अन्त में निवेदन करूंगा कि राजस्थान में कुल 360 टी० एम० सी० पानी है और अभी तक उस 360 टी० एम० सी० में से 172 टी० एम० सी० पानी का ही उपयोग किया गया है । इसलिए मेरा आरोप है वह यह सिद्ध करता है कि राजस्थान में सिंचाई का काम बहुत धीमी गति से हो रहा है । और यह निवेदन करना है कि सतह पर से जल बहता रहता है और इससे उपजाऊ मिट्टी वह जाती है । इसको रोकने के लिए राज्य सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय अन्त में मैं····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह टी० एम० सी० क्या है, माननीय सिंचाई मंत्रीजी बता सकते हैं कि यह टी० एम० सी० क्या है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ··· निवेदन करना चाहूंगा कि इन छहों इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स को एक वर्ष में पूरा किया जाय । दूसरा मेरा सुझाव यह है कि सेई परियोजना के जो कर्मचारी हैं आप उनको अलाउन्स देने की घोषणा करें । तीसरा मेरा सुझाव है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में हर माह कार्य की प्रगति का विवरण आप तैयार करें और अफसरों

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
को उसी क्षेत्र में रहने दें। उन अफसरों पर दूसरे क्षेत्र में आप जाने पर पाबन्दी लगा दें। चौथा मेरा सुझाव माननीय मंत्रीजी यह है कि चम्बल में नहर की सफाई करें व पानी के बहाव को आप दूर करें और पांचवा और अंतिम सुझाव यह है कि 14 करोड़ रुपये की जो आप चुपचाप एक ट्राइबल एरियाज का कार्यक्रम लगाना चाहते हैं एक ही जिले में लगाना चाहते हैं, इससे राजस्थान में और अन्य जिलों में असंतुलन बढ़ेगा, राजनैतिक पक्षपात बढ़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन पांचों मांगों पर आप विचार करें और छहों परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, सेई परियोजना पर कर्मचारियों को अलाउन्स देने के लिए और राजस्थान नहर के कार्य की प्रगति के बारे में

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

चम्बल क्षेत्र की नहरों की सफाई के बारे में और 14 करोड़ के ट्राइबल एरियाज के कार्यक्रम पर आप निश्चित रूप से विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर लाल।

(अनुपस्थित)

श्री प्रद्युम्न सिंह!

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती का प्रस्ताव जो खास तौर से भेजा था उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि सरकार की तरफ से धौलपुर उप जिले के अन्दर लोअर पार्वती पर जो दूसरा बांध बनाना है उसके बारे में सरकार की तरफ से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है उस बारे में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस विषय पर बाद में आऊंगा, मैं कुछ अन्य मुद्दे और यहां पर इस समय उठाना चाहूंगा और माननीय सिचाई मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। जैसी यहां पर जो प्रगति रिपोर्ट सिचाई विभाग की सन् 74-75 की माननीय सदस्यों को वितरित की गई है सिचाई विभाग की तरफ से इसमें आपने स्वयं स्वीकार किया है कि आज के दिन भी राजस्थान के अन्दर एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी ऐसा उपलब्ध है काश्त के योग्य जमीन का जिसके ऊपर सिचाई साधनों की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। और जैसा उन्होंने बताया है कि अभी भी बहुत सा ऐसा पानी बेकार जा रहा है जिसके उपयोग के लिए अभी तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में सबसे अधिक महत्व जो है लघु सिंचाई योजनाओं की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इन योजनाओं को सरकार को हाथ में लेना चाहिए। खास तौर से जिन जिलों के अन्दर जहां पर कि अधिक वर्षा होती है. उस वर्षा के पानी को अगर सरकार रोकने की दिशा में कोई कदम उठाये तो उन छोटे छोटे बांधों के जरिये उस पानी को रोका जा सकता है और उससे अधिक क्षेत्रफल सिचाई के लिए मिल सकता है, काश्तकारों को लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने इस आने वाले साल के अन्दर लघु सिचाई कार्य के लिए जो भी प्रावधान किया है वह ना के बराबर है। बहुत थोड़ी धनराशि

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

का प्रावधान किया है। तो माननीय मन्त्री महोदय, मैं जानना चाहूंगा खास तौर से भरतपुर जिले के अन्दर, अलवर जिले के अन्दर, सवाई माधोपुर जिले के अन्दर, जयपुर जिले के अन्दर और जो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं जहां वर्षा अधिक होती है वहां पर इस साल में आप कौनसा कार्य क्रम हाथ में लेने जा रहे हैं ? माननीय मन्त्री महोदय जब आप उत्तर देंगे तब आप अपना विचार इस सम्बन्ध में बताने की कृपा करें और उन जगहों के नाम भी बतावें जहां पर आप लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम लागू करने जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमारी तरफ योजना लागू करने के लिए पिछली बार भी मैंने माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था लेकिन खेद की बात है कि आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। टेल के जो गांव हैं उन तक पानी नहीं पहुंच पाता है और बीच में ही प्रभावशाली काश्तकार नहर काटकर पानी अपने खेतों में ले लेते हैं। टेल के गांवों में भी पानी पहुंचना चाहिए लेकिन होता ऐसा नहीं है। जो बड़े काश्तकार हैं, इस प्रकार के तो प्रभावशाली काश्तकार हैं जो झगड़े फसाद कर सकते हैं वह पहले ही नहरों को काटकर पहले पानी ले लेते हैं और टेल के जो गांव हैं, उनको पानी नहीं पहुंचता यह मैंने पिछले साल भी निवेदन किया था और मैं यह कह सकता हूं कि पिछले कई सालों तक टेल के गांवों को पानी नहीं मिला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो भी सुझाव माननीय सदस्यों की तरफ से आते हैं उनपर सरकार कोई ध्यान नहीं देती है और वही पुरानी प्रक्रिया चली आ रही है। माइनर इर्रिगेशन की कई योजनाएं होती हैं पर कोई भी ठोस कार्यवाही विभाग की ओर से नहीं की जाती है। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय मैं आपके विभाग की तरफ से यह जानकारी करना चाहता हूं कि पूर्वी जिले के अन्दर धौलपुर सब डिविजन में या भरतपुर में नहरों को काटकर जिन्होंने पानी लिया उनमें से कितनों के खिलाफ आपने अदालत में चालान पेश किये। यह निश्चित है कि आपने उनमें से किसी के भी खिलाफ कार्यवाही नहीं की। मैंने पिछली बार एक कैनाल मजिस्ट्रेट बनाने के लिये सुझाव भी दिया था जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में है लेकिन वह भी नहीं हुआ, यहां पर अदालत के मजिस्ट्रेट के पास ही यह मामले जाते हैं जिनके पास पहले से ही बहुत काम है और पहले तो कोई चालान पेश ही नहीं किया जाता है। और भूले भटके कोई चालान पेश भी हो गया तो आपके विभाग के अधिकारी कोई पैरोकारी नहीं करते हैं और न कोई दिलचस्पी ही लेते हैं। टेल के काश्तकार जो हैं वह एक गरीब तबके के काश्तकार हैं उन लोगों को जो नहर का लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है और जो मालदार काश्तकार हैं, जो प्रभावशाली काश्तकार हैं वह नहर को बीच में ही काटकर अपने खेतों में पानी ले लेते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिये वे कोई शीघ्र ही कार्यवाही करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि चम्बल का जो पानी है खास तौर से वह गर्मियों में उसमें इतना पानी, बहता रहता है कि उससे आसानी से सिंचाई की जा सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई टेकनिकल आदमी तो हूं नहीं, मैंने वहां के चम्बल के इन्जीनियरों से बातचीत की है,

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

उनका मत है कि चम्बल के पानी को लिफ्ट करके, लिफ्ट इरिंगेशन के जरिये सिंचाई की जा सकती है और धौलपुर सब-डिविजन और भरतपुर तक का इलाका इससे सरसब्ज हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार की एक थोथी और फालतू दलील है कि लिफ्ट इरिंगेशन खर्चीला है, वह मंहगा पड़ता है और उसमें खर्च अधिक होता है इसलिए लिफ्ट इरिंगेशन के प्रोजेक्ट सरकार हाथ में नहीं लेना चाहती। माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि चम्बल की लिफ्ट इरिंगेशन प्रोजेक्ट मंहगी पड़ती है तो क्या राजस्थान में और कहीं भी लिफ्ट इरिंगेशन की योजना चालू नहीं की गई है और जिलों में भी आपने इतना खर्चा इन प्रोजेक्ट्स पर किया है तो फिर क्या कारण है कि आप चम्बल के पानी पर लिफ्ट इरिंगेशन की स्कीम आरम्भ नहीं करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन बातों से यह साफ जाहिर होता है कि हालांकि मैं इस बात में कतई विश्वास नहीं करता हूं लोग जिस किस्म की बात करते हैं और क्षेत्रीय असन्तुलन की बात करते हैं लेकिन मैं इस बात में विश्वास करने वालों में से नहीं हूं। परन्तु जब इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और रवैया सामने आता है तो लगता है कि जरूर इस बात में भी कुछ तथ्य नजर आता है इस तरह की आशंका होती है। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय कि क्या आपने हमारे यहां लिफ्ट इरिंगेशन के बारे में सर्वे कराया, मैं कह सकता हूं कि आपने चम्बल के बारे में कोई सर्वे नहीं कराया। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं मंत्री महोदय कि आपको चम्बल में बहुत दूर से पानी को लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा इसलिए आप इसके बारे में क्या करना चाहते हैं, यह आप सोचिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने चम्बल के पानी का इस्तेमाल नहीं किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार चम्बल के पानी को रोककर बटेश्वर के पास एक बांध बनाना चाहती है और यदि उन्होंने मंजूरी ले ली और सफल हो गये तो उस हालत में क्या स्थिति बनेगी इस पर विचार किया जा सकता है। तब आप कहां रहेंगे उस पानी को आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जो इतने बड़े इलाके का पानी बहता है उस पर दूसरों का कब्जा हो जायगा और आप देखते रह जायेंगे। राजस्थान के लिये आज चम्बल में एक-एक बूंद पानी का बहुत महत्व है हो सकता है कि किसी जिले में हो, रेगिस्तान में नहीं है, जिन जिलों में पानी की व्यवस्था है वहां पर आप क्या करने जा रहे हैं मैं गुड़गांव कैनाल की बात कहता हूं, कितने बड़े इलाके को लाभ मिलेगा उससे परन्तु जो आपकी प्रगति है वह बहुत धीमी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह यह बताने की कृपा करेंगे कि आप उसको कब तक पूरा कर सकेंगे और क्या आप उस पानी से हमारे इलाके को भी लाभ पहुंचाने की स्थिति में हैं? क्या आपने यह सर्वे कराया है इस बारे में जानकारी चाहता हूं।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्रेश प्रोग्राम के अन्दर आपने बहुत से जिलों के अन्दर माइनर इरिंगेशन प्रोजेक्ट्स हाथ में लिये हैं और सिंचाई बांधों का निर्माण का काम कराने के लिये आपको लाखों रुपये खर्च करने पड़े। आपके विभाग के अधिकारियों की देखरेख में ही यह कार्य हुआ। लेकिन कई बांध अभी भी अधूरे पड़े हैं उनका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। हो सकता है क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत यह पैसा आपको भारत सरकार से मिला हो लेकिन यह राजस्थान का ही नहीं

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

हिन्दुस्तान की जनता का पैसा है इस पैसे को कैसे बरबाद होने दिया जायगा और जो खर्च हो चुका है उसके बारे में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। क्या आप वहां के लोगों को भी पानी देने का इरादा रखते हैं और अगर आपका इरादा है तो माननीय मंत्री महोदय, इस बारे में एक निश्चित नीति की घोषणा करेंगे और उन कामों के लिए भी प्रावधान रखने की कृपा करेंगे, यह मेरी मांग है। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक बात की जानकारी और चाहता हूं कि आपके डिपार्टमेंट के अन्दर देखें, अधिकारी, ओवरसियर, इन्जीनियर, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर और सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर बेशमार तादाद में हैं जिनके पास कोई भी काम नहीं है न वे कोई काम करते हैं। ऐसे कई ओवरसियर फालतू हैं, जो सरप्लस हैं उनके लिए दुनिया भर की पोस्टें क्रिएट करके हजारों रुपया बरबाद किया जा रहा है, उनकी तनख्वाहों पर और उनके भत्तों के लिये करोड़ों रुपया बरबाद हो रहा है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी, आज नहीं कह रहा हूं यह तौर तरीके पिछले साल से चले आ रहे हैं इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस बारे में भी आप आज तय कर दें कि आयन्दा बैन लगा देना चाहिए कि कोई नई भर्ती या रिक्रूटमेंट नहीं किया जायगा। जितने भी फालतू आदमी हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है उनको काम दिया जायगा और नई पोस्ट क्रिएट करके कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं किया जायगा इससे जो पैसा बचेगा वह माइनर इरीगेशन के काम में लगाया जाय तो आपके विभाग के लिए एक बहुत ही शानदार उपलब्धि रहेगी और इसलिए मेरा सुझाव है और मैं यह मांग करना चाहता हूं कि आपका विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, इसके साथ ही मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। आपने जो यह कर रखा है कि आप यहां से किसी ओवरसीयर को राजस्थान कैनाल पर भेजते हैं, उसका ट्रान्सफर करते हैं और राजस्थान कैनाल पर कोई ओवरसीयर, असिस्टेन्ट इन्जीनियर जाना नहीं चाहते हैं। इसकी कोई मुकम्मिल व्यवस्था आपको करना चाहिये। इसके लिए आप राजस्थान कैनाल ऑथोरिटी के चीफ इन्जीनियर और इर्रिगेशन के चीफ इन्जीनियर का ज्यूरिस्डिक्शन अलग अलग कर दें और कोई एक दूसरे के काम में दखल न करें। इसकी व्यवस्था आप करें ताकि वहां का काम सफर न हो। यह आपने दुनिया भर के फालतू इन्जीनियर भर रखे हैं और ये ओवरसियर आज मारे मारे फिर रहे हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इनके पास कोई काम नहीं है।

उपाध्यक्षजी, इन्हीं शब्दों के साथ, जो सुझाव मैंने यहां पर दिए हैं, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि लोअर ती के बारे में जो कटमोशन मैंने दिया है उसकी सर्वे के लिए, जिसके लिए काफी दिनों पहले तत्कालीन मुख्य मंत्री ने आर्डर दे दिये थे और आपने उसके लिए प्रावधान भी किया था, उसकी क्या प्रगति है, उसकी क्या कीमत आने वाली है और उससे कितने एकड़ में सिंचाई होगी, कृपा कर बताएंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और किसी प्रोजेक्ट से यह सबसे ज्यादा सस्ता प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के बनने से करीब 30-35 हजार एकड़ भूमि सिंचित होगी और जिसकी कुल लागत दो ढाई करोड़ होगी। दस दस करोड़ के प्रोजेक्ट यह सरकार हाथ

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
में ले रही है और जिनसे कुल 8-10 हजार एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हो पाएगी और दूसरी तरफ ढाई करोड़ के प्रोजेक्ट से 30-35 हजार एकड़ का रकबा सिंचाई क्षेत्र में आ जायेगा, उस योजना को हमारी सरकार हाथ में नहीं ले पा रही है तो यह हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य के अलावा और क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, . . .

श्री रामकिशन : दुर्भाग्य की बात अब कह रहे हो। वोट दिया तब होश नहीं था?

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : सर्वप्रथम तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह सिंचाई का जो विभाग है, उसके सम्बन्ध में मैं पूर्वी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के आस पास के जिस क्षेत्र से आता हूं, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पहले राजाशाही के जमाने में हमारे यहां पर जो सिंचाई होती थी, इस जनतंत्रीय सरकार ने, इस गरीबों की और किसानों की हिमायती सरकार ने उस सिंचाई को बंद कर दिया है। जमुवा रामगढ़ के बांध से तहसील दौसा, बस्सी और जमुवा रामगढ़ के किसान अपने खेतों की सिंचाई करते थे परन्तु इस सरकार ने अपनी अकर्मण्यता और अयोग्यता का परिचय देकर जयपुर नगर के लिए कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं की और जिस बंधे के पानी से पहले खेतों की सिंचाई होती थी, उस पानी को जयपुर शहर में पीने के लिये काम में लिया जा रहा है। इस तरह हमारी पूर्वी राजस्थान में, जयपुर जिले की जिन तीन तहसीलों में सिंचाई होती थी, वह सिंचाई का साधन छीन लिया गया इस सरकार के द्वारा। आजादी से पूर्व जितनी सुविधाएं थीं, जितने क्षेत्रों में सिंचाई होती थी वह बंद हो गई। आजादी के बाद करोड़ों रुपये, अरबों रुपये पूर्वी राजस्थान की जनता से टैक्स के रूप में लेने के बाद भी सिंचाई के क्षेत्र में, उसके रकबे में हमारे यहां पर कमी आयी है। इसलिए मैं इस सरकार पर स्पष्ट आरोप लगाता हूं कि यह राजस्थान की सरकार जनता की सरकार भले ही कहलाये परन्तु यह सरकार दक्षिण-पश्चिमी राजस्थानियों की सरकार है और यह सरकार अधिकतर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के हित के काम ही कर रही है और जितना भी शोषण पूर्वी राजस्थान का हो सकता है, वह करती है।

मान्यवर, जमुवा रामगढ़ के बंधे के सम्बन्ध में इस साल हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने एक बहुत ही जोरदार मजाक किया है। कर्नाटक के गवर्नर साहब को छोड़ने के लिए हमारे मुख्य मंत्री महोदय दौसा पधारे थे और उस समय दौसा की जनता ने आपसे मुलाकात की थी। उस मुलाकात के समय, पता नहीं क्या मुख्य मंत्री महोदय की मजबूरी थी, मुख्य मंत्री महोदय ने प्रेमपूर्वक बात की और बातों ही बातों में उन्होंने इस बात को मान लिया कि हम आपको जमुवा रामगढ़ के बांध से खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी देंगे। इस बात को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने, इस एश्युरेन्स पर राजनैतिक फायदा उठाया और वहां की जनता को बसेज में भर कर मुख्य मंत्री महोदय के पास जयपुर लाये। इस मुलाकात के समय मुख्य मंत्री ने इन किसानों को यह आश्वासन दिया कि जमुवा रामगढ़ के बांध से आपके खेतों की सिंचाई होगी। इस

(श्री मूलचन्द सामरिया)

आश्वासन पर किसानों ने जितनी खेती वे अपने कुए से सिंचाई की करते थे उससे दस, बीस गुना खेती बढ़ा दी और चना, गेहूं और जौ की फसल इस उम्मीद पर बो दी कि आखिर यह आश्वासन हमारे मुख्य मंत्री ने दिया है। परन्तु खेद है कि इस आश्वासन को हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने पूरा नहीं किया। सर्वोच्च सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति का यह आश्वासन है। नतीजा यह रहा कि लाखों रुपयों का खाद, बीज और बुवाई का खर्चा काश्तकारों का हो गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय ने दौसा की जनता के साथ यह मखौल क्यों किया ? दौसा की जनता हमेशा से विरोधी एम०एल०-ए० को जिताती रही है तो क्या इसका ही बदला लिया गया है ? और इस बदले के रूप में लाखों रुपयों का खर्चा, नुकसान किसानों का करा दिया इस अकाल के समय में ? मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा लज्जास्पद बात और कोई नहीं हो सकती है। मुख्य मंत्री को अपने आश्वासन पर वहां के किसानों की क्षतिपूर्ति करना चाहिये। अगर क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है तो यह सरकार के लिए लज्जाजनक बात है। मुख्य मंत्री यह घोषणा करें कि अमुक अमुक परिस्थितियों के कारण वे अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाये हैं और उनके आश्वासन से जिन-जिन किसानों को नुकसान हुआ है उसकी वे क्षति पूर्ति करेंगे ताकि किसान लोग जो नुकसान उनका हुआ है उससे बच सकेंगे।

मान्यवर, जब कभी सरकार के सामने पूर्वी राजस्थान और विशेष कर जयपुर जिले में सिंचाई के साधन बढ़ाने की बात आती है तो यह कहा जाता है कि यहां पर पानी के सोर्सेज नहीं हैं। लेकिन जब पानी के सोर्सेज के बारे में बात की जाती है तो यह सरकार फिर कोई जवाब नहीं देती है। एक तरफ यह कहा जाता है कि पूर्वी राजस्थान में कोई नदी नहीं है जिस पर कि बांध बनाया जा सके और सिंचाई के साधन मुहय्या करवाये जा सकें लेकिन जब बनास नदी पर बांध बनाने की बात आती है तो यह सरकार धनाभाव का कारण बताती है। जब चांदना के बांध को ऊंचा करने की बात कही जाती है, सरकार कहती है धनाभाव है। इसमें भी सरकार के सामने धनाभाव आ जाता है। हर साल यह जवाब मिलता है और अपने जवाब में सरकार कहती है, वह सजग है सतर्क है। इस तरह का जवाब देकर आप अपने काम की छुट्टी समझ लेते हैं। जहां जहां बांध बन सकते हैं और जहां पर बांध बने हुए हैं वहां पर यह सरकार काम नहीं कर रही है। जिन योजनाओं के लिए हम कहें कि यहां पर सोर्स आफ वाटर है, बांध बनाया जाये, उस पर यह सरकार काम नहीं करती है। इसके बाद आगे कदम बढ़ावें तो यह सरकार कह देती है पूर्वी राजस्थान में पानी के स्रोत नहीं हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जितने साधन उपलब्ध हैं, क्या उन साधनों का आपने यूटिलाइजेशन कर लिया है ? क्या उन पर आपने बांध बना लिये हैं ? एक योजना है। लाखों रुपया खर्च करके वह आपके टेबुल पर आ गई है लेकिन यह सरकार उस योजना को कार्यान्वित करके जयपुर को पेयजल उपलब्ध नहीं कर रही है। यदि यह बनास योजना पूरी हो जाये तो जमुवा रामगढ़ के बांध से सिंचाई हो सकती है जिसको कि आपने सिंचाई विभाग से लेकर आज वाटर वर्क्स को दे रखा है। मैं समझता हूं कि सिंचाई मंत्रीजी कमजोर हैं और वे किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर सके हैं और उनके खेतों को ऊसर कर दिया

Page No 115

(115)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

है। बीसलपुर बांध को कार्यरूप में परिणत करने की बात है। अगर यह बांध बनता है तो इससे जयपुर को पीने का पानी मिलेगा, अजमेर को पानी मिलेगा, ब्यावर को पानी मिलेगा और इसका नतीजा यह होगा कि जमुवा रामगढ़ के बांध का पानी यहां के किसानों को सिंचाई के लिए रिलीज हो सकेगा।

इसके बाद आपके यहां 7 मील की दूरी पर ढूंढ नदी है। जिसका वरसात का पानी बहकर निकलता है। उस पर बांध बनायें तो जयपुर के लिए पीने के पानी की आप योजना कर सकते हैं। इसके बाद जमुवा रामगढ़ और बस्सी के लिए लिफ्ट इरिगेशन की योजना आप कर सकते हैं। लेकिन आप नहीं करेंगे। क्योंकि आप जो करते हैं, राजनैतिक दृष्टिकोण से करते हैं। सामान्य आधार पर नहीं करते हैं। आप इसके लिए इच्छा भी नहीं रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार की कांग्रेस सरकार है और हमारे क्षेत्र के लोग जो कांग्रेस में बैठे हुये हैं वह सरकार पर कोई दवाब नहीं डालते हैं। अगर वह दवाब नहीं डालते हैं तो क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह दवाब के अभाव में स्वयं ही उसकी पूर्ति के लिए आगे आयें? क्या सरकार खुद यह काम अपनी ओर से नहीं कर सकती है। जब बताया जाता है तो कहते हैं कि साधनों का अभाव है और जब साधन बताये जाते हैं तो उन पर काम नहीं कराया जाता है। बहुत इजाफा जयपुर में है। तो मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय आप देते समय सरकार से कह लावें। आजादी से पूर्व जयपुर जिले में कितने क्षेत्र में सिंचाई होती थी और आजादी के बाद में कितने क्षेत्र में सिंचाई हुई है। तो मैं समझता हूं कि सरकार की जो दुहरी नीति है, उसका पता चलेगा। आपके बताये गये आंकड़ों से भी। दौसा पंचायत के प्रधान पर दवाब डालकर आप घोषणा करवाते हैं कि दौसा 20 हजार रुपया दे तो आप यह करेंगे कि जिससे पूरे बस्सी में सिंचाई हो जायेगी। उन चारों बांधों में से एक भी बूंद पानी नहीं छोड़ा है। आज दौसा से 100 मील दूर से पानी आता है। पशुओं के पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है। इस प्रकार की हालत हैं। एक माहेश्वरा बांध है। उसमें ढाई तीन लाख खर्च कर सकते हैं तो उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। तो जो जमुवा रामगढ़ का पानी पीने के लिए किया है तो उससे लोगों को राहत मिल सकती है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, कि पूर्वी क्षेत्र के लिए आप कठोर हृदय की नीति नहीं अपनायें। और मानवता के नाते यह समझ लें कि उधर के लोग दवाब नहीं देते हैं तो जिनके द्वारा आप लैण्ड रेवेन्यू वसूल करते हैं, मैं इसके लिए आपसे भीख भी नहीं मांगता हूं। आज जो रेवेन्यू आता है, उसमें 48% जयपुर डिविजन देता है। उसके बाद आप सिंचाई पर कितना खर्च करते हैं? अगर आप यह देखेंगे तो आप खुद इसके लिए लज्जित होंगे। और कुछ न कुछ करने के लिए आप मजबूर होंगे। आप यह कहें कि कितना खर्चा आपने किया है। मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि किसान कई संकटों से घिरा हुआ है। वह कहीं से भी दो रु० में या तीन रु० में ऋण ले लेता है। जहां से उसको मिलता है। रिश्तेदारों से ले लेता है। लेकर के वह अपनी जमीन पर कुआ बनाता है। आप उसको सिंचित मानकर, उससे पैसा लेते हैं। वह अपने लिये हुये ऋण पर व्याज भी देता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो कुए खोद कर सिंचाई के साधन पैदा करता है उनके ऊपर आपको अधिक लगान ले

(श्री मूलचन्द सामरिया)
लेने का अधिकार नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जयपुर जिले में एकमात्र साधन यह हुआ है। मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो बिजली में कटौती हुई है, उससे किसानों के पम्पिंग सेट खराब हो रहे हैं। बार बार ट्रिपिंग हो रहा है। इससे बहुत खराबी पैदा होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सिंचाई के लिए व्यवस्था कराई जाये। मैं अन्त में निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार से जो मांग आप करते हैं, उसमें आप असफल रहते हैं। एक राजस्थान की योजना को केन्द्रीय योजना से स्वीकार करा दें तो राजस्थान की जनता का भला हो सकता है। राजस्थान की जनता पर अधिक भार है वह कम हो सकता है। और, इससे जनता को भी लाभ मिल सकता है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार पर कोई दबाव नहीं डाल सकती है। राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार के सामने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकती है। लेकिन उनके सामने गिड़गिड़ा सकती है। अगर आप केन्द्रीय सरकार से अपनी योजना को स्वीकृत करवा सकते हैं तो जो यह अकाल पड़ते हैं, उनको स्थायी रूप से हटा सकते हैं। तो केन्द्र से योजना को पूर्ण कराना चाहिए। अगर आप दृढ़ता-पूर्वक कहेंगे तो केन्द्रीय सरकार इन्कार नहीं कर सकती है। कई बार यहां पर रेगिस्तान के और जयपुर शेखावाटी के प्रश्न उठते हैं। कहा जाता है कि यहां पर गंगा का पानी आयेगा, जमुना का पानी आयेगा। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि कौन लायेगा? कौन दबाव डालेगा? कौन मजबूर करेगा? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह सब कल्पना है। हम तो इस डिपार्टमेण्ट को देते ही देते हैं। लेने का मौका नहीं है। इसलिए मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि ईश्वर के लिए ही सही, अगर कांग्रेस एम० एल० ए० दबाव नहीं देते हैं तो न दें, पूर्वी राजस्थान के लिए आप ध्यान दें तो यह बहुत अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के विभाग के पहले में पहले राज्य का यह विभाग है, यह सूचना देने वाला विभाग है, उस पर कहूंगा। यह हमारे सिंचाई मंत्रीजी चाहते हैं कि राजस्थान के जो विधायक हैं उनको पूरी सूचना न रहे, इसलिए एक इन्फार्मेन्ट्री सूचना के तौर पर, चार पांच पेम्फलेट के रूप में छाप कर विधान सभा के सदस्यों के पास एक दो दिन पहले भेज देते हैं, जिससे कोई नतीजा नहीं निकल सके और जिसके मन में जो आये बोल कर चला जाय। बिना काम, बिना योजनाओं के अदूरदर्शिता से चल रहे हैं यह इसमें बताते नहीं। एक तो देखिये, राजस्थान नहर परि-योजना का आया है और एक सिंचाई विभाग राजस्थान से आया हुआ है, इनमें आंकड़े हैं, लेकिन इस विभाग ने यह कष्ट नहीं किया है कि पड़ौसी राज्यों में या अन्य राज्यों में किस ढंग की योजनायें बनी हैं, लघु सिंचाई की कितनी योजनायें बनी हैं और उनकी तुलना में राजस्थान ने कितनी प्रगति की है। कुछ नहीं। दो चार पांच आंकड़े देकर समाप्त किया है उन्होंने। माननीय मंत्री ठण्डे स्वभाव के हैं, शीतल स्वभाव होने की वजह से वे एक्शन नहीं ले सकते। मेरा निवेदन है, सभी विभागों की यह हालत है। लेकिन मध्य प्रदेश का प्रकाशन है, इससे एट ए

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

ग्लान्स राजस्थान के इस विभाग के बारे में ज्यादा जाना जा सकता है बजाय इसके। राजस्थान का उसमें पाइन्ट है। उसमें यह है कि राजस्थान का सिंचाई का प्रतिशत नागालैंड को छोड़ कर देश में सबसे कम है। यह उसमें आप पा सकते हैं। यह दुर्भाग्य है।

दूसरे सिंचाई विभाग में प्रारम्भ से लेकर जो योजनायें बनीं, वह कितनी योजनायें बनीं, कितनी योजनायें छोड़ दी अदूरदर्शिता से बनाने के कारण या राजनैतिक आधार पर या अर्थाभाव में—इसका उल्लेख नहीं है। मैं सोचता हूं जिन कार्यों को हाथ में लेते हैं, योजना प्रारम्भ में रखी जाती है, योजना अच्छी होती है, अगर उसको कार्यान्वित किया जाय, अगर उस पर व्यर्थ पैसा खर्च न किया जाय। मैं समझता हूं, ऐसा समाधान ढूंढा जा सकता है। आज राजस्थान की स्थिति है, प्रति वर्ष अकाल टपकता है, अकाल के नाम पर राजस्थान में दो सौ करोड़ रुपये मिट्ठी को उठा कर सड़कों पर डालने में साफ कर दिये लेकिन स्थायी रूप से राजस्थान में अकाल की समस्या है, उस समस्या का समाधान नहीं कर पाये। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, पाइन्टेडली यह कहना चाहता हूं, उदयपुर झील का नगर माना जाता है। कभी पानी की समस्या वहां होती नहीं। ऐसे नगर के अन्दर दो वर्ष पूर्व तालाब सूख गये। सूखे तालाबों में अधिक पानी कैसे स्टोरेज किया जाय– यह राज्य के इस विभाग का काम था। लेकिन राज्य के इस विभाग का इस ओर ध्यान नहीं, उसको चिन्ता नहीं, वह सोचता नहीं कि कैसे पानी का अधिक स्टोरेज किया जाय। कोई विचार नहीं। हां पानी आया और सूखे हुए तालाब कुछ घण्टे में भर गये। और पानी आया और चला गया। एक ओर पानी के अभाव में पानी के लिए तरस रहे हैं, प्यासे हैं, दूसरी तरफ पानी आये और चला जाये, उसको आप इकट्ठा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति क्यों बनी ? हमारे पास कोई योजना नहीं। स्वर्गीय मुख्य मंत्री को मैंने कहा था, तालाबों को चौड़ा करें, खुदवायें, तालाबों को कुछ गहरा करें ताकि पानी अधिक स्टोरेज हो। लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। इसके साथ ही निवेदन है कि एक देवपास की योजना बनाई, चार करोड़ की योजना थी। प्रथम चरण समाप्त हो गया। दूसरे चरण के ऊपर, आपके विभाग के आंकड़ों के हिसाब से पांच छः लाख सर्वे पर खर्च हो गये। लेकिन योजना आधे में छोड़ दी। प्रथम चरण समाप्त होकर एक करोड़ खर्च होने के बाद बेकार पड़ा है। ऐसा था तो इसको प्रारम्भ न करते, प्रारम्भ करते हैं तो पूरा करते, पूरा करते तो उसका लाभ उदयपुर के सारे डिवीजन को मिल सकता है। लेकिन इस प्रकार की परिस्थितियां बनाने से एक दिन ऐसा आ सकता है, अजमेर, ब्यावर में पानी की किल्लत है, पानी के अभाव में परेशान हैं वह स्थिति उदयपुर में आ सकती है आपकी अदूरदर्शिता के कारण, आपकी ऐसी योजानाओं के कारण हम कुछ नहीं कर पाते हैं। एक तरफ अर्थाभाव बता रहे हैं, योजना छोड़ रखी है, दूसरी तरफ सिंचाई विभाग का गेस्ट हाउस बनता है। क्या मंत्रीजी वहां पर रहेंगे ? साढ़े चार लाख का गेस्ट हाउस बनाने की क्या आवश्यकता थी ? फिर वह भी बना नहीं, पूरे कमरे बने नहीं, उसका काम लटक रहा है, एक दो कमरे बनायें – उस पर साढ़े चार लाख खर्च करने की क्या जरूरत थी ? अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

वहां है, पी० डब्ल्यू० डी० का बना हुआ है। फिर कहां से यह साढ़े चार लाख आया, किसने खर्च कर लिया, क्यों किया ? किसी को पूछते हैं। किसी का कोई ध्यान नहीं है। इससे तो राजस्थान में न अकाल का स्थायी निदान कर सकते हैं, न योजनाओं को कार्यान्वित कर पाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दूसरा राजस्थान नहर परियोजना का है। मैं वर्षों से सुनता आ रहा हूं, भूतपूर्व मुख्य मंत्री कहा करते थे कि राजस्थान में पानी के जहाज चलेंगे। राजस्थान में पानी के जहाज चलेंगे, वह सपना कब पूरा हो पायेगा ? आज तो पानी के जहाज के बजाय रेगिस्तानी इलाका वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपया खर्च हो गया लेकिन काम हुआ नहीं। आप यह राजस्थान कैनाल पर जाकर देखिये। मैंने सिंचाई मंत्री का वक्तव्य पढ़ा था, राजस्थान कैनाल का प्रथम चरण समाप्त हो गया। लेकिन अब तक समाप्त हुआ नहीं है। अगर अखबार में स्टेटमेंट गलत छापा तो कैसे छापा ? उसका कोई कान्ट्रेडिक्शन भी नहीं आया। फिर देखा कि राजस्थान कैनाल का प्रथम चरण समाप्त नहीं हुआ है। वहां यह स्थिति देखी कि पैसे के अभाव में काम रुका हुआ पड़ा है। पंजाब में देखें, हरियाणा में देखें, व्यास और सतलज का लिंक प्रोजेक्ट है, बारह सौ फीट ऊंचा पानी दोनों नदियों को मिलाने का काम, पहाड़ के बीच में से निकालने का काम, लगभग 13-14 किलो मीटर टनल बनाने का काम और उसमें से पानी निकाल कर 13–14 किलो मीटर लम्बी चौड़ी टनल खोदकर पानी स्टोरेज करके काम करने जा रहे हैं। और हम एक कैनाल को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। मंत्रीजी के लिए कहना चाहूंगा, वह गये या नहीं, लेकिन वहां हमारा इन्ट्रेस्ट वाच करने के लिए व्यवस्था नहीं है। इन्होंने पर्सेन्टेज बताया है, 34.79 करोड़ का हमारा हिस्सा है। मैं पूछना चाहूंगा, मैंने जाकर देखा है, वहां हमारे इन्ट्रेस्ट को वाच करने के लिए कोई आफिसर है ? हमारे जितने लोग बैठे हैं, उनको पता नहीं, यह खर्च कहां हो रहा है, क्या हो रहा है। केवल वहां बैठे हैं। हमारी तरफ से विभाग खुला हुआ है। किसी को दण्ड देना है इंजीनियर को, क्लर्क को तो वहां भेज दें। वहां जंगलों में पड़े रहें और बैठे रहें। राजस्थान का इन्ट्रेस्ट वाच करने के लिए व्यवस्था नहीं है।

मैं कहना चाहूंगा, आप कम से कम अपने राजस्थान के लेवल पर एक हिम्मत करके कुछ करोड़ रुपया खर्च करके एक योजना ले लीजिये और इस कैनाल को पूरा कर लीजिये चाहे वह केन्द्रीय योजना के रूप में ले लीजिये, चाहे नेशनल प्रोजेक्ट मान कर ले लीजिये, लेकिन इसको कम्पलीट कीजिये। इससे राजस्थान एक बात से सुरक्षित हो सकता है, अकाल के स्थायी हल की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से। दूसरे हिन्दुस्तान पाकिस्तान के बीच में, लाहौर और पंजाब के बीच में, जहां हिन्दुस्तान का हिस्सा है, वहां पाकिस्तान की इच्छोगल नहर बनी हुई है, वहीं राजस्थान नहर बन जायेगी तो पाकिस्तान आसानी से हमला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखा जाय तो इससे उत्पादन बढ़ सकता है। दोनों दृष्टिकोण से यह उपयोगी प्रोजेक्ट है जिसको किसी भी

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

तरह राष्ट्रीय लेवल पर बना कर करना चाहिए ।

मैं अन्त में सिंचाई मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा, इस विभाग का शुद्धिकरण करें । ऐसा अनुभव में आया है, अन्धाधुन्ध ट्रान्सफर होते हैं । कोई पूछने वाला नहीं है । एक बार पढ़ने को मिला, एक ओवरसियर का ट्रान्सफर कर दिया, बेचारा गया लेकिन डिपार्टमेंट में किसी ने सुनवाई नहीं की । वह रहने वाला था जोधपुर का, उसको भेज दिया माही, उसने रेल्वे से कट कर सुसाइड कर लिया, आत्महत्या की । आत्महत्या की घटनायें इरिगेशन विभाग में सुनने को क्यों मिलें – इसकी जांच करनी चाहिए । तो मेरा निवेदन है कि अनावश्यकरूप से स्थानान्तरण न हों । दूसरे शुद्धिकरण के बारे में देखना चाहिए, कौन व्यक्ति है जो दस पन्द्रह वर्ष से एक स्थान पर जैसे चिपका बैठा है । क्यों बैठा है ? क्या इन्ट्रेस्ट है ? उसका स्थानान्तरण करना चाहिए । और लोगों को खाली परेशान करने के लिए, हरेस करने के लिए स्थानान्तरण की नीति न अपनायी जाय ।

दूसरे इस विभाग के अन्दर मेरा अनुमान है, पहले लगभग डेढ़ सौ से ज्यादा गबन के कैसेज थे । गबन के कैसेज बड़े बड़े इंजीनियर के ऊपर हैं, जिसमें एक्जीक्यूटिव इन्जीनीयर हैं । एक्जीक्युटिव इंजीनीयर सस्पेंड हो जाता है । उसके बाद मिलीजुली भगत के कारण री-इन्स्टेट हो जाता है । मैं मंत्री महोदय को कहूंगा, ऐसे कैसेज में, जिसके ऊपर गबन के चार्जेज हों, आप रियायत न करें । एक्शन लें । एक बार यदि आपने किसी के ऊपर कठोर कदम उठा लिया तो इस प्रकार गबन के कैसेज विभाग में नहीं होंगे । मुझे एक उदाहरण याद है, आपके विभाग का फेमिन के अन्दर भरतपुर में एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पकड़ा गया था, एक अजमेर का था । उनके नामों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है । लाखों के गबन का आरोप था । लेकिन वापिस री-इन्स्टेट हो गये उनके खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है, या तो उसको फाइनल कर लीजिये कि कोई चार्ज नहीं है । लेकिन कोई चार्ज लगा हुआ है और सस्पेन्ड कर देते हैं लेकिन फिर री-इन्स्टेट कर देते हैं । इस प्रकार की अव्यवस्थाओं को देखते हुए आप विभाग का शुद्धिकरण करें । गबन के कैसेज वालों को हटायें । जिन पर आरोप हैं उनको पुलिस में दे दें, एन्टी-करप्शन में दे दें लेकिन लैप्सिज करने की कोशिश न की जाए तो विभाग का शुद्धिकरण हो जाएगा और जो अनावश्यक व्यय होता है वह भी नहीं होगा । इन सब बातों पर, आशा है, मंत्री महोदय ध्यान देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल ।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : हमारे राजस्थान की विशेषकर ऐसी भौगोलिक स्थिति है जिसमें ज्यादातर रेगिस्तान है, ऐसी सिंचित भूमि है जिसको सिंचित करना बहुत ज्यादा जरूरी है । राजस्थान में भी वही स्थिति है कि बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ता है और बारिश होती है तो पानी बहकर समुद्र में चला जाता है । तो बारिश के पानी को रोका जाए और अच्छी तरह से उसका उपयोग

(श्री मीठालाल मीणा)

किया जाए। या तो छोटे बांध बनाकर उनमें इकट्ठा किया जाएं और खेती के कामों में उसका उपयोग किया जाए। राजस्थान नहर ऐसी है जो राजस्थान की काया पलट सकती है लेकिन राजस्थान की सरकार ने केन्द्र को बाध्य नहीं किया कि इस स्कीम को अपने हाथ में लें। केंद्रीय सरकार हिचक रही हैं और राज्य सरकार की ओर से भी कम पैरवी हो रही है जिससे केंद्रीय सरकार पैसा तो दे रही है लेकिन न तो केंद्रीय सरकार उसको मानती है, न अपने हाथ में लेती है और राज्य सरकार के बस का रोग नहीं है कि राजस्थान नहर को अपने हाथ में लेकर कार्यवाही करे।

दूसरी छोटी और बड़ी परियोजनायें हैं, चाहे कडाना बांध हो, चाहे भोपालपुरा बांध हो, सरकार ने काम किया है लेकिन जितना उपयुक्त राजस्थान जैसे क्षेत्र के लिए आवश्यक है उतना नहीं हो सका। जो बड़े बांध हैं, जैसे कडाना, माही उनके मामले में जरूर सरकार की पहल कम रहती है और उसमें सरकार फेल हो गई। जैसे कडाना बांध के लिए जो 1966 में समझौता हुआ उसमें 45 परसेंट राजस्थान की सिंचित भूमि होगी और 55 परसेंट गुजरात की होगी लेकिन इसमें जो कुछ आपका खर्चा हो रहा है उसमें कुल सिंचित भूमि 2.79 लाख एकड़ राजस्थान की होगी जबकि 7.50 लाख एकड़ गुजरात की होगी। लेकिन 1974–75 में कुल खर्चे में 3.30 करोड़ में से 1.80 करोड़ राजस्थान ने किया और गुजरात ने 1.50 करोड़ किया। अब स्वीकृत 5 करोड़ में से 2.80 करोड़ राजस्थान ने और गुजरात ने 2.20 करोड़ किया। कुल खर्चा राजस्थान ने 20.11 करोड़ किया और 11 करोड़ शायद गुजरात सरकार कर रही है। तो इस तरह से दोनों को मिलाकर आपका पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है जबकि उपलब्धि कम। इसके अलावा जितना क्षेत्रफल है पानी में डूब का राजस्थान का है न कि गुजरात का। चाहे भराव की जमीन हो, चाहे गलियाकोट, फायदा ज्यादा गुजरात को हो रहा है, खर्चा हमारा ज्यादा हो रहा है। इसके अतिरिक्त छोटी योजनाओं के मामले में भी सरकार को जितने प्रयत्न करने चाहिए उतना नहीं कर रही है।

वैसे तो सारे बजट के बारे में कहता हूं कि यह बजट न होकर पूर्वी राजस्थान से पैसा लेकर पश्चिमी राजस्थान को देने का सीधा अर्थ है। सारे बजट में ही नहीं, आपके सिंचाई मद में बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लेख आ जाएगा कि आप पूर्वी राजस्थान से पैसा लेकर पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान को दे रहे हो। गंगानगर से सीधी रेखा कोटा तक खींची जाए। एक हिस्सा देनदार है और दूसरा हिस्सा लेनदार है। चाहे बड़ी, चाहे छोटी योजनाओं को ले लिया जाए। आपने जो नलकूप भू-जल मंडल की रिपोर्ट दी है उसमें आपने कुछ उपलब्धि दिखाई है कि अब इतनी सिंचित हो रही है जैसलमेर में 312 एकड़ सिंचित नलकूपों द्वारा दिखाई है। उसमें आप यह बता दें कि उपलब्धि कितनी हुई जो सिंचित क्षेत्र बाड़मेर का है, उसमें आपको कितनी उपलब्धि मिली और क्या फायदा हुआ, कितनी फसल पैदा हुई ?

(श्री मीठालाल मीणा)

जयपुर डिवीजन में जो नलकूपों की योजना है केवल कुओं की संख्या और नलकूपों की, वह इतनी गौण, इतनी नगण्य है कि दूसरे जिलों के मुकाबले में नगण्य है, नहीं के बराबर है। जैसा कि कुओं को बोरिंग करने के मामले में या अन्य कुओं के मामले में पूरी तरह से उपलब्धि जयपुर डिवीजन से ज्यादा मिल सकती थी, वह दूसरी डिवीजन्स से नहीं मिल पाई। जैसे जैसलमेर में सिंचित क्षेत्र 312 एकड़ है, भरतपुर में 269 एकड़, बीकानेर में 40, जोधपुर में 73। यह तो मैं मान सकता हूं लेकिन जैसलमेर जहां नलकूप हैं, एक घंटे में 40 हजार गैलन पानी ट्यूब वेल देता है उसमें आज तक 1961 से शुरू हुआ है 12 साल में बबूल जरूर आपने पैदा किया, उसके अलावा घास के पौधे होते हैं, आपने वहां गौशाला भी खोल रखी है। तो यह क्या उपलब्धि है? इधर भी तो खोलिए जहां एक रुपए खर्च के एवज में आपको 50) मिलेंगे। जहां आप 100) खर्च कर रहे हैं वहां एक रुपया भी नहीं मिलेगा, दूसरी जगह एक रुपए खर्च के बजाए 50) रु० प्राप्त हो सकते हैं।

इसके अलावा ये जो 56 पंचायत समितियां आप ए० आर० सी० स्कीम में ला रहे हैं। ए० आर० सी० स्कीम में ही बात होगी। आपका अगले साल का खर्चा 56 पंचायत समितियों में करने का इरादा है उनमें से 15 गंगानगर से कोटा तक हैं जबकि 40 योजनायें उधर हैं। तो 40 योजनाओं में कभी अकल लगाई कि उपलब्धि कितनी होगी? अगर यह ए० आर० सी० स्कीम अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर में चालू की जाएं तो वहां कितनी उपलब्धि होगी? चाहे हमारे राजस्थान में रेगिस्तान है लेकिन उसके मुकाबले में इधर भी ध्यान दिया जाए कि कितना बेनीफिट मिल सकता है। बहुत सी ए० आर० सी० स्कीम्स जयपुर जिले की विचाराधीन हैं उनको स्वीकृत करने में क्या दिक्कत है? भू-जल मंडल को ए० आर० सी० स्कीम्स को लाने में, चालू करने में क्या दिक्कत है या कौनसा दबाव है? क्षेत्रीय असंतुलन तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन स्पष्ट है कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए, अब के बजट में मुझे खुशी हुई कि आदिवासी भाग्यशाली हैं कि आपने बजट में उनके लिए इतना प्रावधान रखा। 14 करोड़ की स्कीम चाहे डी० पी० ए० पी० की डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए, चाहे विकास कार्यक्रमों के तहत 41 लाख की स्कीम हुई, चाहे दूसरी कोई योजना हो, उससे तो खुशी है लेकिन क्या यह आदिवासी केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ही रहते हैं या राजस्थान के अन्य भागों में भी रहते हैं? आदिवासी राजस्थान में कुल कितने हैं, उनमें से उदयपुर में कितने और जयपुर व सवाई माधोपुर जिलों में कितने हैं? क्या आदिवासियों के दो भाग हैं? आदिवासी क्षेत्र के लिए आपने नलकूपों की, बावड़ियों को गहरा करने की योजना बनाई वह भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डी० पी० ए० पी० योजना हो वह भी वहां, नलकूप और हैण्ड पम्प हों वह योजना भी वहां। आखिर सवाई माधोपुर और दूसरे जिलों के आदिवासी कहां गए? अगर और भी आदिवासी हैं तो आप क्यों नहीं उनके विकास के लिए भी योजनायें बनाते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आदिवासी ज्यादा हो सकते हैं लेकिन जयपुर की लालसोट तहसील

(श्री मीठालाल मीणा)

में अगर उनसे ज्यादा नहीं हैं तो कम भी नहीं हैं। इसी तरह से सवाई माधोपुर जिले में आदिवासियों की संख्या डूंगरपुर और बांसवाड़ा से ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। तो किस ढंग से आपने आदिवासियों के विकास के लिए यह चीज की ?

इसलिए मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाय। एक तरफ आपने उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जिले के आदिवासियों के लिये 14 करोड़ और 39 लाख रुपये की स्कीम बनायी है। मैं मन्त्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर मन्त्री महोदय सवाई माधोपुर और जयपुर जिले के आदिवासी एरिया में 14 करोड़ नहीं अपितु एक करोड़ रुपया ही खर्च करके देखलें कि उसकी कितनी अधिक उपलब्धि होगी। यह उपलब्धि आप डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में 14 करोड़ रुपये खर्च करके भी जितना अधिक और सामाजिक विकास आदिवासियों का नहीं कर सकेंगे उससे ज्यादा आर्थिक और सामाजिक विकास जयपुर और सवाई माधोपुर जिले में खर्च करने से होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चाहे आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं करें, वहां योजनायें नहीं बनायें, बांध नहीं बनायें, चाहे आप जयपुर और सवाई माधोपुर जिले के दूसरे क्षेत्रों में खर्च करके देखलें आपको ईमानदारी से पता लग जायेगा कि आपका खर्चा करना कहां पर ज्यादा ठीक रहेगा। जब आपको आदिवासियों के नाम पर ही पैसा खर्चना है तो फिर आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आदिवासियों को जयपुर, सवाई माधोपुर में जो आदिवासी हैं उनमें फर्क क्यों समझते हैं ? यह फर्क किस प्रकार पैदा हो गया ? यह बात मेरे समझने में नहीं आ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा जयपुर जिले के और विशेषकर लालसोट तहसील में छोटे बान्ध हैं जो कि अधूरे पड़े हैं या जिनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है, या बाढ़ आने से वहां के बान्धों में या छोटे तालावों में मिट्टी भर गयी है, जिससे कि उन छोटे छोटे बान्धों में पानी नहीं रुक सकता है, या वह बान्ध टूट गये हैं उन्हें सुधारने की आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। वैसे आपने गत वर्ष भी इनको ठीक करने के लिए कुछ धनराशि स्वीकृत की थी, लेकिन आपके यहां के अधिकारियों की लापरवाही के कारण और आपकी लालफीताशाही के कारण वहां पर पूरी तरह काम नहीं हो सका और उसमें पैसा लेप्स हो रहा है। इसमें न जनता का दोष है और न ही जन प्रतिनिधियों का ही दोष है। वह पैसा आज भी जिला अधिकारियों के पास पड़ा हुआ है। पर उसका उपयोग नहीं हो रहा है जिसके कारण जनता को परेशानी हो रही है। मेरा निवेदन है कि अभी तो आप उस पैसे को जल्दी काम में ले लें, अन्यथा मौसम आगे बरसात की आने वाली है फिर उन बान्धों के बनाने में, सुधारने में दिक्कत आयेगी। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि लालसोट पंचायत समिति के अन्दर कई छोटे छोटे बान्ध टूटे हुए हैं उन्हें सुधारने की आवश्यकता है जैसे कि मोरेल सागर बान्ध। इस बांध को अगर

(श्री मीठालाल मीणा)
आप दो फीट ऊंचा करदें तो उससे काफी सिंचाई हो सकती है। पिछले साल इसकी स्वीकृति भी हुई थी, पर वह बान्ध पूरा नहीं हो सका है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मोरेल सागर बान्ध को दो फीट ऊंचा करने का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराने की व्यवस्था करें। इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर लालसोट तहसील में कई छोटे मोटे बान्ध जो कि या तो टूट गये हैं या जिनमें मिट्टी भर गयी है या उनकी थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है अगर आप उन्हें पूरा करवादें तो वहां की आदिवासी जनता को लाभ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सिन्थोली बान्ध और राहूवास बान्ध प्रमुख हैं जो कि निर्माणधीन हैं। उन्हें पूरा कराया जाय। इसके अलावा आज लालसोट तहसील में आज कई ऐसे छोटे छोटे बांध हैं जो कि आज दस साल से टूटे हुए पड़े हैं उन्हें कृपा करके आप सुधारने की व्यवस्था करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सवाई माधोपुर जिले में करौली के पास पांचना बान्ध है जो कि विचाराधीन है निर्माण करने के लिये उसे पूरा कराया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को यह सुझाव देना चाहूंगा कि जिस तरह आप दूसरे कोष बनाते हैं उसी तरह आप अकाल और बाढ़ से निपटने के लिये, चाहे आपको इसके लिये टैक्स ही लगाना पड़े, आप एक कोष बनायें जिससे कि आप अकाल और बाढ़ का मुकाबला कर सकें। यह जरूरी नहीं है कि यदि अकाल नहीं पड़े या बाढ़ नहीं आये तो आप वह कोष नहीं बनावें। जिस तरह आप सिनेमा वगैरह के लिये पैसा इक्ट्ठा करते हैं उसी तरह आप अकाल और बाढ़ से निपटने के लिये एक स्थायी कोष बनावें जिसमें कि पैसा जमा होता रहे। ताकि अकाल या बाढ़ में काम आवे।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

बस मैं समाप्त ही कर रहा हूं। अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय को चाहिये कि आदिवासियों में किसी प्रकार का फर्क नहीं समझें और आदिवासी जितने भी हैं वह सभी एक हैं उन्हें एक ही समझें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, आप पार्टी के कन्सीडरेशन से नाम बोल रहे हैं या लिस्ट के अनुसार।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : उपाध्यक्ष महोदय, पार्टी के अनुसार तो मेरा नम्बर पहला है।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो आप और रामकिशनजी तय करलें कि पहले कौन बोलना चाहता है। समय तो आपकी पार्टी का निर्धारित किया हुआ है। फिर वह कम ज्यादा हो जायेगा।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, जो लिस्ट मेरे सामने है उसके अनुसार तो इनका नम्बर नहीं आता है।

श्री रामगोपाल : यहां पर तो लोग बीमारी के नाम से पहले बोल जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक किसका नम्बर पहले है या बाद में, लिस्ट के

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुसार किसका नम्बर पहले या बाद में है यह मुझे समझ में आया हुआ है, यदि मेरे समझ में नहीं आयेगा तो मैं आपकी सलाह ले लूंगा।

(व्यवधान : शोरगुल)

ऑर्डर, ऑर्डर] प्लीज। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आप विराजिये।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, जो लिस्ट दी गयी है वह सही है या गलत है ?

श्री उपाध्यक्ष : सही है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मनोहरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ हरिजनों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। I shall not allow you.

श्री मनोहरलाल : सिर्फ एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : बिलकुल नहीं। आप विराजिये।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री जयकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो लिस्ट हमें दी गयी है उसके अनुसार श्री शंकरसिंह रावत का नम्बर है इनका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये। विराजिये माननीय सदस्य। I am not expected to hear all of you at one time.

श्री शंकरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो लिस्ट हमें दी गयी है उसके अनुसार तो मेरा नम्बर है।

(1) व्यवस्था का प्रश्न।

(2) कटौती प्रस्ताव की प्राथमिकता।

(3) सत्तारूढ़ दल के सदस्य के कटौती प्रस्ताव।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम कटौती प्रस्ताव जो रिसेप्शन में जिस समय देते हैं उस वक्त समय लिखा जाता है और उसी के अनुसार यह लिस्ट बोलने के लिये बनायी जाती है। फिर यह लिस्ट के अनुसार नहीं बोल कर दूसरे कैसे बोल रहे हैं ? मैं इस संबंध में आसन की व्यवस्था चाहता हूं। लिस्ट में परिवर्तन करने का आधार क्या है ? पहले किसको बोलना चाहिये ? यह समय निर्धारित लिस्ट में जो तय हो गया उसके हिसाब से तो शंकरसिंहजी रावत का बोलने का नम्बर आता है। आप इसके लिये व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष (श्री मनोहरलाल के खड़े होने पर) : आप विराजिये।

श्री मनोहरलाल (कामां) : सिर्फ एक बात ही निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री दीपंकरजी ने

Page No 125

(125)

(श्री मनोहरलाल)
व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके लिये मेरा निवेदन है कि भारतवर्ष की किसी भी विधान सभा में रूलिंग पार्टी के माननीय सदस्य किसी भी कटौती प्रस्ताव पर नहीं बोल सकते हैं और न ही वह कटौती प्रस्ताव रख सकते हैं। यह हमारे संविधान में है। क्योंकि अगर पार्टी के मेम्बर ही कटौती के प्रस्ताव रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि वह ओपोजीशन कर रहे हैं। सिर्फ ओपोजीशन पार्टी के मेम्बर ही बोल सकते हैं। नहीं तो, रूलिंग पार्टी का सदस्य अगर कटौती का प्रस्ताव रखता है उसका मतलब है कि वह सदस्य अपनी पार्टी के खिलाफ में नो कोन्फीडेन्स ला रहा है। इसके बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इस प्रकार की लोकसभा में रूलिंग माननीय अध्यक्ष लोकसभा द्वारा दी हुई है इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि कांग्रेसी सदस्य कटौती प्रस्ताव पर नहीं बोलें।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री शंकरसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री मनोहर.लालजी ने कहा कि कटौती प्रस्ताव पर कांग्रेसी सदस्य नहीं बोल सकते हैं उसके लिये मेरा निवेदन है कि कटौती प्रस्ताव दूसरी बात है और नो कोनफीडेन्स दूसरी बात है।

श्री जयकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि कटौती प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। अभी सदन में लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कटौती प्रस्ताव पर प्रायोरिटी के बारे में। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय द्वारा इस बारे में तय किया हुआ है। सदन में जितने भी राजनैतिक दल हैं उनके लिये समय निर्धारित किया हुआ है। उसी के अनुसार उन्हें समय दिया जाता है। क्योंकि मांगें एक साथ पेश की जारही हैं इसलिये मांगों पर वाद-विवाद के लिये समय निर्धारित कर दिया गया है। एक पार्टी के कितने ही सदस्य हों उनके लिये बोलने का समय निर्धारित किया हुआ है। उसमें अगर सदस्यों की संख्या कम या अधिक होती है तो उसी के अनुसार समय का बंटवारा हो जाता है। यहां जो सूची है उसमें जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि किसी माननीय सदस्य का नाम नीचे है और किसी का नाम ऊंचा है तो पहले क्रम के अनुसार बोलें लेकिन चूंकि अगर क्रम के अनुसार चलेंगे तो दूसरे माननीय सदस्यों का नाम नीचे है उन्हें बोलने का समय ही नहीं मिल सकेगा। इसलिये इन दोनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जिन राजनैतिक दलों को समय अलाट किया गया है उनके समय का उपयोग उन माननीय सदस्यों की ओर से हो सका है या नहीं इस ओर ध्यान आसन को रखना होगा और यह माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था के अनुकूल है। आज से ही यह परम्परा नहीं है। तीन वर्ष से तो मैं भी देख रहा हूं और इस परम्परा से समय दिया जा रहा है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि माननीय शंकरसिंहजी को समय न दिया जाकर सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य का नाम पुकारा गया है वह क्रम संख्या के अनुसार नहीं है, मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री शंकरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। व्यवस्था के बाद दुबारा दलील नहीं हो सकती है। आप तशरीफ रखिये।

श्री शंकरसिंह : तीनों जनसंघ के सदस्य बोले हैं तो क्या उसी पीरियड में बोले हैं?

श्री उपाध्यक्ष : दो ही को ही समय दिया गया है। तीसरे को नहीं दिया है।

श्री मनोहरलाल : यह जो गलत परम्परा है उसके बारे में आपका निर्णय क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : आपके प्रस्ताव के बारे में, मैं अपनी रूलिंग रिजर्व रखता हूं।

श्री जयकिशन लाल : कट मोशन तीन प्रकार के होते हैं · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : मैं गंगानगर · · · ·

श्री शंकरसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : फरमाइये।

श्री शंकरसिंह : आपने रामकिशनजी के लिये कहा था और अब गुरदयालसिंहजी सन्धु कैसे बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने ऊपर संयम रखिये। आप बिराजिये। Don't challenge the ruling of the Chair. I don't appriciate this. मैं इजाजत देता हूं, उसके लिये आपके सुझाव की आवश्यकता नहीं।

श्री दीपंकर : ये चैलेन्ज नहीं कर रहे है।

श्री शंकरसिंह : सजेशन है। याद दिला रहे है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सजेशन नहीं चाहता।

मांग संख्या 45 व 37 पर अग्रेतर विचार

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : गंगानगर जिले में तीन सिंचाई योजनाएं हैं उनके संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं गंगनहर के बारे में बात करूंगा। 2720 क्यूसेक पानी चल रहा था पहले और सन् 27 में बनी थी। उसकी हालत यह है कि आज पोंग डेम टूटा हुआ है, उसकी एक सील काम नहीं कर रही है, इस वक्त वह गंगनगर को पानी देने के काबिल नहीं है, गंग कैनाल को टर्न बाई टर्न बन्द करना पड़ा है और इस प्रकार गंगनहर की कुछ मरम्मत होने की आशा नहीं। पिछले वर्ष 16 लाख खर्च करके 3।।। लाख मुरब्बा में सिंचाई की गयी थी उसको देखने से पता चलेगा कि नहर ज्यादा टूटी हुई है। 70 मील लम्बी नहर को नये सिरे से बनाया जायगा तो 70 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा और उस वक्त तक वह नहर पानी लेने के काबिल नहीं होगी। ऐसी हालत में सरकार कुछ न कुछ धन लगा कर उसका दुरुपयोग कर रही है, उसको नष्ट कर रही है। इस साल भी यह नीति है करीब करीब 2।। लाख मुरब्बा की रिपेयर की जाय और 11 लाख रुपया इस पर खर्च किया जाना है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि 11 लाख खर्च कर देने के बाद भी वह नहर कभी नहीं चल सकेगी और इस काबिल नहीं है कि पूरा पानी अपने हिस्सा का ले सकेगी। पोंग डैम

(श्री गुरुदयालसिंह सन्धु)

जब कि टूटा हुआ है, हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरी तरफ साधन नहीं हैं, पोंग डैम में पानी इस साल इकट्ठा नहीं हो सका, अगले साल 1 करोड़ 8 लाख पानी जमा होने वाला है, उसको कहां क्या करेंगे ? राजस्थान नहर जो 52 में 160 करोड़ की योजना थी वह 70 में 204 करोड़ की योजना बन गयी और आज तक, 74 तक उसमें 104 करोड़ रुपया खर्च कर पाये हैं, इस साल 118 करोड़ खर्च कर पाये हैं और आने वाले साल में 80 करोड़ 34 लाख रुपया खर्च कर पायेंगे। इसका मतलब यह है कि 150 करोड़ की योजना बाकी पड़ी हुई है और पांच साल में 70 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। दूसरा मतलब यह हुआ कि इस पांच साल के बाद मार्च, 79 के बाद 104 करोड़ रुपये का काम बाकी रह जायेगा और इस तरह से बढ़ते रहे तो वह नहर कई करोड़ों की बन जावेगी और 20 साल तक भी पूरी होने वाली नहीं है।

राजस्थान कैनाल की यह हालत है, भाखड़ा की यह हालत है, वह पूरा पानी नहीं ले पा रही है। आप कहते हैं, सिंचाई अधिक हुई है, आंकड़े निकाल कर देखेंगे तो पता चलेगा कि 47।। हजार एकड़ में कम आबपाशी हुई है, कम इर्रिगेशन हुआ है, कम फसल बोई गयी है। गंग कैनाल में 8 हजार एकड़ ज्यादा बोई गयी है और राजस्थान कैनाल पर 50 हजार एकड़ ज्यादा बोई गयी है। राजस्थान कैनाल में न भी कोई काम करे तो भी सिंचाई हर साल बढ़ती है। इस वक्त सरकार धन राशि खर्च कर देगी 3 परियोजनाओं पर तो पोंग डैम का पानी जल्दी मिलने वाला है, उसका उपयोग नहीं कर सकेगी। उस हालत में, राजस्थान सरकार को जल्दी ही ध्यान देना चाहिये, नहरों को दुरुस्त करना चाहिये, गंगनहर को दुरुस्त कराना चाहिये, भाखड़ा में पानी को बहतर करना चाहिये और राजस्थान कनाल को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिये अधिक खर्च करना चाहिये।

जब राजस्थान कैनाल, गंग कैनाल की बात करते हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमने मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार योजना बनायी थी। राजस्थान सरकार कभी कहती है मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी, कभी कहती है कि अंश में लागू किया है। लेकिन इन रियलिटि वह रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। यह कहा गया कि हनुमानगढ़ में चीफ इन्जीनियर नियुक्त किया इसलिये मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट लागू की

(3.40 म० प०)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पदासीन)

जायेगी। वह लागू नहीं हो सकेगी। मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती मैं कहूंगा, राजस्थान सरकार कह दे मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट लागू करना चाहती है, या कर दी है। मैं फिर कहूंगा सूरतगढ़ का रिटोटलिंग नहीं करेंगे, आप मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकेंगे। जब से आपने कैनाल को बारहमासी किया है, एल.एल. टी. की हालत खराब हो गयी। एल.एल. टी. पर पानी मिलना चाहिये। बहुत सा एरिया अनकमान्ड हो जावेगा बारहमासी नहीं हो सकेगा।

नया एरिया कमान्ड करना है, उसमें असफल रहे हैं। उसमें आप असफल रहे हैं। पिछले दिनों के अन्दर गंगनहर के अन्दर दरख्वास्तें ली गई कि जो लोग अपने एरिया को अनकमान्ड से कमान्ड कराना चाहते हैं उनकी एप्लीकेशन ली गई। जो लोग पैसा

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

खर्च कर सकते थे वे लोग अपनी जमीनों को कमान्ड में करा गये और जो लोग ईमानदार थे, पैसा खर्च नहीं कर सकते थे उसकी जमीन कमान्ड नहीं की गई और अब तो पांच बीघा से ऊपर वाली जमीन को कोई कमान्ड नहीं करा सकेंगे ।

नई जमीनों के लिये आपने मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट में पानी देने का तय किया हुआ है तो इसके बाद भी कोई जमीन कमान्ड होने वाली नहीं है । मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं । माननीय मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा यदि आप नहरों से आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो आप गंगानगर की नहरों को देखिये जो लाखों रुपयों की सम्पत्ति है नष्ट हो चुकी है और मैं सदन में इस बात को कई बार कह चुका हूं । आप जब गंगानगर जायें तो पदमपुर को सड़क जाती है । अभी मैं ज्यादा दिन की बात नहीं करता, 5-10 दिन पहले की बात करता हूं, आप पता कर लें वहां क्या हालत हो रही है ।

आज बेलदारों की कमी है, मैं कहता हूं नहरों की मरम्मत नहीं हो रही है । आज लकड़ी का भाव 25) रु० है जो गीली लकड़ी है उसका 15) रु० क्विन्टल का भाव है . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा तो टाइम बहुत है . . .

श्री सभापति : आपका समय समाप्त हो चुका है ।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : तो मैं अर्ज कर रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा बोलूंगा कि आप उन दरखतों की तरफ ध्यान दीजिये । आपकी लाखों रुपयों की सम्पत्ति है वह नष्ट हो चुकी है, बरबाद हो चुकी है . . .

(व्यवधान : अश्रव्य)

पेड़ के तने रह गये हैं और ऊपर से काट लिये गये हैं । मैं ज्यादा न कहता हुआ एक अर्ज करूंगा कि जो किसान पर तावान लगाया जा रहा है उनको बन्द कीजिये । जो लोग फाल्ट करते हैं उन पर तावान लगाइये । छोटी छोटी बातें हैं मेरे सामने एक मामला है चुन्नी गांव का है कि नालियां खराब हो गई । अब अगर किसी ने खराब की हैं तो वह दोषी है और उसका चालान हो जाता है लेकिन पुलिस साथ नहीं देती है और वह बरी हो कर आ जाता है । मैं अर्ज करूंगा मेरे साथियों को भी बोलना है तो एक और अर्ज करना चाहता हूं आपने इर्रिगेशन रेट्स बहुत बढ़ाये हैं । एक मिनिट में कहूंगा । मैं यह कहना चाहता हूं जो गार्डन हैं उसमें इन्टरकल्टीवेशन की क्यों नहीं इजाजत देते हैं ? इन्टरकल्टीवेशन के कारण आपका प्रोडक्शन बढ़े तो आपको क्या एतराज है ? पेड़ों की हालत सुधर जाय तो गार्डन में इन्टरकल्टीवेशन की इजाजत देनी चाहिये । इसके साथ एक बात भूल गया ट्यूब वैल, आजकल बिजली की रेट्स ज्यादा है । गंगानगर में पानी नीचे होने के कारण 20 हार्स पावर से कम की मोटर से पानी नहीं जाता है । जो पानी है वह नहरी पानी से मिलाना पड़ता है । ट्यूब वैल के मालिक को सिंचाई रेट ज्यादा पड़ती है । कोई फारमूला बनायें, कोई प्राबलम हल कीजिये ताकि उन ट्यूब वैलों के मालिकों को राहत मिलनी चाहिये ।

मैं यही कहता हुआ ज्यादा न कह कर कालोनाइजेशन की बात कहना चाहता हूं । मैं कालोनाइजेशन के बारे में पहले भी काफी कह चुका हूं । जब चर्चा होती है, विरोधियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं है, जो डिमान्ड्स होती है उनकी एन्ट्री नहीं होती है । अगर हो तो सरकार को भी लाभ पहुंचेगा । इस समय राजस्थान

(श्री गुरुदयालसिंह सन्धु)

कैनाल में बहुत गड़बड़ियां हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कल भी अर्ज किया था। राजस्थान कैनाल में कुछ लोगों को कुछ विशेष वर्ग के लोगों को वहां के कमिश्नर महोदय जो शायद एक वर्ग के लोगों से जमीन कटवा रहे हैं क्योंकि वे इन्टरेस्टेड हैं इस बात में, इसलिये मैं नम्र निवेदन करूंगा और माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट करूंगा उन लोगों की जमीनों को जिनको परमानेन्ट रूप में अलाट हो चुकी थीं, कैन्सिल कर दी गई, उनसे जमीन वापिस ले ली गई। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको न तो आज तक स्टे आर्डर दिया जाता है और न उनके स्टे आर्डर को एप्लीकेशन ली जाती है। इसका मतलब है बाहर के कर्मचारी इन्टरेस्टेड हैं। उनकी फसलें नीलाम हो रही हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा इस तरह के लोग उस गांव में हैं, आप देख लीजिये अभी एक आदमी की झोंपड़ी जला दी गई वह कुछ बोला तो उसकी पिटाई की गई।

जिन लोगों को जमीन अलाट की गई है तो मैं यह अर्ज करूंगा उसको वापिस लेने की कोशिश मत कीजिये। एक बात और कहूंगा। कुछ परिवार ऐसे हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जिनकी मेरे पास सर्टिफाइड कापी है। किसी आदमी ने जमीन अलाट करा ली, तो उसको दुबारा बेचा जाता है लेकिन दूसरे आदमी को लेनी है और वह मेरे वर्ग का है तो इनके पास 1955 की लिस्ट है उससे काम बन जाता है लेकिन मेरा जैसा आदमी हो उसको कहते हैं यह पंजाबी पौशाक पहनता है, पंजाबी भाषा बोलता है, हिन्दी बोलना जानता नहीं, यह इस तरह के एक मिसल में नहीं 100 मिसलों में इस प्रकार के फैसले हैं, और दूसरी तरफ के लोगों को इस तरह जमीन दे दी जाती है, मैं थोड़ा सा नीचे से पढ़ूंगा . . .

"सम्बन्धित राजस्व तहसीलदार द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र एवं अस्थाई आवंटन की मूल पत्रावली के संलग्न सबूतों के आधार पर प्रार्थी 1-4-55 से पूर्व का राजस्थान का निवासी व भूमिहीन कृषक होना साबित है। अतः प्रार्थी को चक 1 पी के मु० नं० 219।32 का 25 बीघा कमान्ड भूमि अस्थाई आवंटित है जिसका नवीनीकरण फसल खरीफ सं० 2030 तक होना पाया जाता है।" इसमें लिखा हुआ है प्रार्थी की जो मिसल है उस मिसल का आधार यह है कि 1-4-55 से पूर्व का राजस्थानी माना जाकर जमीन अलाट की जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट में समाप्त करता हूं . . .

तो मैं अर्ज करना चाहता हूं अलाटमेंट में यह भेदभाव क्यों है? आपने फैसला किया है और जब वेरीफाई होगी तो वह वहां बैठेगा? हम बतला सकते हैं एप्लीकेशन कब दी है और कितना गलत काम है। हमको जानकारी है। लेकिन हमको वेरीफाई के वक्त साथ में नहीं बिठाया जाता है। 50 फीसदी गलत है।

अब मैं आखिर में एक बात कह कर अपना स्थान ले लूंगा। मैं सिंचाई के बारे में निवेदन करना चाहता हूं –लम्बी बात नहीं करूंगा। पंजाब सरकार का नोटिफिकेशन है 21 जून, 1974 का। मैं पहले गलती पर था, जहां पहले बात कर रहा था वहां क्या वाटर रेट्स लगते थे तो पंजाब में बताया 37) रु०। अब मेरे पास सर्टिफाइड कापी है 27) रु० हैं जब कि यहां पर इसकी रेट है 20/– रुपया। हिन्दुस्तान

(श्री गुरुदयालसिंह सन्धु)

की किसी स्टेट में इतना बड़ा रेट नहीं है। गेहूं की रेट यहां पर 15 रुपये है और वहां पर साढ़े पांच रुपये। यह अभी की बात है। पुरानी नहीं है वीट का है पांच रुपया पच्चास पैसे। मैं यह बताना चाहता हूं, आप यह दलील देते हैं–जब कि पंजाब की नहरें दूर से आती हैं और हमारे यहां की कैनाल छोटी हैं। गंग कैनाल, भाखरा और चम्बल की नहरें ये छोटी हैं और पास से आती हैं सिवाय राजस्थान कैनाल के। राजस्थान कैनाल लम्बाई के हिसाब से जरूर ज्यादा है मगर रेनफाल के हिसाब से या वाटर टैंक के हिसाब से, इन सब बातों को देखें तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब की नहरें दूर से आती हैं और ये नहरें जो हमारे राजस्थान में हैं, नजदीक से आती हैं। मैं इन हालातों में यह अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे जो कटौती प्रस्ताव हैं उनको स्वीकार किया जाये और इस बात को ध्यान में रखा जावे कि रेट ज्यादा न हो। सरकार कोलोनाइजेशन की तरफ भी ध्यान दे। ऐसे लोग वहां पर बैठें, विशेष कर कमिश्नर के लिए कहूंगा। सरकार को चाहिये कि उस हालत को कन्ट्रोल करे। वहां की हालत बहुत बुरी पैदा हो गई है। इसलिए वहां पर उलझनें पैदा होंगी और हम नहीं चाहते हैं कि ये उलझनें पैदा हों। किसी मजहब के नाम पर लोगों को तंग किया जाता है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय को अर्ज करूंगा कि जो हमारी वाटर रेट है उन पर वे गौर करें और एक पैटर्न बना कर रेट लगायी जाये। इस तरह से रेट लगाई जाये तो उचित होगा।

श्री सभापति : श्री शंकरसिंह रावत।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : सभापति महोदय, मैंने सिंचाई विभाग पर अपने कटौती प्रस्ताव दिए हैं–विभाग की जो सिंचाई पुस्तिका निकली है उसको मैंने ध्यान से देखा तो उसमें पूर्वी राजस्थान की कोई परियोजना नहीं है और न ही अजमेर का कोई जिक्र है। मेरे मन में हमेशा यह बात उठती है कि राज्य सरकार अजमेर जिले को नेग्लेक्ट करती रही है, चाहे वह सिंचाई के कार्य हों, या और कोई दूसरे कार्य हों। उपाध्यक्ष महोदय, पुस्तिका को देखने से यह पता चलता है कि हर स्कीम में उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का नाम होता है। आपके जो अकाल राहत कार्य होते हैं वे भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में होते हैं। मैं मानता हूं कि ये आदिवासी क्षेत्र हैं और पिछड़े हुए हैं और इन पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन पिछड़े हुए क्षेत्रों को आगे लाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु हम अजमेर के लिए यह महसूस करते हैं कि उसको जान बूझ कर नेग्लेक्ट किया जाता है। वह पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ से नदियां निकलती हैं और वहां पर लघु सिंचाई के साधन हो सकते हैं परन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि अजमेर में कई बांध हैं लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां पर ऐनीकेट पर ध्यान दिया जाना चाहिए परन्तु वह ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के अधीन रहा है और अब राजस्थान में आने के बाद उसकी भौगोलिक दृष्टि से उसके साथ न्याय किया जाना चाहिये तो वह उपयुक्त होगा। अजमेर के अधिकारी जहां भी गये हैं उनको जनता ने उचित स्थान दिया है। हमारे जो मुख्य अभियन्ता हैं, वे अजमेर के हैं किन्तु वे भी अजमेर की

(श्री शंकरसिंह रावत)
और बराबर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनकी दिलचस्पी तो है मगर काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि बनास योजना है, लिफ्ट इरिगेशन अजमेर को दिया जाना चाहिये। पहली पंचवर्षीय योजना में लिफ्ट इर्रिगेशन का प्लान आया था लेकिन वह अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, मैं कुछ छोटे छोटे बांधों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। एक कोटड़ा बांध है, उसकी नहरें हैं। आजादी को 27 साल हो गये किन्तु इसको ठीक नहीं कर पाये हैं। जब कभी तालाब से खेती की पिलाई करते हैं तो कच्ची नहरों को तोड़ कर मनमाने ढंग से पिलाई करते हैं और इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। मेरा निवेदन है कोटड़ा बांध के बारे में कि इसको थोड़ा ऊंचा किया जाये और नहरों को पक्का बनाया जाये ताकि लोग इसको तोड़ें नहीं और तरीके से खेती की पिलाई की जा सके। इसी तरह से पार की मोरी का तालाब है उसको भी ऊंचा बनाया जाये। ये जो छोटे छोटे बांध कच्चे हैं उनको पक्का बनाया जाये। फेमीन सरकार चलाती है परन्तु फेमीन में कोई पक्का काम नहीं होता है। ऐसे काम फेमीन में पक्के नहीं करा सके तो जो ऐसे काम हैं–सिंचाई के साधन हैं उनको किसी प्रकार पूरा करावें इससे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। इसलिए सरकार इस पर शीघ्र ध्यान दे। जो राजस्थान का बजट है वह किसानों के उत्पादन पर ही निर्भर करता है। एक बगवाड़ा तालाब है–वहां पर लाखों रुपया क्रेश प्रोग्राम में लगाया गया है। गावड़ा के तालाब का पानी आता है–इससे 40 गांवों को लाभ होता है और चार फीट ऊंचा कर दिया जाये तो और किसानों को इससे लाभ मिलता है। इसी प्रकार रदलाई का तालाब है, वहां पर थोड़ा सा काम रह गया है, जिसको पूरा कराया जाना चाहिये। जो ए० ई० एन० था उसने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इसको छोड़ दिया। भ्रष्टाचार को तो मैं यह कहना चाहूंगा अब शिष्टाचार कहना चाहिये। भ्रष्टाचार अब हम न कहें। किसानों में इस बात से बहुत आक्रोश है। मेरा निवेदन हैं कि वहां के किसान अब भी यह चाहते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो। इसी प्रकार दलवाड़ा गांव है। वहां ऐनीकेट हो तो उससे काफी लाभ मिल सकता है परन्तु वह लाभ नहीं लिया जा रहा है। तो, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। यहां पर तो यह बात है कि यदि वहां का मुख्य मंत्री बन जाए तो वहां का भला हो जाता है, वहां की तरक्की होती है। जोधपुर का मुख्य मंत्री बन गया तो जोधपुर की तरक्की हो गयी। वहां के काम होने लगे। अब उदयपुर का मुख्य मंत्री हो गया तो उदयपुर के काम होने लगे। केवल जयपुर डिविजन बचा है जहां से मुख्य मंत्री नहीं बना है। परन्तु मेरा निवेदन है कि हमें पूरे राजस्थान के लिए सोचना पड़ेगा। सिंचाई मंत्रीजी को राजस्थान को उत्पादन के लिए सिंचाई के साधन जुटाने होंगे। सारे राजस्थान के लिए सोचने की भावना होनी चाहिए। अजमेर के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां का सर्वे करवा लीजिये और अगर इसको पूरा करने में ज्यादा समय लगे तो इतना तो कर ही लीजिये। इसके अलावा सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिलाई टेल से होनी चाहिये। टेल से पिलाई नहीं

Page No 132

(132)

(श्री शंकरसिंह रावत)

की जाती है। नायला का तालाब है। यहां पर ओवरसीयर मनमाने ढंग से काम कर रहा है। इसलिए मैं आपका अधिक समय न लेते हुए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई जगह रपटें जो आपने बनाई हैं वहां पर मेटेरियल खराब लगा दिया है। उस ठेकेदार को सरपंच ने शिकायत की तो यह कहा गया कि इसकी जांच के लिए 150/– रुपया जमा कराओ तब जाकर इसको एग्जामिन करेंगे। एक तरफ शिकायत करेंगे और ठेकेदार कोई खराब काम कर जाता है तो वह सरकार के ध्यान में लाते हैं क्योंकि वही गांवों के लिए एक स्थायी साधन होता है।

आज मैं आपसे बताऊं कि मेटेरियल खराब होने से–चाहे पी० डब्लू० डी० हो या सिंचाई विभाग हो–अकबर बादशाह के समय की मीनारें अभी तक खड़ी हैं और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, लेकिन हमारे आज के जो काम हैं वह फौरन गिर जाते हैं, बांध हैं वह टूट जाते हैं। इस पर किसी ने अध्ययन नहीं किया। यह सोचना पड़ेगा और उस पर एक्शन लेना चाहिए लेकिन कम से कम यह तो देखना चाहिए कि उस समय जब कि वह मीनारें बनी थीं उस समय इतनी टेक्नीकल चीजें नहीं थीं और फिर भी किस तरह से उनका मेटेरियल पक्का था। आज आर० सी० सी० के काम में दरारें पड़ जायेंगी तो, सभापति महोदय, मेरा यही निवेदन है कि अजमेर जिले की जो लघु सिंचाई और बड़ी सिंचाई योजनायें हैं और लिफ्ट इर्रिगेशन के द्वारा सिंचाई के साधन करने चाहिएं और छोटे छोटे एनीकट्स हैं उन्हे ज्यादा से ज्यादा तालाबों में लाना चाहिए। मैं गवाड़ी के तालाब के लिए कह रहा था। मैं और हमारी प्रभा मिश्राजी जाकर एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर से मिले तो फूलपुरा के तालाब का पानी दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। समझ में नहीं आता कि दूसरे आदमियों के कहने से वह गुमराह हो जाते हैं और उनके कहने में आ जाते हैं। तो मैं निवेदन करूं कि उसके ओवरफ्लो का पानी दूसरे तालाब में डाल दिया जाये तो अच्छा रहेगा। मैंने देखा कई तालाबों का पानी दूसरे तालाबों में जाता है और पानी वेस्ट नहीं होता। लेकिन अजमेर का पानी कहीं भी जाये किसी को परवाह नहीं है। तो मैं सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान उदयपुर साइड से हटाकर आपके माध्यम से अजमेर की ओर लाना चाहता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि जो छोटी छोटी योजनायें हैं, थोड़े दिनों में पूरी हो सकती हैं और किसानों को ज्यादा लाभ हो सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा कहते हुए हमारे मंत्री महोदय इसको ज्यादा मानें क्योंकि ए बी सी डी से लें तो भी हमारा अजमेर पहले ही आ जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ों में वर्षा होती है वहां छोटे छोटे एनीकट्स बना कर अधिक ध्यान देंगे तो आपके सामने बहुत सी समस्या सुलझ जायेगी।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, आज इस सदन में सबसे बड़े सेठ मंत्री के द्वारा सबसे मोटी राशि उपयोग के लिए मांगी गई है। सिंचाई मंत्री वैसे तो बजट का 62 प्रतिशत से ज्यादा धन इस वर्ष के लिए मांगा है जो कि उनके द्वारा व्यय

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

होगा और आज राशि भी बहुत बड़ी है। एक ओर तो दीर्घ सिंचाई योजनाओं के लिए 74,07,80,000 रुपये और दूसरी ओर लघु सिंचाई के लिए 16,32,08,000 रुपये की राशि उन्होंने मांगी है और वैसे देखा जाये तो उनका प्रश्न भी और उनका विभाग भी अहम है और इस देश की तकदीर से ताल्लुक रखना है। मैं न तो पूर्वी राजस्थान की बात करना चाहता हूं और न पश्चिमी राजस्थान की बात करना चाहता हूं। मेरे लिए तो सारे देश की अर्थ-व्यवस्था और राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था ही मुख्य प्रश्न हैं और उसको किस प्रकार से री-जनरेट किया जाये, किस प्रकार से देश की गरीबी को दूर किया जाये और नीचे के तबके के लोगों के अन्दर इकानामिक जनरेशन किस प्रकार से किया जाये यही लक्ष्य रखकर मैं चलता हूं। मेरे सामने तो प्रश्न यह है कि जो 552 मिलियन एकड़ फुट अण्डरग्राउन्ड वाटर है या 8 मिलियन एकड़ फुट वाटर नदियों का है, उसका उपयोग किस प्रकार हो और इस राजस्थान में जहां केवल 4 मिलियन एकड़ फुट पानी का उपयोग कर पाते हैं उसके लिए अधिक से अधिक योजना किस प्रकार से बना पायें। यही मुख्य प्रश्न है और अण्डरग्राउन्ड वाटर को भी हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लाइट कर पायें, यह मुख्य प्रश्न है। माननीय सदस्य जो बांसवाड़ा से दुःखी हैं या भीलवाड़ा से दुःखी हैं कि वहां पर राशि क्यों लग गई--अगर आपने सारी इनर्जी को इसी विचार की तरफ लगाई और हाईड्रोलिक्स के प्रिन्सिपल्स नहीं बदले कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहेगा--इसको कोई नहीं बदल सकता। आप लिफ्ट इरिगेशन के जरिये पानी लाते नहीं लेकिन वह इकानामिक हो इसलिए यह गिला करना या शिकवा करना न तो प्रगति का सूचक हो सकता है और न राजस्थान को प्रगति की ओर ले जा सकता है।

सबसे पहले तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान राजस्थान नहर की ओर दिलाऊंगा। और जब राजस्थान नहर एक एक इंच काटी जाती है तो मैं समझता हूं कि न केवल राजस्थान का गला काटा जा रहा है बल्कि देश का हृदय काटा जा रहा है और आज जब कि भारत सरकार ने मुकम्मिल रूप से इन्कार कर दिया है कि हम इस योजना को राष्ट्रीय योजना में लेने के लिए तैयार नहीं हैं, यह प्रश्न हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है। एक ओर तो हम कल्पना करके चलते हैं कि यह नहर रामगढ़ तक पहुंचेगी और इस सदन के बहुत से सदस्यों का तो यह दृढ़ निश्चय है कि आज बेशक 140 मील नहर को काट दी है और इस नहर को काटेंगे तो योजना की बात थी उसको भी पूरा किया जाये वहां भारत सरकार इस योजना को राष्ट्रीय योजना स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और यह प्रश्न भी बहुत उभरकर पालियामेंट के अन्दर आया है और वहां सिंचाई मंत्री ने स्वयं कहा है कि इस नहर में पानी की उपयोगिता 40 परसेन्ट से अधिक नहीं होगी और यह कोई तथ्य की बात नहीं है। यह वास्तविकता की बात है। आज हम छतरगढ़ के बाद 40 मील के ऊपर पड़े हुए हैं। जिस नहर में 1968 के अन्दर फर्स्ट फेस को पूरा कर देना चाहिए था और उस समय तो केवल 66 करोड़ रुपया खर्च करने की बात थी और उस समय वह किताब जो हमने बड़े जोश के साथ लिखी थी "डैजर्ट टू लूजम" का कोटेशन नहीं पढ़ना चाहूंगा। मंत्री महोदय ज़रा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। उन्होंने केवल 1968 के अन्दर ही 16 लाख एकड़ सिंचन करने की बात

Page No 134

(134)

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

कही थी और उसके बाद सारा 1975-76 में इसके दूसरा फेज को पूरा कर देने की बात कही थी। यह तो वह कटी हुई योजना है जो कि 1961-62 के अन्दर रखी गई थी। जब कंवरसेन ने 1948 के अन्दर गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के सर्वे का सारा रेकार्ड देखकर अपना ओरीजिनल प्राजेक्ट बनाया था उस समय इसकी कल्पना कांडला तक जाने की थी। लेकिन उसके बाद एक समय वह भी आया कि कांडला तक जाने की बात दूर रही कुछ भूपतियों ने विचार किया कि इस नहर को छतरगढ़ के पास रोक दिया जाये और सारी की सारी इन्टेन्सिटी की योजना केवल गंगानगर जिले में ले लिया जाये। मुझे इसको कहते हुए भय नहीं लगता, मेरे बहुत से विधायकों ने बड़े खुले रूप में प्रचार का उपयोग किया कि हम तो सारी नहर का पानी गंगानगर में बांट देना चाहते हैं लेकिन, सभापति महोदय, मैं एक जिम्मेदारी के साथ, एक देश का नागरिक होने के नाते और अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण को सामने रखकर, स्वदेशी के प्रश्न को सामने रखकर, मैं दृढ़ता से यह बात कहता हूं कि आज बड़े गर्व से कहता हूं कि 5 लाख एकड़ में पानी लग रहा है उसको 50 लाख कर लेंगे और इसके साथ ही साथ आपका खर्चा बढ़ता चला जा रहा है और 280 करोड़ के अन्दर इस योजना को पूरा करेंगे और 1974-75 का 14 करोड़ रुपया आपका सिसकता पड़ा है। और 75-76 के जो 11 करोड़ हैं वह सरकार के अधरझूल में हैं। स्थिति यह है सभापति महोदय, कि जितना पानी हमको प्राप्त हो रहा है इस वास्तविकता को माननीय मंत्रीजी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि हम उस पानी का पूरा उपयोग नहीं करते। आर० डी० 164 में हमारा सौ क्यूसेक पानी लीकेज होता है और आर० डी० 164 में अट्ठारह हजार क्यूसेक पानी भरा रहता है। हमारे पास घग्घर के नोन-पेरेनियल, जो कि वास्ट क्षेत्र है, उसके लिए कोई पेरेनियल का सिस्टम नहीं है। कभी 17 हजार क्यूसेक पानी टी-2 की फाटक से लीक होकर पाकिस्तान में चला जाता है और हमारा कमाण्ड एरिया जिसको हम कमाण्ड एरिया कहते हैं वह टोटल कमाण्ड एरिया नहीं है। उसका केवल चालीस परसेन्ट हम इर्रिगेट कर पा रहे हैं। माननीय सिंचाई मंत्री को मैं कहूंगा कि वे गंभीरता से इस प्रश्न पर विचार करें, इस प्रश्न को स्टडी करें। वह 74-75 के अन्दर अनेक बेकारों को रिट्रेंच करते हैं, उनका चीफ इंजीनियर इस बात को स्वीकार करता है कि इन कर्मचारियों की जरूरत है। एक ओवरसियर की जगह दो ओवरसियर कर दें, एक ए० ई० एन० की जगह दो ए० ई० एन० कर दें और एक एक्स० ई० एन० की जगह दो एक्स० ई० एन० करके तादाद बढ़ा दें, चीफ इंजीनियर दो बना दें, एक चीफ इंजीनियर का दफ्तर हनुमानगढ़ बना दें और फिर उसको एडीशनल चीफ इंजीनियर बना दें इससे कोई नहर नहीं बनने वाली है और न वह सारा सिस्टम नेट वर्क होने वाला है। जिसको आप इन बातों से करना चाहते हैं वह पूरा होने वाला नहीं है। इस सदन के अन्दर दोनों इम्पोरटेंट मंत्री बैठे हैं, कोलोनाईजेशन मंत्री और सिंचाई मंत्री दोनों बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने इन दोनों आफिसेज के रिकार्ड को टेली किया है? जिस जमीन के लिए सिंचाई विभाग कमिटेड है इर्रिगेटेड लैंड घोषित करके और अलाटमेंट के लिए आप देते हैं उस जमीन का पट्टा जब एक

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

हरिजन को दिया जाता है, वह पट्टा तो जरूर चारों कोनों में बराबर होता है लेकिन पट्टा लेकर जब वह खेत में जाता है गरीब तो कहीं सौ फीट और कहीं पांच सौ फीट और कहीं पर एक हजार फीट में बैठ कर शंकर भगवान का घंटा बजाता है वहां। माननीय मंत्री महोदय आपका सारा का सारा रिकार्ड जो कि इर्रिगेशन विभाग को भेजा जाता है कोलानाईजेशन के अन्दर तो वहां वह अनकमाण्ड हो जाता है। फिर कोलोनाईजेशन विभाग का अपना कानून है। अगर पच्चीस परसेंट इर्रिगेशन नहीं होता तो उसकी लैंड कैंसिल हो जाती है। हजारों लोग इस किस्म के बिलखते फिर रहे हैं जिनको आप इर्रिगेटेड लैंड के नाम पर परमानेंट अलाटमेंट करते हैं। लेकिन माननीय मंत्रीजी आज मैं चैलेंज करके कहता हूं कि आज के वर्ष की बात तो क्या अगले तीन या चार वर्ष में भी उनकी जमीन के ऊपर पानी नहीं आने वाला है उनको पानी नहीं मिलेगा। और इन्स्टालमेंट्स का पेमेंट नहीं होने के कारण उनकी जमीनें एक के बाद दूसरी खारिज होती चली जाती हैं। जब आपने इसके नियम बनाए थे 71-72 में, मैं भी नियम कमेटी का सदस्य था, उन नियमों में मैंने यह प्रावधान रखा था कि आप यह रखिये कि 25 परसेन्ट इर्रिगेशन होना लाजमी है लेकिन जो एस० डी० ओ० और जो एक्स० ई० एन० 25 परसेन्ट पानी की सप्लाई देने के लिए रेसपोंसिबल हैं अगर वह पानी नहीं देते हैं तो उनको सस्पेंशन का आदेश दें।

सभापति महोदय, समय थोड़ा है, इसलिए मैं दूसरे गंभीर प्रश्न को लेना चाहूंगा और वह प्रश्न है मोतीराम कमेटी की सिफारिशें लागू करने के संबंध में। मैं बड़े अदब के साथ माननीय मंत्री महोदय को कह देना चाहता हूं कि 7 नवम्बर, 1969 को जब गंगानगर के अन्दर आन्दोलन का बिगुल बजा और जमीनों की नीलामी के लिए जब घोषणा की गई, अनूपगढ़ के हजारों इकेक्टेड लोग इकट्ठे हुए, हजारों लोगों के खोपड़े फूटे, सांगरिया में अनेकों लोगों का बलिदान हुआ, सारी रात श्मशान जलता रहा, गंगानगर के 23 हजार किसान जेलों में गए और उस आन्दोलन पर वहां के उस समय के कलेक्टर, एल० एन० गुप्ता ने रिपोर्ट की कि इस आन्दोलन का कारण पानी का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा नहीं होना है। भूमिहीन किसानों को जमीन नहीं मिलना है, यह सबसे बड़े आन्दोलन के सूत्रपात का बेसिक कारण था। मैं माननीय मंत्री महोदय को अर्ज कर दूं कि अभी आपकी गंग नहर अपने टेड एण्ड पर पहुंच गई है और अगर आपने इस नहर को रिपेयर नहीं किया तो इतिहास इस बात को बतायेगा कि आज आपका सब तरह से स्पेशीलाईजेशन है, कोंक्रीट वर्क का स्पेशलाईजेशन है, इस प्रकार की रबर की राक्स लगाते हैं, हर किस्म का बाईंडिंग मेटर्स में स्पेशलाईजेशन है लेकिन इतिहास याद करेगा कि यह अस्सी मील का पक्का टुकड़ा जो सूरतगढ़ के चूने से, जिप्सम से बना हुआ टुकड़ा सन् 1928 से लेकर 75 तक बिना किसी पेड़ के बिना किसी री-मोर्डलिंग के किस प्रकार स्टेंड कर गया। अब यह गंगनहर भरने के बाद किसी समय भी यह नहर को लेप्स हो सकती है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि कोई इण्टरनेशनल प्राब्लम हो आपने उसमें मात खाई है। कोई भी इण्टर-प्रोविंशियल मेटर हो अपना इण्टरेस्ट सिक्योर नहीं किया है। आपके नर्मदा के पानी का सवाल हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला चले और आपको कमेटी के अन्दर बुलाया

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

नहीं गया। आपका पांच लाख क्यूबिक फीट का हिस्सा तय हो गया लेकिन उसके बावजूद आज तक फाईनेलाईजेशन नहीं हो सका। नर्मदा के पानी से फाईव मिलियन क्यूबिक फीट से आप जालोर के इलाके में सिंचन कर सकते हैं, आप जालोर के लोगों को आश्वासन नहीं दे सकते इसका। वाटर के लिए डिसिजन कुछ भी हुआ है लेकिन वाटर कोई दूसरे ही यूज कर रहे हैं। और अभी आपने कहा कि जनवरी के महीने के अन्दर आपकी पंजाब के अन्दर मीटिंग हुई और उसका नतीजा क्या हुआ? एक हजार क्यूसेक सिधमुख के लिए स्वीकार करा लिया और आपने कहा कि हमने दो सौ क्यूसिक सादुलशहर ब्रांच के लिए एडीशनल मांग को स्वीकार करा ली लेकिन क्या वह पानी अवेलेबल हुआ और क्या आपको यह शेयर प्राप्त हुआ। आप का पंजाब का टेलीफोन सिस्टम यूज हो रहा है। नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, हमने सदन में बारबार एक ही बात कही है कि इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जब तक जोइन्ट कण्ट्रोल सिस्टम नहीं होगा आपको पानी नहीं मिलेगा। भाखरा बोर्ड के चैयरमेन साहब की रिपोर्ट यह है कि आपको भाखड़ा बांध में 1.5 नहीं बल्कि छ: परसेंट से ज्यादा का राइट है। इरिगेशन और पावर कमीशन की स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि इस इलाके में हाई ब्रीड वैराइटी के लिए कम से कम साठ एकड़ के लिए एक क्यूसिक पानी चाहिए और यह सारा भाखड़ा सिस्टम से आप 1.75 परसेंट शेयर लेकर बहुत आनन्द मना रहे हैं। जयसना और बरसाना आज शमशान बन रहा है, वहां 10 परसेंट से 20 परसेंट तक इरिगेशन नहीं होता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, यह सारे प्रश्न अन्तर-प्रान्तीय प्रश्न हैं लेकिन बहुत गंभीर प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों के सम्बन्ध के अन्दर जब तक कोई स्थाई हल नहीं होता है मैं समझता हूं कि राजस्थान की इकोनोमी जनरेट नहीं हो सकेगी। वर्ल्ड बैंक के प्रेशर के अन्दर आकर आपने अपने वाटर की रेट फोर टाइम्स, कई जगह फाइव टाइम्स बढ़ा दी, करों की वसूली लार्ज स्केल पर कर दी। आपने कमिटमेंट निभाने के लिए थर्टी परसेंट गवर्नमेंट और सेवन्टी परसेंट कोंट्रेक्ट वर्क का फार्मूला एक्सेप्ट कर लिया। आपने करोड़ों रुपये की फारेन एक्सचेंज को कुर्बान कर दिया। आपने सब किस्म की डिस्ग्रेसफुल शर्तें स्वीकार करलीं वर्ल्ड बैंक से लेकिन, सभापति महोदय, जो यह परेशानी आप पैदा कर रहे हैं उसको खुद निपटाने के लिए तैयार नहीं हैं। मामूली से मामूली रिलीफ जो कि आप किसानों को दे सकते हैं वह रिलीफ आप देने को तैयार नहीं हैं। आपका सबसे ज्यादा इकोनोमिकल, आपको सबसे ज्यादा पे करने वाला जो प्रोजेक्ट है, गंग कैनाल प्रोजेक्ट है, जो प्रोफिट में चल रहा है आप उसको री-कंस्ट्रेक्ट नहीं करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, सन् 70 के अन्दर गंगानगर के किसानों को यह कहा था कि मोतीराम कमेटी की रिपोर्ट लागू की जावेगी, इस सिस्टम को लिंक किया जावेगा और एवरेज 3.52 क्यूसिक दिया जावेगा, नोन-पेरेनियल को पेरेनियल किया जावेगा और गंग कैनाल में इण्डो-पाक ट्रीटी से जो लोस हुआ है उस बेसिस को लेकर 33 लाख क्यूसिक किया जाएगा लेकिन आज पच्चीस सौ क्यूसिक से ज्यादा रन नहीं करते। आप सन 62 से इस सदन में यह बात कहते चले आये हैं कि आपको कण्टीन्यूअसली एवरेज पांच

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

सौ से छः सौ क्यूसिक का लोसेज होता आया है और इससे करोड़ों रुपयों की, खरबों रुपयों की फसल का नुकसान और करोड़ों रुपयों की रेवेन्यू का नुकसान थोड़ी सी नेग्लीजेंस की वजह से हुआ है जो कि आपको लूज नहीं करना चाहिए । फिर मामूली से मामूली प्रश्न जो हैं, आपकी बाड़ा बन्दी, चाहे कैनाल सिस्टम के प्रश्न को लें, किसानों के प्रश्न को लें, आज की स्थिति में गंग कैनाल क्षेत्र में किसान सुबह उठता है और पाता है कि उसका एरिया कमाण्ड नहीं है । रेवेन्यू रिकार्ड के अन्दर वह इर्रिगेटेड है लेकिन वहां कमाण्ड नहीं है । तो फिर चालीस से पचास परसेंट उसके अन्दर पानी का उपयोग नहीं और दुबारा इसे फसल में लगता है तो उस एरिया में कमाण्ड किया जाय । आज भी यूनिफार्म का कोई सिस्टम आप लागू नहीं करना चाहते । मैं सदन का ज्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहता । तीन साल से ब्रीचेज और कट्स की रिपोर्ट दे रहा हूं । मैं समझता हूं कि 19 ब्रीचेज और 190 ही कट्स मोर देन 350 ब्रीचेज और कट्स ये केवल 73-74 और 74-75 में हुए हैं जिसमें से केवल 27 केसेज कोर्ट में गये हैं और उनमें से भी एक कहावत के अनुसार कि सारी रात रोये और मरा एक भी नहीं और मरा वह भी सुबह उठकर भाग गया उसको भी कोई पनिशमेंट नहीं हुआ । आज सूरतगढ़ फार्म एक रेस्पोन्सिबिल फार्म है आपका । 12-13 अक्टूबर को वहां पर नहर कट कर लिये गये, वहां का जो मैनेजर है उनको आप पहले से ही सवाया पानी देते हैं उसके वहां कोई भी जाय, डी०एस०पी० जाय और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई कार्यवाही नहीं नहर नष्ट हो रही है, आपका बीकानेर से डेजर्ट बढ़ता जा रहा है । चार करोड़ का बकाया चल रहा है रेन्ट, उनको आप यह नहीं कह सकते कि सवाया पानी नहीं देंगे और वह बन्द कर देंगे । सभापति महोदय, सारे कट्स को और भाखड़ा, गंग कैनाल और राजस्थान कैनाल को ले लीजिये, तो रेकार्ड्स क्लोजर हैं । रायबहादुर विहारीलाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि एवरेज क्लोजर 155 हो गये और 74-75 में 222 गंग कैनाल में तो रेकार्ड ही टूट गया । कई जगह पर झगड़े हो गये, और गोलियां भी चल गईं । करनपुर में एस० डी० ओ० साहब अपने बाग में ही पानी ले जा रहे हैं । नहरी इलाके के अन्दर जगह-जगह गोलियां चले गईं और आपका कानून जो है वही पुराना इर्रिगेशन और ड्रेनेज एक्ट, वही दकियानूसी एक्ट है जिसमें इनको कोई पनिशमेन्ट नहीं है, कोई बेलेबल आफेन्स नहीं है, पुलिस स्टेशन में कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं होती है । कोई भी पावरफुल आदमी जितना चाहे पानी ले ले कोई कार्यवाही नहीं होती अगर कोई ईमानदार एस० डी० ओ० वहां चला भी जाय तो वह भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस स्टेशन कोई कार्यवाही नहीं करता । इतने भ्रष्टाचार के मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामलों की भरमार है । हनुमानगढ़ में एस० डी० ओ० साहब ने 1 लाख 40 हजार रुपये का ओवर-पेमेन्ट करा दिया, 85 हजार रुपये एस० ई० के पास जमा करा दिये, ओवर-पेमेन्ट कर दिया, उसका कुछ नहीं हुआ ए० ई० एन० को सस्पेन्ड कर दिया । यह कन्फेशन आफ क्राइम है, सारा का सारा क्राइम उससे सामने आ गया और हुआ अन्त में कुछ नहीं । मंत्री महोदय ने उनको बहाल कर दिया ।

मैं अन्त में कुछ कोलोनाइजेशन के तीन-चार आइटम्स के बारे में और कहना चाहूंगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त कीजियें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अभी तो मेरा समय है । मेरी पार्टी का

श्री सभापति : वह तो समाप्त हो गया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो फिर मेरे मित्रों का समय है ।

मैं अर्ज कर रहा था कि माननीय सदस्य ने एक बात कही कि पंजाबी और गैर पंजाबियों के लिये, परन्तु मेरे लिये तो सब हिन्दुस्तानी हैं । मैं न तो पंजाबियों की और न राजस्थानियों की, मैं तो किसानों की बात करता हूं । कालोनाइजेशन मिनिस्टर महोदय को मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि उनके कानून में आज बहुत बड़े लेकूनाज हैं उसको कन्डोन कर दिया जाय । दो साल बाद, 6 साल बाद और 55 के बाद भी लोगों के पास जमीनें हो रही हैं और आपने एक फोर्जरी का सिस्टम निकाला था उसके बाद भी आपके आनन्दसिंह कछवा, छतरगढ़ में नं० 1-2 में जमीनें ले लेते हैं । आपने हाई पावर कमेटी को पंगू और कमजोर बना रखा है । बड़ी अजीब स्थिति है कि चाहे भटनागर साहब हों, चाहे जेड० एस० झाला, या रूपचन्द माथुर रजिस्ट्रार रेवेन्यू बोर्ड के आज भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं किन-किन अधिकारियों के नाम आपको बताऊं, गोवरधनसिंह, आई० जी०, डी० आई० जी० और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, कोई भी इससे नहीं बचे । फाइलें मांगें तो इनकी फाइलें अवेलेबल नहीं होती हैं । बड़े-बड़े दिग्गजों का तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, चौधरी मनफूलसिंह, चौधरी कुम्भाराम आर्य, रामचन्द्र चौधरी ने अपनी घरवाली के नाम सैकड़ों मुरब्बा जमीन दबा ली, उनकी फाइलें अवेलेबल नहीं होती । रामचन्द्र चौधरी की फाइल अवेलेबल नहीं है । आज भी उन्होंने राजस्थान कैनाल की छाती के ऊपर 25 हजार एकड़ पर ये लोग और बड़े-बड़े राजा-महाराजा बैठे हुए हैं । इसलिए कि आपके कानून में कई लेकूनाज हैं और यह एडवोकेसी की वीकनैस है । इसी वजह से कर्नल हुकमसिंहजी को सीलिंग का नोटिस ही इश्यू नहीं हुआ । छुटभाइयों की तो कोई गिनती ही नहीं है । अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि इन्जीनियरों के बारे में, उनकी पालिसी क्या है कुछ समझ में नहीं आता, कुछ तो इतने रिजिड हैं कि राजस्थान नहर का एक बूंद भी पानी देना नहीं चाहते जबकि किसानों के खेतों में पूरा पानी नहीं है, राजस्थान कैनाल की ब्रीचेज के अन्दर पानी पूरा नहीं है । इसके बावजूद भी 18 हजार एकड़ का पानी केवल तीन हजार एकड़ पर बंटा हुआ है । वहां के हरिजनों ने तंग आकर उस नहर का नाम नागिन नहर रख दिया है जिसमें हरिजन परिवारों को डस लिया । कितने ही ट्रान्सफर हो गये जमीनों के, कितने ही पावरफुल आदमी आ गये और उन गरीबों को कोई कब्जा नहीं मिलता है । सरदारपुरा बीका के 40 परिवारों को जिनको कि सरदारपुरा बीका में जमीन अलाट हो गई थी, डी० सी० फिरोजपुर जाकर अलाटमेंट का रेकार्ड भी लाये । लेकिन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि आज वहां के लोगों ने सैकड़ों रुपया पुलिस वालों को देकर रायसिंहनगर के थाने में बांट रखा है । फूस के झोपड़ों में आग लगा दी । मैं मा० श्री परसराम मदेरणा को उनका एक चित्र इस सदन में भेंट करता हूं जो कि मैं लाया हूं जिनको कि आपने जमीन का कब्जा नहीं दिया है । अंत में मैं यह

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
कहना चाहता हूं आप इसको इम्प्रूव करावें। यह आपका कोलोनाइजेशन विभाग है। मैं निहायत अदब के साथ आपको निवेदन करना चाहता हूं सैकड़ों लोगों की एप्लीकेशन तस्दीक कर दी गई परन्तु आज तक उनको जमीन एलाट नहीं की गई है यह फोटो है....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक सदन की मेज के लिए और एक मंत्री महोदय के लिए।....

श्री सभापति : आप चाहें तो मंत्री महोदय को भेज सकते हैं। क्या यह आप सदन की मेज पर रखना चाहते हैं?...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं यह सदन की मेज पर रखता हूं।

(चित्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई)

और इसके साथ इन हरिजनों और मेघवालों के नाम भी सदन की मेज पर रखता हूं।

ऐसी बहुतसी जमीनें हैं जिनके ऊपर आज आपका जेतसर का फार्म है और काफी जमीन मंडी एरियाज के लिए एक्वायर की गई है, पोंग डैम के विस्थापितों के लिए एक्वायर की गई है। समय समय पर इस समस्या को लेकर एक डेपूटेशन संबंधित मंत्री महोदय और सरकार के मंत्रियों से मिलता रहा है, ऐसे लोगों के जिनको कि एलाटमेंट हो गये थे, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी में लैंड मिलनी चाहिये। आपने इस प्रिन्सीपल को स्वीकार किया है। परन्तु इन लोगों की यह सूची आपके सामने पेश है। 32 ऐसे लोग हैं जिनको कि पट्टे रिन्यूअल नहीं किये गये हैं। हनुमानगढ़ की मंडी से ये लोग उजड़ गये हैं। जेतसर के फार्म से लोग उजड़ गये हैं। इन लोगों को वहां से इजेक्ट किया गया था परन्तु आज तक उनका रिन्यूअल नहीं किया गया है। इन लोगों से हजारों रुपया आफिसरों ने ले लिये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनके नाम खारिज कर दिये गये हैं।........(अनवरत समय-समाप्ति-सूचक घंटी)......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जरूरत से ज्यादा समय ले रहे हैं।......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बहुत बहुत धन्यवाद, यह मैं अर्ज करूंगा कि आप इन सारे प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करेंगे।

श्री सभापति : श्री जयकिशन लाल।

श्री जयकिशन लाल : सभापति महोदय, सिंचाई विभाग की मांगों के ऊपर सदन के अन्दर इनको पारित करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में कुछ सुझाव देने की मैं क्षमता रखता हूं। इन सुझावों से शायद मंत्री महोदय आपके माध्यम से प्रेरणा लेंगे....

कई माननीय सदस्य : जरूर प्रेरणा लेंगे।

श्री जयकिशन लाल : यह समय तालियां बजाने का नहीं है या केवल हंसने का नहीं है। यदि आप गांवों की ओर जाकर

(श्री जयकिशन लाल)

देखें तो जिन किसानों को आपसे बड़ी भारी उम्मीद है, जिनके वोटों से, भारी बहुमत से आप यहां पर आये हैं और आपने सरकार बनायी है, उनके बारे में कुछ बातें यदि यहां पर कहीं जाती हैं तो आप मखौल उड़ाते हैं, तालियां बजाते हैं। यह बड़े दुख की बात है।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के अन्दर विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम क्रियान्वित करें तो इस प्रान्त का उत्थान अवश्य ही हो सकता है। उदाहरणस्वरूप–राजस्थान नहर के बारे में माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। राजस्थान नहर को हर पंचवर्षीय योजना के अन्दर रखा जाता है और हर समय इसके पूरे होने का समय बढ़ाया जाता रहा है। हर पंचवर्षीय योजना के अन्दर इसके लिए कुछ न कुछ धन की राशि, हमारे बजट में रखी जाती है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि यह राजस्थान नहर एक इंच भी आगे नहीं खिसकती है। इसके बारे में कौनसा तथ्य छिपा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि विश्व बैंक से हमको जो धनराशि मिली है, यदि उस धन-राशि का सही रूप से उपयोग करें तो फायदा हो सकता है। अभी मुख्य मंत्री महोदय की एक घोषणा अखबारों में छपी है जिसमें यह कहा गया है कि राजस्थान नहर की प्रगति के लिए एक विशेष विभाग बनाया जायेगा। इस विशेष विभाग में अलग अलग कर्मचारियों की नियुक्ति की जाये जो केवल मात्र राजस्थान नहर की प्रगति के बारे में विचार-विमर्श करता रहे और इसकी उन्नति की ओर ध्यान देता रहे। इस बारे में मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की धारणा केवल मात्र अखबारों तक न रखें–इसको क्रियान्वित भी करें। इस राजस्थान नहर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि वह जनता जो इसके पानी के लिये लालायित है, इसके लिए वर्षों से उम्मीद कर रही है कि कब ये योजना पूर्ण होगी–तो इसके पूरा करने से गरीब किसानों, गरीब मजदूरों की खुशहाली होगी। यह सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए मेरा निवेदन है, और सुझाव है कि इस राजस्थान नहर को, चाहे किसी भी प्रकार हो, शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाये। मेरा यह भी निवेदन है कि जिन योजनाओं के लिए हम धनराशि का प्राव-धान करते हैं और उनमें वह धनराशि नहीं लगती हैं, बचती है तो उसको राजस्थान नहर पर लगा दिया जाये, उधर खर्च नहीं होती है तो उस धनराशि को राजस्थान नहर की प्रगति के लिये लगा दिया जाये तो वास्तव में यह राजस्थान नहर पूरी हो सकती है।

दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे जयपुर महाराजा पर छापे मारे जा रहे हैं और वहां से करोड़ों–अरबों की सम्पत्ति मिली है। हमारी राज्य सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार को एक विशेष प्रकार का निवेदन किया जाये कि यह जो माल यहां से प्राप्त हुआ है उस धनराशि को यदि राजस्थान नहर के लिए खर्च कर दिया जाये और उसके अन्दर से कुछ हिस्सा बड़ी बड़ी योजनाएं जो सिंचाई की हैं, उनके ऊपर लगा दिया जाये तो हमारा जो राजस्थान एक प्रकार से पिछड़ा हुआ प्रान्त है, इस प्रान्त की बेहबूदी हो सकती है और उन्नति के शिखर

(श्री जयकिशन लाल)

पर पहुंच सकता है । इसलिए सभापति महोदय मेरा यह निवेदन है कि सिंचाई विभाग जितनी भी सिंचाई की योजनाएं बना सकता है बनावे और एक विशेष प्रकार की योजना बने तो सिंचाई के क्षेत्र का विकास हो सकता है ।

साथ ही साथ, सभापति महोदय, मैं उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे क्षेत्र के अन्दर कई प्रकार के बांध हैं, लघु सिंचाई होती है, गोपालपुरा बांध है, फागी तहसील के अन्दर, खेतड़ी का बांध है जो चाकसू तहसील के अन्दर स्थित है। हर वर्ष इनके ऊपर किसी न किसी प्रकार की राशि रखी जाती है लेकिन माननीय मंत्री महोदय मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसी कारणवश यह जो धन की कमी का नाम लेकर इस बांध को केवल मात्र यों का यों रखा जाता है । मेरा विशेष आग्रह यह है कि जितनी धनराशि उपलब्ध है वह करायी जाये । इसका सर्वेक्षण कराया जाये । इसका सर्वे भी हो चुका है। मेरा निवेदन है कि इस सर्वेक्षण के आधार पर इस बांध को पूरा करा दिया जाये ताकि जो अन्न की भंयकर समस्या है वह हट सके । दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि दूदू तहसील के अन्दर एक छापखाड़ा बांध है । यह दूदू तहसील और फागी तहसील की मिली हुई भूमि में हैं और वहां इससे सिंचाई होती है । मेरा निवेदन है कि इसको दो फीट ऊंचा बढ़ा दिया जाये तो आज जितने एकड़ में सिंचाई होती है उससे कई हजार एकड़ भूमि में और सिंचाई हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका सर्वेक्षण हो गया है, इसके लिए किसी न किसी प्रकार से राशि का प्रावधान रख कर इसको पूरा कराया जाये । आशा है इसकी ओर ध्यान दिया जाएगा । ताकि इस क्षेत्र की हालत सुधर सके । दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भूतपूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर श्री दामोदरलालजी व्यास ने फागी तहसील के मण्डोर जो उस तहसील के अन्दर एक प्रकार का मैदान है, शायद वहां पर सर्वेक्षण हो गया है उसको बांडी नदी पर बांधने का आश्वासन दिया था । इसके बंध जाने से पूरा का पूरा, इलाका, टौंक जिले का भाग और उसके बीच में आने वाला जयपुर का कुछ भाग उसकी पूर्णरूप से सिंचाई हो सकती है । इसके ऊपर थोड़ा ही धन खर्च होगा । मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की योजना बना दी जाये तो हमारा क्षेत्र ऐसा उपजाऊ है, जिसको बिजली और सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दिये जाएं । इस फागी और चाकसू तहसील तो मंत्री महोदय, दूसरा गंगानगर बन सकता है राजस्थान का, जिस गंगानगर पर आज राजस्थान को गर्व है । वैसा ही इलाका हमारा यह क्षेत्र भी हो सकता है । इसलिए मेरा यह निवेदन है आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, कि इस प्रकार की योजना बना दी जाय तो वहां पर इसका बहुत अच्छा लाभ हो सकता है । (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, अभी 7 मिनिट ही तो हुए हैं ।

श्री सभापति : आप कृपया ध्यान रखें समय का ।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : आप घंटी बजा देते हैं तो हमारा लिंक टूट जाता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार की जो लघु सिंचाई योजनाएं प्रत्येकक्षेत्र के अन्दर हैं यदि उनका पूर्णरूप से सर्वेक्षण करवा दिया जाय, यदि उनका कार्य सही रूप से किया जाय तो यह जो आज का किसान है

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

जिसके लिए मैंने कल फर्माया (कहा) था कि यह हमको अन्न देता है, धन देता है, कपड़ा देता है, सब कुछ देता है, तो इस प्रकार के वर्ग का उत्थान इस तरह से हो सकता है।

कृषि और बिजली दोनों का साथ है। सामूहिक रूप से इनसे हमारे क्षेत्र का ही नहीं सारे प्रान्त का, और देश का उत्थान हो सकता है। इसके अन्दर अगर एक भी चीज दूसरे प्रकार से मिलती है तो किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है।

साथ-साथ जैसा हमारे जयपुर जिले के अन्दर काणोता बांध है जिसका सर्वेक्षण कर लिया गया है, जैसे बनाड़ी बांध है, दांतली बांध है, जो चम्बल प्रोजेक्ट है इसका सरकार द्वारा सर्वेक्षण करवाकर निर्णय लिया गया है तो इसके अन्दर यदि उसी ढंग से कार्य किया जाय तब जाकर सारा का सारा लाभ पहुंच सकता है, नहीं तो, राजस्थान नहर की तरह से उपेक्षा बरती गई तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक ढंग से प्रत्येक क्षेत्र की योजना लेकर सही रूप में उसको कार्यान्वित किया जाये तो वहां के किसानों के लिए बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। मेरे क्षेत्र फागी में हचुकड़ा ग्राम में मासी नदी का एनीकट भी ठीक कराना चाहिए।

चम्बल क्षेत्र के अन्दर और राजस्थान नहर क्षेत्र के अन्दर विश्व बैंक से जमीन को समान बनाने के लिए जो राशि हमें प्राप्त हुई है यदि इन दोनों नहरी क्षेत्रों के अन्दर जमीन का लेवलिंग किया जाय, उसके अन्दर जो ऊबड़-खाबड़ जमीन है उसको ठीक ढंग से बराबर किया जाय तो जिन किसानों को अकाल के कारण या बाढग्रस्त होने के कारण सही रूप से उनके खाने-पीने की व्यवस्था नहीं जुटा पाते हैं उनकी व्यवस्था करने के आधार पर जमीन का लेवलिंग करके, उसको समान बनाकर उसके ऊपर छोटे छोटे प्लाट बनाकर जो किसान बाहरी क्षेत्रों से वहां जाकर बसना चाहते हैं यदि उस पैसे को ठीक ढंग से खर्च किया जाय तो वहां के किसानों के लिए बहुत अच्छा लाभ हो सकता है।

साथ ही साथ इन नहरों के अन्दर डिविजन खोलने की व्यवस्था की जाय। विभाग द्वारा उसके अन्दर जो व्यवस्था थी यदि वह कर दी जाय तो दूसरे कर्मचारी भी वहां पर काम कर सकते हैं और उस क्षेत्र का अच्छी तरह से भला हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, दूदू तहसील के अन्दर एक बांध है जिसके पानी से फागी और दूदू तहसील के अन्दर सिंचाई होगी। उसके अन्दर से एक नहर निकाली गई है। वह पालक नाम की नहर है। वह नहर जहां बांध से निकलती है वहां पर रेतीली जमीन है और टीले ही टीले हैं। उसको पक्का बना दिया जाय। आये दिन जो पानी उसका जमीन में चला जाता है और नष्ट हो जाता है और सिंचाई जितनी हम करना चाहते हैं उतनी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि उस नहर को पक्की बना दिया जाय ताकि जितना पानी उसका नष्ट होता है वह बच जाय।

श्री ओंकारलाल चौहान : फागी का ध्यान रखें।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : फागी का ध्यान इसलिए रखा जाता है कि वहां पर मेरा जन्म हुआ है, वहां का रहने वाला हूं और वहां से जीतकर आया हूं। आप अपने

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)
क्षेत्र का ध्यान रखें, भाई साहब ।

पालक की नहर के पास एक मेंढ़ा नदी है उसके उत्तरी साइड में। यदि उस नदी को मोड़कर उसका पानी जो व्यर्थ ही बहकर चला जाता है। कहते हैं कि उसका सर्वेक्षण हो चुका है। यदि नहीं हुआ है तो और करा लें। उसको मोड़कर पालक के बांध में जोड़ दिया जाय तो वह पानी से भर जायगा और जितनी ऊंचाई इस पालक बांध की है यदि उसको और ऊंचा कर दिया जाय तो वहां पर हमारे इलाके को अच्छी तरह से पानी मिल सकता है।

यदि इस प्रकार की योजनाएं हम बनाकर, यदि वास्तव में हम किसानों का भला करना चाहते हैं, यदि हम अनाज जिस ढंग से पैदा करना चाहते हैं, और जो बातें हमारे विभाग के अन्दर हैं कि इस प्रकार से अनाज पैदा करके किसानों से लेवी लें, और उस ली हुई लेवी से जो मजदूर वर्ग है, वह जो गरीब मजदूर वर्ग है उसका भला करना चाहते हैं, तो उनको क्रियान्वित करें। समाजवाद की घोषणा हम अवश्य करते हैं, लेकिन जब तक गरीबों को सही रूप से, सही प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तब तक वह सच्चा समाजवाद नहीं कहला सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : सिंचाई के आधार पर लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आदिवासी क्षेत्रों का सर्वेक्षण हो। यह "आदिवासी" और "अनादिवासी" दो प्रकार के शब्द हैं उनको क्यों न खत्म कर दिया जाय ? आदिवासी और अनादिवासी, यह दो शब्द और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या सवर्ण यह तीन-चार प्रकार के जो शब्द हैं उनको विकास की दृष्टि से सामने नहीं लाना चाहिए।

श्री सभापति : जो कुछ कहना चाहते हैं आप अपनी समस्याओं के लिए बात करें। आप कृपया समाप्त करें।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : मेरा कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों को लेकर चलते हैं, तो उनका सर्वेक्षण करवाया जाय कि इस प्रान्त के किस हिस्से में आदिवासी या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो केवल मात्र किसानों के पीछे अपना जीवन-यापन कर रहे हैं, जिनके लिए भूमि नहीं है। जब भूमि होगी तो सिंचाई के साधन भी होंगे इसलिए सारे क्षेत्रों को लेकर सही रूप में जब तक विकास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है।

दूसरा मेरा यह सुझाव है कि किसान जब अपने खेतों के अन्दर पानी देता है तो किसान को यह नहीं मालूम रहता है कि उस फसल के अन्दर कौन से समय पर कितना पानी देना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन ऐसा है कि इस प्रकार से सर्वेक्षण करके किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए इस प्रकार के कालेज खोल दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया समाप्त करें। आपका इतना खयाल रखा है। आर्डर प्लीज। आप अप्रासंगिक बातें करते हैं। आपको समय के अलावा समय दिया है। और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। आप कृपया समाप्त करें।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : दो मिनिट के अन्दर।

Page No 144

(१४४)

श्री सभापति : आप एक मिनिट में समाप्त करेंगे।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार से किसान को प्रशिक्षित करें कि किसान को कब पानी दिया जाय, कौनसी फसल को कितना पानी दिया जाय। जैसे अभी छापरवाड़ा के बांध से पानी निकाला गया तो पके हुए थे चने उनके अन्दर दो-दो, तीन-तीन पानी दे दिया गया तो वह चने गल गये। तो मंत्री महोदय से मेरा निवेदन यह है कि एक विशेष प्रकार की समिति बना दी जाय....

श्री मनोहरलाल : चुन्नीलालजी इंदलिया के सभापतित्व में।

श्री जयकिशन लाल तोतावडा : जिसके मार्फत किसानों के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था कर दी जाय जो उनको प्रशिक्षण दें कि इतने दिनों के बाद इतना पानी देना चाहिए।

जब तक सिंचाई के साधन पूर्णरूप से उपलब्ध नहीं करायेंगे, जब तक इस प्रकार की बातें वे नहीं जानते हैं तब तक उससे फायदा नहीं है। विकास तभी हो सकता है जब कि पूरी तरह से योजना क्रियान्वित करके सही रूप में सही समय के अनुसार उपलब्ध करायेंगे तभी जाकर लाभ हो सकता है।

श्री सभापति : श्री दीपंकर।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर): सभापति महोदय, हमको मौका दें।

श्री सभापति : जिस क्रम में लिखा है उसमें आप भी आयेंगे।

श्री नत्थीसिंह : क्रम में तो कल भी नहीं मिला और आज भी नहीं मिला।

एक माननीय सदस्य (विपक्ष) : आगे भी नहीं मिलेगा।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : सभापति महोदय, राजस्थान कैनाल के बारे में, गंग कैनाल के बारे में, काफी चर्चा हो चुकी है और वहां के रहने वाले काफी सम्माननीय जो इस सदन में हैं वह अधिक विस्तार से प्रकाश डाल सके हैं। मेरा यही निवेदन करना है कि जब यह नहर चली तब गंगासिंहजी को विश्वास था कि काश्तकार पढ़े-लिखे नहीं हैं और क्योंकि पंजाब की साइड से पानी लाया जा रहा है तो ऐसे लोग भी लाये जायं तो खेती और आबादी दोनों हो सकेगी। परन्तु अब ऐसी स्थिति हो गई है कि राजस्थान में जब यहां के किसान भूमिहीन हैं और भूखों मरते हैं, उनको उपज के लिए कोई जमीन देने वाला नहीं है तो हमारे पास साधन क्या हैं? चाहने वाले ज्यादा हैं और उपज कम होती है, तो एक समस्या उत्पन्न होती है। उसकी तरफ आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो जैसे जैसे राजस्थान कैनाल का नाम या किसी कैनाल के नाम से पानी बढ़ता चला जा रहा है, त्यों त्यों पंजाब के आदमी उसके साथ साथ बहते चले आ रहे हैं। वह जमीन 8 रु० बीघा से लेकर आज 500 और 800 रु० बीघा तक पहुंच चुकी है। मैं यह नहीं कहता हूं कि सारा भारत एक है। परन्तु एक तरफ राजस्थान में बेकारी होगी तो यहां पर हो हल्ला होगा। क्योंकि कितनों को आप काम दे पायेंगे। तो ऐसे लोगों को वहां रखना चाहिए। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं, उनके बारे में तहसीलदार को यह हिदायत होनी चाहिए कि जो आदमी भूमिहीन हैं, उसके लिए यह भी आवश्यक है कि वह राजस्थानी हो।

(श्री दीपंकर)

यह देखना चाहिए कि वह राजस्थानी है या नहीं। इस बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। और कोई विशेष बात नहीं कहना चाहता हूं। कुछ बातों के बारे में, मैं नागौर जिले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। नागौर जिले में लिफ्ट इरिगेशन योजना आयेगी। वहां पर अधिकारी लोग गये। और सरकारी रिकार्ड में भी यह है। जो यह कहा गया था, वह कब होगा। क्या कमी है, मैं समझ नहीं पाया हूं। इसके स्पष्टीकरण की जरूरत है ताकि हम इलाके में जायें तो लोगों को बता सकें।

दूसरा यह है कि लघु सिंचाई की योजनाएं जो नागौर जिले के लिए बनाई उनकी कोई उपयोगिता है या नहीं। जिनको सरकार के फाइनेंस कार्पोरेशन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेण्ट ने भी माना है। लाडनूं, डेगाना, डीडवाना हैं। ऐसी लघु सिंचाई योजनाओं के द्वारा उनको लागू करना चाहिए जिससे आपकी उपज बढ़ेगी। इसके साथ साथ लोग लालायित हैं। जब भीमसर बांध का सर्वे हुआ तो वहां यह बताया गया है यह अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर योजना बनाई है। लोगों को यह बताया गया है। वहां पर यह बताया गया है कि कितना पानी है। लाडनूं तहसील के बारे में, मैं निवेदन करूं कि कितना तेल मिलता है। पानी की वहां पर कमी नहीं है। उसी पानी का उपयोग लघु सिंचाई योजन के लिए प्रारम्भ करें। यह योजना कागजों में क्यों पड़ी रहे। इसलिए उस एरिया की ओर मैं ध्यान आकर्षित करता हूं। छोटे बांधों की स्कीम शुरू हुई है। वह अधूरी पड़ी है। उनको पूरा करना चाहिए। चाहे उनको एग्रीकल्चर बजट से आप पूरा करें या सिंचाई विभाग से। परन्तु बांधों के जो अधूरे काम पड़े हैं, उनको आप पूरा करें। लाडनूं तहसील में एक भंवरा नाम का डूंगर है। वहां बरसात के दिनों में पानी आता है तीन चार गांव वहां उस पानी में डूब जाते हैं वहां की जो उपजाऊ जमीन है वह रेतीली हो जाती है। काश्तकारों की सारी की सारी भूमि बेकार हो जाती है। इस बांध का सर्वे दो तीन वर्ष पहले हो चुका है। परन्तु इस योजना को अभी शुरू नहीं किया गया है। इसको शुरू करना चाहिए। ताकि वहां की उपज बढ़ सके। लोगों की पानी की समस्या हल हो और आप को वाहवाही मिले। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह सर्वे रिपोर्ट पड़ी है, इसको क्रियान्वित कराया जाये।

मैं निवेदन करूंगा कि भैरुंडा गांव प्रसिद्ध है। आपके राजस्थान के नक्शे में प्रसिद्ध है। वहां कितना पानी है। लोग पानी ले रहे हैं। लेकिन आप योजना क्यों नहीं लाते हैं। कई ऐसे स्थान हैं, जहां पानी की अच्छी उपयोगिता हो सकती है। लाडनूं, डेगाना, नागौर, ऐसी जगह हैं, जहां दो तीन साल पहले वहां लोगों ने अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड में रुपये जमा कराये हैं। वह काश्तकार हैं, जो अपने खेतों में कुए खुदवाने और गहरे कराने के लिए रुपये जमा कराये हैं। उनका लाखों रुपया जमा है। न तो वहां पर मशीन जाती है, जिससे कि उनके कुओं को गहरा किया जाये और न उनके रुपये लौटाये जाते हैं। या तो यह कह दें कि घाटे में रकम जमा कर ली है या मशीन भेज कर उनके काम को करा दिया जाये। कई लोगों की तरफ से गौशाला की तरफ से, सरपंचों की तरफ से रुपये जमा कराये गये हैं। उनका निपटारा करना चाहिए। मैंने भी कई पत्र लिखे हैं, कुछ लोग चीफ इंजीनियर से जाकर मिले भी हैं। डेगाना

(श्री दीपंकर)

और लाडनूं के लोग जाकर मिले हैं। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : सभापति महोदय,...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

एक माननीय सदस्य : जब तक मांगें पारित न हो जायें तब तक के लिए बढ़ा देना चाहिए।

श्री सभापति : अब तो हो गया है।

श्री दीपंकर : लाडनूं, डेगाना और मेड़ता के लिए योजना बनाई गई हैं। उनके पानी का उपयोग नहीं होता है। ऐसी योजना बने जिससे कि उस पानी का समुचित उपयोग समाज के लिए मिल सके। फैमिन ज्यादा पड़ता है। अगर काश्तकार दुख सुख उठाकर बेरा खोद लेता है और उससे 5 बीघा भी जमीन सिंचित होती है तो उसका परिवार उसके आश्रित रह जायेगा। इसमें शक नहीं है कि ऐसे बेरों का उपयोग करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यही मेरा निवेदन है। मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। एक मेरा निवेदन यह भी है कि जो सजावटी बगीचे हैं बड़े आदमियों के उनको पानी न दिया जाये। जो छोटे छोटे किसान सब्जी आदि की उपज करते हैं, उनको दिया जाना चाहिए। उन बड़े लोगों को पानी देना तत्काल बन्द कर दिया जाये। राजस्थान नहर के बारे में मुझे निवेदन करना है। ट्रेजरी बेंचेज पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार पर दबाव नहीं डाला जा रहा है कि डिफेन्स डिपार्टमेंट को कन्विन्स करना चाहिए और डिफेन्स के अन्तर्गत इस नहर को बनाना चाहिए ताकि जिस तरह से लाहौर के आगे उच्छ्गल नहर बनी थी....

श्री गुमानमल लोढ़ा : उच्छुगल नहीं उच्छोगिल।

श्री दीपंकर : उसी तरह यह नहर बने, इसको भारत सरकार अपने कब्जे में ले सकती है और इसको राष्ट्रीय योजना के रूप में ले सकती है। इसलिए जरूरी है कि इस नहर को बनायें। यह नहर जिस दिन बन जायेगी उस दिन राजस्थान का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायगा। राजस्थान नहर के पूरी बन जाने से हमारा उत्पादन बढ़ेगा, सरप्लस पानी होगा जिसे जहां पर कमी होगी वहां दे सकेंगी। इसलिए निवेदन है कि जिस तरह से डिफेन्स के जरिये रोड्स बना सकते हैं, डिफेन्स के पास बहुत बजट होता है, एक्सेस बजट होता है, जिसको वह आउट नहीं करते हैं कि किस पर खर्च करना है, डिफेन्स के जरिये, डिफेन्स को कान्फीडेंस में लेकर इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। यह उपयोगी होगा और राजस्थान का उपज के मामले में नाम होगा और लोग सुखी रहेंगे।

दूसरी तरफ भाखरा के मैनेजमेंट का सवाल है। इसमें कोई शक नहीं कि कोई

(श्री दीपंकर)

नहीं पूछता है, जहां पर नाली टूटी पड़ी है, वह पड़ी है, जहां नहर की मरम्मत होनी चाहिए वह नहीं होती है। इसके पीछे एक बात की ओर ध्यान दिला कर मैं जो बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि कोई छोटी सी संस्था चलानी पड़ती है, एडेड स्कूल की, चाहे मिडिल स्कूल की, चाहे सैकेण्डरी स्कूल की, उसके पीछे व्यक्ति का जीवन चाहिए, उसके पीछे कार्यकर्ताओं का ग्रुप चाहिए, वह अपना समय निकाल कर अपने व्यस्त जीवन से, रोजगार से संस्था को जीवित रखने के लिए तल्लीन होकर डिपार्टमेंट से सम्पर्क कायम कर सकते हैं, तब ही संस्था जीवित रहती है। उसी तरह से यह विभाग सबको जीवित रख सकता है, जो राजस्थान को अकाल से बचा सकता है, जो राजस्थान में ज्यादा पैदावार बढ़ा सकता है, जो राजस्थान को एक एक बूंद पानी का उपयोग कर सकता है। यह तभी सम्भव है जबकि कोई न कोई इस प्रकार की कमेटी बनायी जाय, मंत्री महोदय अपनी चेयर मैनशिप में बनायें या अधिकारियों को साथ में लेकर बनायें, जो कि भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा जहां पर योजनायें चल रही हैं, उनका बराबर चैकिंग करता रहे। आप इस महकमे को इस तरह का महकमा न बनायें, जैसा कि पी० डब्ल्यू०डी० के अन्दर होता है, वह सब कुछ आंकड़ों में बना सकते हैं। यह सड़क बना रहे हैं, इसमें इतना खर्च होगा, यह सड़क बन गई है, यह सड़क पूरी हो गयी है और यदि मौके पर जायं तो मालूम होगा कि सड़क बनी नहीं है। इस प्रकार के उदाहरण हमारे बोर्डर एरिया में रहे हैं। इस कारण से यह योजना है, इसका बहुत महत्व है, आज हमारे लिए पानी बहुत जरूरी है, पानी सबसे पहले है–वह नहीं मिले तो कुछ नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम हमारे यहां के पानी का समुचित उपयोग कर सकें। इस दृष्टि से इतना कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। मंत्री महोदय, आयन्दा इस विरोधी पक्ष को यह कहने का मौका न मिले कि दिल्ली में लाबी नहीं बनी है। आप लाबी बना सकते हैं। भारत सरकार के पास पैसा है, इसमें शक नहीं है, नयी योजना बना सकते हैं इसमें शक नहीं है, केवल सोचने का तरीका चाहिए। आप डिफेन्स वालों को समझा सकते हैं कि आप रोड का जाल बिछा कर हमारे प्रदेश की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर तरीका हम बताते हैं। हमारे यहां के जो अन-एम्पलायड लोग हैं, भूमिहीन काश्तकार हैं, छोटे काश्तकार हैं। उनको काम मिलेगा और इस कैनाल को पूरा करने से हमारे उत्पादन पर असर पड़ेगा, साथ ही आप डिफेन्स की व्यवस्था अच्छी बना सकते हैं। आपको डिफेन्स को कन्विन्स करके इस योजना को पूरा करना चाहिए। बस इतना ही निवेदन है।

श्री सभापति : श्री श्रीराम गोटेवाला !

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन !

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : सभापति महोदय, प्रस्तुत मांगों पर मैं संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करूंगा। सभापति महोदय, राजस्थान राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा अभी अकाल से प्रभावित है, और हमारे इस प्रदेश में अकाल पड़ता रहता है। इस अकाल के स्थायी हल के लिए हमारे राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इस बात

Page No 148

(148)

(श्री भीमसेन)

का सुझाव दिया, क्या राजस्थान नहर की इर्रिगेशन इन्टेन्सिटी को कुछ कम करके ऐसे इलाकों में पानी ले जाया जा सकता है, जो कि अकाल से प्रभावित इलाका है और अकाल का स्थायी हल दे सकते हैं ? राज्य सरकार ने सिद्धान्तः रूप में इस बात को स्वीकार किया है, राष्ट्रीय कृषि आयोग के सुझाव के अनुसार उसको कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये जायं । मैं समझता हूं, यह उचित दिशा में एक उचित कदम होगा । इससे ऐसे इलाके में, जो इलाका हमेशा अकाल से प्रभावित रहता है, सिचाई की सुविधा दे सकते हैं और उसे अकाल से मुक्ति दिला सकते हैं । कुछ माननीय सदस्यों के दिमाग में भ्रम बना हुआ है, राजस्थान नहर की सैकिड स्टेज है, वह शायद अधूरी रह जाय, पूरी नहीं हो । मैं समझता हूं कि ऐसी कोई मन्शा नहीं है । गंग कैनाल की इन्टेन्सिटी साढ़े बारह पर्सेन्ट है, भाखरा की 65–70 पर्सेन्ट के बीच में है और राजस्थान कैनाल की इन्टेन्सिटी 110 पर्सेन्ट है । इसकी इस इन्टेन्सिटी को, जो 110 पर्सेन्ट इन्टेन्सिटी है, उसको कम करके 80–90 पर्सेन्ट इन्टेन्सिटी करके बाकी पानी को ऐसे इलाकों में ले जाया जा सकता है जो अकाल से प्रभावित रहते हैं ताकि वहां अकाल का स्थायी हल मिल सके । मैं समझता हूं, इस दिशा में सरकार को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है ।

इसी तरह से, माननीय सभापति महोदय, इस सदन में बराबर मांग चलती है कि राजस्थान में बारह महीने चलने वाली नदियों की बहुत कमी है । हम बाहर से चाहे नर्मदा का पानी हो, चाहे सतलज, व्यास का पानी हो, चाहे राबी का पानी हो–इस पानी से हम अपने इलाके को सिंचित कर सकते हैं । नर्मदा के पानी के सम्बन्ध में अभी तक विवाद चल रहा है । उसका फैसला नहीं हो पाया है । मैं समझता हूं, राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए जिससे यह समस्या सदा के लिए हल होकर हमारे बाड़मेर और जालौर जिले भी इससे लाभान्वित हो सकें । ऐसी योजनाओं को निर्माण करने के लिए और उनको कार्यान्वित करने के लिए, मैं समझता हूं, राजस्थान सरकार को धीरे धीरे कछुए की चाल से न चल कर इस समस्या का तत्काल समाधान करना चाहिए ।

इसी तरीके से सदन में आवाज उठती है कि हमारे राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा, जो रेगिस्तानी इलाका है, अकाल से प्रभावित रहता है । इस समस्या को हम सदा के लिए सुलझा सकें, इसके लिए पड़ौसी प्रदेशों के बरसात के समय फ्लड वाटर का उपयोग करने की बात चलती है । सदन में कहा भी है कि इसके बारे में कार्यवाही चल रही है । मैं समझता हूं, इस दिशा में केवल बात हो जाती है । उसके अलावा एक्टिव कन्स्ट्रक्टिव स्टेप लिये जा रहे हैं ऐसी योजना नजर नहीं आती है । मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार पहल करके इस दिशा में कदम उठाये और जितना पानी उपलब्ध हो सकता है खरीफ की फसल के लिए, वह लें । मैं समझता हूं, यह राजस्थान के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा । इस पानी को उपयोग में ले सकते हैं और भारत सरकार या दूसरी राज्य सरकारें रास्ते में आती हैं तो उनसे बात करके हल निकाल सकते हैं ।

(श्री भीमसेन)

इसी तरह से चम्बल और राजस्थान कैनाल क्षेत्र में मण्डी विकास का कार्य है, यह बहुत मन्द गति से चल रहा है। इस सम्बन्ध में पिछले सत्र में भी माननीय मंत्रीजी ने इस बात का आश्वासन दिया था कि हम स्वायत्त शासन निगम बनाना चाहते हैं, जिससे मण्डी विकास के कार्यक्रम को तेजी से हम कार्यान्वित कर सकें। मुझे खेद है, मंत्रीजी के आश्वासन के बाद, जबकि उन्होंने कहा कि पन्द्रह दिन के अन्दर निगम निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा, आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मुझे मालूम हुआ है, यह मंत्रिमण्डल के विचाराधीन है। मैं समझता हूं, इस बारे में जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लेना चाहिए ताकि मण्डी के काम में विकास हो सके।

मैं मेरे क्षेत्र में खाजूवाला मण्डी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अनूपगढ़ और बीकानेर के अलावा किसानों की उपज को लेने की व्यवस्था नहीं है। इस मण्डी की व्यवस्था की जा सके तो काश्तकारों को काफी लाभ होगा।

इसके अलावा मेरे इलाके की समस्या है, जिसके बारे में, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हरिजनों को पट्टे दिये गये, साढ़े पांच लाख लोगों को, लेकिन मेरे क्षेत्र लूणकरणसर में महाजन, छत्रगढ़, उदयसर–इन चार क्षेत्रों में हरिजनों को पट्टे नहीं दिये गये हैं। जानकारी लेने पर बताया गया कि राज्य सरकार का यह निर्णय है कि जहां मण्डी का निर्माण हो रहा है वहां पट्टे नहीं दिये जायं। वैसे यह मन्शा नजर नहीं आयी, राज्य सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में हरिजनों को पट्टे देने की नीति थी उसको कार्यान्वित किया जाय। लेकिन मुझे खेद है, इन चार स्थानों पर हरिजनों को पट्टे नहीं दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में, मैं चाहता हूं कि तत्काल कार्यवाही की जाय।

इस तरह से हमारे लूणकरणसर में मण्डी के विकास के बारे में अभी तक वहां का मास्टर प्लान पूरा नहीं हुआ। मुझे मालूम है कि इस बारे में विभाग कार्यवाही कर रहा है और जल्दी से जल्दी इसका मास्टर प्लान तैयार हो जाए ताकि वहां पर मण्डी का विकास और छोटे मोटे उद्योग धंधों के संबंध में भी लोगों को जमीन उपलब्ध हो जाए जिससे वे उद्योग धंधे लगाने की कार्यवाही कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह अपने विभाग के लिए अधिक से अधिक राशि स्वीकृत कराने के लिए संकल्प हैं और मैं चाहता हूं कि राजस्थान नहर के निर्माण के लिए भी जो सदस्यों में बेचैनी है, इस नहर के निर्माण के लिए जिस राशि की आवश्यकता है उस राशि के लिए हमें विश्व बैंक या किसी एजेंसी से पैसा लेकर इसके निर्माण कार्य में गति ला सकें तो राजस्थान के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): सभापतिजी, आज सदन में सिंचाई की मांग पर विचार हो रहा है। बीकानेर से लूणकरणसर की जो लिफ्ट योजना है उस योजना से बीकानेर शहर तक जहां भी पानी नहीं है, उन लोगों को

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

पीने का पानी देने के संबंध में जिस समय पर इस योजना को पूरा करना चाहिए था वह नहीं किया। खेद है कि निर्माण कार्य बहुत धीरे चल रहा है। मैं चाहूंगा योजना को जल्दी से पूरा किया जाए ताकि छोटी मोटी सिंचाई हो सके और उस लम्बे इलाके में जहां मीलों तक पीने का पानी नहीं है, उस योजना से वहां के काश्तकारों को और उनके पशुओं को पीने का पानी मिल सके। इसी तरह से, सभापतिजी, अमरपुरा से नोखा और नागौर लिफ्ट स्कीम है उस स्कीम को जल्दी से जल्दी राज्य सरकार चालू करने की कृपा करे ताकि बीकानेर का जो सूखा इलाका है उसके गांवों के लोगों को पीने का पानी मिल सके और छोटी मोटी सिंचाई हो सके। अमरपुरा से नोखा व नागौर लिफ्ट योजना का सर्वे किया जा चुका है और दुबारा किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इस पर जल्दी से जल्दी खुदाई का कार्य अगर चालू करें तो भयंकर सूखे के समय में ग्रामीण लोगों को काम भी मिल सकेगा, वे मजदूरी करके अपना गुजर कर सकेंगे।

इसी तरह से बीकानेर जिले की नोखा तहसील का जो गांव का इलाका है, वहां पानी जमीन में बहुत अधिक है और पानी नीचा ऊंचा भी है। विभाग की जो रिपोर्ट है उसको देखते हुए अगर ट्यूब वैल्स से वहां खेती की जाए तो निश्चित रूप से अनाज का जो संकट है वह जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। सभापतिजी, खेद का विषय है कि इस भयंकर अकाल में राजस्थान कैनाल पर जो इस समय खुदाई का कार्य चल रहा है, वहां अकाल पीड़ित मजदूरों द्वारा जो काम हो रहा है, उन लोगों को जो खाने के लिए माइलो सरकार द्वारा दिया गया है उसको पशु भी नहीं खा सकते। मैं इस बात को कहे बिना नहीं रह सकता कि उसमें धतूरा और पोइजन मिले हुए हैं कि जिससे लोगों की मौत खाने से हो सकती है। राज्य सरकार जिन मजदूरों को अनाज दे रही है याने माइलो, उन मजदूरों से पहले इस बात की गारंटी लेते हैं कि इसके खाने से अगर आदमी मर गया तो राज्य सरकार और विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ....

श्री लक्ष्मणसिंह : शेम शेम।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सदन में कहते हुए मुझे शर्म नहीं आती। यह सही बात है। मैं राजस्थान कैनाल के कैम्पों पर गया हूं। माइलो को मैंने देखा है, उसको पशु भी नहीं खा सकते। लेकिन हमारी व्यवस्था मजदूरों के लिए नहीं है, हमारे राज्य की व्यवस्था तो बड़े लोगों को अच्छा अनाज देने की है। जिसके पास अच्छे साधन हैं, पैसा है ऐसे लोगों को राज्य सरकार खाने के लिए अच्छे गेहूं, अच्छा बाजरा देती है लेकिन राजस्थान नहर पर काम करने वाले मजदूरों को अगर सरकार अच्छा गेहूं दे, बाजरा दे, तो आपका माननीय दृष्टिकोण अच्छा होता और मुझे दर्द भी कम होता। अतः सरकार की व्यवस्था में चेंज आनी चाहिए और जो लोग घर पर बैठे रहते हैं उनको सड़ा गला अनाज दें ताकि वे साफ करके कुत्तों और पशुओं को खिला सकें। हम उस बात को बरदाश्त नहीं कर सकते कि सरकार मजदूरों को रद्दी अनाज दे।

श्री वृद्धिचंद्र जैन : संघर्ष करिए ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह तथ्य है कि राजस्थान कैनाल का जो निर्माण कार्य है, उसमें किस तरह का कार्य हो रहा है उसकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । राजस्थान कैनाल की जो खुदाई मशीनों से नहीं हो सकती थी वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के काश्तकार ऊंट गाड़ियां लेकर जैसा पट्टी से बाड़मेर और जैसलमेर तक खुदाई कर रहे हैं लेकिन खेद की बात है कि जो ठेकेदार हैं वह गांव का ही काश्तकार है । राजस्थान कैनाल पर चाहे लिफ्ट हो ,चाहे माइनर हो, व गांव का मजदूर काश्तकार है, उसने ठेका लिया ताकि हमारी मातृभूमि पर जल्दी से जल्दी नहर का पानी लाएं ताकि देश पर अनाज की कमी के खतरे को दूर किया जा सके लेकिन दुख इस बात का है कि जब मैंने सदन में सवाल पूछा कि राजस्थान नहर पर लगे हुए ठेकेदारों की राज्य सरकार पर कितनी धनराशि बकाया है तो सरकार ने जवाब दिया कि लगभग 4।। करोड़ रुपए ठेकेदारों की बकाया है । सभापतिजी, एक काश्तकार जो गांव में पैदा हुआ है, कैनाल पर ठेका लेकर जिस जिम्मेदारी और वफादारी से काम कर रहा है, वह फेल हो गया । मैं ऐसे लोगों की वकालत नहीं करता जो दूसरे ठेकेदार हैं लेकिन 4।। करोड़ रुपए का नाम लेते ही इन्सान का कलेजा कांपने लगता है, एक गांव का ठेकेदार जिसने जिम्मेदारी और वफादारी से काम किया, राज्य सरकार ने उसको 6 साल से 4।। करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है । तो इस काम को सीरियसली लिया जाए और उसको जल्दी से जल्दी 4।। करोड़ रुपए का भुगतान करे ।

मैं इस मौके पर जो राजस्थान नहर पर जिम्मेदार और वफादार कर्मचारी और अधिकारी काम पर लगे हुए हैं, उनकी सराहना किए बिना नहीं रह सकता । इस विभाग में एक श्री शारदा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जिसने ईमानदारी और वफादारी से काम किया है । ऐसे अधिकारियों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, उस बात को आप जानते हैं कि उस ईमानदार अधिकारी को बड़े बड़े लोगों ने मिलकर तय किया कि 50 हजार रुपए किन्हीं प्रभावशाली आदमियों को घूंस देने के लिए कैनाल से निकाला जाए ताकि हम चोरी कर सकें । जो बड़े ठेकेदार थे वे भ्रष्टाचार करना चाहते थे सीमेंट का और हर तरह से लेकिन उस ईमानदार अधिकारी का 11 हजार रुपए घूंस लेकर ट्रांसफर किया लेकिन खुशी इस बात की है कि....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : घूंस किसने ली ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मेरी मजबूरी है मैं नहीं बता सकता । यदि आप सहयोग दें तो बता दूं । लेकिन आप से छिपा हुआ नहीं है । इस बात की मुझे खुशी है कि भारत सरकार तक सी० आई० डी० रिपोर्ट गई है कि राजस्थान नहर पर वह ईमानदार व्यक्ति कौन है जो शारदा है उसका ट्रांसफर क्यों हुआ ? बाद में ट्रांसफर कैंसिल होकर बीकानेर आया । यदि ऐसे अधिकारी विभाग में होंगे तो निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचारी होंगे उनकी हिम्मत नहीं होगी कि गलत काम करें । हमारे राजस्थान कैनाल का जो सिंचाई का मामला है वह मामूली नहीं है राजस्थान कैनाल का पानी अगर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के काश्तकारों को मिल गया

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

तो राजस्थान ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान और दूसरे देशों को भी राजस्थान कैनाल और गंग कैनाल से अनाज दे सकते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि इस कार्य को इतना धीरे क्यों चलाया जा रहा है । महाराजा गंगासिंह ने गंग कैनाल को निकाला, उस कैनाल पर काश्त करने वाले काश्तकारों ने, जब देश की आजादी को खतरा आया, चाहे नेफा हो, लद्दाख हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो तो देश में यदि अनाज और हथियारों की जरूरत पड़ी तो लाल बहादुर शास्त्री और पंडित नेहरू ने गंगानगर के काश्तकारों से कहा कि देश की आजादी खतरे में है, "जय जवान–जय किसान" का नारा लगाया, कहा कि जवानों को हथियारों की जरूरत है इसलिए सोने की जरूरत है । तो गंगानगर के काश्तकारों ने दोनों नेताओं को सोने से तोला । मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि अगर बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर की धर्ती पर पानी आएगा तो हम हिन्दुस्तान को अनाज देंगे और आजादी पर कोई खतरा आएगा तो हम डटकर मुकाबला करेंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्रीजी का अपनी बातों की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं । इसमें शक नहीं कि वह ईमानदार व्यक्ति हैं । मुझे विश्वास है कि वह मेरी बातों की ओर पूरा ध्यान देंगे ।

श्री सभापति : श्री रामगोपाल ।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : सभापति महोदय, आज सदन में सिंचाई विभाग की मांगों पर बहस चल रही है इसलिये मैं मन्त्री महोदय को कोटा डिविजन के बारे में 5–6 बातें निवेदन करना चाहूंगा । सभापति महोदय, हमारे कोटा डिविजन के अन्दर चम्बल कमान्ड ऐरिया है वहां पर आप वर्ल्ड बैंक के माध्यम से विकास करना चाहते हैं और उसके लिये आपने निश्चित योजनायें भी बनायी हैं । मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित इस ओर करना चाहूंगा कि हमें एक पत्रिका मिली है उसमें विस्तृत आंकड़े दिये हुए हैं, उसके अनुसार 50 हजार एकड़ भूमि राजस्थान सरकार वर्ल्ड बैंक के माध्यम से चम्बल क्षेत्र में विकसित करना चाहती है । इसमें आपने बताया है कि इसमें कई काम सम्मिलित हैं । जैसे नहरों को पक्की करना, भूमि समतल करना, नालों को पक्का करना है । मोहरियें बनाना, शीपेज से जमीन की रक्षा करना, नहरों को पक्का करना आदि हैं । इसके लिये, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने तो योजनायें बना दीं लेकिन वहां पर अभी भी व्यवस्थित ढंग से काम नहीं हो रहा है । जिस तेजी के साथ काम होना चाहिये उस तरह नहीं हो रहा है । बहुत ही सुस्तगति से काम हो रहा है । वहां पर जो अधिकारी हैं वह दौरे करते हैं और लड्डू खाते हैं । और प्रगति के नाम पर वहां पर अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है । सभापति महोदय, शीपेज के कारण चम्बल के ऐरिया में ऐसी हालत हो रही है कि वहां पर लाखों एकड़ जमीन ऊसर हो चुकी है पर शीपेज के बारे में कोई व्यवस्था नहीं हो रही है । तो मेरा निवेदन है कि अगर आप इस तरह से विकास चम्बल क्षेत्र में करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पायेंगे । आपने जो लक्ष्य बनाया है वह लक्ष्य आप नहीं प्राप्त कर सकेंगे ।

(श्री रामगोपाल)

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं यह भी मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक ने जो शर्तें रखी हैं वह हमारे काश्तकार को पता नहीं है। हमारे वहां के काश्तकार के मन में उन शर्तों के प्रति भारी असन्तोष है। उन्हें यह पता नहीं है कि उनकी जमीन का विकास किया जायेगा, पर कितना विकास किया जायेगा कितने समय में किया जायेगा, और आप किस प्रकार का विकास करना चाहते हैं। आज हमारे वहां के काश्तकार का वहां पर विकास कार्य किस प्रकार होगा उससे कोई तालमेल नहीं है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आप अपनी योजनाओं को व्यावहारिक बनायें। योजनायें इस वर्ल्ड बैंक के माध्यम से आपने जो बनायी हैं अगर व्यावहारिक नहीं बनाईं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने जो चम्बल क्षेत्र में चहुंमुखी विकास करने की बात सोची है वह नहीं हो सकती। चाहे आप उसके लिये कुछ भी करलें। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप अपनी योजनाओं को व्यावहारिक बनावें जिससे कि वहां पर समुचित विकास हो सके।

सभापति महोदय, मैं इसके लिये मन्त्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा कि वहां जो जमीन है उसका अगर आप सही विकास करना चाहते हैं तो आपको वहां पर भूमि को सही करना होगा। इसके अलावा, आपने जो हमको पुस्तक दी है उसमें लिखा हुआ है कि आदिवासियों के क्षेत्र के लिये योजनायें स्वीकृत की गयी हैं। उसमें आपने 41 लाख और दूसरी 13 लाख रुपये की योजनायें स्वीकृत की हैं। तो मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या आदिवासी सिर्फ बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में ही हैं? दूसरी जगह नहीं हैं? दूसरे जिले आदिवासियों के नहीं हैं? इसके अलावा दूसरी योजना जो स्वीकृत हुई है वह धौलपुर और बांसवाड़ा के लिये है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या कोटा के अन्दर कोई आदिवासी नहीं है? मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, हमारे शाहबाद क्षेत्र में सहरिया जाति के ऐसे आदिवासी लोग हैं जिनका जीवन ही बिलकुल विशेष प्रकार का है। उनका रहन सहन और वेषभूषा बिलकुल अलग है। उनसे ज्यादा प्राचीन कोई आदिवासी नहीं हैं। बिलकुल पिछड़े हुए हैं। सभापति महोदय, आज हमें आजाद हुए 27 साल हो गये हैं और उसके बाद भी आप ठीक तरह से विकास नहीं करना चाहते हैं। विकास भी आप करना चाहते हैं तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का, क्योंकि मुख्य मन्त्रीजी वहां से आते हैं। उदयपुर का क्योंकि सिंचाई मन्त्री उस जिले से आते हैं इस तरह की योजनायें बनाकर क्षेत्रीय भावना फैला रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको आदिवासियों का विकास करना है तो हमारे यहां पर शाहबाद के आदिवासी लोगों का विकास कीजिये जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं और जिनके लिये आज तक राज्य सरकार ने कोई विकास का कार्य नहीं किया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस क्षेत्र के विकास की ओर भी ध्यान दें।

अब थोड़ा मैं, सभापति महोदय, हमारे यहां पर जो छोटे छोटे बान्ध हैं जैसे किशी-पुरा, भावीपुरा, रामपुरा और नारायणी-पुरा, महोदरी, नगदेव वगैरह बान्ध हैं यह तीन चार छोटे छोटे बान्ध हैं, उनके विषय में निवेदन करना चाहूंगा। उनको आप

(श्री रामगोपाल)

चाहें तो एक ही साल में पूरा करवाकर उस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। मेरा मन्त्री महोदय को निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाय। बहुत छोटे कार्य हैं और कम पैसे में ज्यादा लाभ देने वाले हैं।

सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही गम्भीर मसला है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आज ही सभापति महोदय, अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि चम्बल की बाढ़ से कोटा नगर को खतरा है। कोटा शहर के जन-जीवन को खतरा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो चम्बल पर कोटा बैरेज बना है उसको खोला जाता है तब वहां पर इस तरह से पानी बहता है कि पानी दरवाजा खोलते ही 100-150 फीट ऊपर पानी आजाता है जिससे कि कोटा नगर को खतरा हो जाता है। सभापति महोदय, चम्बल नदी का फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जिससे हर साल कई लोग बह जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय चम्बल की इस बाढ़ से रक्षा करें। सभापति महोदय, यह चम्बल नदी जिसे कि प्राचीनकाल में चायम्बल नदी कहा जाता था आज वहां पर इसकी बाढ़ से भयंकर खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस बाढ़ से न केवल आदमी, औरतें और बच्चों के जीवन को ही खतरा है बल्कि बड़े बड़े रास्ते में धार्मिक मन्दिर जो कि करोड़ों की लागत से बने हुए हैं उनको भी खतरा बन गया है। आज वहां की जामा मस्जिद के बह जाने का खतरा है। इसके अलावा वहां की जो हरिजन बस्तियां हैं उनको भी खतरा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

श्री बनवारीलाल : मंत्री महोदय आप नोट तो करें।

श्री रामगोपाल : सभापति महोदय, आज कोटा का जन जीवन खतरे में पड़ गया है। मैं आपको और चेतावनी दे रहा हूं, आप इस ओर ध्यान दें। इसके अलावा मेरा निवेदन यह है कि हमारे यहां के छोटे छोटे बांध अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा जल्दी कराया जाय। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहां पर सीपेज से लाखों एकड़ जमीन खराब हो रही है उसके लिये शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां गोपालपुरा में बांध बनाने की योजना जो 70-71 के साल में ही बनने की थी उसके लिये आपने अब यह कहा है कि वह सन् 1977 तक पूरी कर दी जायेगी। मेरा निवेदन है कि इसको आप सन् 75 में ही क्यों नहीं पूरी करवा दें ताकि लोगों को लाभ जल्दी मिले। इसके अन्दर आपकी कोई योजना नहीं है। कैसे विस्तार की योजना करेंगे? कैसे बनवायेंगे? आपको एक डिविजन बारां में कायम करना पड़ेगा। गोपालपुरा में सब-डिविजन है वह एक सब-डिविजन है। कम से कम आपको वहां पर दो खोलने पड़ेंगे। तो यह योजना पूरी होगी, अन्यथा नहीं। इसलिये, सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि बारां में डिविजन खोला जाय और सब-डिविजन एक के बजाय दो खोले जायें।

माननीय मंत्रीजी से मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि छोटी 2 रकमों का प्रावधान करके आप दो चार छोटी 2 स्कीमों को ले सकते हैं। उनको आप पूरा करें तो काफी सुविधा लोगों को मिल

(श्री रामगोपाल)

सकती है। कोटा में छोटी 2 कई नदियाँ हैं। दस दस हजार, पांच पांच हजार का उन पर खर्चा करके सिंचाई के योग्य आप तालाब बना सकते हैं, बांध बना सकते हैं।

एक पोइन्ट मैं भूल गया। मेरा निर्वाचन क्षेत्र में एक योजना है टेक्निकल कमी के कारण वह पूरी नहीं हो रही है। बड़ी भारी नदी है। करोड़ों का काम है। आदिवासी क्षेत्र हैं। और ऐसे क्षेत्र में तो आपको इस प्रकार की योजनाओं को हाथ में लेना चाहिये। इससे काफी रकबा सिंचित हो सकता है। आपने मंजूरी न देकर इसको वैसे ही डाल रखा है इसलिये इसको शीघ्रातिशीघ्र चालू करावें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, छोटी 2 दो एक बातें हैं जो मैं निवेदन करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर छोटे 2 बांध हैं। इस सम्बन्ध में हर सत्र में सवाल उठाये जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी प्रयत्नशील है और राजस्थान सरकार भी प्रयत्नशील है। लेकिन न जाने इनकी योजना क्यों खटाई में पड़ी हुई है। प्रोग्रेसिव मंत्री हैं आप। दौरा भी करते हैं। इसकी निश्चित रूप से स्वीकृति देकर मध्य प्रदेश और राजस्थान को फायदा पहुंचाने वाली जो स्कीम है उसको क्रियान्वित कराने की कृपा करें। उधर कोटा बांध हैं और इधर यह दूसरा हो जायगा।

एक छोटा सा सवाल है। सिंचाई विभाग का डिविजन है वह बूंदी में है। कोटा से 150 मील से दूर वहां पर लोगों को आना पड़ता है। सरकारी कर्मचारियों और अफसरों का सरकार को टी०ए०, डी०ए० का नुकसान होता है। जिन मंत्री का जोर पड़ा तो उन्होंने उसको बूंदी में रख लिया। अब आप उसको कोटा में रखिये ताकि वहां का काम पूरा हो सके और सही माने में इस विभाग से लोगों को सहूलियत मिले। इससे काम भी पूरा होगा और सरकार को खर्चा भी कम करना पड़ेगा, टी० ए०, डी० ए०, पर।

मैं आशा करता हूं कि मैंने सारे के सारे सिंचाई कार्यों के लिये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनको मंजूर करेंगे। मुझे यह भी विश्वास है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र शाहबाद है, आदिवासी क्षेत्र हैं उसकी आप उपेक्षा नहीं करेंगे और शाहबाद को सिंचायी में प्रगतिशाली बनायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापतिजी, एक मिनिट और। एक बात और कहनी है। वह यह है कि जो भी पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई के अधिकारी आये हैं उनके जमाने में वहां पर सिंचाई में प्रगति हुई है, जनता को भी उससे संतोष हुआ है। लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अच्छे से अच्छे काम करने वालों को तो आप वहां से हटा देते हैं। उनको बाहर फेंक कर उनको यह आप पुरस्कार देते हैं। और ऐसे लोगों को आप भेज देते हैं कि जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और इसके कारण जो कार्य होने चाहियें वे तो नहीं होते किन्तु पहले के कार्य भी ठीक नहीं चलते और ठप्प हो जाते हैं। कार्य ही ठप्प नहीं होता है किन्तु भ्रष्टाचार में भी लिप्त रहते हैं। इस प्रकार की हर वर्ष आपके पास शिकायतें आती हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा और बड़े से बड़े अधिकारी बैठे

(श्री रामगोपाल)
हुए हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये और सही रूप से काम हो सके इसकी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि सिंचाई का जो लाभ जनता को मिलना चाहिये वह मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं और सभापति महोदय, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कृपा कर मुझे समय दिया।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : सभापति महोदय, आज सदन के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण मांग चल रही है, विशेषकर हमारे राजस्थान प्रान्त के लिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण डिमान्ड है और उस जगह के लिये जहां 27 साल की आजादी के बाद भी अकाल पर अकाल पड़ते जा रहे हैं। जहां पर कि सिंचाई का बहुत ही ज्यादा महत्व है। 27 साल की आजादी के बाद भी राजस्थान के नक्शे को उठा कर देखें तो इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर हमने बहुत ही धीरे कदम उठाये हैं। आज से दो वर्ष पहले की रिपोर्ट के अनुसार हम केवल 12 प्रतिशत जमीन पर सिंचाई का इन्तजाम कर सके हैं और आगे बढ़े हैं तो 14 या 14½ प्रतिशत एग्रीकल्चर जमीन पर प्रगति कर सके हैं। इतनी धीमी चाल से चलने से सारे राजस्थान में भयंकर अकाल से कोहराम मचा हुआ है। यदि सिंचाई मंत्रीजी एडवान्स हो जाते, सजग हो जाते तो यह हालत नहीं होती। कोई जिला ऐसा नहीं सिवाय राजस्थान के तीन जिलों के, बाकी 23 जिलों से यह आवाज आ रही है कि अकालग्रस्त हो रहे हैं लोग, लोगों के पास खाने को अन्न नहीं रहा है, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं बुरी हालत में सारा राजस्थान फंसा हुआ है।

सभापति महोदय, इस सबकी जड़ में यदि हम पहुंचे तो विचार करके इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमने सिंचाई के ऊपर सही ढंग से विचार नहीं किया और जितनी तेज गति से इस ओर चलना चाहिये था उतनी तेज गति से हम इस ओर नहीं बढ़े किन्तु हम धीमी गति से बढ़े।

हमने तीन प्रकार का प्रावधान किया है। पहली योजना में हमारी बड़ी नहरें, उसके बाद छोटी नहरें और फिर ट्यूब वैल। यदि हम तीनों पर ठीक प्रकार से विचार करेंगे तो हमें यह देखना होगा कि राजस्थान कैनाल और चम्बल कैनाल ये दोनों ही बड़ी योजनाएं हैं, इनको पूरा करने का जहां तक सवाल है इसमें किसी की दो राय नहीं, इन पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा हो इसमें भी किसी की दो राय नहीं। दोनों का महत्व बराबर आगे के प्लान में भी रहेगा।

ज्यादा से ज्यादा अकाल से इफैक्टेड रहते हैं यदि कोई इलाके तो वे हैं डेजर्ट के इलाके। जहां पर वर्षा कम होती है। जहां पर बहुत ही न्यून वर्षा का प्रतिशत रहता है, उनमें भी पानी की कम आवश्यकता नहीं है।

इस दौरान में यदि मैं चूरू जिले का बयान कर दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतने बड़े भू-भाग के लिये कोई सिंचाई का इन्तजाम नहीं हुआ है। कहने के लिये तो भू-जल मंत्री महोदय चूरू जिले के रहने वाले हैं। वहां पर आज तक छोटी बड़ी नहर का कोई इन्तजाम तक नहीं किया गया है, सभापति महोदय। हमें इसके लिये

(श्री मोहरसिंह)
ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करने होंगे । चूरू जिला इस प्रकार का इलाका है कि वहां पर वर्षा का बहुत ही कम प्रतिशत रहता है, ज्यादा से ज्यादा एरिया अकालग्रस्त रहता है । इन इलाकों के लिये आपको अधिक से अधिक सिंचाई के लिये व्यवस्था करनी होगी, व्यवस्था करनी भी चाहिये ।

सभापति महोदय, वास्तव में इन सिंचाई योजनाओं से हम यदि हमारे प्रान्त के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो सारे जिलों में सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी । समाजवाद के लक्ष्यों पर चलने के लिये हम कृत संकल्प हैं । उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये हमें सिंचाई के अधिक से अधिक साधन उपलब्ध कराने होंगे, और हमारे लोगों का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिये जब कि हम कृत संकल्प हैं, उनके लिये यह आवश्यक है कि सिंचाई के साधन अधिक से अधिक उपलब्ध हों, सिंचाई का सम्बन्ध केवल एक काश्तकार से ही नहीं किन्तु सारी जनता से उसका सम्बन्ध है, वैसे इसका असर डाइरेक्टली किसान पर पड़ता है । किसान में भी लैंड–लेस किसान पर इसका अधिक असर पड़ता है, जो तबका गरीबी में रहता है, वही ज्यादा अकाल के दिनों अफैक्टेड रहता है, गरीबों की गरीबी को मिटाने के लयि, उनको उठाने के लिये, समाजवाद के लक्ष्यों की पूर्ति के लिये सिंचाई के अधिक से अधिक लक्ष्य निर्धारित करके उपलब्ध करने होंगे ।

समाजवादी ढंग की योजना रखने के लिये आप कटिबद्ध हैं । लेंडलैस को ज्यादा से ज्यादा जमीन अलाट कराने के लिये आप कटिबद्ध हैं तो सिंचाई के लिये ज्यादा से ज्यादा लोगों को केटेगराइज्ड तरीके से, श्रेणीबद्ध तरीके से, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिंचाई से लाभ देना चाहिये। इस प्रकार से कोशिश करनी चाहिये कि जिससे किसान आगे बढ़े । लैंडलैस जमीन प्राप्त करके उनसे सिंचाई के द्वारा प्रोडक्शन बढ़ा कर अपना स्टेन्डर्ड ठीक बना सकें । उनको नहरी पानी देने में और सब तरह से उनको सहूलियतें देकर उनकी रक्षा करनी होगी । उनको डिफैन्ड करना पड़ेगा ।

मैंने आपको तीन प्रकार की योजना बतायी । चूरू जिले के लिये बतला रहा हूं कि इतना अर्सा गुजर गया लेकिन तीनों में से एक भी वहां नहीं मुहैय्या करायी है । एक योजना बनायी है । सिद्धमुख की नहर राजस्थान कैनाल से आयगी। राजगढ़ का, चूरू का वह इलाका है जो कि ज्यादा से ज्यादा सैनिक देता है । इस नहर से वहां की भूमि सिंचित होगी । वर्षों से आशा लगाये बैठे थे लेकिन फिर भी समय निर्धारित और निश्चित नहीं किया गया । हम पुरजोर शब्दों में मांग कर रहे हैं, हमारे पास लगने वाला हरियाणा के इलाके को देखें, भाखरा के पास के पंजाब के इलाके को देखो । ताने हमको हरियाणा के सहने पड़ते हैं । पंजाब के मुकाबले में इन्फिरियोरिटी कम्पलेक्स महसूस करते हैं । वह इलाका जो बड़े बड़े ऊंचे टीलों का इलाका था, न धनराशि थी, आज वह इलाका हमको प्रोत्साहित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है, ईर्षा की भावना भी पैदा हो रही है, उनके वहां पर नहरें हैं, उनके वहां पर सड़कों पर सड़कें हैं, पास में रहने वाले इलाके के राजस्थान के लोग उन सब सुविधाओं से वंचित हैं । पीने के पानी से

(श्री मोहरसिंह)

भी वंचित हैं। सभापति महोदय, यह कितने दुःख की बात है। स्पष्ट ढंग से कहना चाहता हूं कि वह इलाका जिसने सामन्तवाद से टक्कर ली, वह इलाका नोहर से लेकर तारानगर का इलाका, सबसे अधिक सैनिक जो देता है, जो देश की रक्षा के लिए हमेशा के लिए खड़ा रहता है जब भी मौका आया अधिक से अधिक उसने सैनिक दिये, जितने फौज में यहां के रेगुलर तरीके से सैनिक जाते हैं उतने कहीं के नहीं होंगे। पेंशन याफ्ता भी और कहीं नहीं होंगे। उस इलाके में पानी नहीं पीने को। पीने को पानी नहीं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मार्किस्ट पार्टी से एक ही सदस्य हैं, ज्योतिर्बसु की भाषा में नहीं कह कर इतना ही कहूंगा कि उस इलाके को निग्लेक्ट किया जाता रहा है, अब आगे नहीं किया जा सकेगा। जहां के चीफ मिनिस्टर होते हैं, जहां के मंत्री होते हैं वहां तो काम कराने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं, और हमारे यहां किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करते। पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं कराते। इस प्रकार का हमारा इलाका है कि वहां के व्यक्ति सारी सुविधाओं से वंचित हैं। जब कि सबसे अधिक सहयोग देते हैं सैनिक देने में। इतना ही कह देना उचित समझता हूं कि अगर हमारे यहां इस प्रकार से कोई इन्तजाम नहीं करेंगे, स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, हम इसको बरदाश्त नहीं करेंगे। चाहे इसको गर्म शब्द समझें या नर्म शब्द समझें। पीने के पानी से हमें वंचित रखते हैं। देश की आजादी की लड़ाई में इस इलाके ने कोई कमी नहीं रखी है, कभी पीछे कदम नहीं रखा है आप हमें मजबूर करते हैं कि हम इस प्रकार से पिछड़े हुए रहें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

15 मिनिट तो, श्रीमान देने ही चाहिए। सी० पी० एम० से मैं अकेला ही सदस्य हूं इतना तो मेरा अधिकार है।

तीसरी चीज जो है, श्रीमान, वह है ट्यूब वैल। संबंधित मंत्री महोदय से मैं अर्ज कर देना चाहता हूं। दो तीन दफा मैं गया। लोगों ने कुएं तैयार करवा रखे हैं। लोगों ने बड़ा खर्चा किया है, लेकिन क्रेडिट देने के लिए इनकार किया गया है। कहा यह गया कि पीने के लिए पानी उपलब्ध हो जायगा। सिंचाई के लिए पानी नहीं हो सकेगा। कहते हैं सर्वे करने वाले सीनियर अफसरों ने बताया था, राय दी थी तीन चार पांच वर्ष पहले, वे कहां चले गये, आज यह रिपोर्ट दे रहे हैं कि अगर सिंचाई के लिए पानी दिया जावेगा तो पीने के पानी का लेवल नीचा चला जावेगा। पंचवर्षीय योजना का जो प्रगति विवरण दिया है उसमें भी कहा गया है कि "असफलता रही है"। वे कहेंगे कि हमारा सर्वेक्षण ठीक नहीं हुआ। अब कहते हैं

(5.47 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सिंचाई के लिए पानी निकल जायगा तो पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। इस प्रकार चलते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हिन्डौन की सर्वे की रिपोर्ट है कि पानी नहीं है जब कि किसान की रिपोर्ट यह है कि चौबीसों घंटे वहां पर पानी नहीं टूटेगा। यह क्या मजाक है? एक सर्वे रिपोर्ट कुछ कह देती है और दूसरी कुछ कह देती है। यह पक्षपात क्यों है?

(श्री मोहरसिंह)

किसान कहता है बिलकुल मीठा पानी, ज्यादा पानी, बहुत पानी है। वहां पर वह स्कीम चालू है। मंत्री महोदय को मालूम होगा। पांच दिन पहले यह सुना है कि उसको रोक दिया गया है, इसलिए रोक दिया कि पानी नहीं है कुए के अन्दर। रिपोर्ट आजाती है इस तरह से और किसान डूब जाता है। सिंचाई की योजना पर पूरा खर्चा उससे लेते हैं। 1450 रुपये उसके लिए और 850 रुपये खम्बे के लिए देने को तैयार हैं। उसके देने के बाद भी काम नहीं बनता कनेक्शन देने में हर तरह से उसको परेशान किया जा रहा है। किसान को ट्यूब वैल की अधिक से अधिक सुविधा दी जानी चाहिए। सिद्धमुख के प्रश्न पर भी आपको पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं, चैलेन्ज और चुनौती भी देना चाहता हूं कि या तो आप इसका विस्तार करेंगे नहर का, वरना हाथ जोड़ते हुए लोग आगे आयें यह उम्मीद नहीं करें, हम भी अपना कोई न कोई रास्ता सोचेंगे।

इन शब्दों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई के प्रश्न को आप ठुकरायें नहीं। इसको इस प्रकार से किया जाय कि जो सबसे छोटा तबका है उसको ऊपर लायें, उससे ऊपर के तबके को उससे ऊपर के तबके के बराबर लायें यह सही माने में समाजवादी तरीका होगा। और इस प्रकार से स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग आप बढ़ा सकते हैं। देश का प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हैं, उसमें (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सहयोग दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कहने को तो बहुत कुछ बाकी है। लेकिन टाइम का सवाल है इसलिए इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग पर आज जिस प्रकार की बहस हो रही है और मुझे जो बात कहनी है वह कोई नई नहीं है। वैसे तो राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट दी है उसमें खुद ने माना है कि हमारे पास जमीन काफी है और सिंचाई कम है। मैं सबसे पहले सवाल पूछना चाहता हूं जितनी जल क्षमता है और जितना उपयोग किया जा सकता है और कैसे किया जाय, किस प्रकार से किया जाय यह हमारी योजनाओं में रिफ्लेक्शन होना चाहिए। दूसरी स्थिति यह है उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां जमीन ज्यादा है एक व्यक्ति के आधार पर और सम्पूर्ण इकोनोमी के आधार पर आज से 20 साल बाद जब आबादी का प्रेसर बढ़ेगा तो सारे हिन्दुस्तान के लिए राजस्थान अनाज देगा लेकिन हम देखते हैं राजस्थान सरकार इन सारे मामलों में कमजोर है और उनका पक्ष भी कमजोर है। मैं केवल इतना सा निवेदन कर देना चाहता हूं जो सदन में अलग अलग चर्चा हुई है आज केन्द्रीय सरकार सारे देश में धन का विभाजन कर रही है–केन्द्रीय योजनाओं के मारफत अगर हमारे राज्य की तस्वीर देखते हैं तो आज तक 80 अरब रुपयों का नियोजन कर दिया गया है और उस सबके बावजूद न हमको कोई कारखाने मिले, न कोई रेल्वे लाइन मिली।

मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं आपके पास राजस्थान नहर एक ऐसी योजना

(श्री रामकिशन)

है जिसके जरिए केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालकर और देश की स्थिति को बताकर बड़े धन का प्रावधान करवा सकते हैं। यह आप अब तक नहीं करवा सके इसका नतीजा यह है कि सारे राजस्थान में आज असंतोष है। जो थोड़े बहुत हमारे साधन हैं वे राजस्थान नहर में लग जाते हैं और इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से विकसित था, ज्यादा साधन मिल सकते थे उन क्षेत्रों में साधन न होने की वजह से सारे देश की दृष्टि से सबसे कम इन्वेस्टमेंट वाला राज्य रहता है। मैं आंकड़ों में न जाकर केवल सरकार से इतना सा चाहूंगा क्या राज्य सरकार के पास कोई ऐसी मशीन है या राज्य सरकार के पास कोई प्रभाव है जो केन्द्रीय सरकार से राजस्थान नहर के लिए अधिक धन का प्रावधान करा सकती है। अगर नहीं करा सकती है तो मेरा अपना स्वयं का अन्दाज है आगे आने वाले 15-20 साल राजस्थान बिलकुल अन्धेरे में रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तो राज्य सरकार की अपनी योजनायें इस ढंग से बनी हुई हैं कि वे बिलकुल निराधार हैं और अगर कहीं कोई आधार है भी तो वह केवल स्वार्थ का है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं मंत्रीजी जब जवाब देंगे तो उनके पास वही रटा रटाया जवाब होगा कि इतनी रियासतें थीं और हमने इतना बना लिया। उस प्रकार का जवाब होगा जिस प्रकार बच्चों को मास्टर समझाते हैं, उसी तरह समझा देंगे। जब आपका राजस्थान बना था उस समय के राजस्थान की एक तस्वीर थी। एक करोड़ 19 लाख एकड़ जमीन थी और 20 लाख एकड़ में खेती के लिए पानी का प्रबन्ध था। आप यह नहीं समझें यह कोई बहुत बड़ा बजट था। केवल 14 करोड़ का बजट था पहले। अब कहां पहुंच गया और उसकी उपलब्धि क्या है? तो हम यह देखेंगे राजस्थान सरकार को जो सबसे अधिक धन देना चाहिए था क्योंकि हिन्दुस्तान जैसे अविकसित देश में खेती की प्रारम्भिक शर्त थी उसके अनुरूप आपने जो योजनाओं में प्रावधान किया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, स्वागत योग्य नहीं है। जिन बातों पर धन देना चाहिए था वह नहीं दे पाये, एक गलती और दूसरे दो-तीन योजनायें इतनी बड़ी बड़ी योजनायें हैं जिनका रिजल्ट देर से आने वाला है जिसके लिए हमें अभी वर्षों प्रतीक्षा करनी होगी। एक योजना तो वह थी कि तत्काल पैसा लगाते और तत्काल आपको फल देती और हमारा जो अर्थतन्त्र है सैल्फ जनरेटिंग हो जाता लेकिन हमने उनको निगलेक्ट किया है।

संख्या की दृष्टि से और राजस्थान की स्थिति को देखते हुए हमारे रिसोर्सेज का–जमीन और पानी की क्षमता का लघु सिंचाई के साधनों द्वारा जिस तरह विकास करना चाहिए था वह नहीं किया। आज हम कहीं भी खड़े नहीं हैं, हमारा सारा अर्थतन्त्र डगमगा रहा है। मैं सिंचाई मंत्रीजी से चाहूंगा आप कोई विकल्प निकालने की कोशिश करेंगे और सदन के माननीय सदस्यों का जिस प्रकार सहयोग मिलना चाहिए, वह मिलेगा लेकिन एक बात याद रखें केन्द्रीय सरकार से राजस्थान में कोई बड़े ढंग का नियोजन नहीं होगा यह आपको ध्यान में रखना है।

एक सबसे बड़ी बात आपने अपनी रिपोर्ट में मानी है नर्मदा के पानी को तय नहीं कर पाये और दूसरे राज्यों से जो पानी मिलना चाहिए था वह भी नहीं मिल रहा है। खास-

(श्री रामकिशन)
तौर से सीकर, झुंझनूं और भरतपुर के लिए गंगा-जमुना के पानी की चर्चा चलती रहती है। दूसरे लोग घोषणा करते हैं कि हम गंगा का पानी ला रहे हैं। सचमुच हमें आशा जमी थी और राजस्थान का भविष्य नजर आया था लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, मेरा कोई आरोप नहीं है आरोप लगाने की आदत भी नहीं और न ही मेरी कोई मंशा है, वह भी आप नहीं कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कोई स्टेट इन्डस्ट्री डवलप नहीं हो पाई। आपका दृष्टिकोण यह रहता है किसी तरह चुनाव जीतना। इसके अलावा राजस्थान की क्या स्थिति बनती है चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हों, चाहे इर्रिगेशन मिनिस्टर साहब हों चाहे कोई मिनिस्टर साहब हों, केवल आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के नेता हैं—राज्य के नेता नहीं बने और इसीलिए आपको राजस्थान की तस्वीर की कोई चिन्ता नहीं है। आप तो मेरे साथ रहे हैं और मुझे आकांक्षा थी कि आप राज्य के नेता बनते लेकिन आप तो और मंत्रियों के मुकाबले भी कमजोर रहे। आपका सारा दृष्टिकोण क्षेत्रीय है, एक इलाके तक ही आपका दृष्टिकोण जाता है। अब आपने यह जानबूझ कर किया है या नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं। जब सारी स्थिति को देखेंगे तो आप पायेंगे एक क्षेत्र की निरन्तर अवहेलना की है। अवहेलना का आधार भी पूर्वी और पश्चिमी नहीं है उससे भी ज्यादा बढ़कर अपने इलाके तक सीमित हैं। यदि हम अपने राज्य का विकास करना चाहते हैं तो जल्दी फल देने वाली कौन कौन सी योजनायें हो सकती हैं यह दृष्टिकोण रहना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस दृष्टिकोण से राजस्थान की तस्वीर और ही बनती।

मैं समझता हूं आज राजस्थान को ऐसी जगह ले जा रहे हैं, अभी कई माननीय सदस्य बोल रहे थे कांग्रेस के भी बोल रहे थे, प्रतिपक्ष के सदस्य भी बोल रहे थे कि पूर्वी क्षेत्र की अवहेलना की है और मुझे एक कारण और जमता है। जबसे राजस्थान सरकार बनी, 52 में चुनाव हुए, 52 से मंत्रिमण्डल बना है, मुझे याद है पूर्वी क्षेत्र का सिंचाई मंत्री नहीं रहा है। इसके पीछे भी एक षड़यन्त्र है, कोई मंशा है। एक डेढ़-साल के लिए कोई मंत्री रहा तो रहा हो वह भी मुझे याद नहीं पड़ता है, नहीं तो, शुरू से लेकर अब तक उदयपुर क्षेत्र के ही सिंचाई मंत्री रहे हैं, चाहे वह श्रीमान् जोशीजी साहब हों, लड्ढा साहब हों, चाहे भीखा भाई हों और कभी देवपुरा साहब हों। घूम फिर कर वही बनते रहे हैं। योजना का जो डाइवर्शन है, वह आपका दृष्टिकोण कॉन्स्टीट्यूएन्सी का था और योजना को उन इलाकों में ही ले गए और जब किसी भी दृष्टि से नियोजन करते हैं, चाहे इन्डस्ट्री की दृष्टि से करें, चाहे किसी और विकास की दृष्टि से करें, जब नियोजन करते हैं तो हम भी सर्टेन परसेन्ट की आशा करते हैं, वह भी पूरी नहीं हो पाई और वह नियोजन बिलकुल बेकार चला गया।

मैं आंकड़े इसलिए देना चाहता हूं इनको बिलकुल स्वीकार कर सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अगर 26 जिलों का हिसाब दूं तो बहुत देर लगेगी और आप इतना समय नहीं दे पायेंगे—प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो एक्सपेन्डिचर किया है वह 33 लाख 35 हजार, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 37 लाख 52 हजार, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 22 लाख 40 हजार एन्युअल

(162)

(श्री रामकिशन)

और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 20 लाख 34 हजार और फैमिन पर आपने किया है दो करोड़ 39 लाख 64 हजार, लेकिन इसके मुकाबले में, कोई नाराजगी नहीं है न मेरा कोई और मतलब है, मैं विशेष कारण से कह रहा हूं, जब-जब-जहां जहां से मौजूदा मंत्री जिस क्षेत्र से आते हैं या उदयपुर क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनके जिलों में जो खर्च हुआ है उसे आप देखेंगे तो ताज्जुब होगा कि योजना बनाते समय क्यों नहीं ध्यान रखा। अलवर में, उपाध्यक्ष महोदय, पहली योजना में 14.48 लाख रुपया, दूसरी योजना में 21.46 लाख रुपया, तीसरी योजना में 56.82 लाख रुपया और एनुअल प्लान में 1 करोड़ 4 लाख 77 हजार रुपया और उसके बाद पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 1 करोड़ 83 लाख रुपया है। इस प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, हम जब बांसवाड़ा जिले को देखते हैं तो हमें ताज्जुब होता है कि छोटा-सा जिला और वहां आदिवासी रहते हैं। मुझे आदिवासियों से पूरी सहानुभूति है। मैं चाहता हूं कि उनका विकास हो और आदिवासियों का विकास हिन्दुस्तान के और दूसरे हिस्सों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसके पीछे विकास की बात नहीं है। बांसवाड़ा में पहली योजना में 14.48 लाख रुपया, दूसरी योजना में 23.46 लाख रुपया, तीसरी योजना में 56.82 लाख रुपया और एनुअल प्लान में 1 करोड़ 4 लाख रुपया और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 1 करोड़ 83 लाख रुपया है और इसके अलावा फैमिन पर खर्च किया है वह 1.47 करोड़ रुपया और डी० पी० ए० पी० में 1 करोड़ 28 लाख रुपया अलग है। उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ को ले लीजिए, उदयपुर को ले लीजिए। जयपुर जिला जो कि राज्य की राजधानी है और जिसके विकास की जिम्मेदारी हमारे ऊपर बहुत बड़ी है, मैं आपकी मार्फत केवल इतनी-सी जानकारी देना चाहता हूं कि यहां पर पहली योजना में 16.47 लाख रुपया, दूसरी योजना में 4.39 लाख रुपया, तीसरी योजना में 1.93 लाख रुपया और एनुअल प्लान में 2 लाख 84 हजार रुपया और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 32.57 लाख रुपया जयपुर जिले के लिए खर्च किया है और कहां तो बांसवाड़ा जिला और कहां उदयपुर जिला। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो उदयपुर जिले की स्थिति यह है कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमने 23.60 लाख रुपया दिया, दूसरी योजना में 53.06 लाख रुपया और तीसरी योजना में 2 करोड़ 60 लाख रुपया, चौथी पंचवर्षीय योजना में 1 करोड़ 36 लाख रुपया और उसके बाद पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 2 करोड़ 71 लाख रुपया और इसके अलावा फैमिन वर्क्स पर 4 करोड़ 91 लाख रुपये खर्च किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप टोटल देखें तो पूर्वी क्षेत्र के जितने जिले हैं इन सातों जिलों में बांसवाड़ा के एक जिले से भी खर्च 3 करोड़ कम पड़ता है। तो, माननीय उपाध्याक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानकारी चाहूंगा तो आपका जवाब यह होगा कि यहां पानी के रिसोर्सेज नहीं हैं। मैं मान सकता हूं कि पानी के रिसोर्सेज सब जगह एक से नहीं हो सकते। मैं मीडियम प्रोजेक्ट्स की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं माइनर इर्रिगेशन और दूसरी इर्रिगेशन की सुविधायें जहां पहले से ही हैं उनको किस प्रकार से निगलेक्ट किया गया है आपके सिंचाई विभाग द्वारा इसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। जहां तक मेजर प्रोजेक्ट्स का सवाल है वह कोटा में हो या उदयपुर में हो इसके लिए हमें एतराज नहीं है लेकिन जो काम हम कर सकते थे वह हमने

Page No 163

(163)

(श्री रामकिशन)
नहीं किये इससे स्थिति साफ हो जाती है।

इसके दो-तीन कारण रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। एक तो योजनायें बनाने में गलती, राज्य का नेतृत्व उदयपुर वालों के हाथ में रहा सिंचाई मंत्री पूर्वी क्षेत्र का नहीं रहा और जहां तक पूर्वी क्षेत्र के विधायक हैं वह तो छोटी मोटी बातों से ही खुश हो जाते हैं। धौलपुर के विधायक शिकायत कर रहे थे, किसी को मोटरों में बैठाकर छोड़ देते हैं, अलवर के विधायक इसलिये खुश हो जाते हैं कि किसी को बुजुर्ग नेता कह देंगे और जयपुर के विधायकों का जहां तक सवाल है उनका तो ताली बजाने का काम है चाहे कांग्रेस की सरकार आये या हमारी आये या किसी और दूसरे की आये।

आज स्थिति हमारे राज्य की यह है कि मैं हमारे पूर्वी क्षेत्र के विधायकों से निवेदन करूंगा कि मैं यह तो कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप कांग्रेस को छोड़ें क्योंकि यह एक ऐसा मीठा वृक्ष है जिसके फल बड़े मीठे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैं कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह प्लानिंग डिपार्टमेन्ट, योजना विभाग और सिंचाई विभाग के साथ बैठें और बैठकर गंभीरता से विचार करें कि हम राजस्थान को किस दिशा में ले जा रहे हैं। इसमें आपका भी भला है और राजस्थान का भी भला है और हिन्दुस्तान का भी है। जितना भी इन्वेस्टमेन्ट हुआ है, मुझे समय नहीं है, नहीं तो मैं बतला सकता हूं कि 26 जिलों की क्या स्थिति है और उसकी वजह से हमारे राजस्थान की क्या स्थिति हो सकती है।

एक निवेदन करना चाहूंगा कि केवल धनकी दृष्टि से नहीं बल्कि योजना की संख्या की दृष्टि से देखें तो जहां माइनर इर्रिगेशन की सम्भावना थी वहां माइनर इर्रिगेशन के काम नहीं किये गये। जहां मीडियम इर्रिगेशन की सम्भावना थी वहां मीडियम इर्रिगेशन के काम नहीं किये गये। मैं भरतपुर की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं लेकिन निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान बनने से पहले भरतपुर की क्या स्थिति थी। वहां सब जगह बांध थे और हर गांव में बांध थे। आज राज्य सरकार पर आरोप है कि भरतपुर में नये बांध तो बनवाये ही नहीं गये, लेकिन जो पहले से ही बने हुए बांध थे उनकी भी मरम्मत यह सरकार नहीं करा सकी। करीब 22 के 22 बांध 1972 की बाढ़ में टूट गये और उनकी आज तक मरम्मत नहीं हुई। शायद सिंचाई मंत्रीजी जवाब देंगे तो कहेंगे कि हमने बांधों की मरम्मत के लिए इतना पैसा दिया। पैसा देना उपाध्यक्ष महोदय, अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है। मैं मानता हूं लेकिन उस पैसे का उपयोग कहां हुआ यह भी देखते हैं आप? जब कभी माननीय मंत्रीजी भरतपुर जायेंगे तो इर्रिगेशन के डाक बंगले में पहुंच जायेंगे और वहां काजुओं का इन्तजाम हो जायेगा। और भोजन करके सो जायेंगे और इन्जीनियर्स आयेंगे और दो-चार सेल्यूट कर देंगे तो आप समझेंगे कि सब कुछ ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में भरतपुर और गंगानगर में बाढ़ आती है। इजराइल ने सब सिंचाई का प्रबंध कर लिया, मिश्र ने बांध बना लिये और रूस और अमेरिका के आदमी चन्द्रमा पर पहुंच गये। लेकिन भरतपुर और गंगानगर को आप बाढ़ से नहीं बचा सके। आप

(श्री रामकिशन)

कहेंगे कि हमने बाढ़ को रोक दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बाढ़ मामूली करौली से आती है और गंगा में गिर जाती है लेकिन उसका भी आप इन्तजाम नहीं कर पाये। उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ के नाम पर मैं आपको मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि खानवा बांध की लागत को देखिये। आप ताज्जुब करेंगे कि इन बांधों में कितनी लागत लग चुकी है और मरम्मत में कितना पैसा लग गया। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री का काम या सरकारी एजेन्सी का काम केवल बजट में प्रावधान करने का नहीं है लेकिन उनको देखना है कि पैसे का उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है जिससे कि वहां स्थिति ठीक रहे। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि भरतपुर फ्लड के नाम पर बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, उसको आप नहीं रोक सके और रोक भी नहीं पायेंगे। ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि आपकी मजबूरियां हैं और सीमायें हैं। भरतपुर की गुड़गांवा नहर है। राजा लोग पहले कोई शीशमहल बनाते रहे तो कोई हवा महल बनाते रहे तो रानी के मिलने का भवन बनाते रहे। यह सही है....

श्री लक्ष्मणसिंह : वह तो खतम हो गए। अब तो कांग्रेस का रोना रोओ।

श्री रामकिशन : मैं राजाओं के माध्यम से कांग्रेस पर आ रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया....

श्री लक्ष्मणसिंह : यह भावना उभार रहे हैं और उदयपुर के भांड रहे हैं।

श्री रामकिशन : मैं निवेदन करना चाहता था कि आज स्थिति यह है कि राजस्थान बनने के बाद गुड़गांवा नहर का काम शुरू हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें जितना इनवेस्टमेन्ट हो गया, मैं कहना चाहता हूं कि यह 6 करोड़ से कम में पूरी नहीं होगी और इससे 66 हजार एकड़ जमीन का लक्ष्य था। 3, सवा 3 करोड़ रुपया खर्च हो गया और आपने यह रुपया बेकार किया है, बरबाद किया है। पिछले खरीफ में 33 हजार एकड़ जमीन में सिंचाई हो पाई है। मैं कहना चाहता हूं कि आप कभी इन बातों को देखते हैं या नहीं। तो फिर गुडगांवा नहर, उस नहर के बारे में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं करप्शन का मामूली सा जिक्र कर देना चाहूंगा। गुडगांवा नहर बने या नहीं बने, बनने की सम्भावना भी नहीं। क्यों न तो माननीय मंत्रीजी का मन है और न ही सरकार का दृष्टिकोण है। वह नहर बन भी नहीं सकेगी यह अलग प्रश्न है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गुडगांवा नहर के फाटक खरीद लिए गए चौकीदार उन फाटकों को लिए बैठा है और फाटक बेकार पड़े हैं। मैं स्पेसिफिकली एक बात पूछना चाहता हूं कि जो फाटक खरीदे गए थे गुडगांवा नहर के लिए क्या कभी उनका उपयोग हो सका। खरीद लिए वह अलग बात है, खरीदना गलत हुआ यह अलग बात है। लेकिन जब खरीद लिए तो क्या कभी उनका उपयोग हो सकेगा? जब आप जवाब देने के लिए खड़े हों तो चीफ इंजीनियर से या और किसी से जानकारी करके बता दें कि इन फाटकों का कोई उपयोग भी है या नहीं है? जिन लोगों ने फाटकों को खरीदा उनके खिलाफ करप्शन की शिकायतें आईं; मैंने खुद

Page No 165

165

(श्री रामकिशन)

विजिलेंस कमीशन को चिट्ठी लिखो, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि ऐसे मामलों पर भी, गम्भीर मामलों पर भी आप सजा नहीं दे सकते हों, आप जांच नहीं करा सकते हो तो हम कैसे मानलें कि राज्य का हित आपके हाथों में सुरक्षित है। मैं आपसे कहूंगा कि जो कुछ हुआ सो हुआ लेकिन आज भरतपुर जिले में हमारी स्थिति यह है कि हम कहीं जैसलमेर की तरह पानी लाने की बात नहीं करते लेकिन भरतपुर में कुम्हेर तहसील भरतपुर जिले की भरतपुर तहसील और कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर सात सात मील से पानी लाना पड़ता है, वहां पर खारा पानी है। मैं आपसे चाहूंगा कि अगर गुड़ गांवा नहर को पूरा करने की आपकी योजना नहीं हो, इण्टर-स्टेट आपके झगड़े हों तो, इसको छोड़िये लेकिन जो कामां पहाड़ी से बरसात का पानी आता है उसको ही आप गुडगांवा नहर में डाल दें, यह कोई बहुत बड़ी योजना भी नहीं है, पच्चीस तीस लाख की कुल योजना है। इससे यहां पर भरतपुर जिले के काफी इलाके के अन्दर सिंचाई हो सकती है। आप जब करोड़ों रुपया उदयपुर जिले में खर्च करते हैं, बांसवाड़ा जिले में खर्च करते हैं, भीलवाड़ा में खर्च करते हैं, चित्तौड़गढ़ जिले में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, अनुपयोगी योजनाओं पर आप खर्च करते हैं, जैसा मैंने आंकड़ों के आधार पर आपको बताया था, तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या आपके खजाने में पच्चीस लाख रुपया नहीं है कि जिसकी वजह से भरतपुर के खारे पानी वाली जमीन को मीठा पानी मिल सकता है। वहां पर लाखों की पैदावार बढ़ सकती है। एक साल लगाओं और दूसरे साल वापिस ले लो। भरतपुर की योजना इतनी महत्वपूर्ण योजना है कि मैं आपको बताऊं कि एक किताब है आर्थिक सर्वेक्षण की जो स्वामीनाथन ने लिखी है, आपने देखी होगी शायद डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर उन्होंने लिखा है कि इन क्षेत्रों के अन्दर जो इन्वेस्टमेंट होगा, रेट आफ परसेंटेज भी ज्यादा है, सेविंग कम है, कैपिटल फार्मेशन ज्यादा है यह सारी बातें साफ साफ लिखी हैं लेकिन आपने क्षेत्रीय दृष्टी से सारे कामों को करने के आप आदी रहे हैं। आज नतीजा, उपाध्यक्ष महोदय, यह है हमें भी यह चर्चा करना अच्छा नहीं लगता है और मैं जानता हूं कि आप लोग इसका दुरुपयोग भी करेंगे, यहां पर कुछ भी कह देंगे लेकिन जब उदयपुर में जाकर बोलेंगे तो कहेंगे कि हम उदयपुर में पैसा खींच लाये। महारावल साहब भी इस बुढ़ापे में उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे स्थिति क्या है? इस सारी स्थिति को समझिये। मेरा कोई बांसवाड़ा, उदयपुर डूंगरपुर से विशेष विरोध नहीं है लेकिन स्टेट की इकोनोमी की दृष्टि से कह रहा हूं·····

श्री लक्ष्मणसिंह : आप बूढ़े खून को गर्म करना चाहते हैं।

श्री रामकिशन : तो इस सम्बन्ध में धन की दृष्टि से ही नहीं लेकिन संख्या की दृष्टि से भी, उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे तो वैसे तो इस किताब में एक लिस्ट मीडियम प्रोजेक्ट्स की दी हुई है कि कौन से पूरे हो चुके हैं और कौन से चालू हैं। उन जिलों के मुकाबले हमारे जिले संख्या की दृष्टि से, प्रोजेक्ट की दृष्टि से, और

Page No 166

(166)

(श्री रामकिशन)

इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से पीछे हैं। और इन सब को जानते हैं। आप जोधपुर को ले लें। वहां एक गांव में पानी नहीं जाता। जिस इलाके के तीन तीन मंत्री यहां पर बैठे हों, जहां पर आये साल अकाल पड़ता हो वहां और तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन अपनी पत्नियों से कह देते हैं कि हम जोधपुर के तीन मंत्री हैं, आपस में बातें करके खुश हो लेते हैं। आपका मंत्रीपना आपको शोभा हो, आप भले ही मंत्री बन गए लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी आत्मा विद्रोह नहीं करती, आपकी मान मर्यादा विद्रोह नहीं करती। आपकी आत्मा मर भी गई तो क्या आपका कामनसेंस भी विद्रोह नहीं करता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपमें सेंस है, आत्मा है या वाणी है या शरीर है या कर्म है? लेकिन आप जिन्दा मुर्दे की तरह से यहां पर बैठे हुए हैं। मैं सभी पूर्वी क्षेत्र के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं, उन पर दबाव नहीं डालता, यह नहीं कहता कि कांग्रेस छोड़ दो, कांग्रेस छोड़ने या तोड़ने की बात मैं नहीं करता, लेकिन यहां पर राज्य सरकार को सही राह पर लाने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री लूणाराम : यह पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहे हो, एक तरफ तो आप कहते हो कि मैं क्षेत्रीय भावना की बात नहीं करता और दूसरी तरफ पूर्व और पश्चिम की बात करते हो।

श्री रामकिशन : जब चूरू का हिसाब बताऊंगा तो आप बेहोश हो जाओगे।

(व्यवधान: अश्रव्य)

मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो मीडियम प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में बताता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर में छः पूरे हो गए। चित्तौड़ में चार पूरी हो गईं, भीलवाड़ा में 8 पूरी हो गई, डूंगरपुर में 2 पूरी हो गईं, बांसवाड़ा में 2 पूरी हो गईं और इस तरह से कुल जो 43 परियोजनायें थीं उनमें से 22 पांच जिलों की योजनायें हैं और जो माईनर योजनायें हैं जिनके सम्बन्ध में अधिक सम्भावनायें भरतपुर में थीं, अलवर में थीं, जिनकी सम्भावनायें सवाई माधोपुर में थीं उनमें जब हम स्थिति को देखते हैं तो स्थिति बहुत साफ हो जायेगी। उदयपुर में 74 माईनर इरिगेशन योजनायें पूरी हो गईं सात साल में। चित्तौड़ में 40 योजनायें पूरी हो गईं आठ साल में, भीलवाड़ा में 68 योजनायें पूरी हो गईं 11 साल में और डूंगरपुर की 44 योजनायें पूरी हो गईं सात साल में और बांसवाड़ा की 12 योजनायें पूरी हो गईं सात साल में, कुछ चालू हैं। तो उदयपुर में चाहे संख्या की दृष्टि से देखिए, चाहे इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखिए, और सब जगह की तस्वीर, राजस्थान की तस्वीर बहुत ही धुंधली दिखाई पड़ती है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, मान लीजिए, हमारे इलाके में जल स्रोत कम हैं, हम यह नहीं कहते हैं कि जो कुछ हमारे आरोप हैं उसके पीछे शत प्रतिशत सच्चाई की स्थिति है, लेकिन अगर आप सर्वेक्षण करें जल स्रोतों का और जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, मैं गंगानगर और कोटा का जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कि वहां पर प्राकृतिक साधन हैं तो योजनायें भी उनके लिए बनेंगी लेकिन जिन योजनायें की हमारे क्षेत्र में सम्भावनायें हो सकती हैं, आप बिजली

(श्री रामकिशन)

के मामले में ही ले लें, बिजली भी अगर आप पूर्वी क्षेत्र में दे दें तो जो कुएं हैं इस क्षेत्र में उन कुओं से भी सिंचाई हो सकती है। बिजली के मामले में भी आप ऐलान तो बहुत कुछ कर देते हैं, जब भी मुख्य मंत्रीजी या सिंचाई मंत्रीजी जाते हैं तो ऐलान कर देते हैं और ऐलान कहां पर कर देते हैं जब कोई चाय पर बुलाता है तो उस मौके पर घोषणा कर देते हैं कि पूर्वी क्षेत्र के लिए बैंक से बात कर ली है। क्या बात कर ली है ? हमारे क्षेत्र में बिजली तक दे नहीं पाये और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से आप सड़क मंत्री भी हैं। सड़क का मामला लेकिन आवागमन की सुविधा के लिए ही नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। इस दृष्टि से भी जब आप देखेंगे तो आप कन्वीन्स हो जायेंगे कि आपने जानबूझकर सड़क के बारे में भी इस क्षेत्र की उपेक्षा की है।

मैं आपसे अन्त में इन शब्दों के साथ में यह निवेदन करूंगा कि अगर आपने क्षेत्रीय असंतुलन को दूर नहीं किया तो इसका परिणाम राजस्थान के विभाजन के अलावा कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूं कि विभाजन की बात करना कोई अच्छी चीज नहीं है, हम कोई अलग देश नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन जितनी आपकी प्रवृत्तियां हैं, सरकार की जो प्रवृत्तियां हैं वह सारी प्रवृत्तियां इस दृष्टि से जिस तरह से हम राजस्थान के एक क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ इतना व्यय कर रहे हैं। आपके इस साल के बजट को अगर आप देखेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, तो हालत और भी गंभीर है। मैंने पंचवर्षीय योजना के आपके प्रावधानों को देखा और अकाल के समय में जो आपने पैसा बढ़ाया है उसको भी देखा और आज के साल की सारी स्थिति को देखेंगे तो सारा चित्र साफ हो जाएगा। मैं इस बात को मानता हूं कि इस बजट को हम पारित करेंगे, आपकी इस डिमाण्ड को भी स्वीकार करेंगे, लेकिन व्यावहारिक स्थिति को सामने रख कर आप खुले दिमाग से इस पर विचार करें। हो सकता है कि उदयपुर के मुख्य मंत्री आपको सरकार से निकाल दें, सम्भव है निकाल दें लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें भी आपका नाम होगा। मोहन धारिया ने मंत्री पद छोड़ दिया तो आज उसका नाम हो गया उसी तरह से आपका भी नाम हो जाएगा वरना आपकी हैसियत क्या है और······

श्री श्रीराम गोटेवाला : पंडितजी, इसको बलि का बकरा क्यों बना रहे हो ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : चढ़ जा बेटा सूली पर, भली करेंगे राम।

श्री रामकिशन : इस सम्बन्ध में खास तौर पर एक बात और कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। इस विभाग में चीफ इंजीनियर और स्टाफ की तो शायद कोई कमी ही नहीं है। आपके यहां पर जितने चीफ इंजीनियर हैं, मैं समझता हूं कि इतने शायद दूसरी जगहों पर कहीं भी चीफ इंजीनियर नहीं हैं। उदयपुर के और भी होंगे तो उनको भी बनाना पड़ेगा, उसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है—

श्री हीरालाल देवपुरा : उदयपुर का कोई नहीं है।

श्री रामकिशन : मैं उदयपुर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से बना रहे हैं उसमें आपके इस विभाग का कोई कोआर्डीनेशन नहीं है। राजस्थान कैनाल और इरिगेशन विभाग में जो पत्र व्यवहार होता है वह इस प्रकार होता है जैसे कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पत्र व्यवहार हो रहा हो। महीनों तक पत्र व्यवहार चलेगा। एक प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर दूसरे प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर से ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे कोई हमारे सम्बन्ध एक देश से दूसरे देश के सम्बन्ध खराब हो रहे हों। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसको रिआर्गेनाईज करें और रिआर्गेनाईज करते वक्त एक बात का खास तौर पर ध्यान रखिये कि केवल एम्पलॉयमेंट का ही सवाल नहीं है, हमारे सामने इन्वेस्टमेंट का भी सवाल है। हमारे यहां जितने पढ़े लिखे हैं उनके लिए रोजगार के साधन हम क्रियेट करें उसके साथ साथ अपने साधनों का क्या रिजल्ट आ रहा है और आपका फॉलोअप कार्यक्रम क्या है इसकी जानकारी भी आप प्राप्त करें। मैं आपसे चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में ऐसी योजना बनावें कि रोजगार के साथ जिनको हम रोजगार दे रहे हैं उसके रिटर्न की आशा अगर हम नहीं कर पायेंगे तो यह स्थिति खराब होती चली जाएगी। इस सम्बन्ध में, मैं निवेदन करूंगा कि आपका वर्क चार्ज स्टाफ की स्थिति हर डिविजन में खराब है। भरतपुर जिले में भी पहले तो अनाप शनाप वर्क चार्ज स्टाफ भर लिया असल में जहां दस की जरूरत थी वहां पर सौ भर लिए, कहीं दो सौ भर लिए, कहीं पर किसी एक्स० ई० एन० ने भर लिए तो कहीं पर एस० ई० ने भर लिए और इसलिए भर लिए कि विधायक जोर देते हैं, मंत्री जोर देते हैं और चूंकि मंत्री महोदय जोर देते हैं, विधायक जोर देते हैं तो उनको खुश करने के लिए वर्क चार्ज स्टाफ की नियुक्ति करनी पड़ती है और उसका नतीजा क्या होता है कि आपका पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। नहर खुले या नहीं खुले लेकिन वर्क चार्ज्ड स्टाफ तो भर लेते हैं और अनाप-शनाप खर्चा उसमें जुड़ जाता है। जब तक यह स्थिति रहेगी आप इससे निपट नहीं सकेंगे। हमारे भरतपुर में भी हमने देखा कि पहले तो अनाप-शनाप वर्क चार्ज स्टाफ भर लिया और अब उसको रिट्रेंच कर रहे हैं। आज लोग नाराज हैं, लोग दुःखी हैं, चार चार साल हो गए उनको काम करते और अब भरतपुर में रिट्रेंचमेंट लगा दिया। उनको आप कहीं पर खपा नहीं सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि पटवारियों की जगह निकली। जो लोग आपकी सर्विस में थे, उन लोगों को लगवाया भी आपने ही होगा क्योंकि आपके दल के लोग ही ज्यादा लगवाते हैं। यह निश्चित बात है कि उनकी सिफारिश भी आपने ही की होगी तभी उनको नौकरी मिली होगी। भरतपुर से कई पटवारी निकाले गये हैं जो कि बी० ए० और एम० ए० हैं और जो तीन-तीन साल से काम कर रहे हैं। आप क्या उनों से नहीं लगा सकते हैं? इस तरह का फैसला करते हैं जिससे मामला गम्भीर से गम्भीर होता चला जाता है। तो इस वक्त इस सम्बन्ध में यही निवेदन है कि आप समग्र राजस्थान की दृष्टि से, सम्पूर्ण राजस्थान की दृष्टि से सोचने की आदत डालेंगे तब तो राजस्थान का भला हो सकता है और अपने निर्वाचन क्षेत्र को

(श्री रामकिशन)

देखते रहेंगे और आपकी इस आदत को नहीं बदलेंगे तो भला नहीं हो सकता।

जहां तक केन्द्र का सवाल है और कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं कि केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाला जाय। उपाध्यक्षजी, आप जानते हैं कि क्या इन लोगों का दबाव पड़ सकता है ? इन्दिराजी जानती हैं कि ये पुराने कन्जरवेटिव हैं, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिये थे। वह जानती है कि आपने वोट किसको दिया था। क्या शिवचरणजी जगजीवन राम पर दबाव डाल सकते हैं, इन्दिराजी पर दबाव डाल सकते हैं ? दबाव तो तभी पड़ सकता है जब आप अपनी सामर्थ्य को इम्प्रूव करें। दबाव तभी चलेगा जबकि सम्पूर्ण देश के हिसाब से देखेंगे। अन्यथा दबाव की बात थोथी है।

अगर आप केन्द्रीय योजनाओं का सर्वेक्षण करेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडू, और देश के कुछ हिस्सों में सारी पूंजी का कन्सेन्ट्रेशन होता चला जा रहा है। इसके कई राजनैतिक कारण हैं। इनकी विवेचना का समय नहीं है। बजट के वक्त मैं नहीं था, वर्ना मैं बोलता कि क्या कारण है। आप अपने ही सोर्सेज की तरफ देखें। आप अपनी इन योनजाओं का दबाव बनाने की चेष्टा करेंगे तो हमारे राज्य का भविष्य उज्ज्वल होगा। और हमारे राज्य के लिए यह बहुत अच्छा है कि हमारे पास जमीन ज्यादा है और हमारे निवासी मेहनती हैं। हमें कुदरत ने कुछ खराबियां दी हैं तो अच्छाइयां भी दी हैं। कहां पर नर्मदा का पानी ला सकते हैं, चाहे गंगा का पानी ला सकते हैं, चाहे जमुना का पानी ला सकते हैं, चाहे व्यास, सतलज का पानी ला सकते हैं, तो इस पानी को लाने के लिए दबाव डालें आपका 20 पर्सेन्ट इर्रिगेशन का टार्गेट है। उस दृष्टि से राजस्थान कहीं पर नहीं ठहरता है। इन सब सवालों को लेकर अगर खड़े होते हैं तो सदन आपका समर्थन करेगा, और सदन समर्थन ही नहीं करेगा बल्कि राजस्थान आपका यश गायेगा। अन्यथा सैंकड़ों मंत्री राजस्थान में हो गये हैं उनका किसी को पता ही नहीं। कई मंत्री आ गये हैं और चले गये हैं। आपको खुद को याद नहीं है कि इर्रिगेशन डिपार्टमेंट में कितने मंत्री हुए हैं। उन्होंने जमकर काम नहीं किया। चीफ मिनिस्टर ने लिस्ट दे दी उनका ट्रान्सफर कर दिया। अगर आप यह चाहते हैं कि राजस्थान के पास आपकी हैसियत बनी रहे कि राजस्थान में यह सिंचाई मंत्री हुए हैं तो इसमें उन बातों को करना होगा। आपके लोग आपका साथ देंगे। अगर आपके लोग साथ नहीं देंगे तो विरोधी पक्ष के लोग आपका साथ देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे कहना तो बहुत था ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं खत्म ही करने वाला हूं।

मैं अन्त में यही याद दिलाता हूं कि आप रटा-रटाया जवाब न दें। बहुत बड़ा क्षेत्रीय असंतुलन है और इतनी लम्बी-चौड़ी लिस्ट है। यह जवाब न दें कि फलां जगह से चले और फलां नहर बना दी है। वह सब हमारे पास है। कुओं की लिस्ट छोड़ दी है। 27 साल के अन्दर आप कुछ लाख जमीन भी सिंचित नहीं कर पाये जबकि

(श्री रामकिशन)

27 साल में इजराइल ने एक-एक इंच जमीन को इरिगेट कर दिया है। जार्डन नदी जो सी लेवल से नीचे बहती है उससे इरिगेशन किया गया है। आप सामन्ती राज्यों से मुकाबला करते हैं। अगर आपको मुकाबला करना है तो उन राज्यों से, उन देशों से करें जिन्होंने चमत्कार किया है। आप जवाब के वक्त सदन से क्षमा मांग लें कि गलती हो गई है क्षमा करें। अब पूर्वी क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं होगी। तब तो आपका जवाब है नहीं इस बुढ़ापे में काहे को झूठ बोलते हैं...

श्री प्रद्युम्नसिंह : इनका बुढ़ापा कहां है, पंडितजी, आपका बुढ़ापा है।

श्री रामकिशन : प्रद्युम्नसिंहजी, बुढ़ापा किस दृष्टि से कहा है यह आप नहीं जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप इस मामले को गम्भीरता से चिन्तन करें, और गम्भीरता से चिन्तन करके पूर्वी क्षेत्रों के लोगों की जो नजर है उसको दूर करने के लिए आप खुद उस चीज का एनाउन्समेंट करेंगे, ऐसी मेरी आशा है।

उपाध्यक्षजी, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है और 3 करोड़ 20 लाख की आमदनी है। जहां तक चोरी होने का सवाल है उसको रोकें। आपके पास आमदनी बढ़ाने का एक ही तरीका है कि टैक्स बढ़ाते चले जायें। चोरी हो रही है। आपकी योजनाओं का पैसा खाया जा रहा है। सिंचाई विभाग में कमीशन क्या चल रहा है, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो सिंचाई मंत्री के लायक नहीं हैं। अगर जानते हैं तो पूछना चाहता हूं कि क्या चल रहा है। पहले सुना करते थे कि 2 पर्सेन्ट, 3 पर्सेंट है। मैं भरतपुर में सुनता हूं कि 28-30 पर्सेंट तक कमीशन चला गया है। तो आप बैठे ही रहते हैं। आपके जो इन्जीनियर हैं उनको बुलायें और कहें कि कमीशन का 10 पर्सेंट तो ले आओ। आप कह सकते हैं। अगर आप नहीं कहेंगे तो मैं समझता हूं कि सारा राज्य जानता है, सारा देश जानता है कि इस विभाग में काफी बड़े व्यापक पैमाने पर करप्शन है। हम इस करप्शन को नहीं रोकेंगे तो रसातल के नीचे चले जायेंगे। कहीं पर भी आप पूछ लें कि 50-60 पर्सेंट से ज्यादा पैसा उनमें नहीं लगता है। आपको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। करप्शन को रोकें। दो-चार मिसालें दी हैं। माननीय हाण्डा साहब ने एक हनुमानगढ़ की मिसाल दी थी एक्स०-ई०एन० की कि उससे पैसा वसूल हो गया। आपको साहस कैसे हो गया? बड़ी मुश्किल से तो ऐसे मामले पकड़े जाते हैं। वह रिइन्स्टेट कैसे हुआ? जिन्होंने पैसा वसूल किया था उनको प्रोत्साहित करना चाहिए था। मेरे अपने जिले की आपको कहूं। ईटों की खरीदने में घोटाला हुआ तो मैंने विजिलेन्स कमीशन को लिखा, चीफ मिनिस्टर को लिखा और चीफ सेक्रेटरी को लिखा है। 3-4 मामले पकड़ कर कार्यवाही कर दें तो राज्य की जनता का आपको विश्वास मिलेगा।

डिमाण्ड को पास करने से पहले आप इन तथ्यों को अपनी नजर में जरूर रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अर्ज किया, मैं आपकी तारीफ करूं या उनके तथ्यों का

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

बंटवारा करूं यह समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी समस्या सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने निपटा दी काश्तकारों के सम्बन्ध में। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। गंगानगर की तरफ और बीकानेर की तरफ देखने का तो मेरा काम नहीं पड़ा कि कौनसे किसान आपके यहां है, लेकिन आपने फर्माया कि आपके यहां बड़ी संख्या में आई०जी०पी०, बड़े-बड़े वी०आई०पीज० और कोई अधिकारी ऐसा नहीं बचा है कि जिसको जमीन नहीं मिली हो। तो सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से मैं यह परमिशन चाहूंगा कि इनको कुलक कह दूं तो मेरा कोई अपराध नहीं होगा। अगर मैं इनको कुलक कह देता हूं तो मैं प्रतिक्रियावादी नहीं हो पाऊं इसी सुझाव को लेकर कहना चाहता हूं।

सन् 74 में आपने कुछ बिल पास किये और संघर्ष भी चल रहा है। कुछ आंकड़ें ऐसे हैं जिनको लेकर हम बोलें तो उन 25-30-40 हजार में जो माननीय सदस्यों ने बताये हैं, बड़े-बड़े आदमी हैं जिनमें बिरला भी है, टाटा भी है, गोयन्का भी है, वी०-आई०पीज० भी हैं और पता नहीं कितने कितने लोग उस जमीन पर काश्तकार बने हुए हैं। गंग कैनाल जो कि पेरीनियल कैनाल है। उनकी सुविधाओं में कमी आती है तो मेरे खयाल में अपराध नहीं होगा।

इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा जिले में नाम लेने को भी पेरीनियल कैनाल नहीं है। एक मेजा बान्ध है जिस पर 75 लाख रुपये खर्च हुए थे और एक 4॥ करोड़ खर्च करने की योजना है बनास पर। वह 18 हजार बीघा की सिंचाई करता है और 8 साल से वह चल रही है। भीलवाड़ा जिले में कई छोटे-मोटे तालाब हैं जिनमें से 150 तालाब ऐसे हैं जो जागीरदारों की प्राइवेट प्रॉपर्टी बने हुए हैं। उन पर एक पैसा खर्च नहीं करते हैं। और उस पानी को 20-25 रु० पर पिलाई से लेकर वह काश्तकार को देते हैं। काश्तकार हाथ जोड़कर चरण स्पर्श करके लेता है। मैं 7 साल से जब से असेम्बली में आया हूं। मैं हर साल इस बारे में कहता आया हूं। यह बाबा आदम के जमाने का इरिगेशन एक्ट है। यह सन् 1943 में बनाया गया है। लेकिन आप उसी कानून में पड़े हैं। मैं 43 का कानून गलत नहीं बोल रहा हूं। यह 43 का कानून है और हम 75 में सोचने बैठे हैं। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारा राजस्थान अभी अभी भी सन् 43 में ही चल रहा है। इसमें बड़ा भ्रष्टाचार पैदा हुआ है। मैं निवेदन करूं, एक आपकी नहर है। लोग कुओं से भी पिलाई कर रहे हैं। पटवारी, जिलेदार और ऊपर के अधिकारी कैसे कान ऐंठ रहे हैं। कानूनी खामियां हैं। मैं ज्यादा गाना नहीं गाऊंगा। यह टिनेंसी एक्ट पड़ा हुआ है। दो बार तो सिलेक्ट कमेटी में हो आया है। और यह इरिगेशन एक्ट, जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, मैं भी माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस इरिगेशन एक्ट को विधान सभा के प्रांगण में लाकर इसमें अमेण्डमेण्ट करें और राजस्थान की गरीब जनता को राहत दें। भीलवाड़ा जिले में कोई कैनाल नहीं है। तालाब जितने हैं, वह अधूरे और टूटे हुये हैं। कुओं की सिंचाई बहुत बढ़िया है। मैं यह भी कहता हूं जितना कुओं का मिस यूज होता है, और भी नये कुए होते जाते हैं। पानी का वाटर लेवल डिस्टर्बड होता जा रहा है। मैं राजस्थान कैनाल की बात नहीं कहना

Page No 172

(172)

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

चाहता हूं । गंग कैनाल की बात भी नहीं कहना चाहता हूं । पेरीनियल 4 पिलाई के कम से कम 100-125 रु० खर्च पिलाई के बैलों के द्वारा हो रहा है । पेरीनियल सोर्स आफ इरिगेशन नहीं मिले । बिजली के द्वारा पिलाई के रेट बढ़ गये हैं । रेट बढ़ा दिये हैं, इस प्रकार से काश्तकार का अहित किया है । वह टूटे फूटे तालावों से सिंचाई करते हैं । उनको कोई लाभ नहीं होता है । जिनकी बराबर पिलाई होती है, उनके भाव बढ़ गये हैं । मैंने काफी सुना है । सिन्धु साहब कह रहे थे कि यह देश कंगाल हो जायेगा । यह देश कहां जा पड़ेगा । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो इरिगेशन के आंकड़े हैं । आपने 52 से अभी तक रुपया खर्च किया है । उसका ब्याज तो दूर पूंजी ही आप देख लें । माइनर तो माइनर हैं । दूसरे जो कैनाल में हैं, उसकी वसूली नहीं है । यह ठीक है. इस देश में सिंचाई के द्वारा लाभ होता है । उत्पादन बढ़ता है । प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है । लेकिन अगर हम मैन्टिनेंस नहीं कर पाये तो जो खेती के नाम पर है, खुशहाल होने के नाम पर है, यह देश कंगाल होता चला जायेगा । इसलिए बधाई देता हूं आपको ज्यादा रेट्स बढ़ाने की । मैं निवेदन करूंगा कि कोई वक्त होगा कि जो टेक्निशियन के हाथों में इसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा । वह वक्त आयेगा या नहीं । वह वक्त नहीं आयेगा । मंत्री टेक्निशियन नहीं हैं । मंत्री का टेक्नीशियन होना जरूरी है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्जीनियर बनने के बाद में टैस्ट पास करते हैं । पी०एस०सी० में जाते हैं । 20-20 साल से असिस्टेण्ट इन्जीनियर के पद पर लोग चल रहे हैं । ऐसे रूल्स बनाने वाले जो लोग हैं, वह हर जगह फिट हो जायेंगे । वह डेढ़ा, सवाया और त्रिकोण में भी फिट हो जायेंगे । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, यह टेक्निशियन के हाथों में नहीं आया । अब जैसे डायरेक्टर मेडिकल एण्ड हेल्थ सर्विसेज हैं । वह टेक्निशियन हैं । मैं निवेदन करूंगा कि जब तक ऐसा नहीं हो, भला तो कुछ होने वाला नहीं है । दुनियां में जैसे सामन्ती श्रेणी चलती है । उसी प्रकार से आपने एक ओवरसीयर और बना दिया । यह कहां से निकल आया ? जूनियर इन्जीनियर बना दिया । इसी तरह से असिस्टेण्ट इन्जीनियर । फिर उससे और आगे, यह सब श्रेणियां बांटी जा रही हैं । जिनके द्वारा आज के टेक्निशियन परेशान है । मेरी मान्यता यह है कि यह ऊंचे से ऊंचे पद टेक्निशियनों को न देकर आप ले रहे हैं । इसी कारण से यह सब हो रहा है । जितनी गड़बड़ियां हो रही हैं, सब इसी के कारण से हैं । अभी बता रहे थे । राजस्थान कैनाल में आंधी आये तो उस में मिट्टी आ गई । सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे । इसलिए मैं ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता हूं । इतना ही निवेदन करना चाहता हूं । पहले मेरा निवेदन यह है कि यह जो बाबा आदम के जमाने का जो सामन्ती कानून है, 1943 का इरिगेशन एक्ट है, कभी मौका आयेगा, मैं निवेदन करूंगा, इसको असेम्बली में लाकर इसमें अमेण्डमेण्ट करें । और दूसरा निवेदन यह है कि जब तक टैक्निशियन नहीं होंगे, इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है । कम से कम सरकारी डिपार्टमेंट के हैड को तो टेक्निशियन होना ही चाहिए । मिनिस्टर टेक्निशियन हो तो और भी ठीक है इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सिंचाई विभाग पर कटौती प्रस्ताव रखे हैं। उस सम्बन्ध में मैं सदन के समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पहले मैं राजस्थान नहर को लूंगा। राजस्थान नहर सन् 1958 में शुरू हुई थी। 1958 में शुरू की जिसको आज 17 वर्ष हो गये हैं।

(6.40 सायं)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

इन 17 वर्षों के अन्दर भी जो कार्य होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। 104 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, इस योजना के लिए। 280 करोड़ रु० योजना को कम्प्लीट करने के लिए हैं। और जो लिफ्ट कैनाल की योजना है जो कृषि आयोग ने प्रस्तुत की है। राज्य सरकार ने भी उस रिपोर्ट को मंजूर करके समिति का गठन किया है। कंवरसेन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। वह लिफ्ट योजना हाथ में ले लेंगे। तब उस योजना का खर्च और बढ़ जायगा, और खर्च जो करने जा रहे हैं इस वर्ष में भी 1975-76 में प्रॉविजन कर रहे हैं वह 11 करोड़ का है और इस प्रकार आज चूरू में लिफ्ट कैनाल बनायेंगे, जिसका बहुत ज्यादा खर्च होता है, अभी जो आपकी सम्भावित योजना है उसमें यदि आप खर्च करें तो 171 करोड़ खर्च करना है, और भाव महंगे हो जायेंगे तो हमारी योजना में और खर्च लग जायगा, लिफ्ट कैनाल से और खर्च लग जायगा। तो राज्य सरकार को यह सोचना चाहिए कि इस योजना को, राजस्थान नहर की योजना को वह कितने सालों में कम्पलीट करेगी, कितने साल लेगी। मैं तो यह कहता हूं कि राजस्थान नहर का जो कार्य है, उसको सम्पूर्ण करने की राजस्थान गवर्नमेंट में क्षमता नहीं है, और राजस्थान गवर्नमेंट किसी सूरत में कर नहीं सकती है। इस नहर के कारण पूर्वी राजस्थान के प्रतिनिधियों से इल्जाम लगता है कि पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा खर्च हो रहा है। यह आरोप हमारे पर है जबकि कोई नहर बाड़मेर जिले में आने वाली नहीं है। जो लिफ्ट कैनाल बन रही है, उससे मुझे लगता है, बीस वर्ष लगेंगे और बदनाम हम हो रहे हैं कि खर्च हो रहा है पश्चिमी राजस्थान में। शक्ति भी दक्षिण राजस्थान के पास में है और खर्चा भी उन पर अधिक लग रहा है लेकिन पूर्वी राजस्थान वाले इल्जाम लगा रहे हैं पश्चिमी राजस्थान पर। आज बाड़मेर जिले में सबसे कम खर्च हो रहा है, प्रति व्यक्ति व्यय बाड़मेर जिले में सबसे कम हो रहा है, बाड़मेर पहले नम्बर पर है, दूसरे नम्बर पर जालौर है और तीसरे नम्बर पर नागौर है। सबसे कम योजना में खर्च होने पर भी इल्जाम हमारे पर लगायें कि पश्चिमी राजस्थान में बहुत खर्च हो रहा है, इससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है। कौन बढ़ा रहा है क्षेत्रीय असंतुलन ? हम चाहते हैं, राजस्थान नहर का काम केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले, और इस सदन के सब एम० एल०एज० अगर आवश्यकता हो तो दिल्ली जाने को तैयार हैं, सेन्टर के सामने हमारा केस रिप्रजेन्ट करने को जाने को तैयार हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है इस योजना को पूरा करने की। इसलिए इसको केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले। इससे राष्ट्र के सामने जो खाद्य-समस्या है, उसका भी हल हो सकता है। अगर राजस्थान नहर का काम सम्पूर्ण कर लिया जाय, इस पांचवी पंचवर्षीय योजना में तो हमारी खाद्य-समस्य

(श्री, वृद्धिचन्द जैन)

हल हो सकती है और करोड़ों रुपया अनाज मंगाने पर खर्च करते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज की बड़ी कीमत है, वह खर्च करनी पड़ती है, और अमेरिका की नीति हमारे देश के खिलाफ है, जिसने अभी भी पाकिस्तान को मिलिट्री का सामान देकर हमारे साथ में दुश्मनी का कार्य किया है–हम उनके सामने घुटने टेकें यह कहां तक उचित है ? हमें यह जोर देना चाहिए, अगर खाद्य समस्या को हल करना चाहते हैं, हिन्दुस्तान के अन्दर और राजस्थान के अन्दर तो राजस्थान नहर को केन्द्र को अपने हाथ में लेना चाहिए । राजस्थान नहर के पूरा होने पर अमेरिका से अनाज मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी ।

इसके साथ ही और बड़ी योजनायें हैं, नर्मदा का प्रश्न है, इस नर्मदा के प्रश्न को हल करना चाहिए। मध्य प्रदेश और गुजरात गवर्नमेंट इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। चीफ मिनिस्टर्स को बैठ कर इस प्रश्न को हल करना चाहिए और इस प्रश्न को हल करके हमारी जो समस्या है खाद्य-समस्या, इसको हल करना चाहिए । हमारे देश के अन्दर इस प्रकार की नदी का पानी है, जिसका हम अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं और हमें भीषण संकट का सामना करना पड़ रहा है । यह स्थिति उचित नहीं है । यह स्थिति कभी भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है । नर्मदा के बारे में, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, अभी जो एग्रीमेंट हुआ है एक सप्ताह पहले, उस एग्रीमेंट से राजस्थान सरकार को क्या लाभ हुआ है । मध्य प्रदेश में चार बांध बन जायेंगे, गुजरात में बान्ध बन जायेंगे, लेकिन राजस्थान सरकार को क्या लाभ हुआ है, यह मैं जानना चाहता हूं । पहले एग्रीमेंट हुआ है, हमें इन्फार्मेशन मिली है कि उससे राजस्थान की पांच लाख एकड़ जमीन को पानी उपलब्ध हो सकेगा । यह पानी प्राप्त हो सकेगा या नहीं हो सकेगा ? यही नहीं, नवगांव का बांध है, उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ायी जायगी हमें उससे लाभ हो सकेगा या नहीं हो सकेगा ? बाड़मेर, जालोर को यह बताया जा रहा है कि उनको पानी उपलब्ध होगा और जमीन सिंचित होगी । वह सिंचित होगा या नहीं होगी ? मैं यह जानना चाहता हूं, राजस्थान नहर से जब लिफ्ट कैनाल बना देंगे, चूरू में बना देंगे, फलोदी में बना देंगे कोलायत में बना देंगे तो उनके बनने के बाद, जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पानी मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा ? यहां पानी की आवश्यकता है, उसमें बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, इनकी आप अवहेलना कर रहे हैं । यह सीमावर्ती जिले हैं । हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में हमेशा संघर्ष रहता है, अभी भी संघर्ष की स्थिति में हैं । अगर इन जिलों का आप विकास नहीं करेंगे, और जिस तरह से अवहेलना कर रहे हैं वैसे ही करेंगे तो यहां की जनता का मोरल है वह बूस्ट नहीं होगा । मोरल बूस्ट नहीं होगा तो यह संघर्ष की तैयारी का काम, जिस तरह करना चाहिए वह कर नहीं सकेंगे, और इससे देश को बड़ा नुकसान होगा । इसलिए आवश्यक है, राजस्थान नहर की योजना, चम्बल की योजना-इनके द्वारा क्षेत्र का विकास करना ।

रेगिस्तान को रोकना है तो रेगिस्तान की शुरुआत होती है, वह बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से होती है । उस डिस्ट्रिक्ट में रेगिस्तान बढ़ता जाता है, उस क्षेत्र में रेगिस्तान ही रेगिस्तान होने देंगे और उस क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे, वहां नहर नहीं लायी जायगी तो रेगिस्तान

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
बढ़ता रहेगा और बढ़ते-बढ़ते दूसरे जिलों को भी ले डूबेगा। इसलिए यह आवश्यक है, डिफेन्स पाइन्ट आफ व्यू से रेगिस्तान का रोकना भी आवश्यक है। इसलिए इन क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए।

अब मेली बांध जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बांध बना हुआ है, साठ वर्ष पहले बांध बना हुआ है, गत वर्ष ही वह टूट गया। टूटने के बाद अब जो बांध बनाया है, मंत्री महोदय, मैं बताना चाहता हूं, मेली बांध अब जो बना है वह पहले से बिल्कुल निकम्मा बना है, मिट्टी का और सपोर्ट दिया है पत्थरों का, और पहले का बान्ध, जो साठ वर्ष पहले का था, वह मजबूत था, वह टूट गया, टूटने के बाद अब जो बना है, तो थोड़ी वर्षा होगी तो यह टूट जायगा। तो क्या मतलब निकलता है? क्यों पैसा वेस्ट किया? चाहिए तो यह था, बांध टूट गया, मजबूत बांध टूट गया तो उससे ज्यादा मजबूत बांध बनाते, उसकी ऊंचाई और अधिक करते। इस दृष्टिकोण को सामने रख कर मेली बांध को बनाना आवश्यक है और जरूरी है। आप जाकर आन द स्पॉट देखें, मैं इन्वाइट करता हूं, आप बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का दौरा करें, अभी आपने दौरा किया नहीं है, आप उदयपुर डिविजन का दौरा करते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनको मिलिट्री पाइन्ट ऑफ व्यू से देखने की आवश्यकता है, उनका विकास करना आवश्यक है, वहां के लोगों का मोरल बूस्ट करना आवश्यक है। आप जाकर देखिये, मेली बांध के काम में क्या अव्यवस्था की है सिंचाई अधिकारी ने। उस अधिकारी के विरुद्ध कदम उठाना चाहिए, इस प्रकार का बांध उसने बनाया है जो पहले से कमजोर है। ो इससे क्या लाभ होता है।

मैं सिर्फ एक दो बातें और कह कर, जो समस्यायें हैं, उसके बारे में कहना चाहूंगा, जैसे मेली बांध के बारे में कहा, और सिंचाई के बारे में कुछ कहा। मैं राजस्थान नहर के क्षेत्र में भी गया....

श्री बिरदाराम : ट्यूब वैल।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : राजस्थान नहर में छत्तरगढ़ क्षेत्र में जो मजदूरी की रेट्स हैं वह बहुत कम हैं, इसके कारण मजदूरों को मजदूरी मिलती है, वह दो रुपये से ज्यादा नहीं मिलती है....

श्री हीरालाल देवपुरा : मजदूरी की रेट्स!

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सिंचाई की मंजदूरी की रेट्स।

श्री हीरालाल देवपुरा : इरिगेशन की कह रहे हैं या फेमिन की।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इरिगेशन की कह रहा हूं, फेमिन की नहीं। अक्टूबर, 1971 के अन्दर जो रेट्स थीं उसमें अक्टूबर, 74 में 25 पर्सेन्ट बढ़ाया है जब कि मजदूरी दुगुनी हो गई है, आपने केवल 25 पर्सेन्ट इन्क्रीज किया है। कई फेमिन के काम लोग कर रहे हैं, उनको कोई विशेष कन्सेशन नहीं, कोई विशेष सुविधा नहीं और मजदूरी की रेट्स से भी कोई लाभ नहीं है। पी० डब्ल्यू० डी० की जो रेट्स हैं, जिनमें काम इतना सरल होता है, और यह काम बहुत कठिन है, लेकिन उनकी रेट्स से भी यह रेट्स कम हैं। इसलिए आप यह सिंचाई की मजदूरी की रेट्स हैं, इनको आप इक्जामिन करिये, और एक्जामिन करके इस प्रकार की स्थिति

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
बने कि मजदूरों को ढाई रुपये प्रति व्यक्ति मिल सके, जो गवर्नमेंट ने अभी ऐलान किया··

एक माननीय सदस्य : मिलना चाहिए तीन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं कहता हूं कि ढाई रुपया प्रति व्यक्ति मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हो। आज किसी को डेढ़ मिल रहा है, किसी को दो मिल रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है। मैंने जो सिंचाई की मजदूरी की रेट्स के बारे में जिक्र किया–इसको एक्जामिन करने की जरूरत है।

अब प्रश्न था, राजस्थान नहर में मजदूरों की संख्या बढ़ सकेगी। लेकिन आपने क्या सुविधा दी ? क्या विशेष सुविधा दी जिससे मजदूरों की संख्या बढ़े। वहां मजदूर गये हैं, वह बराबर यह क्वेश्चन करते हैं, अब हमारे क्षेत्र में जायें। हम भूख से मर रहे हैं। यह स्थिति है, कैसा अनाज मिल रहा है, बारह किलो जौ दिया गया था, और अमेरिकन ज्वार जो किसी काम के लायक, खाने के लायक नहीं। इस प्रकार की स्थिति है। आज जोधपुर जिले का एक मजदूर भी नहीं पहुंचा। दूसरे जिलों से भी चूरू जिले से भी नहीं पहुंचे। कौन पहुंचे ? मंत्री महोदय भी अपने जिले के लोगों को राजस्थान नहर में नहीं भेज सकते क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है। राजस्थान नहर में आप सुविधा देते तो और निर्माण होता लेकिन इस ओर आपने ध्यान नहीं दिया उसके कारण भारी नुकसान हुआ और देश का भी नुकसान हुआ, उससे देश की पैदावार गिरेगी। इसलिए राजस्थान नहर के काम पर लोगों को भेजना चाहते हैं तो बाड़मेर जिले को क्या सुविधा देना चाहते हैं ? दो, तीन, चार वर्ष मजदूर काम कर सकते हैं तो उसके बाद उनको खातेदारी अधिकार दे देंगे ? क्या उनको जमीन एलाट कर देंगे ? अगर सुविधा दें तो ये लोग आकर्षित होकर जायं लेकिन कोई आकर्षण नहीं देते। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो राजस्थान नहर है उस संबंध में मेरा निवेदन है कि इस राष्ट्रीय नहर के लिए केंद्रीय सरकार के सामने विधान सभा के सदस्यों को ले-चलें हम सब एक राय के हैं। हम सभी सदस्य जाने के लिए तैयार हैं, अपना केस प्लीड करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के सामने अपना केस पुट-अप करने में, रिप्रेजेंटेशन करने में असफल रही है 17 वर्षों में, उसका जो कार्य है पहला चरण है वह भी सम्पूर्ण नहीं हुआ है, वह भी अक्टूबर, 1975 में जाकर सम्पूर्ण होगा, होगा या नहीं, यह प्रश्न भी विचारणीय है। इसलिए इसको डिफेंस की दृष्टि से भी देखें तो इच्छोगिल नहर की तरह यह साबित हो सकती है। तो इसको हर दृष्टि से राष्ट्रीय नहर घोषित कराने के लिए कोशिश करनी चाहिए और हम पर इल्जाम है कि पश्चिमी राजस्थान पर ज्यादा खर्च होता है, पूर्वी राजस्थान के लोग इल्जाम लगाये हुए हैं। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा वह सही नहीं है, वह दक्षिणी राजस्थान पर खर्च होता है न कि हम पर।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल बैरवा।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : सभापति महोदय, आज सिंचाई पर मैंने भी अपने कटौती प्रस्ताव दिए हैं। चम्बल नहर के मामले में सिंचाई विभाग ने अधिकारियों

(श्री नन्दलाल बैरवा)
ने और राज्य सरकार ने विश्व बैंक से जो धन लेकर सुधारने की जो योजना बनाई है उसके लिए सबसे पहले मैं सिंचाई मंत्री और संबंधित अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि चंबल के अंदर जिस प्रकार की समस्यायें थीं वह उनके ध्यान में आईं। क्योंकि जिस समय चम्बल नहर निकाली गई थी उस योजना के आधार पर जिस प्रकार से कार्य होना चाहिए था वह शायद चम्बल नहर का कार्य पूरा नहीं किया गया था। चम्बल नहर के क्षेत्र के गांवों में सीपेज और पानी भरे रहने से 175 गांव प्रभावित हुए। तहसील मांगरोल व पीपल्दा में 6,541 एकड़, तहसील लांडपुरा व दिगोद में 19,319 एकड़, तहसील बूंदी और केशोरायपाटन में 22,230 एकड़–कुल 48,080 एकड़। इतने इलाके के अंदर पानी भरे रहने से 48,080 एकड़ जमीन से किसान महरूम थे उस जमीन को सुधारने के लिए जिस प्रकार से कच्ची और पक्की नालियां बनाने की योजना बनाई उसको देखते हुए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पैसा आप चम्बल नहर पर व्यय कर रहे हैं उसको न तो आज दिन तक मंत्री महोदय ने देखा है। हम बराबर कहते रहे हैं कि कोटा बूंदी में संबंधित अधिकारी जाते हैं, वहीं बैठकर डिवीजन खोल देते हैं सारी योजना बना दी जाती है लेकिन साइट पर नहीं जाते हैं। विश्व बैंक की टीम आई थी उस समय जरूर संबंधित अधिकारी गए थे लेकिन आज तक करोड़ों रुपए की योजना बन चुकी, किसी ने जाकर साइट पर नहीं देखा। इसका मुख्य कारण है कि काफी स्टाफ लगा दिया गया लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कार्य आरंभ नहीं किया गया है। केवल अधिकारियों का काम चालू किया गया है लेकिन 48 हजार एकड़ जमीन जो पानी से प्रभावित है एक बार भी जाकर नहीं देखा। यही कारण है कि वह किसान आज कहता है कि बाड़मेर जैसलमेर में पानी न जाने से अकाल है। हम कहते हैं कि चम्बल नहर ने पानी का अकाल कर दिया है क्योंकि हजारों एकड़ भूमि में आज पानी भरा हुआ है उसके अंदर चने या गेहूं नहीं हो सकता। आज मुख्य नहर से जो माइनर्स निकलती हैं उसके दोनों तरफ पानी भरा हुआ है और किसान को खेत पर जाने के लिए रास्ता नहीं है। क्योंकि किसान जितना माल पैदा करता है उसको बेचने के लिए किसी मंडी में या उचित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था नहीं है। हमने बार बार कहा है कि चम्बल नहर से किसान का विकास हुआ है, अनाज का उत्पादन बढ़ा है लेकिन 48 हजार एकड़ जमीन यदि उपजाऊ होती, पानी नहीं भरता, सीपेज नहीं होता तो अनाज का उत्पादन काफी बढ़ जाता। संबंधित अधिकारियों ने साइट पर जाकर कभी नहीं देखा। कई जगह हम अधिकारियों के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि इन जगहों पर इतना पानी भरा हुआ है, वे जरूर कहेंगे कि ठीक कर देंगे, अंत में जाकर कहेंगे कि उनके पास बजट प्रावधान नहीं है। बजट प्रावधान न होने के कारण चम्बल कमांड में करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। मैं अपने इलाके की बात करना चाहता हूं कि चम्बल नहर पर लाखों रुपए खर्च करके भी पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। चम्बल नहर के पास नदी है जहां माइनर निकलती है, धोरे बन जाते हैं और वह माइनर जमीन की लेविल पर है, पानी देगी तो ओवरफ्लो हो जाएगी।

(श्री नन्दलाल बैरवा)

इससे जितना इरिगेशन हम चाहते हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं। जो पटवारी है उसके जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों से कम वह अपनी पिलाई नहीं बताएगा ।

आज स्थिति ऐसी है वहां पर कि काश्तकार को तो पानी मिल नहीं पा रहा है । पटवारी काश्तकार को बताता नहीं है कि कितनी एकड़ में पानी मिला है । लेकिन बाद में वह जब काश्तकार से वसूली करने जाता है तब काश्तकार उसको बताता है कि मैंने तो 15 बीघा में ही पानी दिया है और आपने 40 बीघा में पानी देने का कैसे बताया है । लेकिन सभापति महोदय, बेचारे काश्तकार की कोई नहीं सुनता है । उसे पटवारी के बताये के अनुसार लगान देना पड़ता है । आज जो यह स्थिति मैंने आपको बतायी है वह जीती जागती समस्या हमारे चम्बल के क्षेत्र के काश्तकारों की है । इसलिये मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय वहां जाकर स्थिति का निरीक्षण करें और यदि समस्यायें जो मैंने निवेदन कीं वह, सही पायें तो उन्हें ठीक कराने की व्यवस्था करावें । आज हमारे चम्बल कमान्ड में जो इकलेरा और उसके पास की तहसीलें हैं वहां पर किस तरह से काश्तकार को परेशान किया जा रहा है । एक तरफ तो कम क्षेत्र में पानी दिया जाता है और पैसे ज्यादा काश्तकार से चार्ज किया जाता है । दूसरी तरफ सीपेज इतना ज्यादा हो रहा है कि जिसके कारण वहां की जमीन बिलकुल ऊसर हो गयी है । वहां पर खेतों के साथ साथ पानी के नाले बहते रहते हैं, नहरें आज पक्की बनी हुई नहीं हैं । कहीं कहीं पर नहरें टूट गयी हैं । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा हमारे यहां की कुछ तो छोटी-छोटी समस्यायें हैं उनके बारे में मैंने इस सदन में कई बार निवेदन किया और अधिकारियों से भी निवेदन किया, लेकिन पहले तो वह लोग हां भर लेते हैं लेकिन बाद में अधिकारी लोग यह कह देते हैं कि बजट नहीं होने से हम वहां पर पैसा नहीं लगा सकते हैं और सभापति महोदय, वहां की छोटी से छोटी समस्यायें खतम तो होती नहीं हैं और वह दिन ब दिन बढ़ रही हैं । अगर थोड़ी सी धनराशि वहां पर इन कार्यों पर खर्च हो जाये तो काफी काश्तकार को राहत मिल सकती है ।

सभापति महोदय, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे यहां पर जो माईनर प्रोजेक्ट हैं उन्हें जल्दी ही पूरी करायी जायं । आज कई जगहों से मुख्य नहर के ऊपर मिट्टी आ गयी है, तो पानी के नीचे मिट्टी भर गयी है इसका नतीजा यह होता है कि हमारे चम्बल कमान्ड के खेतों में पानी पहुंचता ही नहीं है । मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे चम्बल कमान्ड की परिस्थितियां और हैं इसलिये वहां की परिस्थितियों के अनुसार ही विकास कार्य किये जाने चाहियें । अभी हमारे यहां चम्बल कमान्ड के लिये वर्ल्ड बैंक से पैसे मन्जूर किये गये हैं उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिये, कहां पर कितना पैसा खर्च किया जाना चाहिये, यह देखने की बात है। आज हमारे यहां के काश्तकार को यह पता नहीं है कि हमारे यहां पर किस प्रकार विकास किया जायेगा लेकिन मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे वहां की परिस्थितियों

(श्री नन्दलाल बैरवा)

के अनुकूल पैसा नहीं खर्चा तो आपका सब पैसा बेकार जायेगा। इसके अलावा, मैं यह भी निवेदन मन्त्री महोदय को करदूं कि आज आप जितना वर्ल्ड बैंक के माध्यम से पैसा खर्च कर रहे हैं, वह पैसा चम्बल कमान्ड के लिये कम होगा और मैं समझता हूं कि वहां के अधिकारी वर्ग ही सब पैसा खर्च कर देंगे और वहां पर कुछ भी काम नहीं होगा। इसके अलावा दूसरी बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे यहां पर चम्बल की ब्रान्च है, बूंदी ब्रान्च है जो कि लाखेरी तक जाती है। उसको लाखेरी से सवाई माधोपुर तक ले जायी जानी चाहिये। अगर आप उस नहर को सवाई माधोपुर तक बढ़ा देते हैं तो करीब 65 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। सभापति महोदय, अगर 65 हजार एकड़ जमीन में सिंचाई हो जावे तो मैं समझता हूं कि काफी अनाज पैदा हो सकता है। इससे राज्य सरकार को लगान भी मिलेगा और हमारी पैदावार भी बढ़ेगी। तो मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा और उन्हें सुझाव दूंगा कि वह लाखेरी से सवाई माधोपुर तक इस बूंदी ब्रांच को ले जावें और इसके लिये जो वर्ल्ड बैंक से हमें पैसा मिल रहा है उसको इसमें काम में लेवें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अन्त में, मैं चम्बल कमान्ड एरिया के अन्दर जो समस्या कोलोनाईजेशन की है उसके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा कोलोनाईजेशन मन्त्रीजी भी यहां पर बैठे हैं। सभापति महोदय, आज काश्तकारों ने चम्बल कमान्ड एरिया में हजारों एकड़ भूमि पर, जो कि उपजाऊ है अनधिकृत कब्जा कर रखा है। भूमिहीन काश्तकार शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों ने और कुछ ऐसे लोगों ने भी जिनके पास जमीन है तो भी उन्होंने वहां पर कमान्ड एरिया में नाजायज कब्जा कर रखा है। जैसे कि राज्य सरकार की रेट फिक्सड है उसको लेकर जिन लोगों के पास भूमि नहीं हैं और उन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है, उन्हें वह भूमि अलॉट कर दी जानी चाहिये। उन भूमिहीन लोगों को ही अलॉट कर दी जानी चाहिये या उनके कब्जे को रेग्यूलेराइज कर दिया जाना चाहिये। आप ने जो रेट रेग्यूलेराइज की है वह उनसे ले लें। इससे दो लाभ होंगे। एक तो राज्य सरकार जो भूमिहीन लोगों को भूमि दे रही है, वह समस्या पूरी हो जायेगी। इसके अलावा अनधिकृत कब्जा है वह रेग्यूलराइज हो जायेगा और सरकार को उन काश्तकारों से लाखों रुपये की इन्कम होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

बस, सभापति महोदय, एक दो मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं। तो मेरा निवेदन है कि कोलोनाईजेशन मन्त्रीजी उन सभी लोगों के कब्जे में जो भूमि है उनसे रेट के अनुसार पैसे लेकर वह जमीन उन्हीं को अलॉट करदें या उनकी जमीन का रेग्यू-लेराईजेशन करदें। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है इसके बारे में।

श्री सभापति : जल्दी समाप्ति करिये।

श्री नन्दलाल बैरवा : सभापति महोदय, हमारे यहां जो केशोराय पाटन तक चम्बल नदी की नहर आयी है, उसके

(श्री नन्दलाल बैरवा)

एक तरफ तो नहर है दूसरी तरफ नहर के साथ साथ जो जमीन है वहां पर लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई हो सकती है। उसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर उन्हें पूरी करायी जाय। अन्त में, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो चम्बल कमान्ड एरिया में विकास का कार्य कर रहे हैं वह किस तरह से कर रहे हैं वहां के लोगों को जानकारी नहीं है कि आप वहां पर पैसा किस प्रकार से व्यय करेंगे उसकी जानकारी उनको भी करायी जानी चाहिये। अन्यथा वहां पर आज स्थिति ऐसी है कि काश्तकार को कुछ भी पता नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर योजनाबद्ध कार्यक्रम किया जाय और वहां के काश्तकार को भी उसकी जानकारी होनी चाहिये।

श्री सभापति : श्री गोपीलाल।

श्री गोपीलाल (पीपलदा) : सभापति महोदय, आज सदन में सिंचाई की मांगों पर बहस चल रही है। मैं भी मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चम्बल काली सिन्ध और पार्वती नदी पर जहां टेल पोरशन पर पानी अभी तक नहीं दिया गया है वह दिया जाना चाहिये। आज वहां पर सीपेज के कारण एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जाने में पानी भरा रहने से रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं। इसके अलावा वहां पर छोटे ग्रामों से कस्बे में जाने के लिए रास्तों में पानी भरा रहता है तो लोगों को अपना सामान लाने ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। कृषकों के लिये मन्डी तक सामान ले जाने में बड़ी तकलीफ होती है। इसलिये वहां पर पुलियायें बनाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके अलावा सीपेज से नुकसान हो रहा है जिससे कि हजारों एकड़ जमीन ऊसर हो गयी है और वहां पर काश्तकारों की स्थिति बहुत खराब हो गयी है। यहां पर बार बार सदन में इस बारे में कहा गया है, पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दें। आज रास्ते पर पुलियायें नहीं बनने के कारण लोगों को चक्कर काट कर जाना पड़ता है जैसे लुहावट, जटखाड़ा और करवाड़, आडोल और दूसरे ग्रामों में सिंचाई भी नहीं होती है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक से जो स्कीम बनायी जावे उसमें इन योजनाओं को पूरी की जानी चाहिये। आज जब इन्जीनियर्स को यह पता चल गया है कि वहां पर काम चलने वाला है तो सैकड़ों अधिकारियों की लम्बी लाइन कोटा बूंदी में इन योजनाओं में काम करने के लिये लगी हुई है। 50 गाड़ियां खड़ी हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को कि अगर आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो वहां पर यह रुपया आज जो आपने खर्च करने की सोची है, उसका वहां पर भ्रष्टाचार होगा और यह सारा का सारा रुपया ये अधिकारी लोग अपनी तनख्वाह और भ्रष्टाचार में खा जायेंगे और आपका जो वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया हुआ है वह कुछ काम नहीं आयेगा। यही अधिकारी लोग सारा पैसा खा जायेंगे। अभी मैं जब जिला परिषद् की मीटिंग में गया तो वहां इस प्रकार हालत देखी है। इसलिये, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि वह इसके लिये वहां के अधिकारियों की और वहां

(श्री रामगोपाल)

पर जो जन-प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठकर वहां पर इन योजनाओं का ताल मेल बैठावें। आज पुरानी नहरों की हालत यह है कि जगह जगह टूट गयी हैं और वहां पर कीचड़ नहरों में जमा हुआ है। वहां पर दस दस फीट के पेड़ खड़े हो गये हैं जिससे कि सिंचाई में बाधा होती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इनका प्लान तैयार किया जावे और वापिस इनका सर्वे कराया जावे। वरना आज ऐसी स्थिति वहां के अधिकारियों ने कर दी है कि सारी नहर की साइड को ही बदल दिया है। आज झाड़ ग्राम की पंचायत के ग्राम डूंगरपुर, भांसरना, ककरावदा, पंचायत के कई ग्राम, बादवा पंचायत के दस ग्राम में बिलकुल सिंचाई नहीं हो पाती है इसलिये मेरा निवेदन है कि उन ग्रामों में नहरों का पुनः सर्वे करवा कर नहरों को आगे बढ़ाया जाय जिससे कि सिंचाई की समस्या सुलझ सके। आज वहां पर नहरों का रीमोडलिंग करने की आवश्यकता है। उनका सर्वे कराया जावे। सभापति महोदय, समना, मानपुरा, झाड़ोल, गणेशगंज के ग्रामों में लाखों रुपया कृषकों पर ऋण हो गया है। परन्तु सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह सीपेज डिस्ट्रिब्यूटरी की टेल 3 माईल तक अभी तक एक बून्द भी पानी नहीं लग पाया है। कृषकों की जमीन में धोरे खुद गये हैं। नहरें खुद गई हैं। मगर सिंचाई अभी तक नहीं हो पायी है। आज वहां पर 27 गावों को अनइरिगेटेड घोषित किया गया है। जहां तक नहरों से पानी मिलने का सवाल है वहां पर गांवों में पानी की समस्या बनी हुई है।

इसके अलावा मैं थोड़ा लघु सिंचाई योजना के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां पर नायब तहसील इन्द्रगढ़ एक ग्राम सोदानपुरा ग्राम के पास लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत एक तालाब सोदानपुरा बांध के नाम से बनवाया गया जिसकी बुनियादें खुद गयीं और प्लान वगैरह बन गया। लेकिन आज वहां पर एक छोलदारी लगी हुई है और एक लालटेन वहां पर पिछले दो वर्ष से लटक रही है पर कोई काम नहीं हो रहा है। वहां लोग विश्वास के आधार पर पड़े हैं। परन्तु एक छोलदारी और लालटेन के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इससे लोगों में भारी असन्तोष फैला हुआ है। वहां पर नहर में जब खुदाई का काम चलता है तो वहां के अधिकारी लोग कुछ नहीं करते हैं और कुछ काम भी नहीं हो पाता है, फिर भी 15-20 दिन में ही सारा बजट इधर उधर हो जाता है और मंत्री महोदय वहां खुदाई हो ही नहीं पाती, न नहर की सफाई होती है, न कोई काम होता है और बजट का सारा पैसा पूरा हो जाता है। इसलिए कभी तो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड बैंक का जो पैसा है जो नहर को ठीक करने के लिए और उसको पक्की करने के लिये उसका सदुपयोग होना चाहिए, इसके लिए चेसका सदुपयोग नहीं हो पाता। इसलिए शक होता है कि सारा पैसा कहीं कमीशन बाजी में ही पूरा नहीं हो जाय, यह धोखा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे कोटा जिले में पधार कर वहां के लोगों के साथ, जन-प्रतिनिधियों के साथ, अधिकारियों के साथ, प्रधानों और पंचों के साथ बैठकर यह चर्चा करें कि आखिर वे क्या करने जा रहे हैं। वहां के लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, किसानों में यह चर्चा है और एक तरफ इधर उधर गाड़ियों में पैट्रोल फूंका जा रहा है योंही पैसों की बरबादी हो रही है। एक तरफ

(श्री गोपीलाल)

तो एक-एक बूंद पानी की जरूरत है और दूसरी तरफ नहरें भरी जा रही हैं, उनमें पानी भर रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले में व्यक्तिगत रूचि लेवें जिससे जो पैसा है, बजट है उसका पूरा पूरा उपयोग हो सके अन्यथा नहीं होगा।

श्री सभापति : श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, मांग संख्या 37, लघु सिंचाई और मांग संख्या 45, सिंचाई को आज हम सदन में विचारार्थ लेकर बजट पास करने जा रहे हैं। मां धरती की सिंचाई प्राणीमात्र की सरसाई है। हर प्राणी आज सिंचाई पर आधारित है। सभापति महोदय, हम हमारे क्षेत्र की सिंचाई संबंधी समस्याओं पर विचार करने से पहले मैं कुछ सिंचाई संबंधी नीतियों के बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर किसान, सब प्रकार से दुखी हैं, उनमें असन्तोष फैला हुआ है। जो यह सालाना रिपोर्ट हमारे सामने आती है कि यह प्रगति हुई वह प्रगति हुई आदि। राजस्थान की सारी धरती को सिंचित करने के लिये विभाग के क्या प्रोग्राम हैं, सरकार के क्या प्रोग्राम हैं, जिस प्रकार से सड़कों के लिये हमने एक बीस साला प्लान बनाया कि एक गांव से दूसरे गांव को साल दर साल इस प्रकार से जोड़ेंगे, इसी प्रकार से चाहे लघु सिंचाई योजना हो, चाहे मध्यम सिंचाई योजना हो चाहे बड़ी सिंचाई योजना हो, पर कम से कम राजस्थान की धरती पर एक सर्वे किया जाकर सारे राजस्थान के लिए एक प्लान बनाया जाना चाहिए, चाहे आप इसको कितनी ही अवधि के लिए तैयार करें। इसके कार्य की क्षमता, पानी को ध्यान में रखकर सारे राजस्थान का एक प्लान होना चाहिए जिससे कि इस सदन के माननीय सदस्य ही नहीं बल्कि हर आदमी अपने क्षेत्र के लिए और राजस्थान के लिये यह सोच सके कि यह हमारी प्लान है, इससे इस धरती मां की सिंचाई होगी और इससे हमको अधिक पैदावार मिल सकेगी। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस संबंध में हमको निश्चित तौर से किसी न किसी रूप में यह आश्वासन आज मांगें पास करवाते वक्त अपने वक्तव्य में ही अवश्य मिलेगा कि हम इस प्रकार से कोई प्लान अवश्य बनाने जा रहे हैं कि जो सारे राजस्थान के लिये लाभदायक सिद्ध होगा सभापति महोदय, आज आपकी जो यह योजनाए हैं इन योजनाओं के प्लान के संबंध में, मैं निवेदन कर रहा हूं कि उसके अन्दर आज चाहे कितनी ही भूमि सिंचित हो, कितनी ही सुख सुविधाएं हों, और कितना ही हरा भरा हो, अगर आपका प्लान योजनाबद्ध नहीं है, तो हमारी जो प्रगति है वह एक अधूरी प्रगति है। इसी के साथ-साथ अब मै मेरे निर्वाचन क्षेत्र और जिले के संबंध में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। यह योजना से भी संबंधित है। सिद्धमुख नहर जो हमारे जिले की प्रमुख नहर है, जिससे बहुत इलाका सिंचित हो सकता है उसके कारण कृषि की अच्छी पैदावार हो सकेगी और हर सत्र में एक दो बार इस सम्बन्ध में प्रश्न भी पढ़ लिये जाते हैं, सरकार जवाब देती है, सारे साधन लगायेंगे परन्तु उस कार्य में कोई गति नहीं है। बहुत ही धीमी रफ्तार से काम चल रहा है। इसलिए, सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निश्चित आश्वासन चाहूंगा कि चाहे एक साल, दो साल, तीन साल या जो भी समय वह तय करें पर कम से कम उस वक्त तक तो कार्य

(श्री लूणाराम)

आरम्भ हो जाना चाहिए और कार्य शुरू होकर काम चलने लग जाय उसमें गति आ जाय जिससे हमारे क्षेत्र के निवासियों को विश्वास हो जायगा कि अमुक समय तक उस नहर की योजना पूरी हो जायगी। इसी प्रकार से आज दूसरी योजना गंगा-कावेरी के पानी को लेकर हमारे सूखे क्षेत्र के अन्दर, झुन्झुनू, सीकर, चूरू, नागौर कई जगहों के लिए लाने का एक स्वप्न देख रहे हैं। परन्तु इस स्वप्न में आज हकीकत यह रही है कि इस सम्बन्ध में केवल चर्चा ही होती है, सरकार आश्वासन भी दे देती हैं परन्तु दुख है कि अभी तक कोई भी निश्चित सर्वे होकर कोई स्कीम नहीं बनाई गई है जिससे कि कोई निश्चित सुझाव लाभप्रद नजर आवे और वे सुझाव मंत्रीजी दे सकें या सरकार को विभाग ने दिये हैं कि नहीं इसलिए मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि इसका सर्वे कराया जाकर इसका आश्वासन मंत्री महोदय से मिलना चाहिए। सभापति महोदय, आज चूरू जिले को सिचाई ही नहीं अपितु पीने के पानी के लिए ही बहुत दिक्कत है, और राज्य के अन्दर इसको सबसे अधिक कठिनाई का जिला पीने के पानी में माना गया है, उसके लिए लखुवाडी हैड से एक योजना चाहे सिचाई विभाग से या किसी भी विभाग के मद से खर्चा करके तारानगर तहसील के लिये उस संभाग से निकाली जाय। सभापति महोदय, राजस्थान नहर से जो यह बीकानेर-लूणकरणसर के लिये लिफ्ट सिंचाई योजना निकाली गई है, इस योजना के अन्दर पहले हमारे सरदारशहर और डूंगरगढ़ का भी बहुत सारा इलाका शामिल किया गया था जो बहुत लम्बे समय के बाद, पांच साल पहले ही उसको निकाल लिया गया है किसी वजह से। मैं समझता हूं, इसका कारण एक मुख्य यह भी हो सकता है कि उससे इतना बड़ा इलाका सिंचित नहीं किया जा सकता तो मैं इसके लिए भी माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज सबसे निकट और नहर के नजदीक पहुंचे हुए भी डूंगरगढ़ व सरदारशहर और लिफ्ट सिचाई के नजदीक होने के कारण उस क्षेत्र को पुनः लिफ्ट सिंचाई योजना में शामिल किया जाय या अलग से इसके लिये प्रावधान किया जाय या जो भी सुझाव है सिंचाई विभाग चाहे लखूवाली हैड हो, चाहे बिरदवाल हो या अन्य जगह इस सम्बन्ध में निश्चित उत्तर देने के लिए मेरा निवेदन है।

प्रोफेसर श्री केदार : वित्त मंत्री तो आपके ही हैं, सब हो जायगा।

श्री लूणाराम : वित्त मन्त्री तो आपके और हमारे दोनों के ही हैं। सभापति महोदय, इसी प्रकार से हमारी मध्यम सिचाई योजनाओं के बारे में भी, वैसे हमारे जिले में इसका कोई स्कोप नहीं है पर एक स्रोत अवश्य है सुजानगढ़ तहसील के अन्दर गोपालपुरा और रणधीसर की डूंगरी की जो टेकरियां हैं उन टेकरियों का पानी इकट्ठा होकर वर्षा के समय में किसानों के खेतों को बहुत लम्बे समय तक बरबाद करता है। इस बारे में जिला अकाल राहत कमेटी ने 72 में कार्य प्रारम्भ किया था और उस मद से 7 कुन्ड भी बनाये गये जो अभी शायद पूरे नहीं हुए और अधूरे पड़े हुए हैं, लेकिन उन कुन्डों से समस्या हल नहीं होने वाली है और उन पहाड़ों को सिंचाई विभाग अपने अधिकार में लेकर बान्ध के रूप में बान्ध बान्धे तो आज जो पानी बरसात के समय में विनाश का रूप धारण करके चलता है वही पानी वरदान के रूप में साबित हो सकता है,

(184)

(श्री लूणाराम)
और उससे राहत भी मिल सकती है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, इसके अलावा लघु सिंचाई के बारे में इतना ही निवेदन करूंगा कि आज हमारे क्षेत्र के अन्दर खास तौर से मेरे क्षेत्र के अन्दर पानी जमीन के अन्दर काफी बहता है किन्तु गहराई पर । जिससे यहां पर सिंचाई का कोई व्यक्तिगत किसान लाभ नहीं उठा पाता है । अगर इसमें अधिक से अधिक नलकूप बना दिये जायें तो यह भी एक वरदान साबित हो सकता है ।

अब, सभापति महोदय, यह रहता है कि इस प्रकार से जमीन के अन्दर जो भू-जल है उसका मैं वर्णन करना चाहता हूं कि जो हमारी मिनिमम नीड के प्रोग्राम के अन्तर्गत हमारे जिले के जिलाधीश ने एक योजना भेजी है । हो सकता है कि वह विकास विभाग से सम्बन्धित हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसका अभिप्राय जो है वह सिंचाई से है । वह कुन्डों से पानी की सिंचाई के लिए सोचते हैं । यह कितनी कारगर हो और कितनी नहीं इस संबंध में कुछ नहीं निवेदन करना चाहता हूं । मेरा निवेदन यह है कि जहां भी अधिक से अधिक पानी मिल सके, वहां पर कुओं के लिए ऋण मिल सके, और अगर इस प्रकार से कुओं की योजना कारगर होती है तो सिंचाई विभाग को इस प्रकार की योजनाओं में दस्तन्दाजी करके अपने अधिकार में लेकर इस क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए ।

सभापति महोदय, जो पुराने जमाने के जोहड़ तालाब पक्के बने हुए हैं वह आज गांवों के अन्दर बेकार पड़े हुए हैं, और वह बेकार इसलिए पड़े हैं कि उस समय के अन्दर कोई सिंचाई जैसी सुभीताकारक नहीं बनती थी । यह लोगों को ज्ञान नहीं था । उस समय पीने के ही पानी का अभाव था । पीने के पानी के लिए धार्मिक लोगों ने बान्ध बनवाये थे । आज कुए खोदने से पानी पीने के की समस्या कम हो गई है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपकी आज्ञा से ।

पीने के पानी की समस्या हल हुई थी, और उसके हल होने के साथ-साथ आज जमीन के लोगों के मालिक बनने से आज जंगल और चारागाह के बीच में जोहड़ न रहे, इसलिए उनको अगर संवारा जाय और निगरानी रखी जाय तो मेरे जिले के अन्दर सैकड़ों ऐसे जोहड़ हैं ऐसा प्रावधान भी है कि करीब करीब एक लाख रुपया लगायें तो भी ऐसे तालाब नहीं बन सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे तालाबों की भी सर्वे कराई जाकर जिसमें कुछ भी खर्च नहीं करना है सिर्फ उसकी देख-रेख और रखवाली ही करना है और पानी का बाद में बंटवारा ही करना है जिससे किसानों को अच्छी रोटी का साधन और वह भी बड़ा कारगर साबित हो सकता है । तो मैं यह चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस ओर अवश्य ध्यान दें ।

इसके साथ-साथ मैं सिंचाई के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि आज चूरू जिला ही एक ऐसा जिला है जो कि एक तरफ पानी से सम्पन्न और अन्न से सम्पन्न गंगानगर जिले से लगा हुआ है, और दूसरी तरफ यह कितना अभागा जिला है कि आये वर्ष अकाल की चपेट इस जिले को सहनी पड़ती है, और 50

(श्री नूनाराम)

पर्सेन्ट लोगों को अपनी जीविका प्राप्त करने के लिए गंगानगर जिले की शरण में ही हमेशा रहना पड़ता है। आज राजस्थान नहर को हमारे लोग खोद रहे हैं। उसके अन्दर भी चूरू जिले के लोगों का चाहे अपनी ही भूख से हो, एक बहुत बड़ा उसके अन्दर योगदान है। उस नहर को बनाने में न मालूम कितने ही सैकड़ों ऊंट जो थे वे नहर के खोदने में शहीद हो गये हैं। सभापति महोदय, न मालूम कितने गरीब बेबस लोग ठेकेदारों के यहां पर आज भी गिरवी हैं। यह सारी समस्या मौजूद है.... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उस क्षेत्र से चूरू जिले को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। नतीजा यह है कि आज अकाल पड़ गया तो अपने ढोरों को लेकर न मालूम कहां कहां उनको भटकना पड़ रहा है। तो इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि आज चूरू जिले के किसान को जो अपने कीमती पशु लेकर बाहर जाता है अकाल के कारण उनको लाकर वहां पर राजस्थान नहर पर बैठायें पशुओं को बचाने के लिए। जो अधिकतर पशु-पालक हैं उन किसानों की जमीनों के बदले में उस नहरी क्षेत्र के अन्दर उनको जमीन लेकर या चाहे उसका कुछ भी अनुपात करके करीब एक-एक मुरब्बा उन लोगों को सिंचित स्थानीय अलॉटमेंट के बाद रिजर्व करके दे दिया जाय तो सरकार के लिए वे पशु-पालक कभी भी भार नहीं पड़ेंगे और अच्छे किसान होकर ज्यादा अन्न पैदा करेंगे, चारा इतना पैदा करेंगे कि जिससे उनके पशुओं को कोई दिक्कत न आये। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस संबंध में चूरू जिले के कष्ट को दूर करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं समाप्त कर रहा हूं।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि जो आज भूमिहीनों को भूमि एलॉट की जा रही है, सभापति महोदय, उसमें भूमिहीनों की छानबीन महंगी भी है, और महंगी के साथ-साथ उसमें सही भूमिहीन नहीं आ पाते हैं। भूमिहीनों की छानबीन 1951 की वोटर लिस्ट है, उसके आधार पर की जाती है। सभापति महोदय, शुरूआत के अन्दर जिस समय यह मतदाता-सूची बनी प्रथम बार, तो भय के कारण लोगों ने नाम नहीं लिखाये। गांवों के अन्दर पटवारी लोगों ने जाकर लिखने की चेष्टा नहीं की। उस समय समझदार लोग जो शहरों में बैठे थे उन लोगों ने नाम लिखा दिये। नतीजा यह हुआ कि आज उस सूची में जो गांवों के बाशिन्दा हैं और उस गांव में उनका उस समय नाम नहीं है। शहरों में जो थे उनका नाम है, वह आराजी काश्त एक मुरब्बा हासिल कर सकता है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी से उस गांव में बैठे हैं, आज वह भूमिहीन हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आज उनका 1951 की मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण वह जमीन पानी के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए मेरा, सभापति महोदय, यह निवेदन है कि कम से कम इन का भी सरलीकरण किया जाय और इस ढंग से नियम बनाये जायं जिससे वास्तविक जो भूमिहीन किसान हैं वही इस भूमि को हासिल कर सकें।

साथ ही साथ आज नामान्तरकरण के मामले इस प्रकार के हैं, सभापति महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि आज दूसरी जगह नामान्तरकरण की इजाजत दी जाती है। नामान्तरकरण के

Page No 186

(186)

(श्री लूणाराम)
मामले में इतना ही निवेदन है कि आज लोगों को नहरी क्षेत्र के अन्दर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाते हैं जब कि दूसरी जगहों पर लोगों को दिये जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि जांच में सब तरह से यह साबित हो गया है कि जमीन के चार चार बार ट्रान्सफर हो जाते हैं लेकिन वास्तविक काश्तकार की जमीन नहीं चढ़ाई जाती है।

आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उम्मेदीलाल : माननीय सभापति महोदय, मैं बीच में सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं उनके समय का भी ध्यान रखा जाय। इतना समय लेंगे तो वह तो बैठे ही रहेंगे। यह मैं प्रार्थना करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : माननीय सभापति महोदय, आज कटौती प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय को आपकी मारफत कि मुझे आज ही बोलने का मौका मिला है इसलिए बोलना पड़ा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले का आप आखिर क्या करना चाहते हैं ? वहां पर केवल दो मीडियम सिंचाई योजनाएं हैं। एक भीमसागर बांध है और दूसरा हरिश्चन्द्र सागर बांध है। क्या यह सामन्तों के नाम पर बांध हैं उस कारण से रुकावट तो नहीं हो रही है ? अगर ऐसा है तो आप इसको कैन्सिल कर दें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला क्या है ? आखिर 18 साल के बाद भी आप इन बांधों को पूरा नहीं करना चाहते हैं ? ये 300 रु० प्रति एकड़ के बांध आज 3,000 की एकड़ के हिसाब के लागत के चले गये हैं। मुझे ताज्जुब लगता है दूसरे बान्धों को पैसा देते जा रहे हैं मैंने 72 में भी आपके बजट में देखा था पंचवर्षीय योजना में पूरा करेंगे लेकिन आज प्रगति विवरण पढ़ने के बाद आप 77 तक भी किसी योजना को हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं। वहां की जनता पिछड़ी हुई है और कुछ कहना नहीं चाहती है। हम हर साल जिक्र करते हैं और मुझे ताज्जुब है अन्न उत्पादन का इलाका है, सरसब्ज इलाका है और राजस्थान को सब कुछ दे सकता है, ऐसे दो बांध हैं लेकिन आपकी इस योजना में नहीं, 77 तक आपने लिखा है उसके अनुसार लेना नहीं चाहते हैं।

इसी प्रकार लघु सिंचाई योजनायें हैं एक तो है, आपकी सामरिया-राजपुरा की जो योजना है, उसमें पैसा नहीं देना चाहते हैं। मुझे ताज्जुब है क्या बात है दूसरे बान्धों पर पैसा खर्च करिये मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एक इलाका ऐसा है जो हाथों हाथ रिटर्न दे सकता है, करोड़ों रुपयों का रिटर्न दे सकता है, लेकिन आप तो 77 तक इसको हाथ में ही नहीं लेना चाहते हैं। इसी प्रकार हरिश्चन्द्र सागर बांध है उसकी डिजाइन अब बन रही है। आपने आज तक मालूम नहीं किया क्या टूटा है और उसके बाद भी आपने केवल 5,500 बीघा जमीन की सिंचाई की। लाखों रुपया खर्च करने के बाद केवल 5,500 बीघा जमीन की सिंचाई की। 69-70 और 71 में 40 लाख रुपया इस भीम सागर बांध पर किस प्रकार खर्च किया है इसका पता ही नहीं चलता है। मेरे पास ज्ञापन है 23-8-71 को दिया था। उस छपे हुये पत्र का आपने क्या किया ? 27 हजार बोरी सीमेन्ट जो

Page No 187

(187)

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

सूखा पड़ा हुआ है वह बह गया और सारी सीमेन्ट पत्थर बन गई । बिना आवश्यकता के कितना सामान खरीदा, बिना आवश्यकता के एक सौ त्रिपाल खरीद लिये । इसी प्रकार सिरकियां खरीदी गईं, पांच पांच हजार की टंकियां खरीदी गईं । आज इस शिकायत-पत्र को चार साल हो गये । आपके चीफ इंजीनियर को यह पत्र भेजा गया, चीफ मिनिस्टर साहब को यह पत्र दिया गया, जो सिंचाई मंत्री थे उस वक्त उनको दिया गया । 80 कापियां टाइप करके जगह जगह दी गईं एन्टी-करप्शन को भी दी गईं । मेरी समझ में नहीं आता जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है । प्लानिंग कमीशन आपको पैसा इसी कारण नहीं देना चाहता । मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं 41 लाख रुपया कहां गया ? भीम सागर बांध जो स्टेट के टाइम पर बना हुआ था आज वहीं का वहीं नजर आता है ।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं छोटी योजनाओं में आप पैसा देना नहीं चाहते हैं, मध्यम सिंचाई को करना नहीं चाहते हैं, कुओं को बिजली देना नहीं चाहते हैं, 28 जो नदी नाले इस इलाके में बहते हैं उनमें इर्रिगेशन का साधन नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करना चाहते हैं ? मैं आपको बड़े दर्द के साथ निवेदन कर रहा हूं वहां की जनता असन्तुष्ट है । मैं माननीय मंत्रीजी से नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं पंच-वर्षीय योजनाओं का फिर क्या मतलब है, यह इस इलाके के साथ क्यों भेद भाव बरता जा रहा है ? मैं इतना कह कर आपसे निवेदन करूंगा, यदि इस प्रकार की हालत रही तो वहां की जनता किसी प्रकार बर्दाश्त नहीं कर सकेगी । हर साल वहां की योजनाओं को छोड़ते जा रहे हैं । मैं नम्रता के साथ निवेदन करूंगा आइन्दा के लिये कम से कम जो बजट रिवाइज करें तो वहां की छोटी योजनाओं को शुरू करने की अवश्य कृपा करें । धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री करणसिंह (अनुपस्थित) ।

श्री नारायण सिंह (अनुपस्थित) ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (अनुपस्थित) ।

(श्री केसरीमल के खड़े होने पर) ।

आप बोलिये ।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि वैसे सिंचाई से हमारे इस इलाके की अकाल की परिस्थितियों के लिये सीधा सम्बन्ध रहता है । अगर इस इलाके से राजस्थान के अकाल को हमेशा के लिये नष्ट करना है, किसी हालत में बदल देना है तो सिंचाई के अच्छे साधनों को उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है । माननीय सभापतिजी, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बतलाया है चाहे गंगा जमना का पानी इस तरफ लाये जाने की बात कही हो और चाहे राजस्थान कैनाल की बात कही हो और चाहे कडाना बांध से पानी लेने की बात कही हो, इस प्रकार की जो योजनायें हैं, वे सारे प्रान्त को इस हालत से निकालने में बहुत सहायक हो सकती हैं, लेकिन जो रफ्तार है और जो योजनायें बनाने का तरीका है उससे ऐसा लगता है कि योजनायें इसलिये बनाई जा रही हैं कि पैसा है, खर्च करना है और योजनाओं को पूरा नहीं करने का है । मैं

(श्री केसरीमल)

आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूं हमारे यहां का जो अधिकारी वर्ग है यह इस तरह काम कर रहा है योजनायें जो बनाई, उनको पूरा न होने देना और लगातार कार्य को जारी रखना--यह एक रास्ता बना रखा है। अकाल के समय के राहत कार्यों को देखें उसमें 3-4 सड़कें मेरे इलाके में बनीं और इस ढंग से पहाड़ से निकालने का प्रयत्न किया कि 10 साल अकाल पड़े तो भी पूरी नहीं हों तो ये लोग काम इस प्रकार से करेंगे कि उसमें हमारे देश को आगे बढ़ाने की बात, योजना को पूरा करने की बात नहीं है। इनके दिल में यह है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा मारा जाय, कैसे ज्यादा से ज्यादा ऐश किया जाय, किस प्रकार डाक बंगलों में जाकर मुर्ग मुसल्लम उड़ाया जाय, किस प्रकार दारु की बोतलें खोली जायं। रात को डाक बंगलों में ठहरेंगे और हर तरह के ऐश आराम करेंगे, उसके ऊपर उनका टी०ए०, डी०ए० बनेगा और उस पर राज्य सरकार को और खर्चा करना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : यह मिनिस्टर पर भी लागू होती है।

श्री केसरीमल : हां, लागू कर लीजिये। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि आप इस बचाव में ही कहेंगे और कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से सारी व्यवस्था को बिगाड़ा है। इन्हीं अधिकारियों ने मेरे इलाके में कुछ योजनायें बनाईं और आज से 10 साल, 5 साल, 4 साल पहले बनीं, माननीय सभापतिजी वे योजनायें बनाने वाले अधिकारी ही थे आज उन बहुत सारी योजनाओं को अधूरा छोड़कर इन्कार हो गये। पहले ये कहते थे कि यह योजना बन जायगी तो सारा इलाका सरसब्ज हो जायगा और इतने एकड़ जमीन में सिंचाई होने लग जायगी। आज जो शेरों का नाला है उसको आगे बढ़ाने की बात है चाहे सारोद फीडर है इन कई योजनाओं पर लाखों रुपया खर्च करके योजना बनाई और जब योजना अधूरी रही, कुछ काम हो गया तो इन्होंने कहा योजना बेकार हो गई अब इन योजनाओं पर पैसा क्यों खर्च किया जाय, शेरों के नाले की योजना अधूरी है, तालाब में जो पानी लाना था उसका काम भी अधूरा है, देवादा से आगे नहर ले जाने की बात थी, सारोद फीडर की योजना थी, सुरघाटी का काम था, इन सारी योजनाओं में लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी आज अधूरी पड़ी हैं।

ऐसे कई काम हैं जिनमें लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी वह अधूरे पड़े हैं और जब यहां हम प्रश्न करते हैं और सरकार से पूछते हैं कि यह योजनायें कब तक पूरी हो जायेंगी तो वह कहते हैं कि वह योजनायें ही बेकार हैं इसलिए उनके पूरा करने का सवाल ही नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह अधिकारी कौन थे जिन्होंने इन योजनाओं को बनाया, तो या तो वह अधिकारी गलत हैं और मैं कहता हूं कि इन्कार करने वाले अधिकारी अच्छे हैं कि जो इन्कार तो करते हैं। लेकिन जिस अधिकारी ने लाखों रुपया लगवाया था तो उस अधिकारी को सजा क्यों नहीं दी जाये और यदि वह कहता है कि मेरी बात सही है तो फिर इस इन्कार करने वाले अधिकारी को क्यों नहीं सजा दी जाये? माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा कि इन लोगों के धंधे ही ऐसे हैं कि काम पूरा नहीं होना चाहिए, काम अधूरे ही रहने चाहिएं, लगातार चलते रहने चाहिएं।

(श्री केसरीमल)
अगर यह काम एक दफा पूरे हो जायेंगे तो इनका काम कैसे चलेगा ?

माननीय सभापति महोदय, मुझे ज्यादा नहीं कहना है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे से काम भी मेरे इलाके में और मेरे पास के इलाके में, दो-तीन इलाके जो कि ब्यावर तहसील के इलाके हैं और जहां हर वर्ष अकाल पड़ता है और पानी की बहुत तंगी है और वहां जानवर नहीं पल सकते, लोग नहीं रह सकते, सिवाय पत्थर और पहाड़ खोदने के अलावा दूसरा काम नहीं है तो हमने यह निवेदन किया कि मंत्री महोदय द्वारा इस तरह की योजनाओं को पूरा कराया जाना चाहिए और वहां कुछ पानी जमा हो जाये तो उससे काम चल सकता है ।

अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं । चम्बल के पानी को अगर बूंदी के पास से अजमेर जिले में लाया जाये तो अजमेर जिले के बहुत से इलाके में उससे फायदा हो सकता है । एक तरफ हमारे भाई कहते हैं कि उधर पानी की बहुत इफरात है और जमीन खराब कर रहा है तो उस पानी को यहां दिया जाये तो अजमेर जिले का बहुत-सा इलाका सरसब्ज हो सकता है । लेकिन पता नहीं क्यों नहीं योजना अमल में आई ? सुना है कि योजना बनाई भी थी लेकिन फिर उसका क्या हुआ पता नहीं । हो सकता है ऐसा किसी ने सुझाव दिया हो और अब ना किया हो । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि कुछ अगर ऐसी योजनायें हैं, चाहे उन योजनाओं से रिटर्न न मिले, लेकिन जिस इलाके में आप लाखों रुपया खर्च करके अकाल के दिनों में काम करते हैं वहां यह योजना बनती है और लोगों को राहत मिले तो इसमें क्या दिक्कत है ? चम्बल से पानी लाने की बात और अधूरे कामों को पूरा कराने की बात मैं, सभापति महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं ।

जो तालाब बने हुए हैं उनकी मोरियां बनाने की बात करते हैं तो वह बरसों से नहीं बनती हैं और किसी-किसी तालाब की मोरियां हैं तो वाल्व नहीं हैं और मोरे हैं तो आकाश में छोटे-छोटे पाइप लगा दिये । उन पाइपों से पानी नहीं जाता है और सिंचाई होती नहीं है । इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता । इसकी तरफ ध्यान दिया जाये तो कुछ सिंचाई बढ़ सकती है । कुछ तालाब टूट गये । गत वर्ष पानी आया और तालाब टूट गये तो झगड़े चल रहे हैं कि उनको पंचायत बनाये या सरकार बनाये । दोनों ही कहते हैं कि हम नहीं बनायेंगे । तो ऐसे छोटे-छोटे काम भी जो हो जाने चाहिएं वह नहीं हो रहे हैं । जो योजनायें कभी अमल में नहीं आई उनको अधूरा छोड़ देंगे, उनको पूरा किया जाये तो उस इलाके में राहत मिल सकती है । इतना ही, सभापति महोदय, मुझे कहना है ।

श्री सभापति : श्री मनोहरलाल ।

श्री मनोहरलाल (कामां) : सभापति महोदय, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है । केवल इतनी-सी बात निवेदन करनी थी कि नहीं देने की बात अलग है लेकिन जहां दिया है वहां की बात कहना चाहता हूं । कामां तहसील में एक खोयला बांध है । मैं किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना में नहीं जाना चाहता हूं वहां 3 लाख लगा कर एक

(श्री मनोहरलाल)

बांध बनाया गया । सभापति महोदय, आज न तो वहां कोई बांध है और न उसमें एक इंच भी पानी आया और न कभी उससे एक इंच की जमीन की सिंचाई हुई ।

(7.44 रात्रि)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और आज तक उस बांध का, जमीन का कोई पता नहीं है । मैंने सुना था कि जांच हो रही है, लेकिन उस जांच का क्या हुआ पता नहीं है । सरकार जानती है या मंत्री महोदय जानते हैं । इसके विपरीत, उपाध्यक्ष महोदय, वहां से तीन मील की दूरी पर बानखेड़ा गांव है । वहां पानी पहाड़ से आता है। वहां के गांव वालों ने मांग की और वहां का सर्वे हुआ कि वहां बांध बनाया जा सकता है या नहीं उतने पैसों में और उससे करीब 4 हजार एकड़ की सिंचाई हो सकती है । उससे चार-पांच गांवों में पानी पहुंच सकता था लेकिन बानखेड़ा में बांध नहीं बनाया गया । वह आज भी बनाया जा सकता है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके स्थान पर राजनैतिक दबाव में अकार खोयला में बनाया और उसके एक पैसे का भी सदुपयोग नहीं हुआ और मैं मांग करता हूं कि अधिकारियों के खिलाफ और ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए जिन्होंने इस तरह का गलत बांध बनाया । वहां एक इंच पानी नहीं है और एक इंच जमीन की सिंचाई नहीं हुई और न जमीन पर मिट्टी है और न पत्थर है ।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, गुड़गांव कैनाल के बारे में कई बार चर्चा होती है । गुड़गांव कैनाल से 65 हजार एकड़ के करीब रकबा बताया जाता है लेकिन जितनी कैनाल बन चुकी है अगर उसमें से पानी मिले और उसके पुलों को ठीक कर दिया जाये और थोड़ा-सा माइनर को ठीक कर दिया जाये तो आज भी 35 हजार एकड़ भूमि में पानी मिल सकता है । हमारे सारे पानी को हरियाणा के लोग लेते हैं कामां तक और पहाड़ी तक गुड़गांव कैनाल का इलाका है और केवल थोड़ा-सा पांच-सात लाख रुपया लगाकर 35 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। इसका भी राजनैतिक कारण हो सकता है । पांच सात लाख रुपया लगाकर 35 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए खर्च नहीं करना चाहते हैं तो नीचे जमीन में बहुत पानी है। सीकरी बांध का यही हाल है। इसके अलावा वहां आप पैसा देते हैं तो 15 मार्च को देते हैं और कहते हैं कि 31 मार्च तक खर्च करो। यही हाल गुड़गांव कैनाल का है। दोनों ही जगह पैसा देते हैं तो मार्च में देते हैं और 15 दिन में खर्च कराना चाहते हैं ।

इसके अलावा, आपने कामां को अलवर के साथ लगा रखा है । भरतपुर से कामां करीब पड़ता है लेकिन उसको भरतपुर के साथ न लगाकर अलवर के साथ लगा दिया है और वह पैसा इधर-उधर चला जाता है । थोड़ा बहुत कैनाल को मिलता है तो वह भी समाप्त हो जाता है । एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमने हरियाणा का पूरा हिस्सा बना दिया । इसके अलावा सारे पानी का जो परसेन्टेज हमको मिलना चाहिए वह भी हरियाणा लेता है । न हमको आबयाना मिलता है और फिर मेन्टीनेन्स का पैसा हम और देते हैं । हमको हमारा पानी न पीने के लिए मिलता है और न

(श्री मनोहरलाल)

सिंचाई के लिए मिलता है और न आपके अधिकारी उस ओर ध्यान देते हैं। बहुत सारा स्टाफ वहां पर पड़ा हुआ है अगर उसको हटाने की बात करते हैं तो वह बेरोजगार हो जायेंगे और हमको पीटेंगे कि आपने असेम्बली में बोलकर हमारी नौकरी हटवा दी। अगर वह रहते हैं तो सांड पल रहे हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। सीकरी बांध का काम है और जो स्टाफ वहां पर बेकार पड़ा रहता है उनको काम मिल सकता है। उनको हटायेंगे तो बेरोजगारी का सवाल आता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गुड़गांव कैनाल का काम है, सीकरी बांध की जो नालियां हैं उनको ठीक कराने का काम करें तो उसका तुरन्त नतीजा मिल सकता है। इतनी बात कह कर समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भोपालसिंह

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर के संबंध में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने उसकी मूल योजना में तरमीम करने के मुद्दे को लेकर मेरे जिले के लोगों में बड़ा असन्तोष है और चिन्ता की भावना है। वहां यह धारणा बनती जा रही है कि क्योंकि वे लोग कम हैं और उनकी आवाज यहां पर नहीं है इसलिए उनके हितों पर आघात किया जा रहा है। वैसे जैसलमेर के लोगों का राजस्थान नहर में कोई नीहित स्वार्थ नहीं है। मैं मान कर चलता हूं कि वहां पर लोग बहुत कम हैं और अन्ततोगत्वा जैसलमेर की जो भूमि का कमाण्ड एरिया है उसमें राजस्थान के लोग भी आकर बसेंगे और उसका विकास होगा। आखिर में हमें देखना यह है कि जो यह इस इलाके के अन्दर राजस्थान नहर की मूल योजना के संशोधन की बात चल रही है उससे या उसका परिणाम क्या होता है? परिणामों से हमारा जो राष्ट्रीय हित, टोटल हित होता हो उसके अन्दर यदि बढ़ोतरी होती हो तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं लेकिन अगर इससे किसी भी अंश में बढ़ोतरी होती है तो हमें इसके लिए विरोध करना चाहिए और हमारी आपत्ति है। वैसे परिणाम यह होगा, आज जो स्थिति है उसके अनुसार राजस्थान नहर के दूसरे चरण के अन्दर करीब छः लाख हैक्टर भूमि की सिंचाई होगी जो बहुत बड़े अंश में जैसलमेर जिले में होगी। अब जो यहां पर विचार चल रहा है उसमें तीन लाख हैक्टर भूमि ऐसी है जिस पर बहुत बड़े टीले आए हुए हैं, जो अनुपयोगी जमीन है, उसको टाल कर उससे जो बचत होती है उससे राजस्थान नहर की इंटेंसिटी में कुछ कमी करके उस पानी को लिफ्ट किया जाकर दक्षिणी हिस्से में चूरू के अन्दर नागौर के अन्दर, कोलो-यत के अन्दर, फलौदी के अन्दर और बाड़मेर के अन्दर, पानी पहुंचाया जाय जिससे वहां पर चरागाह पनप सकें, पेय जल की समस्या हल हो और खेती की जा सके। यह जो योजना है इस तरीके से इस सात लाख हैक्टर के अन्दर खेती होगी और उनकी दलील यह है कि इनमें इन्फ्रा स्ट्रक्चर मौजूद है। उसमें बढ़ोतरी खर्चे की पच्चीस करोड़ की होगी लेकिन वह कहते हैं कि कुछ इन्फ्रा स्ट्रक्चर के कारण, भूमि समतल होने के कारण लाभ होगा और एक लाख ज्यादा भूमि में सिंचाई होगी और इस तरह से यह सब होगा। यह बात ठीक है अपरेंटली इट अपियर्स आल राइट, लेकिन अगर इसकी जांच की

(श्री गोपालसिंह)

जायें तो बाद में उत्पादन कम होगा। लेकिन इस सम्बन्ध में कई आपत्तिजनक मुद्दे हैं। पहली बात तो यह है कि जैसलमेर इलाके में जो राजस्थान कैनाल एरिया के अन्दर आएंगा, जहां पर हम लोग रहते हैं उस जगह पर हम लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, वहां पर वहां का निवासी पीड़ा भुगतता रहा है, अकाल पड़ते रहते हैं और उनको कोई खातेदारी राइट्स नहीं हैं लेकिन दक्षिणी भाग के अन्दर खातेदारी राइट्स हैं। तो इस तरह से जो वहां पर पानी दिया जाएगा उनको क्योंकि वहां तो खातेदारी हकूक नहीं हैं इसलिए उनसे पैसा लिया जाएगा और उधर खातेदारी राइट होने की वजह से उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। इसलिए एक ही परिस्थिति में बसे लोगों के होने पर भी दो तरह का बर्ताव होगा। दूसरी बात यह है कि जहां पर खातेदार लोग हैं उनसे आप भूमि की कीमत वसूल नहीं कर सकते इसलिए जो नहर के निर्माण सम्बन्धी लागत का पैसा लगेगा उसमें वसूली की हानि होगी। दूसरी तरफ इधर भूमि आवंटन का वहां पर आपको पैसा मिलेगा और दक्षिणी भाग के अन्दर सीलिंग आप लगा नहीं सकते और लगाने पर आपको उसको मुआवजा देना पड़ेगा। इस तरह से जहां पर पैसा नहीं मिले फिर उल्टा आपको मुआवजा देने की स्थिति बन जाय। इसके अलावा जो वहां पर भूमि छूट जायगी दुबारा जिन हिस्सों में आप आबपाश नहीं कर सकेंगे। बाद में जायेंगे तो वहां टीले बढ़ते जायेंगे और वहां पर जो इर्रिगेटेड लैंड है उसका भी सफाया करती रहेगी और इस तरह से जो रेगिस्तान है वह दिनों दिन बढ़ता रहेगा और इस तरह से जो वहां पर पूरे इलाके के अन्दर इर्रिगेशन होता तो उससे जो भी माइक्रो क्लाइमेट पैदा होती वह माइक्रो क्लाइमेट वहां टीबों की मौजूदगी पर पैदा नहीं होगी। इस तरह से यह दलील कि दक्षिणी भागों के अन्दर अच्छा इन्फ्रा स्ट्रक्चर बना हुआ है, यह दलील भी थोथी लगती है क्योंकि जो कुछ भी इन्फ्रा स्ट्रक्चर है, चाहे वह सड़क का हो, चाहे वह संचार के साधनों का हो, चाहे वहां पर मंडियां हों वह रेन फेड (Rain fed) फसलों की आवश्यकता को पूरी करने वाली हैं। वह कभी भी इर्रिगेटेड लैंड जो उपज होगी वह उसकी मांग को पूरा नहीं कर सकती। दूसरा जो लिफ्ट इर्रिगेशन है वह बहुत खर्चीली है। आज के जमाने में, आजके मुकाबले में फ्लो इर्रिगेशन से लिफ्ट सिंचायी एक दम यह प्रवृत्ति बनती जा रही है, एक्सपेन्सिव है, यह आज की आवश्यकता है कि इंटेंसिव इर्रिगेशन द्वारा कल्टीवेशन करना चाहिए, फ्लो सिंचाई द्वारा कल्टीवेशन होना चाहिए और इस प्रकार के मार्ग को अपनाया जाय। अलावा इसके जैसलमेर में नहर क्षेत्र में नगर और आस-पास राजकीय भूमि है, आबादी नहीं है इसलिए अगर हम चाहते हैं और जैसा कि हमारा उद्देश्य है गरीबी मिटायें और सामाजिक न्याय के आधार पर जो लोग सीमान्त कृषक हैं, भूमिहीन हैं, उनके विकास पर पुनर्विचार किया जा सके और उनके पुनर्वास के लिए वहां पर उनको भूमि उपलब्ध की जा सके। लेकिन यह धारणा बन जायेगी कि वहां पर खातेदारी लोगों को पानी मिलेगा और उनके पास बहुत बड़ा भूभाग वहां पर सीलिंग में कभी आएगा नहीं क्योंकि पहले वे पार्टीशन करके सीलिंग में नहीं आने देंगे और इस तरह से गरीबों के लिए, सीमान्त कृषकों के लिए, एग्रीकल्चरल लेबर के

(श्री भोपालसिंह)

लिए, भूमिहीनों के लिए भूमि आवंटन के लिए प्राप्त नहीं होगी ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसके अलावा एक बात यह भी है कि आज जो इरिगेशन के अन्दर एक एकड़ पर करीब 13 रुपया लगान लिया जाता है और अब लिफ्ट इरिगेशन से करीब एक एकड़ का 88 रुपया लगान होगा । कहा यह जाता है कि वहां किसान देने को तैयार हो जायेंगे लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होगा कि वहां पर एक तरफ तो 13 रुपये लिये जावें और दूसरी जगह 88 रुपये लिये जावें यह कोई भी देने को तैयार नहीं होगा । इसका संघर्ष होगा, मुकाबला किया जाएगा और आखिर गवर्नमेंट को 13 रु० लेने हेतु राजी होना पड़ेगा ।

एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि ऊपर से, सतह से तो इधर दक्षिण की जमीन अच्छी है लेकिन जो जैसलमेर की तरफ जमीन है और जो उसके बहाव में आई है वह सिन्धु बेसन की है; ऊपर से रेतीली, भूरी हो गई है लेकिन नीचे की भूमि के अन्दर बहुत ही अलूवोयल सॉयल है, उसके मुकाबले में इधर दक्षिण की जमीनें कंकरीली हैं, इसका आधार ग्रेवल पर है और अन्ततोगत्वा कभी भी उपजाऊ नहीं हो सकेगी उस क्षेत्र के मुकाबले में जो उत्तरी हिस्से में हो सकती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो मुद्दा है उसको ध्यान में रखेंगे । मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री ने अभी इसी सदन के अन्दर यह घोषणा की थी कि बहुत तत्परता से और इसी पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इसको पूरा करना चाहते हैं और उन्होंने जो यह प्रस्तावित संशोधन है इसकी जांच करने के लिए तीस लाख रुपया भी अलॉट कर दिया सर्वेक्षण के लिए । मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चेतराम ।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आज की तमाम मांगें पारित हों तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि आज की तमाम मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया ।

श्री खेतसिंह : मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि 9 बजे रिप्लाई शुरू कर दिया जावे तो अच्छा होगा ।

श्री रामकिशन : यह आप कैसे कहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री चेतराम !

श्री रामकिशन : विधान सभा को दुकान समझ लिया है कि आप जैसा चाहेंगे वैसा चलायेंगे ?

श्री खेतसिंह : मैं तो आपसे निवेदन इसलिए कर रहा था कि मैं आपके चेहरे से यह मालूम कर रहा था कि आपको काफी भूख लग गई है ।

श्री रामकिशन : उसका इन्तजाम है यहां पर ।

श्री खेतसिंह : तो चलने दीजिए।

श्री चेतराम (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आभारी हूं। उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी सिंचाई विभाग की मांगों को लेकर सदन के समक्ष आये हैं। उनकी मांगों की तरफ यदि हम नजर डालें और मैं सवाई माधोपुर की तरफ देखता हूं तो मुझे बड़ी निराशा होती है। वैसे तो यदि यह कहा जाय कि यह बजट ही नहीं पिछले 27 सालों में सवाई माधोपुर की उपेक्षा हुई है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उपाध्यक्षजी, मैं, पिछले 27 सालों में सिंचाई विभाग ने राजस्थान में जो कार्य किये हैं, उनके बारे में एक दृष्टिकोण आपके सामने रखना चाहूंगा। सिंचाई विभाग ने तीन तरह की योजनायें बनाई, बड़ी योजनायें, मध्यम योजनायें और छोटी योजनायें। हम देखते हैं कि बड़ी योजनायें जो लम्बी होती हैं, भाखरा, चम्बल और राजस्थान नहर, वह गंगानगर जिले के लिए हैं। चम्बल से कोटा-बूंदी को लाभ होता है। माही से बांसवाड़ा को और छोटी-सी योजना है जिससे भरतपुर को लाभ होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सवाई माधोपुर की ही नहीं बल्कि जयपुर डिविजन की पूर्णरूपेण उपेक्षा की गई है और सवाई माधोपुर का इसमें नाम ही नहीं है। दूसरी तरह की जो योजनाएं हैं--मध्यम योजनायें--उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि जो योजना बनी है वह पूर्ण हुई है तो जाखम से थोड़ा-सा पानी जालोर को गया है। मेजा फीडर से जहाजपुर और भीलवाड़ा को फायदा हुआ है, गोपालपुरा और भीमसागर से कोटा को फायदा हुआ है, हरिश्चन्द्र बांध से कोटा और झालावाड़ को फायदा होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इन मध्यम योजनाओं में भी जयपुर डिविजन में एक एकड़, एक हैक्टर तो क्या एक बिस्वा जमीन को भी सिंचाई के रूप में फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर ही नहीं सम्पूर्ण जयपुर डिविजन की इस सम्बन्ध में पूर्णरूपेण उपेक्षा की गई है। अब मैं तीसरी कृषि योजना पर आता हूं। वह लघु सिंचाई योजना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि एन्युअल रिपोर्ट में बतलाया गया है कि 28 छोटी-छोटी योजनाओं को वर्तमान साल में पूरा कर दिया जायगा। इस तरह से कुल 521 लघु सिंचाई की योजनाएं हैं उनकी तरफ यदि देखें तो इन योजनाओं में से 263 योजनाएं उदयपुर डिविजन के लिये रखी गई हैं जिन पर 950 लाख 80 हजार रुपया खर्च होगा, 47 योजनाएं जोधपुर डिविजन के लिये जिन पर 487.28 लाख रुपया खर्च होगा, 159 योजनाएं जयपुर डिविजन और 47 योजनाएं कोटा डिविजन के लिये निर्धारित की गई हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सवाई माधोपुर में कोई भी योजना हाथ में नहीं ली गई है और यह भाग्य की विडम्बना ही है। वैसे कुछ छोटे-मोटे काम जो अब तक हुए हैं वह छोटे-मोटे बांधों को जो पुराने बांध हैं उन पर अवश्य काम हुआ है परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि इससे कोई बहुत बड़ी राहत हमको मिली हो। 20-22 गांव तो ऐसे हैं जहां पर छोटे-मोटे बांधों की मरम्मत भी नहीं की गई है जिनका एक मात्र जरिया ही उनसे सिंचाई का है, इसके अलावा उनके पास कोई साधन नहीं हैं। कुछ इलाकों में तो पीने का पानी भी नहीं है। कई स्थानों पर तो तालाब ही पीने के पानी का साधन हैं, उनके सूख जाने पर पानी खत्म हो जाता है और बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं राज्य सरकार से, उपाध्यक्षजी, आपकी

(श्री चेतराम)

मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम इन बांधों की मरम्मत अवश्य करा दें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हो सकता है कि माननीय मंत्री महोदय अपनी रिपोर्ट में कहें कि सवाई माधोपुर में क्योंकि ऐसा और कोई साधन पोटेन्शियल नहीं है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मध्यम योजनाएं बनायीं जायं, छोटे-मोटे बांधों के नाम से इन योजनाओं को स्वीकार किया जावे, परन्तु इनमें भी कोई कार्य नहीं कराया गया है। इसके अलावा दो योजनाएं जो कि एक मोचना और दूसरी हिण्डौन के पास सर्वे हुआ लेकिन उन पर भी कोई काम नहीं हुआ इसके लिए भी बार-बार निवेदन किया गया तो सिंचाई विभाग के एक माननीय अफसर ने जवाब दिया कि वह बहुत कोस्टली पड़ती है। मैं इस बारे में माननीय मंत्री महोदय और उस आफिसर महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह कितनी कोस्टली पड़ती है इसके बारे में वह बतलायें और यह वर्णन भी देवें कि राजस्थान नहर को जिसको आप पूर्ण करने जा रहे हो उस पर यदि 159 करोड़ रुपया खर्च होगा और दो लाख हैक्टर जमीन की सिंचाई होगी आप हिसाब लगाकर देखें तो एक हैक्टर पर 7,250 रु० लागत आयेगी। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बनास पर बनने वाली योजना पर कितना ज्यादा खर्च आयेगा इस बात पर सिंचाई विभाग के जो एक्सपर्ट हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर निश्चित रूप से उसके मुकाबले में कम खर्च आयेगा। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रोग्राम को वे अवश्य स्वीकृत करा दें। माननीय मंत्रीजी, मैं इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि सवाई माधोपुर में अण्डरग्राउण्ड वाटर काफी मात्रा में है इसलिए वहां पर ट्यूब वैल लगवाने की व्यवस्था भी की जावे।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह राजस्थान कैनाल का दो लाख हैक्टर का फिगर आप कहां से लाये ?

श्री बनवारीलाल : अब कहने दो न, अगर चेप रहे हैं तो चेपने दो।

श्री चेतराम : मैं चेप नहीं रहा हूं, दो लाख हैक्टर ही है, यह सही बात है। इसलिए माननीय मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सवाई माधोपुर जिले में अण्डरग्राउण्ड वाटर काफी मात्रा में हैं और दूसरे साधन आप उपलब्ध नहीं करा सकें तो कम से कम बिजली जल्दी से जल्दी दिलवा दें मैं इसके लिये सिंचाई मंत्रीजी से जो कि विद्युत् मंत्रीजी भी हैं, से ही निवेदन करना चाहता हूं। पूर्वी 6 जिलों में जल्दी से योजनाएं शुरू की जावें। पिछली साल भी घोषणा हुई थी, परन्तु कोई भी कार्य इस दिशा में नहीं किया गया। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सिंचाई विभाग की ओर से जो एन्युअल रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने बतलाया है कि राज्य के आदिवासी जिलों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ की तहसील के लिये 41 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। जिससे कि इन क्षेत्रों की जनता के छोटे-छोटे भू-खंडों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। मैं माननीय उपाध्यक्षजी, आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो बाढ़ भरतपुर जिले में आई थी उसी समय सवाई माधोपुर जिले में भी आई थी और जन-धन का काफी नुकसान हुआ था। इसलिए जो प्रावधान आपने भरतपुर के लिये

(श्री चेतराम)
रखा है बाढ़ के लिये वह सवाई माधोपुर जिले के लिए भी अपेक्षित है।

श्री रामकिशन : यह तो आप गलत कह रहे हैं, सवाई माधोपुर को तो काफी पैसा दिया है, 12 लाख दिया है।

श्री चेतराम : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग ने अकाल राहत कार्यों के लिये विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुछ कार्य चालू करने की योजना है। इस बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी जो यह राशि अकाल राहत क्षेत्रों के लिए रखी गई है उस राशि को आप अकाल राहत कार्यों के नाम पर नहीं लगायें, मुझे शक है कि जिस तरह से आप अकाल राहत के नाम पर सैन्ट्रल गवर्नमेंट से वह आपको पैसा देती है हो सकता है कि इस तरह से बाद में आपको भारत सरकार से पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि वह यह देखेंगे कि आप सही रूप में खर्च नहीं करते हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वह पैसा जो कि योजना का पैसा है वह आप अकाल राहत कार्यों पर नहीं लगायें। इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि एन्युअल रिपोर्ट में ग्रामीण प्राविधिक सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिये तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमा वालों को सर्वे आदि का कार्य दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक अच्छी योजना है परन्तु मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि इस कार्य के लिये केवल जोधपुर और बांसवाड़ा जिले को ही चुना गया है। यदि सिंचाई के साधन ही देखने थे तो दूसरे इलाके भी थे इसलिए मैं सोचता हूं कि यह न्याय नहीं हो रहा है। इतना मैं कहकर माननीय सिंचाई मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि वे सवाई माधोपुर जिले की तरफ भी ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल !

श्री उम्मेदीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर सिंचाई के ऊपर जो चर्चा चल रही है इसके बारे में मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में और खासकर हिण्डौन के बारे में जहां से कि मैं चुनकर आया हूं उसके बारे में अर्ज करूंगा। तो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि बड़ा ही पिछड़ा हुआ है, जहां आदिवासी और हरिजन लोग रहते हैं। इसके दुर्भाग्यवश एक गम्भीरी नदी की जो योजना बनी है तो उस गम्भीरी नदी से वहां के लोगों को फायदा होने वाला था उसमें जो है पिछले साल यह आश्वासन दिया था कि इसी साल यह काम आरम्भ कर दिया जायगा। मैं आपके द्वारा मान्यवर, मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस योजना से इतना लाभ हो सकता है कि करौली, गंगापुर, नादौती, टोडाभीम, हिण्डौन और महुआ और कुछ हिस्सा भरतपुर का भी सिंचित हो सकता है। इसके अलावा हजारों एकड़ जमीन है वह ऊबड़-खाबड़ पड़ी है वह उस योजना के अन्दर बराबर कर दी जाय तो काफी अनाज पैदा हो सकता है। जो लोग भूखे हैं उन को भरपेट नाज मिलेगा, और आपका जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति होगी, और वह लक्ष्य यह है कि गरीबी मिटाना जो कि आपका कर्त्तव्य है लेकिन गरीबी तब मिट सकती है जबकि हमारे पास साधन हों। जब तक हमारे पास खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी और जमीन के लिए पानी नहीं होगा तो अनाज कैसे पैदा हो सकता है। इसलिए, मान्यवर महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि इस

(श्री उम्मेदीलाल)

गम्भीरी नदी की योजना को शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाय, और इसके बारे में सदन में वक्तव्य दिया जाय कि इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर रहे हैं !

नं० 2, हिण्डौन क्षेत्र में एक बझेड़ा पंचायत है, और वह बझेड़ा पंचायत में एक पुराने जमाने का बांध था । उसके टूटने से पानी की सतह जमीन से 40 फीट नीचे चली गई है । वह पुराने जमाने का बांध था तो करीब 12-14 गांव जो कि मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि बझेड़ा, सिधान, लीलोटी, कारवाड़, देदरोली, दुधाटी, सिघाना, मैना, नीरामपुरा, धूसेठी, चमरपुरा, बमनपुरा आदि । इन इलाकों के जितने कुए थे, मान्यवर, वह सारे के सारे सूखे पड़े हुए हैं, और मैंने बारबार यह प्रार्थना की है कि इस बांध को जो कि टूटा है वहां के लोग जो हैं वह ठीक कराने के लिए तैयार है उसमें कुछ धन लगाकर क्योंकि यह इन 12-14 गांवों के लिए रोजी-रोटी का सवाल है, तो उससे उनके लिए समाजवाद आ सकता है । वर्ना वे लोग भूखे मरते हैं और वह खानों पर काम-धंधे करते हैं । उसके कुछ ही आगे डकैतों का इलाका है तो उनके कपड़े भी छीन लिये जाते हैं और खाने के लिए जो अनाज ले जाते हैं वह भी लूट लेते हैं और उनको काम नहीं करने देते हैं । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस बांध का सर्वे कराकर उसको क्रियान्वित करावें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं थोड़ी ही देर में अर्ज कर देता हूं । बड़ी मुश्किल से समय मिला है ।

मेरे यहां पर जगर बान्ध है तो जगर बांध की नहर से 10 हजार बीघा के करीब जमीन सिंचित होती है, और उस जमीन में कुछ ऐसी जगह है जहां सीपेज होता है । उसके कारण हजारों बीघा जमीन बरबाद हो जाती है । किसान उसमें लाग लगाता है, खाद डालता है, सब धन्धे करने के बाद जब फसल तैयार करता है तो वह पानी के कारण नष्ट हो जाती है । उसके बाद फिर किसान को सिंचाई का पैसा देना पड़ेगा, खाद और बीज का पैसा देना पड़ेगा, और क्या होगा कि किसान के ऊपर आपने लेवी भी लगा दी तो वह भी उसको देनी पड़ेगी । मानलो कि वह लेवी देने से मना करता है तो बिना पूछे ही उसको जेल में बन्द कर दिया जायगा । तो मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा आपके द्वारा कि उस नहर के लिए जो 70 हजार के करीब आपने रुपया रखा है उसको बढ़ा कर 2-2॥ लाख कर दें क्योंकि कुल मिलाकर उसमें इतना पैसा लगेगा तो उससे सारी नहर में जो सीपेज होता है उसको पक्का कर देने से पानी बच जायगा और वहां का किसान खुशहाल हो सकता है ।

एक बात और है, मान्यवर । एक वादुआ बांध है । वादुआ नाम की जगह है वहां पर एक बांध मन्जूर हुआ था, और पिछले साल काम चला । कुछ काम होकर पता नहीं अधिकारियों के द्वारा या किसी और के द्वारा पता नहीं कि ठेकेदार कहां गया और क्या हुआ पता नहीं । वह जो अधूरा पड़ा हुआ है उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस काम को शुरू किया जाय और उसकी सदन में घोषणा करेंगे माननीय मंत्री महोदय और माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी ।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सिचाई और लघु सिंचाई की मांगों पर बोलते समय हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने पूर्व और पश्चिम का सवाल अधिक उठाया है। मैं हालांकि इस कन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन बारबार सदन में यह बात आ जाती है कि पश्चिम और पूर्व में खर्च का संतुलन नहीं है, इसलिए जनता में असन्तोष फैल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अजीब-सी बात है कि जहां पश्चिम में हम लोग रहते हैं वहां आज भी ऐसे टीले हैं जहां आदमी दोपहरी में गर्मी के दिनों में चला जाय और रास्ता भूल जाय तो मेरा ऐसा खयाल है कि मरने के बाद ही निकलता है। ऐसे केसेज आज भी वहां पर होते हैं। यह एक स्थिति है जहां एक तरफ लोग पहले से साधन-सम्पन्न हैं, इरिगेशन के छोटे-मोटे साधन हैं, बरसात भी अच्छी हो रही है। और दूसरे साधन होने के बावजूद भी उनको फर्टीलाइजर चाहिए, बीज चाहिए, उनको इरिगेशन के साधन चाहिएं, उनको और खाने-पीने की चीजें चाहिएं, और उसके विपरीत हमारे उस इलाके के लोगों को हमें चाहिए दो बूंद पीने के पानी की। उस पानी के लिए, और किसी बात के लिए नहीं, उसकी जहां दिलाने की बात कही जाती है तो क्योंकि राजस्थान कैनाल पश्चिमी क्षेत्र में है, उसके अलावा दूसरी जगह नहीं जा सकती, अगर इनका बस होता है तो निश्चित रूप से दूसरी जगह भी ले जाते, लेकिन यह नहीं जा सकती है, संतुष्टि इनको तभी हो जबकि कैनाल को उठाकर दूसरी जगह ले जाय, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय में अगर इतनी सामर्थ्य हो तो इसको ले जाकर इनको दे दिया जाय ताकि इनकी संतुष्टि हो जाय। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चम्बल प्रोजेक्ट कहां, गांधी सागर कहां बना हुआ है, राणा प्रताप सागर कहां बना हुआ है, जवाहर सागर कहां बना हुआ है, राजस्थान एटोमिक पावर प्रोजेक्ट कहां बना हुआ है ? इन पर आज कितना रुपया खर्च हुआ है, जे० के० सिन्थेटिक्स कहां पर बना हुआ है, श्रीराम कैमिकल्स और इन्स्ट्रूमेन्टेशन कहां पर बने हुए हैं ? अभी 73 करोड़ रुपया चम्बल कमाण्ड एरिया के लिए मिला है। 42 करोड़ रुपया आपको डेरी डेवलपमेंट के लिए मिला है। 132 के० वी० की पांच स्थानों पर विद्युत् स्टेशन कहां बने हैं ? उसके बावजूद भी पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र का दुःख रह गया ? जहां पर दो बूंद पीने के पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं वहां पानी पहुंचाने के लिए · ·

श्रीमती नगेन्द्र बाला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं तो आप निश्चित रूप से कुछ भी कहें उससे हमारी कोई विरोध करने की बात नहीं है। कोटा डिविजन में क्या दिक्कतें हैं, बांध बनने के बावजूद वहीं माननीय सदस्यों ने रखी हैं। ऐसी भावना किसी की नहीं है कि वहां कुछ न किया जाय। इसलिए इस पर ज्यादा न बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री गोपाल जोशी : मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बारबार इस सदन में लोग इस इश्यू को उठा देते हैं। क्या इनका मतलब है कि पिछड़े लोग पिछड़े ही रहें ?

श्री राम गोपाल : इरिगेशन की बात नहीं है सिर्फ नहर डिपार्टमेंट की बात है ।

श्री गोपाल जोशी : वहां पर कितना खर्च हुआ है ? हजारों, करोड़ों रुपया एक तरफ खर्च हुआ है तो हम कभी भी नहीं बोले, लेकिन पानी की समस्या जो कि नेचुरल है उसको कहीं डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं । (श्री राम गोपाल के बोलने पर) आप मेरी बात सुनें । आपका मौका आये तो आप बोलना····

श्रीमती नगेन्द्र बाला : आप इसमें कोटा डिविजन····

श्री गोपाल जोशी : आप राजस्थान की बात कहें । आप दूसरों के डेवलपमेंट की बात करें तो एतराज नहीं है । आप लोग पूर्व-पश्चिम की बात को न उठायें, और जैसी प्रगति राजस्थान की समुचित रूप से हो रही है उसको करने दें तो अच्छा हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब राजस्थान कैनाल के बारे में थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा । इरिगेशन और एग्रीकल्चर हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी की बात है, और उस पर यदि हम राजस्थान कैनाल को जल्दी से जल्दी बना पायें तो मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में जो फूड शार्टेज है उसको कई हद तक पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं । राजस्थान कैनाल जैसा कि आपके आंकड़ों से मालूम होता है इस साल 11 करोड़ रुपये 75-76 में इसको बनाने के लिए दिए गये हैं, और इस तरह से अगर हिसाब लगाया जाय तो 13 साल में भी इसका सैकण्ड स्टेज पूरा नहीं होगा । फ़र्स्ट स्टेज भी अभी 5 किलो मीटर बाकी है जिसके लिए कहा जाता है कि जुलाई में पूरी हो जायगी, लेकिन मैं जानता हूं कि जो धनराशि फर्स्ट स्टेज को पूरा करने के लिए आवश्यक है वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । इस के भी पूरी होने में मुझे सन्देह है, पूर्ण रूप से फर्स्ट और सैकिण्ड स्टेज को पूरा करने में 20 साल लग सकते हैं । इसे टॉप प्रायोरिटी से साल दो साल में पूरी करने का इन्तजाम करें तो अच्छा हो ।

यहां तक कि जो लिफ्ट इरिगेशन बीकानेर तक आने वाली है, उसको 8.6 करोड़ रुपये की आवश्यकता है । वह भी नहीं दिया है । बीकानेर में कुछ गांवों में पीने का भी पानी नहीं है । वहां पर हरा और खारी पानी है जो आदमी तो क्या अगर जानवर भी पी लें तो मर जायें । 20-25 कोस से लोग पानी लाते हैं । वहां के लोग पानी पीते नहीं हैं, चाटते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री रामगोपाल : यह चाटने वाला क्या रसगुल्ले का मामला है ?

श्री गोपाल जोशी : लूणकरनसर है, वहां पर इंजन के द्वारा पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है । जिस पर लाखों रुपया खर्च होता है । क्यों न लिफ्ट कैनाल से लूणकरणसर व अन्य गांवों को पानी पहुंचाया जा रहा है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही घबरा रहा था कि कहीं आप घण्टी न बजा दें ।

श्री उपाध्यक्ष : समय के बारे में सोचें।

श्री गोपाल जोशी : यह जो लिफ्ट कैनाल है। इससे बीकानेर शहर को पेय जल और उद्योगों को जल मिल सकेगा। इसकी योजना अग्रिम रूपसे तैयार करनी चाहिए क्योंकि मैंने राजस्थान कैनाल के चेयरमैन से बात की है। उन्होंने कहा है कि इस योजना के लिए पैसा नहीं मिला है। मैं इस बारे में निवेदन करूंगा, आपकी मेहरबानी होगी, आप जल्दी से जल्दी पीने का पानी उपलब्ध करायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो शब्द कोलोनाइजेशन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वैसे राजस्थान कैनाल के पानी की बहुत बड़ी उपलब्धि बीकानेर के लिए कही जाती है। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर क्षेत्र के लोगों को जमीन देने के बारे में बहुत भेदभाव बरता जाता है। वहां के अफसर कहते हैं कि यह पढ़े-लिखे लोग हैं। यह क्या खेती करेंगे ? यह सफेद कपड़े पहनने वाले लोग हैं। ये ब्राह्मण हैं, इसलिए यह खेती नहीं कर सकते हैं। सरदार साहब कहते हैं कि सरदारों के साथ भेद भाव बरता जाता है। लेकिन मैं जानता हूं उधर से लोग आकर अलॉटमेन्ट करवा लेते हैं। पंजाब व गंगानगर के लोग मेन्यूपुलेशन करने में कितने होशियार हैं। यह मैं जानता हूं। किस प्रकार से कागजात ले आते हैं। किस तरह से सर्टिफिकेट तैयार करवा लेते हैं। लेकिन इधर के लोगों को प्राथमिकता तो दूर रही, कोई जेनुइन केस में भी इन्कार कर दिया जाता है। महीने–महीने तक उनको दौड़ाया जाता है। दफ्तर में बुलाया जाता है, फिर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाता है, खारिज की नकल मांगने पर भी नहीं मिलती।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात बड़े महत्व की है कि जो जमीन का एलॉटमेन्ट किया गया था, उनको आज तक जमीन नहीं दी गई है। कई war heros की widows को जमीन आवंटित की गई थी परन्तु उसका कब्जा आज तक उनको नहीं मिला है। जिन्होंने देश पर कुर्बानी की उनके साथ अन्याय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह डिमाण्ड तो आज नहीं है।

श्री गोपाल जोशी : कोलोनाइजेशन का है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं। कोलोनाइजेशन के मन्त्री महोदय नहीं हैं। लेकिन कमिश्नर साहब बैठे हैं। जो कहा करते हैं कि आप डिमाण्ड नहीं करते हैं। इसीलिए जमीन नहीं देते हैं। हम बराबर डिमाण्ड करते हैं।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : सिखलाकर कहते हैं कि कहना।

श्री गोपाल जोशी : मैं सिखलाने पर नहीं बोल रहा हूं।

श्री रामगोपाल : यह गरम, गरम रसगुल्ले बोल रहे हैं।

श्री गोपाल जोशी : जो पढ़े-लिखे लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनको एब्जॉर्ब करना होगा। क्योंकि यही अपोजीशन

(श्री गोपाल जोशी)
वाले चाहते हैं कि अनरेस्ट हो, टरमोइल हो। तो मेरा निवेदन है कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको जमीन देने की कोशिश करें यही मैंने निवेदन किया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमोहन सिंह।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : मान्यवर, मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं निवेदन करूंगा, पिछले दो वर्ष से ऐसी स्थिति चली आ रही है। हमारी सरकार ने उस स्थिति को निपटने के लिए यह निर्णय लिया कि कोई एमरजेन्सी प्रोग्राम बनाया जाये। उसके लिये एक कमेटी का निर्माण हुआ। उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो वाटर सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज का लाभ उठाया जा सकता है। उन पर काम शुरू करके उत्पादन शुरू कराया जाये। इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्रीजी ने देश व्यापी दौरा किया। राजस्थान में भी वह आई। हमें यह आशा थी कि इस प्रकार से हाई लेवल के बाद राजस्थान सरकार काम करायेगी। जो तालाब गांवों में पड़े हैं, उनका काम शुरू कराया गया। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इतने हाई लेवल के निर्णय के बाद भी बजट में देखते हैं तो मान्यवर, उसका हमें कहीं आभास नहीं मिला। हुआ क्या मान्यवर, उसके बाद आपने सिंचाई की दरें बढ़ा दीं। बिजली की दरें बढ़ा दीं। और जो अण्डर ग्राउण्ड वाटर था। जो काश्तकार कुवां खोदना चाहते थे, उनको आपने टेक्स कर दिया। (अल्प-विराम) दूसरी तरफ मान्यवर, बजट के अन्दर या योजना के अन्दर जो ऐसे इलाके थे, जहां सिंचाई नहीं होती थी, उनकी दृष्टि से कोई प्रावधान नहीं किया गया है, मान्यवर। सिंचाई विभाग में दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। 4 आना काम और 12 आना वेस्ट होता है। यह स्थिति सिंचाई विभाग में है। यह सोचने की बात है। जो हम सोचते थे, आज वह नहीं है। आज ओपन में हम देखते हैं, 60% सब अभाव है जो काम 10 हजार में हो, वह लाखों में होता है। मान्यवर, कोटा जिले के अन्दर अभी-अभी जैसा कि श्री गोपालजी जोशी बता रहे थे कि पूर्वी राजस्थान के विकास की बात कही जा रही है। यदि मान्यवर, 50 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी पश्चिमी राजस्थान में कुछ नहीं हो सका, अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी वहां पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी, तो यह कब तक होता रहेगा ? यह भी सोचने की बात है। इसमें दो राय नहीं कि चम्बल प्रोजेक्ट कोटा में बनाया गया है उसके लिए मैं राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन कोटा जिले की स्थिति को देखें वहां 12 तहसीलें हैं जिनमें से चंबल का पानी 4 तहसीलों को मिला है बाकी 8 तहसीलें सूखी हैं। वहां कोई सिंचाई योजना नहीं बनाई गई, यह दुर्भाग्य की बात है। लघु सिंचाई योजना में तहसील छीपा बड़ोद में छोटे छोटे तालाब हैं-कालपना, फालिया, पचकुई जिनमें एक-एक, दो-दो लाख रुपए इन्वेस्ट करके हजारों बीघा जमीन में सिंचाई की जा सकती है। 81-0 साल पहले पैसा लगाया गया उसके बाद पैसा नहीं दिया गया, बराबर मांग करते रहे लेकिन आज तक वहां पैसा खर्च नहीं हुआ।

(श्री जगमोहनसिंह)

इसी तरह से छबड़ा तहसील में हिंगलाट है। सिंचाई योजना कई सालों से पड़ी हुई है। इसको लागू करने की जब बात आती है तो सिंचाई योजना को कह दिया जाता है कि इस मसले को मध्य प्रदेश सरकार के सामने रखा जाएगा। तो यह कैसे हल होगा ? इसके लिए मैंने श्री सेठी को लिखा था। उन्होंने जवाब दिया कि जब राजस्थान सरकार प्रस्ताव रखेगी तो उस पर विचार करेंगे। इसलिए उस योजना को लागू करने की बात की जाए।

इसी तरह से पार्वती नदी बहती जाती है, पेरीनियल सोर्स है उस पर लिफ्ट योजना बनाई गई, उस नदी के किनारे 50 गांव हैं, उनके बारे में कोई पता नहीं। उस बारे में कई बार निवेदन किया गया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया।

गुगोर छबड़ा से 6 मील की दूरी पर है। इसका 1962 में सर्वे हुआ था। पिछली बार सदन में मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि राजस्थान सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से बैठकर बात की है और प्रोजेक्ट बनाना तय किया है। कुछ दिन पहले मंत्रीजी पूछ रहे थे कि कौनसा प्रोजेक्ट है तो वह जरा देखें ....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त किया जाए। इम्पोर्टेंट योजनायें बतायें।

श्री जगमोहन सिंह : न तो इम्पोर्टेंट योजनाओं के लिए पैसा दे रहे हैं न अन-इम्पोर्टेंट योजनाओं के लिए पैसा दे रहे हैं। इसलिए सभी का उल्लेख बार-बार सदन में करना पड़ता है, तो 8 तहसीलों में 4 लाख एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है और मध्य प्रदेश का भी काफी भाग सिंचित होगा। तो जब भी बोर्ड की बैठक हो तो इन दो योजनाओं को देखें ....

श्री हीरालाल देवपुरा : कौनसी ?

श्री जगमोहन सिंह : पार्वती नदी की गुगोर योजना। चम्बल विकास के लिए पैसा आया है। सिवा कर्मचारियों की फौज टी० ए०, डी० ए० के कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इसमें जन-प्रतिनिधियों को इन्वॉल्व करें, इतनी बड़ी स्कीम के लिए बैठकर कार्यक्रम बनायें वर्ना ऐसा न हो कि इतना पैसा वेस्ट हो जाए और समस्या ज्यों की त्यों रह जाए।

कोटा-बूंदी व झालावाड़ में चम्बल के अलावा दूसरे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं। बूंदी का जो इलाका आता है वह कम है, कोटा का ज्यादा है। इसलिए काफी परेशानी लोगों को होती है। अगर उनके हैडक्वार्टर को कोटा शिफ्ट करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अटरू तहसील में छत्रपुर सारन, अमर सारन, गोविंदपुरा सारन लघु सिंचाई योजनाओं पर जहां वर्षों से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि माइनर इरिगेशन को ठीक करा दें, इस साल में और आशा है कि कुछ ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी !

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर भाषण के समय विचार व्यक्त करते हुए

(श्री किशन मोटवानी)

मैंने कहा था कि इस देश के समृद्धशाली होने के लिए, इस राज्य के विकास, और आज की समस्याओं का समाधान दो चीजों से ही हो सकता है। एक तो फूडग्रेन्स की बहुतायत और इंडस्ट्रियल उत्पादन का एक कोआॅर्डिनेटेड मैनर में प्लान बनाना। मैंने यह भी कहा था कि फूडग्रेन्स के उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ती के लिए गत दो-तीन सालों से जो इरिगेशन स्कीम्स चलाई जा रही हैं, वे सराहनीय हैं। दो साल पहले भी जो गतिविधि थी, वह शोचनीय थी और खेदपूर्ण स्थिति थी और जो रीजन्स जिस पोटेन्शियलिटी को एक्वायर करते हैं उनका विकास होना चाहिए। अगर राजस्थान कैनाल, गंगानगर, चूरू, सीकर, बीकानेर, बाड़मेर तक भी ले जा सकते हैं तो ले जायं, किसी को खेद नहीं होगा। चम्बल प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाए, जो लगे हुए हैं, सारे जिले हैं उनका विकास किया जाए, किसी को खेद नहीं होगा। इसी प्रकार अगर बांसवाड़ा व डूंगरपुर में आपकी योजनायें बनती हैं तो किसी को खेद नहीं होगा परन्तु आप ऐसी बात दीवार पर मत लिखें कि जिसको पढ़ा जाए। आज माननीय सदस्यों का मानस है कि एक रीजनल इम्बैलेंस बना रखा है, वह नहीं होना चाहिए। जैसे ट्यूववैल्स की जहां बहुतायत हो सकती है वहां उसके विकास को प्रोत्साहन हो ताकि ऐसी भावना पैदा न हो कि रीजनल इम्बैलेंस क्रीएट किया जा रहा है। उसी संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर जिला सिंचाई पाइंट आफ व्यू से शून्य है। हो सकता है कि टॉपोग्राफीकल पोजीशन ऐसी है वहां आप नदी नहीं दे सकते, कुआं नहीं दे सकते, परन्तु इतना अवश्य कर सकते हैं कि जो वहां मीगर सोर्सेज हैं उनको जैसे मेरे साथी शंकर सिंहजी ने कहा, केसरी मलजी ने कहा, को सही करना चाहिए। वहां तालाबों की हालत खराब है, वहां जो प्लान्स बनाई थीं उनको अधूरा छोड़ रखा है, उनको पूरा करने का प्रयत्न करें।

कुछ वर्ष पहले एक लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम की चर्चा चली थी। अगर वह शुरू की जाती है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बूंदी से चम्बल का पानी जो वेस्ट है, एक्सेस में है लिफ्ट करके अजमेर जिले में उपयोग कर सकते हैं तो करना चाहिए, इसमें जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति होगी, किसी के साथ बहुत बड़ी पार्शल्टी न समझें, एहसान भी नहीं करेंगे।

साथ ही दो-तीन बातें जो कि अजमेर शहर से संबंधित हैं उनके लिए निवेदन करूंगा। गत वर्ष के मानसून में तो नहीं उससे पहले कुछ वर्षों में जो मानसून आया उसमें हमारे शहर में बहुत बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई, कई लोग मर गए, लाखों रुपए का लॉस हो गया। जो तारागढ़ से बरसात का पानी आता है वह शहर के बीच होकर निकलता है, वह बहुत पुराने जमाने से बाजार के बीच में से होकर बहता था। लेकिन आज के युग में जब अमेरिका और रूस आसमान पर जा सकते हैं, अन्य देश और विकास कर सकते हैं तो अजमेर शहर के बीच में से बरसात का पानी निकले जो एक बहुत पुराने जमाने में कंट्रोल नहीं कर पाये। उन्होंने उस जमाने में कंट्रोल करने की कोशिश की। वहां छोटा-सा तारागढ़ की तलहटी में बांध बना है, लेकिन सिल्ट भर जाने से उसकी कैपेसिटी खत्म

(श्री किशन मोटवानी)

हो गई है। इरिगेशन विभाग के द्वारा तारा-गढ़ एस्केप चैनल के नाम से एक स्कीम बनी थी। उसका सर्वे भी हो चुका है, उसकी लागत का मामला भी तय हो चुका है। सिर्फ उसका क्रियान्वयन करने में सिचाई विभाग देरी कर रहा है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा, यह स्कीम लागू करने से आप दो चीजें कर सकते हैं-एक तो शहर में जो दिक्कत पैदा होती है बरसात के पानी से, उसको दूर कर सकते हैं और दूसरे इसके पानी को इरिगेशन के यूज में भी ले सकते हैं, और आगे कई बांध है जिसमें पानी को छोड़ सकते हैं। एक सुनियोजित तरीके से पानी को इरिगेशन में यूज कर सकते हैं।

इसके अलावा, अजमेर के पास दो बांध और हैं, छोटी नाल व बड़ी नाल के नाम से वह बन्धे हैं। मंत्री महोदय जब अजमेर आये थे उस समय इनका जिक्र किया था और मंत्री महोदय ने कन्सैंड विभाग से कहा था कि इसको देख लें। इनका सर्वे हो चुका है, प्लान बन गया है और एस्टीमेट भी बना हुआ है। इनसे भी दोहरी व्यवस्था कायम कर पायेंगे, एक तो जो अण्डर ग्राउन्ड वाटर लेवल है, वह बढ़ जायगा, जिससे भांवता के कुओं का पानी का स्तर बढ़ जायगा और साथ ही शहर में कुओं का पानी का स्तर भी बढ़ जायगा। साथ-साथ दोनों बांधो का पानी इरिगेशन के लिए सुनियोजित रूप से यूज कर सकते हैं और पानी की समस्या को हल कर सकते हैं।

श्री सभापति : श्री मनोहर कोठारी!

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : सभापति महोदय....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष हैं।

श्री मनोहर कोठारी : उपाध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व कि मैं अपने कट मोशन पर अपने विचार व्यक्त करूं, मैं इस बात के लिए थोड़ा दुःख अनुभव करता हूं कि हमारे सदन में जब राजस्थान एक है, जहां राजस्थान एक बलिष्ठ प्रदेश माना जाता है, वहां पर रीजनलिज्म की बात प्रदेश के इम्बैलेन्स की बात कही जाय–यह कुछ अच्छा नहीं लगता। खास तौर पर यह इसलिए कहता हूं कि लालसोट से आने वाले एक माननीय सदस्य ने अभी-अभी यह कहा कि आदिवासियों के नाम पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में खर्च किया जा रहा है और पूछा कि दूसरी जगह आदिवासी नहीं हैं क्या? लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कहां मेवाड़ के, बांस-वाड़ा-डूंगरपुर के आदिवासी और उनकी स्थिति, जिन्हें भील कहा जाता है, जिनके शरीर पर लंगोटी नहीं मिलती है, और कहां लालसोट के मीणे? उनकी यहां के मीणों से तुलना करना, या असमानता की बात करना आश्चर्यजनक है। मेवाड़ के ये आदिवासी, राजस्थान की नाक रखने के लिए महाराणा प्रताप के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर लड़े, और जिन्दगी भर गरीबी में आज तक छटपटा रहे हैं, उनका उन लोगों से मुकाबला करने की बात कही जाय, तो अहीर, गुजर, जाट जैसी किसान कम्युनिटी के साथ मुकाबला करते हों। उन्हीं के साथ उनका तालमेल हो सकता है, उनके साथ कम्पटीशन किया जा सकता है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रीजनल इम्बैलेन्स की बात के साथ जब यह बात कही

(श्री मनोहर कोठारी)
जाती है कि उदयपुर जिले में इतना अधिक सिंचाई के कामों में खर्च किया गया है और दूसरे जिलों की अवहेलना की बात कही जाती है, तो एक बात मैं सूचना के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर अन्य कई जिलों से बड़ा जिला है। यह राजस्थान बनने के बाद दो जिलों को मिला कर उदयपुर जिला बनाया गया था। यदि यह हमारा दुर्भाग्य था तो बात दूसरी है वर्ना जयपुर जिले को छोड़ कर सारे राजस्थान में सबसे बड़ा उदयपुर जिला है। दो जिलों-राजसमन्द जिला और उदयपुर जिला-को छोड़ कर वर्तमान उदयपुर जिला बना है जिसमें अठारह तहसीलें हैं। इन अठारह तहसीलों में एक-एक तहसील ऐसी है जिसमें 1 लाख 36 हजार की आबादी भी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की भावना इस सदन में नहीं आनी चाहिए। यह हमारी एकता को और हमारी इन्टेग्रेटी को, दोनों को, आघात पहुंचाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पानी का सवाल है, हमारे शास्त्रों में इसे जीवन कहा गया है। यह बात सही भी है। आज यदि राजस्थान के दूसरे जिलों में ट्यूब वैल हैं, वहां उदयपुर जिले में ट्यूब वैल्स का हमने नाम तक नहीं सुना है। वहां केवल पहाड़ों से बहता पानी निकलता है, उसके लिए मध्यम सिंचाई के कामों को हाथ में लिया जा सकता है, या छोटी सिंचाई की योजना के कार्यक्रम को हाथ में लिया जा सकता है। दूसरे जिलों में ट्यूब वैल की बात हो सकती है, बड़ी-बड़ी योजनाओं की बात हो सकती है। भगवान की दया है उन पर जहां पेरेनियल नदियां बहती हैं इसलिए वहां बड़ी-बड़ी योजनायें भी बन सकती हैं इसमें एक दूसरे को मिला करने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास करके माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कुछ योजनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, खास करके हमारी उन योजनाओं पर, जिन्हें हाथ में लिया जाना आज के युग में नितान्त आवश्यक है, खास तौर से उस समय जबकि हमारे यहां पर खाद्यान्न का इतना बड़ा संकट उपस्थित हो गया है। एक अमरचंदिया बांध है, यह अमरचंदिया बांध न मालूम किस महाराणा के जमाने में बना है। इसका इतिहास भी उपलब्ध नहीं है। उसमें पानी भरा हुआ है, कुछ रहट के जरिये उस पानी को बाहर निकाल कर उससे सिंचाई कर लेते हैं और एक नहर के जरिये कुछेक एकड़ की सिंचाई भी होती है, और बाकी का पानी वहां डम्प पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं, उस पानी को लिफ्ट करके ऊपर उठायें और कदयाल, बाटी, वागेलों का गुड़ा आदि गांवों की सिंचाई की जाय। बहुत थोड़े गांवों में पानी उपलब्ध है। इस बांध की स्थिति भी खराब है, खस्ता है–इस हालत को रोकना आवश्यक है। कम से कम जो पानी इसमें भरा हुआ है, उसे लिफ्ट करके सिंचाई कर सकते हैं कुछ गांवों में और इसमें अधिक धनराशि की भी आवश्यकता नहीं है।

इसी तरह से कटार में एक एनिकट बना हुआ है। मैं हमारे वहां के, उदयपुर के एस० ई० और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को मौका दिखा चुका हूं। काफी मात्रा में वहां पर पानी आता है। काफी अच्छा, बहुत थोड़े पैसों में अच्छा बांध बान्धा

(श्री मनोहर कोठारी)
जा सकता है और उस क्षेत्र की आबपाशी हो सकती है।

कड़िया में एक बांध बनाया गया है, लेकिन वहां इस बात को लेकर हमेशा झगड़ा होता है। कड़िया के गांव और मोरियों की कड़िया के लोगों में रोज कशमकश चलती है। यह बांध दो फीट ऊपर उठा दिया जाय तो इन गांवों की कठिनाई हल की जा सकती है और रोज के झगड़े से छुट्टी मिल सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मांडक नदी नाथद्वारा के पास है, बनास डेम के ऊपर मांडक नदी को बान्धा जाना अत्यन्त आवश्यक है, और इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आप बनास की खारी फीडर को राजसमन्द में ले गये। बनास का पानी भी आप राजसमन्द में ले जाते हैं, वहां जे० के० इन्डस्ट्री लग जाने से उसमें भी पानी का कन्जम्प्शन होगा, वहां के काश्तकारों को भी इससे तकलीफ हो सकती है। इसलिए मांडक के नीचे ओड़न के पास सर्वे हो चुका है, वहां पिट्स लगा कर देख लिया गया है, और मैं समझता हूं कि यदि वहां बांध बन जाता है तो आपकी जहां एक ओर राजसमन्द की प्रॉब्लम हल होगी, रेल मगरा की प्रॉब्लम हल होगी, वहां विशेष तौर से, क्योंकि बनास और खारी के बीच के बैल्ट में हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वह भी दूर होगा। समझ में नहीं आता जब हैड पर जमीन उपलब्ध है लेकिन हम टेल पर पानी पहुंचाने की ज्यादा फिक्र करते हैं। मैं समझता हूं, यह सिद्धान्ततः गलत है। खारी और बनास के बैल्ट में पानी पहुंचाने की आवश्यकता है। खारी फीडर नहर के एक तरफ पानी पहुंचाती है, उसे क्रॉस करके पानी को आगे पहुंचाने की आवश्यकता है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अभी और भी माननीय सदस्य हैं।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय सदस्य और हैं लेकिन पहले तो कंट्रोल किया नहीं गया समय का, अब मैं बोल रहा हूं तब कंट्रोल किया जाता है। आप चाहें तो मैं बीच में बन्द कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : फर्माइये।

श्री मनोहर कोठारी : मैं निवेदन कर रहा था, जहां बनास डेम से अभी जितनी सिंचाई हो रही है, उससे अधिक सिंचाई हो और राज समन्द और रेल मगरा के लोगों को भी और सुविधा मिले इसलिए मांडक के बांध को बनाने की आवश्यकता है ताकि खारी फीडर से नाथद्वारा के बीच के बैल्ट को भी पानी मिल जाय। उसके लिए विभाग ने सारी जमीन का सर्वे कर लिया है, नहर का प्लानिंग कर भी लिया है, मुझे मालूम हुआ है, वह योजना प्रस्ताव आपके पास विचाराधीन है, उस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं खमनोर, फेवेदा, घरे और सेमा व फतेहपुर गांवों में खासतौर से लिफ्ट सिंचाई योजना के संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं। खमनोर में मकान बने हुए हैं, नहरें पक्की बनी हुई हैं और सभी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति हो चुकी है सिर्फ मोटर लगाने की आवश्यकता है अगर आप मोटर लगाने की व्यवस्था कर दें तो कम से कम 500 बीघा

(श्री मनोहर कोठारी)

जमीन में आसानी से सिंचाई हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, टेन्क बना हुआ है दूसरी और चीज की आवश्यकता नहीं। आपको वहां पर मोटर लगाकर लिफ्ट इरिगेशन की योजना आरम्भ करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह छोटी योजनायें हैं वह कम पैसों में और जल्दी पूरी की जा सकती हैं। अगर आप उन्हें पूरी कर देते हैं तो एक तरफ तो आप अकाल का मुकाबला कर सकते हैं दूसरी तरफ लोगों को काम भी मिल जावेगा। इसलिये आप वहां पर लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था तुरन्त करें। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि इस साल बजट में राजसमन्द इरिगेशन क्षेत्र में कोई योजना नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, राजसमन्द कांकरोली डिविजन में एक पैसे का प्रावधान आपने नहीं किया। जबकि यहां पर एक एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, तीन एसिस्टेन्ट इन्जीनियर और दूसरा काफी स्टाफ है इतना बड़ा पेराफर्मेलिया है और आपने इनके पास कोई काम नहीं रखा है सिवाय इसके कि वहां पर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उनका मेन्टिनेन्स सिर्फ आर्थिक भार ही राज्य सरकार पर उस स्टाक का पड़ेगा और काम कुछ नहीं। सिर्फ मेन्टीनेन्स के लिये आप इतना बड़ा स्टाफ रख रहे हैं यह तो उचित नहीं है, उस स्टाफ की क्या उपयोगिता है, मेरी समझ में नहीं आता। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजसमन्द कांकरोली डिविजन जिसका कार्यक्षेत्र भीम तक है वहां पर डी०पी०, ए०पी० के काम चल रहे हैं मात्र उस बिना पर डिविजन को बिना किसी योजना के बनाये रखना मुश्किल है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि वह जिन योजनाओं का सर्वेक्षण हो चुका है, उस पर विचार करके उन्हें पूरी कराने की व्यवस्था करावें। मंत्री महोदय से यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि वह चाहें तो मेरे क्षेत्र की लघु सिंचाई योजनायें स्वयम् जाकर देखलें कि वास्तव में वहां पर उन योजनाओं की उपयोगिता है या नहीं। वास्तव में आप उन योजनाओं को अगर पूरी कर देते हैं तो उससे लोगों को सुविधा मिलेगी यह आप चाहें तो खुद जाकर देखलें। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इन योजनाओं को चालू पंचवर्षीय योजना में हाथ में लेकर उन्हें पूरी करा देंगे।

अन्त में, एक बात नाथद्वारा के बारे में निवेदन करते हुए मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि नाथद्वारा के पास नाथावास में एक फीडर बनायी गयी थी जिस पर काफी राज्य सरकार ने पैसा खर्च कर दिया था लेकिन अभी तक उस फीडर का लोगों को लाभ नहीं मिला। क्योंकि बीच में एक व्यक्ति ऐसा आ गया है जिसकी कि जमीन उस फीडर के अन्दर आ जाने के कारण, चूंकि उसे मुआवजा नहीं दिया गया है, इसलिये उसने फीडर को रोक दिया है उससे कोई सिंचाई नहीं हो रही है। इतना रुपया खर्च हो गया है और एक छोटी-सी बात के लिये आप उसे पूरा नहीं होने दे रहे हैं। इसलिये निवेदन है कि उक्त व्यक्ति को मुआवजा देकर उस कार्य को पूरा करवाया जाना चाहिये, नहीं तो, लोगों को कठिनाई पैदा होगी। उस फीडर के लिये उसको हटाया जाना आवश्यक है। अतः मेरा निवेदन है कि इस ओर व्यवस्था करावें ताकि उस फीडर का जनता को लाभ मिल सके। इसी प्रकार देलवाड़ा जो कि तहसील में नाथद्वारा के बाद सबसे बड़ा कस्बा है,

(श्री मनोहर कोठारी)

मंत्री महोदय खुद जानते हैं उसके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। वहां पर ऐसी हालत है कि साल भर मे चार महीने तक बाजार की सड़कों पर पानी भरा रहता है। क्योंकि बरसात में पानी पहाड़ों से बहकर आता है और पानी के जाने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण पानी बाजार में आ जाता है। लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है उसके साथ साथ बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी तकलीफ होती है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में थोड़ी व्यवस्था करेंगे। आप वहां पहाड़ों में पानी रोक कर छोटा-मोटा बांध बनवा दें तो ठीक रहेगा। वर्ना एक तरफ बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है वहां पर दूसरी तरफ लोगों के पांव उस बरसात के पानी से सड़ जाते हैं इसलिये इस ओर मंत्री महोदय शीघ्रातिशीघ्र ध्यान दें तो उचित रहेगा। और आपके वहां पर इस पानी को काम में लेने से सिंचाई भी होगी और आप लोगों को पांव सड़ने से बचायेंगे। उन्हें मुक्ति मिल जायेगी। बस इतना ही निवेदन करके मैं अपनी मांग मंत्री महोदय के समक्ष आपके माध्यम से प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेशचन्द्र।

श्री भैंरूलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा बोलने का मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपका क्या नाम है?

श्री भैंरूलाल : भैंरूलाल।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा आप फरमा दीजिये।

श्री भैंरूलाल (इकलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज सिंचाई की मांगों पर बहस चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिये राजस्थान में सिर्फ कोटा, बूंदी, गंगानगर को छोड़कर कहीं भी सिंचाई का काम शुरू नहीं किया जा रहा है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि कोटा-बूंदी के पास झालावाड़ जिला पड़ता है वहां पर किसी भी प्रकार की सिंचाई की योजनायें आपने चालू नहीं की हैं। और मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आपने अकलेरा के क्षेत्र को तो बिलकुल ही भुला दिया है। कहीं पर अकलेरा में किसी भी योजना का नाम नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इकलेरा एक पिछड़ा क्षेत्र है जहां पर मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि राज्य सरकार ने कोई ध्यान लघु सिंचाई योजना के बारे में भी आज तक नहीं दिया। वहां पर पानी के लिए तीन किलो मीटर लम्बा और एक किलो मीटर चौड़ा तक देह है उन पर बांध बनाने की योजना होनी चाहिये क्योंकि वहां पर सदैव पानी भरा रहता है। पर वह आज तक नहीं बनाया गया है। राज्य सरकार की वहां पर कोई लघु सिंचाई योजना बनाने की भी स्कीम नहीं है। मान्यवर, इकलेरा एक ऐसा क्षेत्र है जिसका दो तरफ से हिस्सा मध्य प्रदेश से मिलता है। जब हमारे उन क्षेत्रों के लोग मध्य प्रदेश के गांवों में जो कि उनसे लगे हुए हैं उनमें कुओं पर बिजली देखते हैं तो उनके मन में थोड़ा दुःख होता है, उन्हें महसूस होता है कि हमारे यहां पर तो सिंचाई के साधन नहीं हैं और उस तरफ कुओं में बिजली भी है और सिंचाई के साधन भी हैं। वह लोग उदास हो जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले वहां पर इकलेरा के पास छापी नदी पर दहलनपुर के

(श्री भेरूलाल)

यहां एक बांध बनाने की योजना बनायी थी उसका सर्वे भी हो चुका है, पर आज तक राज्य सरकार ने उस योजना को शुरू नहीं करवाया। मैं राज्य सरकार की इस मन्शा को अभी तक नहीं समझ सका हूं कि इतने साल हो गये हैं सर्वे हुए वहां पर बांध क्यों नहीं बना है ? मेरा निवेदन है कि उस बांध को जल्दी से जल्दी बनवाया जाना चाहिये। इसी तरह मनोहर थाना के पास एक परवन नदी है वहां पर सर्वे कार्य चल रहा है वहां पर भी शायद राज्य सरकार की बांध बनाने की योजना है। वहां पर भी कार्य रूप नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, आज 16 साल हो गये हैं इकलेरा और मनोहरपुर थाने पर बिजली गये हुए। पर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन सोलह सालों में आज तक पास के गांवों में बिजली नहीं पहुंची और न ही कुओं पर बिजली दी गयी है। मान्यवर, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आपको वहां पर बिजली कुओं पर देनी चाहिये। आखिर इकलेरा भी तो राजस्थान का ही अंग है। जहां आप एक तरफ करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं सिचाई योजनाओं के ऊपर तो आप इकलेरा क्षेत्र, जो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां भी आपको सिंचाई और बिजली की योजनायें चालू करनी चाहियें। पर आप वहां सिंचाई और बिजली योजनायें चालू नहीं करते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि आखिर क्या बात है ? हमारे यहां पर विकास के कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं ? मैं, मान्यवर, बिजली मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इकलेरा क्षेत्र के कुओं के लिये बांध न बंधवायें, बिजली तो पहुंचा देवें ताकि जिससे सिचाई के क्षेत्र में इन काश्तकारों को सुविधा हो, सही रूप से उनको जमीन व मेहनत का फल मिल सके।

मैं छोटे 2 बांधों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन बांधों से कोटा रियासत के जमाने में सिचाई होती थी। आज वे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। उनकी पालें टूट गयी हैं। न तो उनको सिंचाई विभाग सम्भालता है और न ही पंचायत समिति। यदि उन की ओर सरकार ध्यान दे और पचास-पचास हजार रुपया भी उन पर खर्च कर देवें तो वे सिंचाई के योग्य पुनः हो सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, एक मिनट में।

कुओं को गहरा कराने के लिये, बिजली के लिये हजारों दरख्वास्तें भूमि बंधक बैंक को दी गयी हैं, लेकिन रकम उनको मंजूर नहीं की गयी है उस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, कुओं पर बिजली नहीं देना चाहते हैं, बांध भी नहीं बनाना चाहते हैं, कोई सिंचाई योजना नहीं लेना चाहते हैं तो उस क्षेत्र को कहां आप लेजाना चाहते हैं ?

एक माननीय सदस्य : जहन्नुम में।

श्री भेरूलाल : मैं आपसे निवेदन करूंगा, सिंचाई मंत्री से निवेदन करूंगा कि इतना सब होते हुए मेहरबानी करके सिंचाई योजना को वहां पर लागू करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेशचन्द्र सैनिक !

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : हम लोगों का नम्बर भी आवेगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कहेंगे जब जवाब शुरू करवाऊंगा।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिण्डौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में बजट रखा गया है और सिचाई मंत्रीजी ने सिंचाई सम्बन्धी सारी की सारी मांगें सदन के सामने रख दी हैं। बजट और इस प्रकार की मांगें वर्ष में एक बार रखी जाती हैं। आखिर है क्या ? सारी जनता का विश्वास होता है, बजट कुल मिला कर एक ऐसी चीज होती है कि आज तक हमने क्या किया है, अब क्या तैयारी है और आगे क्या करना है। हालांकि मैंने इसका गहन अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि धनराशि का रेशनल डिस्ट्रीब्युशन नहीं किया गया है।

चम्बल कमाण्ड कोटा डिविजन के साथ मिला कर एक बात कह दी जाती है कि वहां पर चम्बल है और वहां पर सब तरह से धन-धान्य से लोग आराम से हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि 28 तहसीलें कोटा डिविजन में। उनमें से केवल 5॥ तहसीलों में ही चम्बल का पानी जाता है, बाकी की तहसीलें ऐसी हैं या तो वहां पर लघु सिंचाई योजनायें हैं या वहां पर कुओं से सिंचाई होती है, या ऐसी जमीन है जिसको माल कहते हैं या बेरन जमीन है। यह आपकी धारणा है कि कोटा डिविजन से चम्बल निकलती है इसलिये वहां अब आवश्यकता नहीं है, इस धारणा से 22॥ तहसीलें यों ही रहें तो निश्चित रूप से कोटा डिविजन के लोगों को निराशा होगी।

चम्बल के नाम से विश्व बैंक एड दे रहा है। यह हमारे लिये एक अभिशाप है। कोई भी उपयोग नहीं होगा उस पैसे से। एक चीज हम आज देखते हैं कि अफसरों की भरमार है। बेशुमार अफसर भर गये हैं। पांच-सात बड़े-बड़े अफसर इस प्रकार वहां पर पड़े रहें तो उनमें ही यह पैसा खर्च हो जायगा। यू० एन० डी० पी० ने एक मॉडल बना रखा है, जो भी बाहर से आते हैं महानुभाव वे वहां जाते हैं तो उनको वह दिखा कर बाहर निकाल देते हैं और यह कहला देते हैं कि किस प्रकार से तरक्की हो रही है। कोई सिस्टम नहीं है, बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो मैंने बोलना ही शुरू किया है :

श्री उपाध्यक्ष : दस बारह माननीय सदस्य कोटा से बोल चुके हैं।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक : यहां पर बोलने के लिये ही आते हैं। कहां जायं नहीं बोलें तो ? समय पर ही बोलने के लिये अवसर मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : पुनरावृत्ति न करें।

श्री रमेशचन्द्र सैनिक : बूंदी का संबंध चम्बल से जोड़ दिया गया है। एक पाटन है जिसमें सिंचाई होती है। बूंदी के $\frac{1}{4}$ हिस्से में ही सिंचाई होती है इससे और $\frac{3}{4}$ भाग के अन्दर कोई इससे सिंचाई नहीं होती है। फिर भी चम्बल के साथ इसको जोड़ कर कहा जाता है कि आपके वहां तो चम्बल से सिंचाई होती है।

हिण्डौली, जहां से मैं आता हूं, यहां की जनता मेरी तरफ देख रही है कि मैं क्या विधान सभा के अन्दर उनके लिये करता हूं। मैंने मंत्री महोदय को बहुत ही नम्र निवेदन किया कि मेरे कार्यकाल के तीन वर्ष समाप्त हो गये हैं, दो वर्ष बाकी रह गये हैं। दो-तीन गांव हैं जिनके लिये आप

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)

कुछ व्यवस्था कर दीजिये और फिर मैं उसके बाद आपको कभी नहीं कहूंगा। लेकिन माननीय मंत्रीजी को कौनसी जबान से अब और कहूं जबकि मैंने उनको बहुत ही नम्र निवेदन किया था। दुगारी बांध है, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह बांध पूर्ण है 70 लाख का एस्टीमेट है। दस लाख रुपया और उस पर खर्च कर देते हैं तो 40 गांवों को उससे सुविधा मिलती है।

हिन्डौली तहसील में कोढ़ी का बंध है। यह अधुरा है। अकाल में उस पर काफी पैसा लगाया गया है। एकमात्र बांध है उस तहसील में यह कोढ़ी का। अकाल में 2 लाख रुपया खर्च हुआ है। केवल अर्थ वर्क ही रह गया है। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से किरूण का खाल (खैराड़) में बनाना हैं बिजली और सिंचाई के साधन हैं। इन चालीस गांवों में आजादी के बाद कोई काम नहीं हुआ है। यदि मैं गलत कहता हूं तो आप कोई काम मत कीजिये। लेकिन आप स्वयम् इनको देख लीजिये और आप आश्वस्त हो जायं तब आप यहां पर काम कीजिये। आजादी के बाद कोई भी काम यहां पर नहीं हुआ। यदि हुआ हो तो आप निश्चित रूप से मत कीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक-दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

पहाड़ी क्षेत्रों की एक बहुत मोटी मांग है। वहां पर छोटे-छोटे तालाब बनाने की बहुत सुविधा है। यदि बूंदी में सब-डिविजन सर्वे के लिये खोल दिया जाय तो सही रूप में उन सब का सर्वे होकर कोई भी आगे के लिये उनके लिये योजना बनायी जा सकती है जिससे थोड़े खर्चे में अधिक सुविधायें लोगों को मिल सकेंगी।

दो-चार बांध हैं उनके लिये थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। इनको नये रूप से लेने के लिये मेरी प्रार्थना है। बांकिया का खाल, बासणी (नाहरमालिया का बांध भी कहते हैं) का बांध, तीसरा है पगारों (रहट की डोरी) का नाला। यदि इनको आप पूरा कर दें तो बहुत ही कम खर्चे में ये पूरे होंगे और इससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सकेगा।

अन्त में, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये मेरी मांगें जो मैंने प्रस्तुत की हैं, बहुत ही अल्प हैं और इसी आशा से लोग यहां भेजते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से आशा करता हूं कि वे इसको अपने जवाब में लेंगे और निश्चित रूप से इस संबंध में आश्वासन देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारीलाल !

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेकर थोड़े शब्दों में अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज सदन में सिंचाई विभाग की मांगों के ऊपर चर्चा हो रही है, इन मांगों पर बोलने का उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार से सिंचाई के साधनों को अधिक से अधिक बढ़ाकर पैदावार को बढ़ाया जाय, चाहे सिंचाई बांधों के द्वारा की जाय, कुओं द्वारा, बिजली के द्वारा या अन्य किसी साधन के द्वारा। लेकिन होता क्या है कि सिंचाई विभाग द्वारा करोड़ों रुपये

(श्री बनवारीलाल)

खर्च करने के बावजूद भी गांवों में किसानों को जो सुविधायें हम पहुंचाना चाहते हैं वह उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि जिन योजनाओं को हम हाथ में लेना चाहते हैं या जिन योजनाओं को हम हाथ में लेते हैं और जो योजनाएं सिंचाई के लिए लाभदायक हो सकती हैं उनको अधिकारी गण कई कारणों से टालते जाते हैं और उन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं होने देते। इसका मुख्य कारण उनकी लापरवाही है और योजनाओं के प्रति सक्रिय रूप से काम नहीं करना है। उदाहरण के तौर पर, मैं आपको रावत का खार योजना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस योजना को राम प्रसादजी लड्ढा जब सिंचाई मन्त्री थे, वे वहां पर पधारे थे और लोगों ने उनसे बात की, प्रदर्शन किये और आन्दोलन किये, तब पांच वर्षों में उन्होंने उस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया। परन्तु उसके बाद भी पांच साल के अन्दर उस प्रोजेक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव सेन्क्शन या टेक्निकल सेंक्शन जो होती है, वह अधिकारियों की वजह से प्राप्त नहीं हुई है। उस पर करीब काफी रुपया भी लग चुका है लेकिन अभी तक उसका कार्य भी शुरू नहीं हो पाया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आज जो योजनाएं हाथ में ली जाती हैं वे या तो पोलिटिकल प्रेशर से ली जाती हैं या फिर क्षेत्रीय भावनाओं की दृष्टि से ऐसा होता है। परन्तु इस प्रकार से लोगों को लाभ कम पहुंच पाता है और पैसा अधिक खर्च करना पड़ता है। धौलपुर सब-डिविजन के लिए पांच साल हो गये इसके फण्ड्स सिक्योर हो गये फिर भी उस योजना को क्यों नहीं हाथ में लिया गया, क्योंकि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेन्क्शन या जो टेक्निकल सेन्क्शन होती है, वह नहीं निकाली गई, उसकी वजह से उसको नहीं लिया गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप भी माननीय सदस्य जब किसी योजना को स्वीकृत करावें तो तब तक कम से कम यह अवश्य देख लें कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेन्क्शन इश्यू हो जाती है या नहीं, जब ही वह काम हाथ में लिया जा सकेगा।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि बड़ी-बड़ी योजनाएं और प्रोजेक्ट्स हम हाथ में ले तो लेते हैं परन्तु उनके बजाय हम छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लें तो इससे लाभ अधिक होगा, लोगों को अधिक राहत भी मिल सकेगी और सुधार भी हो सकेगा। जैसे मैं निवेदन करूं कि धौलपुर में सैकन्ड पार्वती प्रोजेक्ट हाथ में लेने का विचार है। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूं कि यह फिजिबल नहीं होगा। इसके बजाय छोटे-छोटे नाले हैं उनको रोक कर उनके रोका लगाकर यदि बांध बनायें जायें तो अधिक फायदा पहुंचेगा। वैसे मैं मानता हूं कि सुझाव अच्छा है, कितने ही लाख रुपये खर्च भी होंगे और एक बहुत बड़ा काम हम कर पायेंगे परन्तु इसमें अधिक समय लगेगा, इससे लोगों को असुविधायें भी होंगी, कई गांव भी खाली करने होंगे, लोगों को इधर-उधर भेजना भी पड़ेगा इसलिए बजाय बड़े प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने के छोटे-छोटे नालों को रोक कर बांध बनायें जायं तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसके अलावा जो हमारे यहां पार्वती डेम है उसकी जो कैनाल है वह बहुत डिफेक्टिव है। मैं निवेदन

(श्री बनवारीलाल)

करना चाहता हूं कि कैनाल जब बनाई गई थी वह गहरी कम है और उसकी वजह से होता क्या है कि पानी ऊंचा चढ़ नहीं पाता है और इससे नीचे वाले आकर पानी ले जाते हैं और झगड़े करते हैं और फौजदारी करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पार्वती डेम की रिपेयर कराई जावे और इसको सुधारा जावे ताकि झगड़े नहीं बढ़ें। एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि नहरों में और डेम में कई जगह कट हो जाती हैं जिससे सीपेज का बहुत पानी चला जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका इन्तजाम किया जाय। इसके अलावा वह पर जो पंचायत समिति का टेंक हैं उस टेंक से कम खर्चे से ज्यादा से ज्याद सिंचाई की जा सकती है। मगर पंचायत समिति के पास उसको रिपेयर कराने के लिए फन्ड्स नहीं हैं, बहुत अच्छा टेंक है, उसको इरिगेशन के परपज के लिए तैयार किया जा सकता है। इसलिए इसको विभाग अपने हाथ में लेने की कृपा करें या फिर पंचायत समिति को इसके लिए फन्ड्स प्रोवाइड किये जायं जिससे थोड़े खर्चे में ज्यादा से ज्यादा सिंचाई हो सकती है। इसके अलावा यह निवेदन है कि चम्बल नदी का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। आज सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट चम्बल से पानी लिफ्ट करने का प्रोजेक्ट बनाने का विचार कर रही है और उन्होंने सिंचाई बोर्ड के सामने अपनी योजना बना कर रख दी और कामयाब हो गये तो बजाय इसके कि हम उस पानी को काम में लेवें दूसरे प्रान्त वाले उसका फायदा उठा लेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे और वह उस पानी से सिंचाई करने लग जायेंगे। इसलिए हमको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह भी है कि वर्ल्ड बैंक से जो पैसा मिला है, उसमें धौलपुर डिविजन में जो चम्बल की रिवाइन्स हैं उनकी भी रिपेयर की जानी चाहिए और छोटे-छोटे नालों को रोक कर बांध बनावें, कई नालियां निकल गई हैं उनमें जमीन भी निकल गई हैं, इनकी मरम्मत हो जाने से और बांध बन जाने से सिंचाई भी हो सकेगी और हम उसका लाभ उठा सकेंगे। इसलिए मेरा नवेदन है कि वहां पर छोटे-छोटे बांध बनावें और छोटी-छोटी नालियों को रोकने से जमीन भी मिलेगी और उनमें भी सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा जो बाढ़ से कई गांवों में पानी भर जाता है उसके नियन्त्रण के लिये भी हमको उपाय करने चाहिए, बाढ़ के पानी को छोटे-छोटे नाले निकालकर कोई स्कीम बनाई जावे जिससे लोग हर साल परेशान न हों और जो उनको असुविधा होती है वह नहीं होवे। इसके लिए भी फन्ड्स अलाट करने की कृपा करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपालसिंह !

श्री गोपालसिंह (खंडेला) : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सिंचाई मन्त्रीजी ने जो आज सिंचाई की मांगें हमारे समक्ष रखी हैं उनको देखने से मैं तो एक नतीजे पर जरूर पहुंचा हूं कि माननीय मन्त्रीजी को यह जो उनके उदयपुर डिविजन का काम मिला है, वह अपने अन्दर ही रखते और हम लोगों के सामने नहीं रखते तो एक तरह की निराशा की भावना जो माननीय सदस्यों में आती है वह तो कम

(श्री गोपालसिंह)

से कम नहीं आती । यह तो मैं नहीं समझता कि यह पूर्व का प्रश्न है या पश्चिम का प्रश्न है, परन्तु हो सकता है यह भी उनकी एक कला हो, लेकिन अगर यह हमारे सामने नहीं रखते तो यह परेशानी तो नहीं होती । यदि हम इरिगेशन का बजट देखें तो पता चलेगा कि उसमें बजट का ज्यादातर हिस्सा उदयपुर डिविजन पर खर्च किया गया है । इसका कारण यह भी हो सकता है कि वे उस क्षेत्र के बड़े प्रभावी नेता भी रह चुके हैं । मैं यह कह सकता हूं कि इस प्रकार से अगर इसको हमारे सामने नहीं रखकर अन्दर ही रखते तो जो परेशानी और निराशा आज हो रही है, वह आज नहीं होती ।

मैं सीकर जिले के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा । सिंचाई के लिहाज से सीकर जिले के दो भाग हैं, पश्चिमी इलाका और पूर्वी इलाका । पश्चिमी इलाका बहुत रेतीला इलाका है और वहां पर पानी भी बहुत ज्यादा गहरा है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस इलाके में केवल खेती ही लोगों के रोजगार का एक मुख्य धन्धा रहा है । वहां पर और कोई अन्य उद्योग धन्धा ऐसा नहीं है और न कोई साधन-सुविधाएं ही हैं जहां पर लोगों को काम पर लगाया जा सके और इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मन्त्रीजी से बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर एग्रीकल्चर के बारे में कोई सुनियोजित तरीके से सोच कर कोई योजना बनायी जाय तो इससे लोगों को बहुत राहत पहुंचेगी । सलिए इसके लिए भी सिंचाई मन्त्रीजी कोई प्रावधान रखते कि उनको ट्यूब वैल से पानी दिया जा सकता है । पानी वहां पर मौजूद है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं होने से वहां पर रेगिस्तान ही चला आ रहा है और हरियाली नजर नहीं आती । इसी तरह से पूर्वी इलाके के लिए भी निवेदन करना चाहूंगा । सीकर का पूर्वी इलाका बहुत ही पथरीला इलाका कहलाता है । वहां पर एक नदी भी है उसमें जगह-जगह नाले हैं उनको रोक कर छोटे-छोटे डेम बनाये जायं और तालाब बनाये जायं और इनको प्लान में सम्मिलित किया जाय तो इससे नीम का थाना, सवाई माधोपुर, झुंझुनूं जिले की उदयपुर तहसील भी इसी में आती है जिनको फायदा हो सकता है । उससे डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट कुओं में पानी पहुंचता है । इसलिए नहरों से सिंचाई की व्यवस्था की जाय तो यह इलाका हमारे राजस्थान में हरियाली इलाका बन सकता है । लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कई बार इसके लिये सरकार का और मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन इस नदी के नालों को रोक कर न तो छोटे-छोटे डेम बनाये गये और न तालाब ही बनाये गये । इससे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, क्या होता है कि पानी नीचे चला जा रहा है और आने वाले चार-पांच वर्षों में संभव है कि कुओं में पानी बिल्कुल ही सूख जाय । जो सारा इलाका इसी पर आधारित है वह बेघर बन जायगा और लोगों को उस इलाके को छोड़ना पड़ेगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, खण्डेला में भी एक योजना बनी थी । उसको खण्डेला इरिगेशन स्कीम कहा गया । इरिगेशन मंत्रीजी मौजूद हैं, जब आप पधारे थे तो कांग्रेस के लोगों ने भी आपसे आग्रह किया था कि खण्डेला की एक विशेष समस्या है । इस

(श्री गोपालसिंह)

स्कीम को कम्पलीट······

श्री श्रीराम गोटेवाला : उसकी घोषणा भी कर दी थी।

श्री गोपालसिंह : हां, आपने उसकी घोषणा भी की थी कि इस स्कीम को इस साल में पूरा करा देंगे। मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं सन् 1966-67 में खण्डेला में भंयकर बाढ़ आई थी और बहुत सारे आदमी डूब कर मर गये। वो तो दिन का टाइम था, रात का टाइम होता तो सारा शहर डूब जाता। मैं आपके जरिये मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पानी और आ सकता है और शहर डूब सकता है····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहता हुआ आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी से इतना निवेदन करना चाहता हूं आप व्यक्तिगत ध्यान देकर मास्टर प्लान बनायें और पानी को जगह जगह रोक कर उजड़ने वाले इलाके को रोकें और खास कर खण्डेला को जिससे सारा शहर डूब सकता है, अगर योजना नहीं बनी, तो कम से कम इसको ध्यान में रखकर कम्पलीट कराने की कृपा करेंगे।

श्री चतुरभुज : आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री भीमराज !

श्री भीमराज (नोहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब भी गंगानगर का जिक्र आता है लोगों के दिमाग में ऐसी तस्वीर उभरती है जैसे गंगानगर में नहरों का जाल बिछा हुआ है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है जैसे नोहर-भादरा का इलाका। नोहर का ऐसा इलाका है कि जिसमें 5-6 लाख एकड़ समतल भूमि बंजड़ है और लोगों को पीने के लिये पानी भी 10-12 मील दूर से लाना पड़ता है। यह कोई खास बात नहीं है। हमारे राजस्थान का आधा भाग ही ऐसा है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जहां मानव हाथों द्वारा निर्मित सबसे बड़ी नहर राजस्थान केनाल जो हमारे यहां से 20 मील दूर से गुजरती है उससे भी नोहर को कोई लाभ नहीं मिला है। इससे वढ़कर और क्या हमारा दुर्भाग्य होगा? पिछले दिनों राज्य सरकार से बार बार कहा है कि इसका पानी हमें दीजिये और सन् 68 में जब सुखाड़ियाजी मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि नोहर को पानी दिया जायगा और नोहर की पब्लिक मीटिंग में भी कहा था कि इस नहर का निर्माण शीघ्र किया जायगा। बरकत साहब जब मुख्य मंत्री बने और रामचन्द्रजी उस वक्त सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था और हम उनके आभारी हैं जिन्होंने इस दिशा में प्रयत्न किया और हरियाणा सरकार के साथ एक समझौता किया। जो नोहर फीडर ओटू से निकलने वाली थी उससे करीब 266 क्युसैक पानी ओटू फीडर से मिलना था जो पानी वह अब दक्षिण छापर में चलता है और करीब 4-5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी। राजस्थान और हरियाणा सरकार के दोनों सिंचाई मंत्रियों के समझौते पर हस्ताक्षर हो गये थे और घोषणा भी करदी थी लेकिन इसके बाद इस स्कीम का कोई पता नहीं और अब कहते हैं कोई समझौता नहीं हुआ तो मेरी सिंचाई मंत्रीजी से प्रार्थना है आप इस पर ध्यान दीजिये और जो हरियाणा सरकार के साथ समझौता हुआ था उसको पूरा करने की कोशिश कीजिये।

(श्री भीमराज)

(मा० सदस्य के बहुत धीरे बोलने से अश्रव्य)

R.e.l. में मसीला वाली हैड से लिफ्ट द्वारा भी नोहर क्षेत्र को पानी मिल सकता है और रावतसर डिस्ट्रिब्यूटरी से 10-12 फीट की लिफ्ट ही दी जाय और जबकि लूनकरनसर को 150 फीट का लिफ्ट देकर या फिर नागौर में पानी ले जाने का जिक्र किया जा रहा है लिफ्ट द्वारा ....

एक माननीय सदस्य : आपको नागौर से क्या नाराजगी है ?

श्री भीमराज : नाराजगी नहीं है, आप सुनिये तो सही। इसका मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या यह सामाजिक अन्याय की पराकाष्ठा नहीं है ? क्या हमारे जिले की घोर उपेक्षा नहीं है ? इसका एक उदाहरण और बताऊं, बरकतुल्ला साहब ने 20 हजार लोगों के सामने मोतीराम कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको लागू करने का जिक्र किया था लेकिन अब राजस्थान सरकार उसके लिये भी मुकर रही है।

शायद कारण यह है कि आप कोई भी कानून बनाते हैं गंगानगर वाले उसका पालन करते हैं। आपने पिछले साल लेवी लगाई, हमने दी, आपने अभी चावलों की लेवी लगाई हमने दी, शायद इसका यही कारण हो सकता है और बात करते हैं, भाखरा वहां चली गई, आर०सी० वहां चली गई, चली क्या गई पानी का लेवल है उधर जायगी ही। अगर यह होता कि वहां जमीन से 15 फीट या 20 फीट ऊपर होकर चली जाती तो आप गंगानगर में नहरें नहीं निकालते।

श्री किशन मोटवानी : कहां जाती, डूंगरपुर ?

श्री भीमराज : मेरा निवेदन है मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट को लागू कीजिये। बड़ी Flimsy हास्यास्पद बात कहते हैं कि पैसा नहीं है। हिन्दुस्तान पर तीन आक्रमण हुये। मैं देवपुरा साहब को बताऊं हमने डिफेन्स फन्ड में इतना पैसा दे दिया है कि दो मोती राम कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जा सकता है। सरकार के पास बोनस के 16 लाख हैं। अभी मुख्य मंत्रीजी गये थे अकाल के लिये पांच लाख दिये है उसमें भी मोती राम कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं करना चाहते हैं और जो हमारे जिले के साथ उपेक्षा की जा रही है-सड़कों में, बिजली में, पानी में, जिस तरह से हमारे जिले को निग्लेक्ट किया गया है, अच्छा नहीं है, इससे लोगों के दिमाग में कई भ्रान्तियां हैं और इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। राजस्थान की एकता खतरे में पड़ सकती है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं गंगानगर की जो उपेक्षा की है उससे मुझे एक शेर अक्सर याद आता है :—

गुनाहगारों में शामिल हैं,
गुनाहों से नहीं वाकिफ।
सजा तो जानते हैं हम,
खता क्या है खुदा जाने॥

श्री श्रीराम गोटेवाला : वाह ! क्या शायरी फरमाई है।

श्री भीम राज (आवाज बहुत धीरे होने से अश्रव्य) . . .बीकानेर जिले में जो जमीनों का आवंटन किया गया है ठीक है गंगानगर जिले के साथ में बीकानेर जिला भी

(श्री भीमराज)

लगता है। लेकिन चूरू हमारा पड़ौसी जिला है अगर वहां के भूमहीन लोगों को भी जमीन दे दी जाय तो ठीक होगा। हम इसका स्वागत करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले के लिये बनास नदी की योजना है। इस पर करोड़ों रुपया राज्य सरकार का खर्च हो गया है और आज दिन तक 20 साल से उस क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। सवाई माधोपुर जिले के हजारों किसान इस योजना की आशा करते हैं। इसी साल 19 दिसम्बर को मंत्री महोदय हमारे यहां आये थे। और उस समय कह रहे थे हजारों किसानों के बीच में कि पेयजल की समस्या हल होगी। यह वचन हमको दिया था। जो बजट भाषण में सुना है और वित्त मंत्री महोदय ने केवल अजमेर को पानी देने के लिए कहा और हमारे लिए नहीं तो बीसलपुर योजना से हमारे पचास साठ गांवों का विकास रुका हुआ है और आज हम पानी से वंचित रहते हैं तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि वहां नदी में बहुत पानी आता है और बनास के बाद उसी नदी से इतना ज्यादा पानी आता है ऐसी योजना आप लागू कीजिए हम यही चाहते हैं। ऐसा नहीं किया जाये तो आज ना की घोषणा कर दें ताकि हमको पता लग जाये। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह योजना मामूली नहीं है और यह टोंक जिले और सवाई माधोपुर जिले के किसानों के भविष्य का सवाल है। आज 25-30 साल से इस जिले में पानी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि कोई बनास योजना चालू हो तो हमारी योजना भी पूरी हो। आज आप हमको विश्वास दिलाइये कि हमारे क्षेत्र के लिए इस योजना को जरूर हाथ में लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र रोत।

श्री रामचन्द्र रोत (चौरासी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिचाई की डिमाण्ड के बारे में आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे डूंगरपुर जिला बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है जिसमें आदिवासी बसते हैं। अभी इस हाउस के अन्दर कुछ इस प्रकार की बातें चली पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के बारे में। मैं इस विषय में तो नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यह आपको सर्वविदित है कि डूंगरपुर जिला बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है जिसमें 3½ लाख आदिवासी बसते हैं और जब तक उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए सिंचाई की सुविधायें नहीं दी जायेंगी तो उनकी उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ेगी। आपको अच्छी तरह से विदित है कि इस पिछड़े हुए इलाके में इस समय अकाल है। वहां के लोगों के पास न अन्न है, न सिंचाई के साधन हैं और न सुविधायें हैं कि वह पानी के द्वारा कुछ उत्पादन बढ़ा सकें। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डूंगरपुर जिले के अन्दर कुछ ऐसी सिंचाई की योजनायें हैं जिनको आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे कमला का बांध, मारेठिया, अमरपुरा, ओहियो का नाका और सीसोद इनके ऊपर कुछ काम हो चुका है कुछ काम सर्वे शुदा पड़ा है। अगर सिंचाई विभाग कुछ और काम करे तो आदिवासियों के लिए अच्छे साधन उपलब्ध

(श्री रामचन्द्र रोत)

हो सकते हैं। वहां के आदिवासियों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है। दूसरे जिलों के मुकाबले में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर की 7 तहसीलें बहुत ही पिछड़ी हुई हैं। वहां के आदिवासी दूसरे जिलों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। उनके पास ऐसा समय है कि पहनने के लिए वस्त्र नहीं हैं, न खाने के लिए अन्न है और न दूसरे साधन हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके विकास के लिए उनके उत्थान के लिए जो मैंने तालाब आपके सामने रखे अगर बनवा दिये जायें तो उसके नीचे जो जमीन पड़ती है वह सिंचित हो सकेगी और उत्पादन बढ़ सकेगा।

इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भूतपूर्व नरेशों द्वारा जो तालाब बनाये गये हैं उनके नीचे आदिवासियों की बहुत जमीन पड़ती है अगर उन तालाबों से नहर बनवाई जाये तो आदिवासियों की जमीन नहरों द्वारा सिंचित हो सकती है। दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था कि वहां पर छोटे छोटे लोग हैं और आदिवासी पहाड़ी इलाके में बसते हैं। अगर छोटे छोटे तालाबों को बनवा दिया जाये, जो एनीकट्स बनाये गये हैं उनको सुधारा जाये और पिछले समय में जो एनीकट्स बनाये गये वह अधूरे हैं वह पूरे करवा दिये जायें तो आदिवासियों के जमीन के छोटे छोटे टुकड़े सिंचित हो सकते हैं और अनाज का उत्पादन बढ़ सकता है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर क्षेत्र में माही नदी के करीब जैसे बांसवाड़ा के बड़े इलाके में 12 लिफ्ट योजनायें चल रही हैं तो काटड़ा क्षेत्र से लेकर गलिया कोट तक लिफ्ट योजना लागू की जाये तो काश्तकारों को अधिक से अधिक फायदा हो सकता है। इसलिए मान्यवर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते . . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हुए डूंगरपुर जिले की ओर आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। जो एनीकट्स बांधे गये हैं उनको ठीक तरह से नहीं सुधारा जायेगा तो वहां के आदिवासियों की हालत नहीं सुधर सकेगी। इसलिए मैं राज्य सरकार ने जो इस साल का बजट रखा है और वह पिछड़ा हुआ इलाका होने के नाते विशेष बजट अलॉट करके जो एनीकट्स हैं उनको पूरा करवायें, जो तालाब हैं उनको पूरा करवायें तो आदिवासी जनता की माली हालत ठीक हो सकती है और वह आगे बढ़ सकते हैं। मैं यही आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान डूंगरपुर जिले के पहाड़ी क्षेत्र की ओर जहां आजकल अकाल पड़ा हुआ है और इस समय आदिवासियों के लिए अन्न नहीं है इसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है यह कहते हुए कि माननीय मंत्री महोदय ने लघु सिंचाई योजनाएं बनाई और जो इलाका अकाल में है। उसमें लघु सिंचाई प्राथमिकता के रूप में लेने का निर्णय लिया जिसका विवरण इस पुस्तिका में है। लेकिन मैंने यह देखा कि नागौर जिले का उसमें नाम नहीं है या तो वह भूल गए होंगे या ऐसा लग रहा है कि उन्हें यह मालूम नहीं कि वहां सिंचाई कुछ है या नहीं। मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

चाहता हूं कि नागौर जिले में इस बार 90 परसेन्ट देहात फेमिन की वजह से पीड़ित हैं। उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। इन अकाल राहत कार्यों में नागौर को नहीं भूला जाये विशेष कर जो छोटे तालाब या एनीकट्स जो अधूरे पड़े हुए हैं। उनको इसी प्राथमिकता में जोड़ कर पूरे कराये जायें उनके कुछ नाम मैं आपको बताना उचित समझूंगा। जैसे रोहिसड़ा, बनवाड़ा, राजलोता, हालूडा, यह ऐसे कार्य हैं जिनमें कि 80-90 प्रतिशत पैसा लग चुका है और बहुत थोड़े पैसों में पूरे हो सकते हैं। जब इतना पैसा आप प्रत्येक काम में लगा देते हैं तो कोई औचित्य नहीं है कि थोड़े से पैसों के लिए यह काम अधूरे रहें जब यह अकाल पीड़ित क्षेत्र में है और अकाल राहत कार्यों के अन्दर यह लिये जा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपका कुछ उन योजनाओं के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां इस बार फेमिन है और आपको उनके प्रयोजन भेज दिये गये हैं और आपसे निवेदन है कि इनको देखकर जहां तक संभव हो उनको इसी साल लेकर लोगों को मजदूरी देने के लिए, उन कार्यों को शुरू करायेंगे। मैं आपका ध्यान एक ऐसे तालाब की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो चार-पांच साल से अधूरा पड़ा है लेकिन सिर्फ नहरें नहीं बनीं या पाइप-लाइन नहीं बनीं। इसलिए उसका पानी बेकार जाता है और बरसात का पानी सिर्फ मवेशियों के पीने के काम आता है और किसी काम नहीं आता। प्रतापसागर जो डेगाना पंचायत समिति और डेगाना क्षेत्र में आता है तीन चार सालों में इसके निर्माण पर डेढ़ लाख रुपये की धनराशि लगी थी और इसमें दो तीन सौ बीघा सिंचाई की क्षमता है यह इसलिए पड़ा है कि आप केनाल नहीं बना सके या इसको आप भूल गए अथवा अधिकारीगण इस ओर आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे जो काम पूरे हो चुके हैं और थोड़े से काम की वजह से बेकार पड़े हुए हैं उनकी तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं चाहूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें और यह कार्य पूरा करायें तो इस साल नहीं तो कम से कम अगले साल सिंचाई की जा सके।

भूमि जल सर्वेक्षण के लिए मैं आपको और आपके विभाग को बधाई देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अच्छा काम किया गया है और नागौर के अन्दर काफी ट्यूबवैल बनाये गये हैं और आगे भी स्थिति में सुधार होगा वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलने पर पचास ट्यूबवैल्स का और निर्माण होगा। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर जिले के लिए जो कुछ लक्ष्य रखा गया है वह बहुत ही कम है। बहुत ही कम पैसा रखा है लेकिन जो कुछ भी रखा है उसके लिए बहुत 2 धन्यवाद देता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूरे नागौर जिले से तो मैं ही अकेला बोलने वाला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई जरूरी नहीं है।

श्री रामरघुनाथ : निवेदन करना है उपाध्यक्ष महोदय कि पुन्दलोता में ट्यूबवैल बना है यहां पर कर्मा ऑयल इंजिन लगा। आपने तो कर्मा ऑयल इंजिन लगा दिया लेकिन किसानों का करम फोड़ दिया और उल्टा उससे नुकसान हुआ। वह इंजिन चला नहीं, सिंचाई हुई नहीं, हुई तो कोई पूरे टाईम पर न हुई और बन्द हो

(श्री रामरघुनाथ)

गई। फसलें खराब हो गईं, नतीजा यह निकला कि यह बन्द हो गया, बिजली वहां होकर गई। वहां से सिर्फ पचास फीट की दूरी से बिजली निकल गई और उन कुओं को जहां पर यह स्थित था उन कुओं को बिजली नहीं दी गई। जिन कुओं की सिंचाई क्षमता तीस हजार गेलन प्रति घंटा है उस पानी का उपयोग नहीं हो सका यहां पर खेती नहीं की जा सकती है इसलिए इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीटन में ट्यूबवैल बना गांव इलेक्ट्रिफाइड लेकिन यहां पर बिजली नहीं। अगर बिजली मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें। यह बीस-तीस हजार गैलन प्रति घंटा वाला ट्यूबवैल है जहां ढाई तीन सौ बीघा में सिंचाई हो सकती है...

श्री उपाध्यक्ष : यह आप बिजली की मांगों पर बोलें।

श्री रामरघुनाथ : यह पानी के वास्ते अर्ज कर रहा हूं, इरिगेशन से संबंधित है, बिजली का परपज नहीं है, अगर बिजली हो तो वहां पर सिंचाई हो सकती है। जब मेड़ता और डेगाना में ट्यूब वैल नहीं है जब कि गांवों में बिजली है। आपने यह कहा था कि जिन गांवों में बिजली होगी वहीं पर ट्यूबवैल खोदेंगे। मै अन्त में आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि लाम्बा गांव में छः ट्यूबवैल बनाए और बिजली नहीं है। जब वहां पर बिजली नहीं है तो फिर ट्यूबवैल क्यों बनायें। बिजली वहां से दो मील दूरी पर है और अगर आपने वहां पर ट्यूबवैल बना दिए तो तीन साल से क्यों बिजली नहीं देना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि यहां बिजली का सवाल नहीं है, इरिगेशन के लिए और इरिगेशन के पानी के लिए जब आपके ये ट्यूबवैल सक्सेसफुल हो गए और तीस-तीस हजार गैलन प्रति घंटा पानी उनसे मिलता है और हजारों बीघा की सिंचाई का मामला है जिसमें सिंचाई होती है और यह फेमिन में जब कि लोग दुःखी हो रहे हैं उनको कम से कम पावर कनेक्शन दे दें तो उनकी आमदनी बढ़ सकती है और उनको राहत मिल सकती है।

इसके साथ ही साथ मैं आपको निवेदन करूं कि ट्यूबवैल जो बाकी के बनने वाले हैं उनको जल्दी से जल्दी बना दिये जावें तो इस इलाके को फायदा पहुंच सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घंटी)

एक फरदर छोटी सी बात रह गई है। एक परेशानी की बात यह है कि सेसड़ा, कालू-कंकिन, छोटी खाटू इन गांवों में हर गांवों में पचास कुए हैं और उन कुओं का पानी निरन्तर नीचे चला जा रहा है। और बीस पच्चीस फीट उनको और खोद लिया गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके लिए आपको प्रार्थना-पत्र भी दिए गए हैं और अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यहां का सर्वे करके बता दिया जावे कि उनकी हालत कैसी है। उनको सब कुछ बन्द कर देना पड़ा है। उनका विश्वास है कि अब इनसे सिंचाई नहीं हो सकती इसलिए उनको सर्वे करके बता दिया जावे कि किस वजह से पानी समाप्त हो गया है।

(श्री राम रघुनाथ)

क्या छोटे बांध जो बनाए गए वे बहुत ऊंचाई पर बंध गए कि जिससे पानी रुक गया और या बरसात की वजह से यह हुआ है, इसका सर्वेक्षण करवा कर अगर बता दें तो उनको विश्वास हो जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक-अनवरत घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराज जाइये।

श्री रामरघुनाथ : और लिफ्ट योजना के बारे में जैसा भीमराजजी ने कहा था। नागौर से आप मंत्री महोदय क्यों नाराज हैं या आप नागौर को भूल गए हैं, अगर नागौर की लिफ्ट योजना के बारे में ताकीद करके आश्वासन देंगे तो बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, मांग संख्या 45 के संबंध में अपने उपनिवेशन विभाग से संबन्धित कुछ मुद्दों पर माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों के जरिये यहां पर चर्चा की है। कुछ आवंटन के संबंध में अनियमितताओं का उल्लेख भी किया गया है और कुछ अन्य मुद्दे भी यहां पर उठाए गए हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक कालोनाइजेशन विभाग का प्रश्न है पिछले दो वर्षों के अन्दर भूमि का आवंटन काफी तेज गति के साथ में किया गया है। इस बात से गंगानगर और बीकानेर से आने वाले जो माननीय सदस्य हैं वे भलीभांति परिचित हैं। राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में 8 लाख और 83 हजार एकड़ भूमि इरिगेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत है उसमें से 7 लाख 62 हजार एकड़ भूमि पर आवंटन किया जा चुका है स्थाई तौर पर उस एरिया को छोड़ कर जो एरिया रिजर्व है कुछ कैटेगरीज के लिए। लेकिन उस इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता कि इस विभाग की ओर से शुरू में मैं समझता हूं कि 1967 के पहले और 1967 और 71 के बीच में आवंटन के संबंध में जो भी नियम थे उन नियमों की चर्चा नहीं करते हुए मैं यहां पर इतना ही कहना आवश्यक समझता हूं कि आवंटन के नियम बने हुए हैं और आवंटन के नियमों में भूमिहीन की परिभाषा दी हुई है और भूमिहीन की परिभाषा जो पहले कुछ नरम थी उसको कड़ा इसलिए बनाया गया है कि वास्तव में जो सद्भावी काश्तकार हैं, जो सद्भावी कृषि श्रमिक हैं उनको भूमि का आवंटन हो और उस सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हैं

Rajasthan Allotment of Land to Agriculturists Rules.

वहां पर पहले जो परिभाषा थी उस परिभाषा में संशोधन इसलिए किया गया कि वास्तव में जो बोनाफाइडी एग्रीकल्चरिस्ट है, जिसकी आमदनी का मुख्य जरिया खेती है या जिसकी आमदनी का एक ही स्रोत कृषि है, उस व्यक्ति को भूमि अलॉट की जानी चाहिए। उसमें यह शर्त है कि वह 1-4-55 या इससे पहले राजस्थान का निवासी होना चाहिए। पेशे से सद्भावी कृषक या खेतिहर मजदूर जिसकी आय का प्राथमिक स्रोत कृषि हो, 15 बीघा नहरी भूमि से अधिक का धारक न हो। इस परिभाषा के अन्तर्गत अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वह बीकानेर शहर का रहने वाला हो और चाहे वह गंगानगर के किसी भी दूसरे क्षेत्र का रहने वाला हो वह अपने आपको अगर एलीजिबल बनाता है, अगर वह पात्र है भूमि पाने का तो उसको भूमि आवंटित होगी। आवंटन में अनियमितताओं के सम्बन्ध में या नाजायज आवंटन के सम्बन्ध

(223)

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था की ओर उनका संकेत था डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य का तो राज्य सरकार इस पर गौर करेगी।

यहां पर एक बात कही गई, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं, उन्होंने यहां पर यह बात कही कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के क्षेत्र से कमाण्ड घोषित होकर कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट को चक तैयार करके भेज देते हैं उस पर कॉलोनाइजेन डिपार्टमेंट आवंटन करता है, लेकिन ऐसे आवंटी ज्यादातर हरिजन हैं उनके वहां पर पानी की सिंचाई नहीं होती है, एरिया सिंचित नहीं होता है इसलिए इस प्रकार के हरिजन इधर-उधर मारे मारे फिरते रहते हैं, उस संबंध में मेरा यह उत्तर है कि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट की सहायता से राजस्थान नहर के कमाण्ड एरिया में जो स्कीम लागू की गई है लैंण्ड लेवलिंग की और वाटर कोर्सेज बनाने की, उस स्कीम के अन्तर्गत इस साल 35 हजार हैक्टर्स के आसपास भूमि को लिया जाना है, और यह स्कीम इसलिए लागू की गई है कि जो आर्थिक तौर से सक्षम नहीं हैं उन लोगों को इस प्रकार से सहायता दी जा सके। जहां पर वाटर कोर्सेज वह खुद नहीं बनाते हैं या उनके मुरब्बे के बीच में ज्यादा सैण्ड ड्यून्स आये हुए हैं, या ऊबड़-खाबड़ जमीन है, उसका लेवलिंग किया जा सके। उनको उससे फायदा उठाना चाहिए। लेकिन जैसा कि सदन के माननीय सदस्य जानते हैं और खास तौर से नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ज्यादा जानते होंगे कि पिछले साल इसी सत्र में जब कि इस डिमाण्ड पर यहां सदन में चर्चा हो रही थी तो उन्होंने यह बात कही थी कि हरिजनों को जो कुछ भूमि का आवंटन किया जाता है वह नहर के मोगों से बहुत दूर टेल पर किया जाता है। यह भी एक कारण है। उसके बाद सदन में मैंने यह आश्वासन दिया था कि इस संबंध में राज्य सरकार गौर करके निर्णय लेगी। उसी आश्वासन पर 11-6-74 को राज्य सरकार ने इस प्रकार के आदेश दिये हैं कि भविष्य में मोगों के पास 30 पर्सेन्ट भूमि जो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए आरक्षित रखी जायगी। जब तक कि वहां पर 355 के या और प्रकार के टेनेन्ट नहीं बैठा हो उसको डिसपजेस नहीं किया जायगा, लेकिन जो आगे भविष्य में आवंटन होगा उस भविष्य में किये गये आउटलेट पर 30 पर्सेन्ट रिजर्वेशन रखा जायगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया था कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग अपनी जमीनें का लेवलिंग नहीं करा सकते हैं। अकसर ऐसे भागों में नहर के पास जो कुछ जमीन आई हुई है वह ज्यादा समतल है, और ज्यादा समतल होने की वजह से नीचे के चकों और मुरब्बों में पानी लगाने की सुविधा रहती है इस सुविधा का उपयोग वह कर सकें दूसरे लोगों के मुकाबले में जो कि आर्थिक तौर से ज्यादा समर्थ हैं। तो इस प्रकार से उनका रिजर्वेशन किया गया है।

यहां पर एक बात और कही गई कि काश्त पर जिनका कब्जा दो वर्ष से हो, 355 के जो टेनेन्ट हों उन लोगों के बीच व्यवधान या ब्रेक किया गया था तो उस ब्रेक को समाप्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार का एक आश्वासन दिया गया था उस वक्त के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 25-3-70 को इसी सदन में। उस आश्वासन की पूर्ति नहीं की गई है। यह मामला राज्य सरकार के

Page No 223

(224)

(श्री परसराम मदेरणा)
विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिया जायगा।

यहां पर करनपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चक नं० 2 और 3 पर 29-(2) के नाजायज आवंटन के संबंध में चक नं० 78 जे० बी० तहसील अनूपगढ़ में भूमिहीनों के नाम पर नाजायज आवंटन के संबंध में और इस प्रकार चक नं० 6 जे० एन० टी० तहसील रायसिंहनगर में भूमि के नाजायज आवंटन के संबंध में कटौती प्रस्तावों के जरिये मेरा ध्यान आकर्षित किया था। मुझे इनके एक एक मामले के फैक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है और न मेरे अधिकारियों को है इसलिए इस सदन में जांच करवाने के बाद कार्यवाही की जायगी। इसी प्रकार से सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उन 32 लोगों की बात की थी जिनकी टी० सी० लीज का रिन्युअल नहीं किया गया है। उन्होंने यह बात कही थी कि जैतसर फार्म या पौंग डैम के आउस्टीज के लिए या अन्य प्रकार की आबादी के लिए, नहर के लिए भूमि की आवश्यकता थी, और ऐसे टी० सी० होल्डर्स वहां से हटाये ही गये थे और ऐसे टी० सी० होल्डर्स को वहां से हटाने के बाद में रिन्युअल नहीं किया गया। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से आपकी मारफत यह जानकारी देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार ने यह निर्णय भी लिया था कि 24-5-73 के बाद में यह प्रावधान कर दिया गया है कि पोस्ट 55 के जो टेम्पोरेरी लीज होल्डर्स के जो रूल्स बने हुए हैं आवंटन के इसमें कि इसके बाद में किसी भी व्यक्ति को अगर एलाटमेंट होगा तो परमानेन्ट होगा, उसका रिन्युअल नहीं किया जायगा। इसके पहले के जितने भी लोग हैं, जहां कहीं पर भी बैठे हुए हैं, उनको स्थाई आवंटन वहां पर कर दिया जायगा। लेकिन रिजर्व एरिया में जो लोग थे क्योंकि वहां पर रिजर्व एरिया घोषित कर दिया गया और इनका आवंटन 73 के बाद दूसरी जगह किया जायगा इसके सम्बन्ध में दूसरी एक खास रियायत देते हुए इस प्रकार के आदेश जारी किये हैं और एमेंडमेंट भी किया है और डाइरेक्टिव भी दिया है गवर्नमेंट ने और सब डाइरेक्शन्स रूल्स (4) के अन्तर्गत कि इस प्रकार के लोगों को वहां पर लॉटरी के जरिये भूमि का आवंटन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जहां कहीं भी वह बैठे हुए हैं इनको स्थायी आवंटन कर देना चाहिए। अब इन लोगों का 24-5-73 के पहले के 32 व्यक्तियों का सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया है मैं नहीं समझ पाया कि वे एलिजिबल क्यों नहीं बन सके, अपने आपको उन्होंने क्वालिफाई क्यों नहीं किया? वह नहीं कर सके तो इस कारण से कि भूमिहीनों की परिभाषा में एलिजिबल नहीं करा सके....

श्री गुरदयालसिंह संधु : एक मिनिट

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसे लोगों को आवंटन नहीं हो सकता है। तो भी 32 कौन से व्यक्ति हैं इस संबंध में अभी मुझे जानकारी नहीं है। इनके फैक्ट्स मालूम करने के बाद ही कोई कार्यवाही की जायगी। यहां पर मानपाणी, बांगड़ और हिम्मतसिंहका के बारे में कहा गया है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : एक मिनट, मैं जानकारी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आप बैठिये ।

श्री परसराम मदेरणा : इनके बारे में जो कहा गया है। ये सुप्रिम कोर्ट में गये हैं। वहां से स्टे आर्डर लाये हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सीलिंग कानून में यह रिज्यूम नहीं कर सकते थे। इसीलिए राज्य सरकार ने यह आर्डर किया था कि सुप्रिम कोर्ट के आर्डर के बाद भी हम रिज्यूम कर सकते हैं। अभी नोटिस सर्व नहीं हुआ है। इस बात की हमने जानकारी की है। नोटिस सर्व नहीं हुआ है। वह परमानेण्ट एड्रेस गलत दे रहे हैं। चाहे वह कहीं भी हों, नोटिस सर्व करने का जो तरीका है, नोटिस सर्व करना चाहिए। इसलिए सदन के माननीय सदस्यों को तसल्ली रखनी चाहिए कि मालपाणी, बांगड़ या हिम्मतसिंह का हैं, जो भी इस प्रकार के हैं; उन के पास जो भूमि है, वह उनके पास रहने वाली नहीं है। कानून के अन्तर्गत उनके पास रहने वाली नहीं है। डुंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि छानबीन मंहगी पड़ती है। वहां कुछ लोगों ने मतदाताओं की सूची में नाम इसलिए नहीं लिखाये हैं कि पैसे नहीं देना पड़े। तो उसके लिए मैं कहूंगा आपको डाकूमेण्टरी प्रूफ, और डोमीसाइल्ड बनाने में हम किसी प्रकार का रिलेक्सेशन नहीं करना चाहते हैं। वह लोग जो राजस्थानी नहीं हैं और इस प्रकार से भूमि प्राप्त करना चाहते हैं। जैसा कि करनपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अरबों, करोड़ों रुपये लेने की बात कही थी कि प्रथम चरण पूरा हो जायेगा। उसके बारे में मेरे मित्र सिंचाई मंत्रीजी आप को बतायेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भूमि को सिंचित बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। उस भूमि की नीलामी बन्द की थी। उस भूमि की नीलामी इसलिए बन्द की थी कि कम से कम जो बोनाफाइड राजस्थान का निवासी है। कम से कम 55 के पूल का है। उसको रिलेक्सेशन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा राज्य सरकार मानती है। यहां पर एक बात यह भी कही गई है कि जो खातेदार हैं, आर०सी०पी० एरिया में, क्योंकि राजस्थान कैनाल एरिया में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी हक प्राप्त नहीं है, उन्होंने पिछले साल भी एक बात कही थी। पिछले साल राज्य सरकार ने एक ऐसा आदेश किया था, उसमें राज्य सरकार के जिन लोगों को जानकारी थी, उन्होंने उससे फायदा उठा लिया। मैं जानकारी के लिए यह बता दूं कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत उनकी वह भूमि की खातेदारी कैंसिल कर दी गई है। वह खातेदारी नहीं हैं। जो 15 'ए' राजस्थान टिनेंसी एक्ट है, तब तक वह खातेदार नहीं हैं। चाहे बीकानेर में खातेदार समझा जाता हो। 15 'ए' राजस्थान टिनेंसी एक्ट के ऊपर अमेण्डमेंट का अम्ब्रेला है। उनकी स्थिति 355 की डेफीनेट थी। उनका हाल उससे ज्यादा बदतर हो गया है। उसमें कानून विभाग से सलाह लेने के बाद रास्ता निकाला जायेगा।

यहां पर एक माननीय सदस्य ने जोहड़ पाटन के बारे में बात कही थी। हरिजनों को जो जमीन एलाटमेन्ट हो गई है, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है क्यों कि जोहड़ पाटन की जमीन बहुत कीमती है। इसलिए उस जमीन को आक्सन के जरिये से करना चाहिए। लेकिन भूमिहीन लोगों को क्या मालम है कि वह अपने को इल्लिजिबिल बना सकते हैं क्या? मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। इसके फैक्ट आब्टेन करने के बाद ही में कुछ कहा जा सकता है। यहां

226

(श्री परसराम मदेरणा)

पर करनपुर, सरदारपुरा बीचा के 42 आवण्टियों की भूमि का आवंटन निरस्त किया गया है। इस संबंध में कहा गया है। उन्होंने यह भी बात कही है कि कोलोनाइजेशन विभाग एक विशेष वर्ग के लोगों के साथ में ज्यादती और रंजिश रखता है। यह भूमि जो निरस्त की गई है, वह इसी रंजिश के फलस्वरूप निरस्त की गई है। इस आवंटन को कैंसिल नहीं किया जाना था। इस मुद्दे के बारे में जो प्रश्न के जरिये से सूचना प्राप्त की है। पिछले साल भी इस मुद्दे को उठाया था। यहां पर एक झोंपड़ी जला दी है, कोलोनाइजेशन विभाग ने। उन्होंने फोटो भी बताया है। सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने, जिन्होंने 42 आदमियों के भूमि के निरस्त करने की बात कही, ऐसे आवंटियों को कब्जा नहीं मिला है। उसका भी फोटो उन्होंने दिखाया। फोटो-फोटो ही दिख रहा है। जो भी फोटो हमारे सामने है, यह एक सरदार जी हैं। यहां पर एक बात कही गई है, भूमि आवंटन के संबंध में जो भी प्रमाण-पत्र लिये जाते हैं, उनको जो वेरीफिकेशन किया जाता है, उसमें वह पंजाबी बोल रहा है या नहीं। या दूसरे प्रकार की बातें पूछी जाती हैं। ऐसा माननीय सदस्य ने पिछले साल भी कहा था। मैं यह निवेदन करूं कि चाहे वह किसी भी भाषा को बोलता हो। कोई भी पोशाक पहिनता हो। किसी भी कौम का हो, इस आधार पर आवंटन नहीं होता है। आवटन हमेशा जैसे कि नियम दिये हैं, जिनका कि मैंने उल्लेख किया है, वह नियम जो कि सरकार ने बनाये हैं इसके बारे में सरकार ने जो नीति बनाई है, उसके अनुसार होता है। ऐसा व्यक्ति जिसका प्राइमरी सोर्स आफ इनकम एग्रीकल्चर है, ऐसा व्यक्ति एग्रीकल्चर लेबरर है, जो खेती पर निर्भर करता हो। यह भी नियम नहीं है कि 1955 से पूर्व का राजस्थान का निवासी हो। वहां के किसी हनुमान ने शिकायत की थी इन 42 आदमियों के भूमि के आवंटन के बारे में। राजस्थान सरकार ने डिप्टी-कमिश्नर कोलोनाइजेशन को रिपोर्ट की। इस मेटर को उन्होंने कुछ कन्सील किया। कवरअप् किया है। उस के बाद में यह दुबारा मेटर आया है। तब तक दूसरे डिप्टी कमिश्नर आगये थे। उन्होंने उन लोगों के बारे में जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद कि यह भूमि आवंटन के लिए इलिजिबिल नहीं बन सकते। तो इस संबंध में जो कुछ रिव्यू करना था, करके उनको निरस्त कर दिया गया और जिस डिप्टी कमिश्नर ने इस भूमि का आवंटन किया उसको चार्जशीट दी गयी है कि उन्होंने इर्रेग्यूलर एलॉटमेंट किया है। दूसरा डिप्टी कमिश्नर, जिसने पहले पहले एनक्वायरी की थी, उसको भी चार्जशीट दी गई कि उन्होंने इस रेकार्ड का जो मेन्यूप्लेशन किया है और इस तरह का जो कन्सीलमेंट किया गया है आवंटियों के द्वारा, उसके कवर अप करने का प्रयास किया है, इससे सरकार को 3 लाख की हानि हुई है। इस प्रकार से चार्जशीट दो आर०ए०एस० अधिकारियों को दी जा चुकी है, उस बीच में आज किसी प्रकार का निर्णय लेना ठीक नहीं है क्योंकि यह मेटर सब-जुडिस है इसलिए जो कुछ भी आदेश नीचे की रेवेन्यू कोर्ट्स ने दिए हैं, वह रेवेन्यू मेटर्स में जुडीशियल कोर्ट है, उसके किसी भी निर्णय को राज्य सरकार सेट असाइड नहीं कर सकती। इसलिए इस संबंध में कोई भी ज्युरिडिक्शन राज्य सरकार का नहीं है। जांच करने का इसलिए नहीं सोचते कि जांच पहले हो चुकी है और यह सही है कि यह भूमि भूमिहीनों को आवंटित कर दी गई है जैसे कि करणपुर से आने वाले

(श्री परसराम मदेरणा)

माननीय सदस्य ने कहा, जिन भूमिहीनों को अब भूमि आवंटित की गई है, उसमें भी कुछ आवंटी इलिजिबल नहीं है। मैं कालोनाइजेशन कमीश्नर को आदेश दे रहा हूं कि जो नए आवंटी हैं, वे इलिजिबल हैं या नहीं, इस संबंध में जांच करनी चाहिए और कोई भी आवंटी अगर इलिजिबल नहीं है तो एलॉटमेंट के जो रूल्स हैं, 1965 के रूल 60 के अन्दर कैंसिल किया जा सकता है यदि वह गलत है तो।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पिछले साल मैंने आश्वासन दिया था कि मंडियों के विकास के लिए एक आटोनौमस निगम की स्थापना की जाएगी लेकिन अभी भी यह मामला मंत्री मंडल में विचाराधीन है। वह शायद यहां पर नहीं हैं लेकिन उनकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि उनके कुछ मित्र यहां पर बैठे हुए हैं, अभी मंत्रीमंडल ने 513 को इस बात का निर्णय ले लिया है कि मंडियों के विकास के लिए एक निगम की स्थापना की जाएगी। मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता क्योंकि अब मांगों पर जो कटौती प्रस्ताव आए हैं उन पर सिंचाई मंत्री जवाब देंगे।

श्री विरदाराम : एक चारागाह है...

श्री उपाध्यक्ष : मैं कोई प्रश्न एलाऊ नहीं कर रहा हूं। I shall not allow any question. सिंचाई मंत्री।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्षजी, सिंचाई विभाग की मांगों पर बहस में भाग लेते हुए आज इस सदन में 39 माननीय सदस्यों ने लगभग 120 कटौती प्रस्तावों के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने अपने विचारों में राजस्थान में सिंचाई के साधनों को बढ़ाने की दृष्टि से कई उपयोगी सुझाव दिए हैं, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं। इतने कटौती प्रस्ताव और इतने माननीय सदस्यों का राजस्थान में सिंचाई की दृष्टि से विकास में रुचि लेना वास्तव में इस बात का द्योतक है कि माननीय सदस्य राजस्थान के विकास को सिंचाई के साधनों से आंकते हैं और वास्तव में राजस्थान में आर्थिक विकास की दृष्टि से सिंचाई के साधन ही एक मात्र ऐसे साधन हो सकते हैं, जिनसे कि यहां का आर्थिक विकास किया जा सकता है। यूं तो आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास खनिज विकास भी राजस्थान में काफी मायने रखता है लेकिन सिंचाई के साधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं और उसी दृष्टि से राज्य सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने भी अपनी जो योजनायें बनाई हैं उनमें इस समय सिंचाई को प्राथमिकता दी है। इनमें इरिगेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन और एग्रीकल्चर प्रमुख हैं तो यह तथ्य की बात है कि सिंचाई में माननीय सदस्यों द्वारा रुचि लेना स्वाभाविक है।

बहस के दौरान लगभग सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में होने वाले सिंचाई के साधनों के बारे में चर्चा की। कई माननीय सदस्यों ने चालू योजनाओं के बारे में चर्चा की कई माननीय सदस्यों ने नई योजनायें चाहे लघु सिंचाई योजनायें, चाहे मध्यम सिंचाई योजनायें हों, चाहे बड़ी सिंचाई योजनायें हों, उनके बारे में उल्लेख किया। माननीय सदस्यों को यह तो मालूम ही है कि इस समय राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसी के आधार पर योजना बनाई जा सकती है। यह सही

(श्री हीरालाल देवपुरा)

है कि सिंचाई को प्राथमिकता दी गई है और प्राथमिकता के आधार पर ही माननीय सदस्यों ने बजट प्रावधान देखे होंगे, उनमें सिंचाई के लिए जो कुछ भी 110·05 करोड़ की जो वार्षिक योजना बनी है उसमें जो प्रावधान किया गया है उसको देखते हुए राजस्थान में जो कुछ सिंचाई की दृष्टि से अधिक से अधिक किया जा सकता है, उस प्रकार की योजना बनाकर चलने का प्रयास किया है। यूं तो सिंचाई की दृष्टि से राजस्थान में उपलब्ध साधनों को अगर हम देखें तो आज सभी साधनों से सिंचाई में जो भूमि कृषि योग्य नहीं है तो कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्र आया है उसमें से 15 प्रतिशत सिंचाई में हम ले पाए हैं। उसमें नहरों के द्वारा जिसका सीधा संबंध सिंचाई विभाग से पड़ता है वह लगभग 8 प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र में हम ले पाए हैं। सारे देश में सिंचाई की दृष्टि से 20 परसेंट है जिस क्षेत्र में कृषि हो रही है उसका 20 परसेंट वह भाग सिंचित क्षेत्र है और राजस्थान में 15 परसेंट क्षेत्र है। जो भी जल क्षमता राजस्थान में आज उपलब्ध है, जो हम यूटीलाइज कर लें उसके अलावा जो जल क्षमता उपलब्ध है चाहे भूमि के अंतर्गत पानी हो चाहे बहता हुआ पानी हो, उसको अगर हम यूटीलाइज कर लें तो भी हम देश का जो 20 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है, उस माप को नहीं पहुंचा जा सकता और यह सही है कि राजस्थान में कृषि योग्य भूमि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक है तो फिर राजस्थान में भी उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके, उस दृष्टि से और पड़ौसी राज्यों में बहती नदियों का पानी राजस्थान में लिया जा सकता है, उस और राज्य सरकार का ध्यान बराबर रहा है और उसी दृष्टि से राजस्थान कैनाल, गंग कैनाल, भाखरा सिस्टम, राजस्थान में बनाए गए, उसके आधार पर सिंचाई क्षेत्र बढ़ गया। इतना ही नहीं राजस्थान में गंगा यमुना के पानी की बात की जा सकती है और नर्मदा के पानी की बात करते हैं। उसके पीछे भावना है कि चाहे वह पानी हमारी सीमा में आता हो या नहीं लेकिन देश में किसी नदी में पानी है और अपने राज्य को सिंचित करने से अधिक है तो पास वाले राज्य को उसका लाभ मिलना चाहिए और उसी दृष्टि से राज्य सरकार बराबर प्रयत्न शील रही है और यह कहना कि राज्य सरकार ने अपने प्रयत्नों में सफलता प्राप्त नहीं की या केंद्र पर अपना पूरा असर रखकर पानी प्राप्त नहीं कर सकी, यह उपयुक्त नहीं होगा। रावी, व्यास और सतलज का पानी मैं समझता हूं, राजस्थान के बहुत बड़े भाग के अन्दर गंगानगर जिले, बीकानेर जिले और आगे आने वाले समय में जैसलमेर जिले तक जायगा--उसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

नर्मदा के पानी के सम्बन्ध में यहां पर कहा गया, उपाध्यक्ष महोदय, हम अभी उसमें पूरा तय नहीं कर पाये हैं। नर्मदा डिस्प्यूट जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच का डिस्प्यू है, यह सही है कि वह पूरी तरह से नह सुलझ पाया है, लेकिन जहां तक नर्मदा के पानी का प्रश्न है, जो नर्मदा के ऊपर गुजरात में नव–गांव का बनने वाला बांध है उसमें जो पानी होगा, उसमें राजस्थान को हिस्सा मिलने का प्रश्न है। जब यह बात की तो राजस्थान को पार्टनर स्टेट नहीं माना गया, यह कह कर कि राजस्थान को इस पानी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

में हक नहीं मिल सकता, राजस्थान को पार्टनर नहीं मानते, पार्टी नहीं मानते, सुनने से इन्कार कर दिया था । लेकिन माननीय सदस्यों को खुशी होगी, राजस्थान सरकार ने जोर लगाया और जब यह मामला हमारी नेता, प्रधान मंत्री के समक्ष विचार के लिए गया तो उनके द्वारा यह निर्णय किया गया कि राजस्थान को .5 एम० ए० एफ० (.5 Maf) मतलब 5 लाख एकड़ फीट पानी, जो लगभग 2 लाख से ऊपर एकड़ जमीन को सिंचित करेगा, उस पानी का हिस्सा देने के लिए निश्चित किया गया....

श्री बिरदा राम : भीनमाल तहसील में आयेगा !

श्री हीरालाल देवपुरा : बैठिये । मैं समझता हूं ।

लगभग 2 लाख एकड़ से ऊपर जमीन के ऊपर राजस्थान के अन्दर पानी आयेगा । यह सही है, नव-गांव बांध कितनी ऊंचाई पर बने, कैनाल कितनी बने यह ट्रिब्यूनल में निर्णय होना बाकी है लेकिन राजस्थान को .5 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलने वाला है । यह मिलने वाला है और नहर की इतनी ऊंचाई रहने वाली है जिससे राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान के अन्दर खास तौर पर जालोर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर पहुंच सके । इससे लगभग 2 लाख एकड़ से ऊपर जमीन को सिंचित क्षेत्र बनाने के लिए फैसला हो चुका है । माननीय सदस्यों को थोड़ा सन्देह हुआ, क्योंकि थोड़े दिन पहले एक एग्रीमेंट दिल्ली के अन्दर तय किया गया, जिसमें चार प्रोजेक्ट गुजरात के और चार प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के तय हुए हैं । माननीय सदस्य चिन्तित हैं कि राजस्थान को क्या मिलेगा ? उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि नर्मदा नदी राजस्थान में नहीं है, उस पर प्रोजेक्ट राजस्थान में बन नहीं सकता, राजस्थान में उस पर कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बनाने का प्रश्न पैदा नहीं होता, इसलिए चार प्रोजेक्ट गुजरात के लिए और चार प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के लिए तय किये हैं । वह इस आधार पर तय किये गये हैं, अब तक नर्मदा बेसीन था, उस नर्मदा बेसीन पर पानी रोका हुआ था, और कोई स्टेट उस बेसीन पर पानी नहीं ले सकता था । नव गांव बांध के नीचे बहुत पानी होगा, उसके नीचे चार प्रोजेक्ट गुजरात में बनेंगे । तथा 4 प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश दें नर्मदा ट्रिब्युट्रीज पर बनेंगे उनमें पानी जायगा, फिर भी नव-गांव में जो पानी इकट्ठा होगा उस पर प्रभाव यह नहीं डालते हैं। तो यह प्रोजेक्ट तय किये हैं, राजस्थान को .5 मिलियन एकड़ पानी मिलने वाला है इस पर भी असर नहीं पड़ता है । यह एग्रीमेंट न राजस्थान को हानि में रखने वाला है। राजस्थान को .5 मिलियन एकड़ पानी मिला है, वह मिलेगा ही। इस तरफ राजस्थान सरकार जागरूक है न केवल इस बात के लिए बल्कि माही के ऊपर जो गुजरात में कडाना बांध बन रहा है, उसमें भी राजस्थान सरकार ने फैसला करवाया है, इस कडाना बांध से पांच लाख, छः एकड़ जमीन के ऊपर पानी आयगा । वह पानी कडाना बांध से जालोर डिस्ट्रिक्ट के लिए ऊंचे लेवल पर कैनाल बना कर लाये जाने की बात तय की हुई है । राजस्थान सरकार जो भी इन्टर-स्टेट मामले हैं, जो कि दो राज्यों के बीच बनने वाले प्रोजेक्ट हैं, जिससे राजस्थान को लाभ मिल सकता है उस लाभ को लेने के लिए बराबर सतर्क है । और उस लाभ को लेकर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

भारत के अन्दर जो 20 परसेंट सिंचित क्षेत्र है, उस दृष्टि से राजस्थान में कृषि-योग्य जो भूमि है, उसको 20 परसेंट पर लाने के लिए बराबर जागरूक हैं, और प्रयत्न जारी रख रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जहां पर अपनी बहस के दौरान अपने अपने क्षेत्रों की लघु सिंचाई योजनाओं की बात कही थी, वहां पर राजस्थान केनाल को अब तक पूरा नहीं किए जाने के ऊपर भी चिन्ता व्यक्त की। मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता को समझ सकता हूं, वास्तव में राजस्थान नहर अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी। जितना लम्बा समय इस राजस्थान नहर को पूरा करने में लग रहा है, उतना ही उसके ऊपर खर्च बढ़ता जा रहा है, जो भाव आज कल चीजों के बढ़ते जा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से इस पर असर पड़ रहा है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर जैसा प्रोजेक्ट, जो दोनों स्टेज को मिला कर, जैसा माननीय सदस्यों को मालूम है और माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है, प्रारम्भ में 66 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो बाद में जाकर 208 करोड़ का हुआ और आज तो वह प्रोजेक्ट 300 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट हो गया है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान के पास, स्वयं के पास इतने साधन उपलब्ध नहीं थे, जिससे सारा का सारा पैसा लगा कर इस प्रोजेक्ट को स्टीपुलेटेड टाइम, जो प्रारम्भ में एक समय था, उस समय के अन्दर पूरा किया जा सकता। राजस्थान सरकार को भारत सरकार पर आधारित रहना था। यह कोशिश की गई कि यह प्राजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में माना जाय, इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार अपने प्रोजेक्ट के रूप में स्टीपुलेटेड टाइम में पूरा कराए और राजस्थान के प्लान के ऊपर इसका असर न पड़े। लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। कई कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट स्वीकार किया जाकर भारत सरकार ने नहीं लिया, राजस्थान सरकार के प्लान में इसको माना। मैं माननीय सदस्यों को सूचना देता हूं, माननीय सदस्यों को खुशी होनी चाहिए, अब तक जो भी प्रावधान प्रति वर्ष राजस्थान केनाल के लिए होता रहा है, उससे सबसे अधिक प्रावधान अगले आने वाले वर्ष, 1975-76 के वर्ष में राजस्थान केनाल पर किया गया है। माननीय सदस्यों को शायद इस रिपोर्ट के आधार पर जानकारी हो, अगले वर्ष 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगले वर्ष इस प्रोजेक्ट के लिए 11 करोड़ का प्रावधान ही नहीं, साढ़े अठारह करोड़ का प्रावधान इसके लिए किया गया है, इतना अब तक के वर्षों में प्रावधान नहीं किया गया है। गत वर्ष, गत वर्ष का मतलब 1974-75 के अन्दर इस प्राजेक्ट के ऊपर प्रारम्भ में 9 करोड़ का प्रावधान था, वह प्रावधान बाद में चल कर, बढ़ कर साढ़े चौदह करोड़ का प्रावधान किया गया था। साढ़े चौदह करोड़ के अतिरिक्त मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं, हमने और खर्च किया है वह डेढ़ करोड़ और हमने इस प्रोजेक्ट के लिए खर्च किया है, इस प्रकार सोलह करोड़ का खर्चा इस साल इस पर किया है। इससे अन्दाज लगा सकते हैं, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार का सिंचाई विभाग इस प्रोजेक्ट को जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी पूरा करने के प्रयत्न में है। क्योंकि यह प्रोजेक्ट राजस्थान के प्लान में है, इसलिए सार

(श्री हीरालाल देवपुरा)

सिंचाई का पैसा डाइवर्ट करके दूसरे हिस्से में जो विकास किया जा सकता है उसको रोका नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें देरी हो रही है। लेकिन आज जिस हिसाब से पैसा मिल रहा है, उस हिसाब से सोचते हैं कि पैसा मिलता रहा तो 1980-81 वर्ष तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे। इस बीच में हम चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो, 1980-81 का समय निर्धारित किया है उससे पहले पूरा हो, तो उसके लिए हम बराबर प्रयत्नशील हैं। हमारी प्लानिंग कमीशन से बात हुई है, उपाध्यक्ष प्लानिंग कमीशन है, उनसे चर्चा हुई है। उन्होंने स्वयं राय दी है, आप एक रिपोर्ट तैयार करें, इसके कन्स्ट्रक्शन के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा मिल सकता है, उसमें प्लानिंग कमीशन कभी मदद देगा। राजस्थान सरकार इस आधार पर इस सैकण्ड स्टेज को कितनी जल्दी पूरा कर सके और वर्ल्ड बैंक से पैसा मिल सके-उसके लिए रिपोर्ट तैयार की है और प्लानिंग कमीशन के पास शीघ्र जाने वाली है। मुझे विश्वास है, जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में कहा था, हम चाहते हैं, यह सहायता किसी तरह से मिल जाय और अगले पांच साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लें। मुझे विश्वास है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी और वर्ल्ड बैंक से इस प्रोजेक्ट के कन्स्ट्रक्शन के लिए भी, जैसे एरिया डवलपमेंट के लिए सहायता मिली है, वर्ल्ड बैंक ने सहयोग किया है उसी तरह से कन्स्ट्रक्शन में सहयोग करेगी और उसको पूरा करने में सफल हो सकते हैं। माननीय सदस्यों को शंका हुई, प्रथम चरण, जैसा कहा गया, जुलाई में पूरा कर देंगे, समस्त पूरा हो जायगा या नहीं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केवल तीन मील का मामला हमारा रहा है। नहर काफी खुद चुकी है, लाइनिंग हो चुकी है, सारी मेन कैनाल की लाइनिंग हो चुकी है। इस कनाल को जुलाई माह तक पूरा कर लेंगे। इससे निकलने वाली ब्रान्चेज हैं, डिस्ट्रिब्यूटरीज हैं वह भी तैयार कर चुके हैं...

तो जहां तक लाइनिंग का सवाल है वह बाकी है तो उसकी तो कोई बात नहीं है वह अधूरी है तो भी नहर का काम शुरू हो जायगा और लाइनिंग का काम भी चलता रहेगा। आज भी फर्स्ट स्टेज के कई क्षेत्र में लाइनिंग का काम चल रहा है। हम वर्ल्ड बैंक के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को तैयार कर लेंगे। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में कहा था कि नहरी एरिया में इसके कारण से पानी नहीं पहुंच रहा है। उसको दो फीट ऊपर करने से ही पानी दिया जा सकता है। यह सही है। लेकिन हमको इस बार भाखरा, राजस्थान कैनाल, गंग कैनाल सबसे पानी मिला है। कहीं से नहीं मिलने का तो सवाल ही नहीं है। हमें पौंग डैम से भी पानी मिला जो कमी हुई थी वह पौंग डैम से पानी मिलने के कारण पूरी हो गयी। पहले यह आशा की गयी थी कि भाखरा में पानी की कमी की वजह से यह वर्ष सिंचाई के लिये खराब रहेगा। लेकिन सौभाग्य से हमें पौंग डैम से पानी मिलने से हमने उस एरिया में पानी पहुंचा दिया। हमने भाखरा में पानी की कमी थी वह पौंग डैम के पानी को यूज करके पूरा कर लिया है। इसलिए माननीय सदस्यों को किसी प्रकार का संशय इसमें नहीं होना चाहिये। वैसे पहले भी इसके बारे में सदन में एक प्रश्न पूछा गया, तब भी मैंने सदन को अवगत कराया था कि पौंग डैम की एक गेट टी-3 खराब हो गयी है उसको ठीक करने की कार्यवाही करने के लिए उसको परटीक्यूलर लेवल तक

(श्री हीरालाल देवपुरा)

खाली कराना आवश्यक हो गया था इसलिये उसको खाली करवा कर इसे ठीक कराया जा रहा है। पहले तो हमने सोचा कि यह फरवरी के फर्स्ट वीक तक पूरा हो जायेगा लेकिन बाद में वह 15 फरवरी तक पूरा हुआ लेकिन इस बीच में नहर में पानी बराबर चलता रहा है राज्य सरकार इसके लिये पूर्णतया जागरूक थी। कई माननीय सदस्यों ने यहां पर इस बात के लिये चिन्ता व्यक्त की थी कि अब की बार वहां पर फसल खराब होने का डर है क्योंकि पानी की कमी है। लेकिन माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि वहां ऐसा डर नहीं है। गंग कैनाल के बारे में करनपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि नहर पुरानी हो गयी, जगह-जगह से टूट गयी है उसके रिपेयर्स की पानी है। इसके अलावा गंग कैनाल की पानी की क्षमता भी कम हो रही है। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गंग कैनाल की कैपेसिटी 2720 क्यूसेक पानी की है वह उसमें पूरा पानी चला हैं हमने पूरे पानी का उपयोग किया है। यह सही है कि गंग कैनाल 2700 क्यूसेक पानी बहुत लम्बी दूर से 45 आर डी से चलकर आता है और रास्ते में कई जगह पर लॉसेज होते हैं, कई जगह से नहर थोड़ी टूट भी गयी है, लेकिन यह कहना कि उसकी क्षमता नहीं है गलत है। पानी उसमें बराबर चला है। यह सही है कि रेग्यूलर नहर होने की वजह से उसमें रिपेयर्स भी रेग्यूलरली नहीं हो पा रही है। उसको बन्द करें तो उसमें रिपेयर्स हो सकती है। इस साल हमने यह फैसला किया है इस गंग कैनाल में रिपेयर्स का काम किया जाय। इसके लिये हमने फैसला किया है कि यह नहर 27-3-75 से लेकर 14-4-75 तक तीन हफ्ते करीब बन्द करेंगे। इसको क्लोजर देकर हम इसे रिपेयर्स करायेंगे ताकि नहर में सुधार हो जाये। जब तक वहां पर पानी पौंग डेम से दे देंगे। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सिद्धमुख नहर को भाखरा से पानी लेने के बारे में भी कहा गया है, उसके लिये मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये राजस्थान सरकार की पंजाब सरकार से इस बारे में बात चीत चल रही है। लेकिन उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ है। जब यह बातचीत पंजाब से पूरी हो जायेगी तो भाखड़ा से सिद्धमुख नहर से पानी मिलने लगेगा और नोहर, भादरा, चूरू तक उसका पानी आयेगा। यह सारा एरिया उस पानी से इरिगेटेड होगा। इस संबंध में मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि बात फाइनल स्टेज पर ही है और लगभग फैसला होने वाला ही है। इससे करीब 1000 क्यूसेक्स पानी हरिके से मिलेगा और 700 क्यूसेक्स पानी हमें सरहिन्द से बचा हुआ मिल जायेगा। जो पानी अभी पंजाब और हरियाणा के काम में आता है उसमें जो सात सौ क्यूसेक्स पानी बचता है उस पानी का फायदा हम जसाना की तरफ भी ले लेंगे।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसकी चिन्ता नहीं करें, राज्य सरकार इस ओर पूरी जागरूक है। यह जो पानी आयेगा वह जसाना और बाद में अमर सिंह ब्रान्च में उसका उपयोग

(श्री हीरालाल देवपुरा)

किया जायेगा । यह नहर इससे बहुत लाभान्वित होगी । जैसा कि माननीय सदस्य श्री भीमराज ने जिक्र किया कि अभी तक वहां पर पानी नहीं आ पा रहा है । और लोगों को पानी के बिना परेशानी हो रही है। मैं, इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पंजाब सरकार के साथ बातचीत लगभग पूरी होने को सिर्फ एक-दो मीटिंग में ही, मैं समझता हूं, तय हो जायेगा उसके बाद में जसाना और अमरसिंह ब्रान्च की तरफ पानी आना शुरू हो जायेगा जिससे कि काफी अच्छी सिंचाई होगी । वैसे अभी जो कैपेसिटी उस नहर की है उसके हिसाब से वहां पर 30 प्रतिशत से 32 प्रतिशत सिंचाई उस एरिया में हो पाती है । लेकिन पंजाब सरकार से जब इसका फाइनल हो जायेगा तो इसकी इन्टेन्सिटी बढ़ जायेगी । जिससे कि काफी एरिया वहां का सिंचित हो सकेगा । राज्य सरकार के इस ओर प्रयत्न जारी हैं ।

यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने राजस्थान कैनाल को जल्दी से पूरा करने के बारे में जोर दिया उसके लिये राज्य सरकार अपने आर्थिक साधनों के अनुसार पूरा कर रही है । यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने गंगा-यमुना के उस पानी के लिये भी चर्चा की जो पानी वहां पर वेस्टेज जाता है उस पानी को राजस्थान के अन्दर ले जाकर सिंचाई करायी जावे । इस संबंध में माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि गंगा-यमुना के वेस्ट वाटर के लिये राजस्थान सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत कर रही है । चूंकि गंगा-यमुना का पानी यू० पी० सरकार के हाथ में है अतः उन्हीं से बात-चीत हो रही है । हमारी सरकार ने यू पी० सरकार से कहा कि आपके गंगा-यमुना के पानी को जो कि वेस्ट है राजस्थान को मिलना चाहिये। अगर गंगा-यमुना का फालतू पानी राजस्थान को मिल जाये तो हम गुड़गांव की नहर से हमारे राजस्थान में भरतपुर और उसके आगे के इलाके में सिंचाई कर सकते हैं और जवाहरलाल नहरू कैनाल जो कि हरियाणा में है, उस नहर के थ्रू हम राजस्थान में लेकर उस पानी को राजस्थान के अन्दर हम झुन्झुनू तक ले जा सकते हैं और हमारा यह सारा इलाका जो भी अन-इरिगेटेड है वह उस पानी से सिंचित किया जा सकता है । हमने अपने प्रस्ताव में झुन्झुनू जिले में आने वाले पानी के लिये, चार हजार क्यूसेक्स पानी के लिये बात-चीत की है, एक हजार क्यूसेक्स यमुना से और 3 हजार क्यूसेक्स पानी गंगा से मिलने का है । अभी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच पाये हैं । भारत सरकार के माध्यम से बात-चीत चल रही है और इस स्टेज पर पहुंचे हैं । अब तक तो कोरेस्पोन्डेन्स से बात हो रही थी। अब कमेटी बना ली है । राजस्थान के ऑफिसर्स, उत्तर प्रदेश के ऑफिसर और सी० पी० डब्ल्यू० डी० के सीनियर ऑफिसरों को बैठा कर राजस्थान, यू० पी० और हरियाणा के बीच में गंगा-यमुना के पानी के लिये तय करेंगे कि राजस्थान को कितना पानी मिले, हरियाणा को कितना पानी मिले और उत्तर प्रदेश कितना दे सकेगा । निश्चित रूप से इसका पानी राजस्थान को मिलेगा और जिसको झुन्झुनू जिले में उपयोग में ला सकेंगे ।

गुड़गांव योजना पर काफी खर्चा किया है । तीन करोड़ से ऊपर खर्चा कर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

चुके हैं। मेक्सिमम करना चाहते हैं। लेकिन एक दूसरी कठिनाई आ गई है। ओखला बेरांज से इसमें पानी आता है। वह आगरा कैनाल में पानी आता है वहां से, वहां से भरतपुर में आता है जो उस एरिया को सिंचित करता है। ओखला बेराज के पानी की यह स्थिति है कि वह निकल जाता है, सिल्ट आती है। उत्तर प्रदेश इस कोशिश में है, ओखला बेराज को वह ठीक नहीं कर लेता है, वह पानी दे नहीं सकता। सी० पी० डब्ल्यू० डी० में एक्जामिनेशन में यह चल रहा है। इसलिये गुड़गांव कैनाल के ऊपर होने वाले काम को रोका है। ओखला से पानी नहीं मिल पा रहा है तो फिर अभी क्यों खर्चा करें इस पर, उसको दूसरी योजना में लगा देना चाहियें और पानी मिलने लग जायेगा। तब कम्पलीट कर देंगे गुड़गांव कैनाल को। इसलिये तब तक के लिये उसको रोके हुए हैं। गुड़गांव से निकलने वाली डिस्ट्रिब्युटरीज के लिये हमारा प्रयत्न है। अभी सिंचाई कर सकें उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो कुछ भी रुकावटें हैं वह ओखला बेराज के ठीक होने तक की हैं। वह ठीक होगा तो आगरा कैनाल को पानी मिलेगा–ओखला से और आगरा कैनाल का पानी गुड़गांव कैनाल को मिलेगा।

गुड़गांव कैनाल की योजना को छोड़ दिया है ऐसी बात नहीं है। पहले हमें यह मालूम हुआ था कि इसको पानी मिलेगा तो हमने इस पर तेजी से खर्चा किया। लेकिन जब यह मालूम हुआ कि ओखला से पानी नहीं मिलेगा तब तक यह उचित नहीं होगा कि इस पर और आगे खर्चा किया जाय। प्लानिंग कमीशन में इस पर चर्चा होती है। ओखला कैनाल से गुड़गांव कैनाल में पानी ला सकेंगे।

इस प्रकार से मैंने आपको राजस्थान की बाहर की नदियों से मिलने वाले पानी के विषय में, जो शंकायें थीं उनके बारे में निवेदन किया।

जहां तक लघु सिंचाई योजनाओं का सवाल है, उनके लिये, माननीय सदस्यों को, स्वाभाविक है, नाराजगी हो। हर माननीय सदस्य चाहेगा कि उनके क्षेत्र में कुछ न कुछ सिंचाई योजना बने, सिंचाई के साधन उनके यहां मुहैया किये जायं। हम यह चाहते हैं कि राजस्थान में जितने छोटे-मोटे प्रोजेक्ट हैं इरिगेशन विभाग को हाथ में लेना चाहिये। वह लें और उनको पूरा करायें तथा राजस्थान को जो मिलने वाला फायदा है उसको उठायें।

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, एक तो हमारे हाथ में वे योजनायें हैं जिनको काफी लम्बे अर्से से लेकर चल रहे हैं। माननीय सदस्य स्वयम् कहते हैं कि ये क्यों नहीं पूरी हो रही हैं। प्लानिंग कमीशन में जाते हैं तो कहते हैं कि जो योजनायें आपके हाथ में हैं उनको पूरा कीजियेगा, उनको पूरा किये बिना दूसरे प्रोजेक्ट हाथ में न लीजिये क्योंकि जो भी खर्चा किया प्रोजेक्ट्स पर उसका लाभ लेने के लिये पूरा कीजिये। इसलिये उनके लिये पूरा अमाउन्ट हमको रखना पड़ता है जिससे उनसे टाइम पर पूरा लाभ ले सकें और उनको पूरा कर सकें। माइनर इरिगेशन के लिये अमाउन्ट रह नहीं सकता है। बच नहीं सकता। जो कुछ भी मिलता है उनके अनुसार हम योजनाओं को हाथ में लेते हैं। 1 करोड़ 25 लाख का प्रोविजन किया है इस साल के लिये। छोटा अमाउन्ट

(श्री हीरालाल देवपुरा)

है। इसलिये हमको फेज्ड योजनाओं को हाथ में लेकर चलना होगा। वे योजनायें ले सकते हैं। जो नोर्म्स बने हुए हैं, खर्चे के मुकाबले में जिनका रिटर्न मिलने वाला है उनको पहले हाथ में ले लेते हैं, जिनका रिटर्न नियमानुसार ठीक लगता हो लेकिन रिटर्न कम होता हो तो उनको अगले साल लेकर चलना चाहते हैं।

इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी क्षेत्र विशेष में ही काम करना चाहते हैं और दूसरे में नहीं। जो भी इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के हाथ में लेने की योजनायें हैं, 50 एकड़ से अधिककी जमीन को सिंचित करती हों उनके ऊपर की योजना फेज्ड योजना के रूप में हाथ में ली जा सकेंगी। किसी एक ऐरिया विशेष में सब की सब ले ली गयीं और माइनर इर्रिगेशन का बजट एक एरिया में पूरा कर लिया हो, ऐसा नहीं होने वाला है। कई जिलों में माइनर इर्रिगेशन की योजनाओं को हमने लिया है और वे लगभग 13 जिले हैं जिनके अन्दर ये ली गयी हैं।

एक बात निश्चित है कि जिस क्षेत्र में वाटर पोटेन्शियल होगा, जिस क्षेत्र में पानी उपलब्ध होगा, उन्हीं क्षेत्रों में ये योजनायें ली जा सकेंगी। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये और यह बताने का प्रयत्न किया कि क्षेत्रीय असंतुलन कितना है। दक्षिण में कितना खर्च किया जा रहा है, पूर्व में कितना खर्च किया जा रहा है, पश्चिम में कितना खर्च किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों को नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि योजनाओं के आधार पर, किसी योजना विशेष के आधार पर क्षेत्र के विकास को नहीं आंका जाना चाहिये। किसी क्षेत्र में सिंचाई के काम अधिक होंगे, तो किसी क्षेत्र में डेयरी का काम होगा, किसी क्षेत्र में बिजली का काम ज्यादा होगा, किसी क्षेत्र में सड़कों का काम ज्यादा होगा, केवल मात्र जिस दिन जिस विभाग की मांग हो, उसको लेकर यह कहा जाय कि क्षेत्रीय असंतुलन हो रहा है, आप जैसे बुजुर्ग सदस्य इस तरह की बात कहें, यह उचित नहीं होगा। वे यह कहते हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन हो रहा है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उपयोग की दृष्टि से आंकें कि किस क्षेत्र में इर्रिगेशन की दृष्टि से कितना खर्चा किया जा रहा है अथवा किया गया है, अधिक योजनायें उसी क्षेत्र में ली जा सकेंगी जहां वाटर पोटेन्शियलिटी अधिक होगी। माननीय सदस्य ने अपने तर्यों यह बात दिखायी कि किस क्षेत्र में कितना खर्चा हुआ। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कितनी वाटर पोटेन्शियलिटी किसमें कहां है। संक्षेप में, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ क्षेत्रों का जिक्र करूंगा। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रुपयों की दृष्टि से जिक्र किया लेकिन मैं वाटर पोटेन्शियलिटी की दृष्टि से बताना चाहूंगा।

भरतपुर 15,872 मीलियन कु० फीट वाटर पोटेन्शियलिटी है उसमें से 10,649 कु०फी० को युटिलाइज कर लिया गया है। 3,327.95 मिलियन क्यूबिक फीट पानी ऐसा है जो अभी तक यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है, केवल मात्र भरतपुर में है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तो बता दीजिये कि यह आंकड़े चम्बल के हैं या चम्बल के अलावा हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह चम्बल के अलावा हैं। केवल 1,395 मिलियन क्यूसेक

(श्री हीरालाल देवपुरा)

फीट पानी यूटिलाइज करने का रहता है। कहां पर यह असन्तुलन की बात कही जाती है टोडा भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो योजनाएं इस साल की बनाई गई हैं उनमें सवाई माधोपुर के लिये कोई भी योजना नहीं ली गई है और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जयपुर डिविजन के नजदीक होने से उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर में राजस्थान बनने से पहले और उसके बाद चार माइनर इरिगेशन की योजनाएं जग्गर, कालिसिंध, मोरेल और सावी पूरी की जा चुकी हैं जिससे आज सवाई माधोपुर में 65 हजार एकड़ जमीन में सिंचाई होती है और साथ ही साथ दो योजनाएं तैयार हैं और तीन योजनाओं का सर्वे चल रहा है। सवाई माधोपुर में पानी आ सके या टौंक में पानी आवे कहीं की भी बात हो, आप विचार तो करें। इसके अलावा गत वर्ष में जो काम चल रहे थे, उसी को आधार बनाकर असन्तुलन की बात करें तो जो काम आपके हुए हैं उनका भी तो जिक्र करना चाहिए। यह धारणा बनाकर, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है; यह बात बाहर कहीं भी नहीं, पूर्वी और पश्चिमी इलाके की बात, हम यहीं पर रीजनल इम्बेलेन्स की बात करके गलत धारणा पैदा करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में विकास का काम अवश्य होना चाहिए इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। वाटर पोटेन्शियल भी तो होना चाहिए। कोटा क्षेत्र से आने वाले कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि वहां पर कोई काम नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आखिर आज कोटा में इण्डस्ट्रियल बेस किस आधार पर बन गया। राजस्थान बनने से पूर्व में कोटा की क्या शक्ल थी और आज शक्ल क्या है। केवल मात्र यह कह देना कि कोई काम नहीं हुआ है, उचित नहीं कहा जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कभी इस बात को नहीं कहना चाहता था परन्तु कई माननीय सदस्यों के मन में यह भावना थी और उन्होंने बहुत जोर से इस बात को कही थी। मैंने यह कब कहा कि कोटा में कोई योजना बाकी नहीं है, भरतपुर में कोई योजना बाकी नहीं है, सवाई माधोपुर में कोई योजना बाकी नहीं है या अजमेर में कोई योजना बाकी नहीं है? लेकिन केवल मात्र इसी बात को लेकर आप क्षेत्रीय भावना की बात कहें और दूसरी बातों को नहीं सोचें, यह मैं उचित नहीं मानता हूं। आप अपने क्षेत्र की बात अवश्य कहिये, काम के लिए भी अवश्य कहिये, हमसे मिलिये भी, मैं इस बात से कभी इन्कार नहीं कर सकता हूं, सबको अपने-अपने क्षेत्र की बात कहने का अधिकार है, कोई काम नहीं हुआ हो, या बांध नहीं बना हो और कोई शिकायत हो तो आप हमको याद दिलाइये, लिख भी सकते हैं, आप मिल भी सकते हैं, उस पर आप जोर भी दे सकते हैं कि हमारे बांध बनाये जाने चाहिए, इसके लिए कहें, तो कोई इन्कार करने वाली बात नहीं है। हम भी कहते हैं। लेकिन उसको रीजनल इम्बेलेन्स के आधार पर मत कहिये, कोटा के नाम से कहिये, अजमेर के नाम से कहिये, लेकिन आप पूर्वी और पश्चिमी रीजन में बैठकर राजस्थान की एकता को मत तोड़िये, यह भावना तो मत फैलाइये। नहीं तो राजस्थान के विभाजन के इस दोष के भागी सभी माननीय सदस्य हो जायेंगे। आप प्लान को देखिये, क्या-क्या करना चाहिए, कहां-कहां पर क्या-क्या काम हुआ है। मैं भी कह सकता हूं कि जयपुर के अन्दर 21 हजार कुओं को बिजली मिली है जो अब तक कुल

(श्री हीरालाल देवपुरा)
कुओं पर दी गई कुल बिजली का पांचवां हिस्सा है। इसलिए अगर हम बिजली की दृष्टि से देखेंगे तो जैसलमेर वाले कहेंगे हम ज्यादा पीछे हैं, जोधपुर वाले कहेंगे हम ज्यादा पीछे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान को विकास की दृष्टि से विभाजित मत करिये। जिस क्षेत्र में जो पोटेन्शियल हैं उस क्षेत्र में उसी प्रकार का काम अधिक भी हो सकता है। आज अगर डेयरी की बात करें तो उदयपुर वाले, या चूरू वाले भी इसके लिए कह सकते हैं। परन्तु जिस क्षेत्र में जिसके लिये पोटेन्शियल हो उस क्षेत्र में वही काम होना चाहिए। प्रोब्लम्स तो सभी के सामने आ सकती हैं। आप भी सोचिये कि अगर आप हमारी जगह होते तो किस प्रकार से क्रियान्वित करते। साथ-साथ उसका तरीका भी बताइये तो मैं मान सकता हूं कि हमने कोई गलती की है लेकिन वैसे ही कहें तो, मैं समझता हूं, यह उपयुक्त नहीं होगा। इसी तरह से माननीय सदस्य अगर चाहें तो मैं दूसरे जिलों का भी जस्टीफिकेशन बता सकता हूं। यह भी बता सकता हूं कि कितना काम कहां-कहां पर किया गया है। उदयपुर की बात ही लीजिये, उदयपुर में 1,13,399 क्युबिक मिलियन फीट पानी अवेलेबल है उसमें से केवल अभी तक 36,728 क्युबिक मिलियन फीट पानी को ही हम यूटिलाइज कर पाये हैं, वहां पर पानी की बहुत पोटेन्शियल है, यही स्थिति चित्तौड़ की है, यही स्थिति भीलवाड़ा की है। अब यह कैसे हो सकता है कि जहां पर पानी अवेलेबल है उस पानी को नहीं रोका जाय। दूसरी बात जो मैं, उपाध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं वह यह है कि जहां एक ओर माननीय सदस्य यह कहते हैं कि बहते हुए पानी को दूसरे प्रान्त में नहीं जाने दिया जाय, इसलिए उसको हमारे राज्य में ही काम में लेना चाहिए और जब उसका उपयोग करते हैं, उसको काम में लेते हैं तो माननीय सदस्य रीजनल इम्बेलेन्स की बात करते हैं। यही बात सोम नदी के पानी के लिये आज गुजरात में हो सकती है। कावेरी की मुश्किल आज क्या है। तामिलनाडू में, आन्ध्र में, केरल में सभी जगह यही बात है, मैं सभी मामलों को नहीं रखना चाहता परन्तु यही मुश्किल है हमारे सामने। सभी प्रान्तों में आज पानी की वजह से कई डिस्प्यूट चल रहे हैं और हमारे प्रान्त में यही डिस्प्यूट कहीं खड़ा न हो जाय। इस बात को अगर माननीय सदस्य मानते हैं और सरकार जहां इस काम को आगे बढ़ाना चाहती है, तो रीजनल इम्बेलेन्स की बात कही जाती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सोम नदी का पानी नहीं रोका जायगा तो हो सकता है कि गुजरात में इस पानी को काम में लिया जाय और हमारे सामने भी डिस्प्यूट हो जाय। और अगर इस प्रकार हो गया तो राजस्थान में फिर हम उस पानी को नहीं रोक सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बातें नहीं कहना चाहता, परन्तु इन सारी बातों को ध्यान में रखा जावे और वास्तविकता को देखा जाय और फिर डेवलपमेंट की बात कही जाय उस हालत में अगर कोई काम रह जाता है, तो उस काम को तत्काल पूरा भी किया जाना चाहिए, इसमें सरकार कभी हिचकिचाहट नहीं कर सकती। अगर कोई गलती भी हो जाय तो उसको भी स्वीकार करनी चाहिए, यह मैं मानता हूं। तो, मैं माननीय सदस्यों को इस बात का पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं कि जिसका इस बजट में प्रावधान नहीं किया गया है, उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि हमने इस वर्ष इस पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर नई मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये 12

(श्री हीरालाल देवपुरा)

करोड़ का प्रावधान किया था और हम कुछ मध्यम सिंचाई की योजनाओं को हाथ में भी लेना चाहते थे। लेकिन जब प्लानिंग कमीशन के सामने हम गये और उनके सामने इन योजनाओं को रखा तो उनकी यह राय थी कि आप नई योजनाओं को पहले हाथ में मत लीजिये और जो काम अधूरे हैं उनको ही पहले पूरा करिये। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज यह निवेदन करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर की पाचना और अजमेर की लसाड़िया तथा सोम नदी का काम भी प्रारम्भ किया जा सके, इसके लिये भी मेरा प्रयत्न रहेगा जिससे पाचना की जो योजना है और लसाड़िया की जो योजना है वह दोनों भी चालू हो सकें। सोम की दोनों योजनाओं को सोम का जो पानी गुजरात में जाने वाला है जिसमें हमारा हक नहीं रहने वाला है, उसका उपभोग करने के लिए इन योजनाओं को हम प्रारम्भ करने वाले हैं। कई माननीय सदस्यों ने माईनर इरिगेशन की बात की, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राख के खाद की बात की तो शायद उनको ध्यान नहीं होगा अगले साल लिया हुआ है। उसको भी हम प्रारम्भ कर रहे हैं। कई योजनायें ऐसी हैं जो अगले साल ड्यू होंगी और कई योजनायें अपने आप में चालू हैं।

ज्यों ज्यों प्रावधान आता जायगा त्यों त्यों योजनाओं को हाथ में लेते जायेंगे। कई योजनायें तो फ्रेज योजना के अन्तर्गत ली हुई हैं, कुछ योजनायें डी० पी०, ए० पी० में ली हुई हैं, कुछ को पूरा करने की बात है। इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ अधूरे कामों की चर्चा की गई। फेमिन रिलीफ में कई काम अधूरे पड़े हैं, फेज काम भी कुछ अधूरे पड़े हैं, इसी तरह डी०पी०, ए०पी० में कुछ काम अधूरे पड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था इन कामों को लेने की हम इच्छा रखते हैं जिनमें 75 प्रतिशत खर्च हो गया है उसको प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहते हैं। लेकिन धनाभाव की जो बात आ जाती है उसके कारण नहीं ले पाते हैं। माननीय सदस्य यह जानते हैं, इरिगेशन का जो काम है वह इरिगेशन विभाग ही करे तो इसमें मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, जो ऐसे तालाब हैं, जिनसे 50 एकड़ से अधिक की सिंचाई हो सकती है, उन तालाबों का काम तो इरिगेशन डिपार्टमेंट देख लेगा, लेकिन जिन तालाबों से 50 एकड़ से नीचे की सिंचाई होती है उनको इरिगेशन विभाग नहीं देख पायेगा और वह इरिगेशन से संबंध भी नहीं रखता है क्योंकि 50 एकड़ से अधिक की जो सिंचाई वाले तालाब हैं उनको एक फेज प्रोग्राम में लेकर किया जा सकता है। अब किसी में नहरें बनानी हैं, किसी में गेट्स लगाने हैं उनको भी पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

साबी नदी के प्रोग्राम के बारे में ऐडजोर्नमेंट मोशन में पूछा है साबी से बाढ़ का नुकसान हुआ है, पहले तो इन्टर-स्टेट बातचीत हुई थी, उसमें बड़ी योजना बनाने की बात थी, लेकिन इसमें खर्चा ज्यादा आता था और लाभ राजस्थान को उस अनुपात में उतना होने वाला नहीं था और हमारे राजस्थान की कुछ जमीन भी डूब में आने वाली है। इस नदी पर करीब 20-25 योजनायें लागू होने वाली हैं और उनको एक-एक करके हाथ में लेने वाले हैं। फ्लड को भी हम कन्ट्रोल कर सकेंगे जो आगे जाकर नुकसान होने वाली बात है, वह नहीं होगी।

दूसरे माननीय सदस्यों ने बातें कहीं, मैं डिटेल में जाने की बात नहीं कहता लेकिन एक

(श्री हीरालाल देवपुरा)

भ्रष्टाचार के बारे में बात कही गई—भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मैं इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा करके चलता हूं। आप भ्रष्टाचार के मामले में निश्चित रूप से स्पेसिफिक लिख कर दें, लिखकर नहीं, बता दीजिये, मैं नहीं कहता कि लिखकर दें, लेकिन स्पेसिफिक इन्सटान्स बता दें-जनरल वे में। यों तो नहीं कर पाऊंगा, इसलिये स्पेसिफिक चीज दीजिये। उसमें किसी प्रकार की ढ़िलाई नहीं बरती जायेगी। किसी भी अधिकारी को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, कोई गलती पाई जायगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ एक्शन लिया जायगा यह मैं आपको इस सदन में विश्वास दिलाना चाहता हूं।

टोडा भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने बीसलपुर योजना जो बनास नदी पर बनाई जा रही है, जैसा वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में भी जिक्र किया है, बीसलपुर योजना जयपुर शहर की वाटर सप्लाई के लिये यह योजना तैयार कर रहे हैं। जयपुर के लिये जो पानी चाहिये उसमें हमने बैठकर विचार किया है। जो पानी आज बनास में अवेलेबल है वह सारा जयपुर की जो योजना है उसमें ड्रिन्किग वाटर के लिए ही चाहिये उसमें इरिगेशन भागीदार नहीं हो सकता है। यह तभी भागीदार हो सकता है जब जमीन में इरिगेशन के लिये पानी छोड़ा जाय। उसका सर्वे किया जा रहा है लेकिन अभी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। ईसरदा और बीसलपुर दोनों योजनायें चल रही हैं। दोनों में जो लाभप्रद होंगी, इरिगेशन हाथ में लेगा और पूरी करने का प्रयत्न करेगा। तो इन योजनाओं के संबंध में अब-तक, उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ कहा गया उनका जवाब दे दिया गया है। कई माननीय सदस्यों ने, हां—एक बात दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने, वे अभी यहां नहीं हैं, लेकिन वह जरूरी बात है, उन्होंने कई बार इस बात को उठाया है और माननीय मुख्य मंत्रीजी के नाम को उछाला है कि रामगढ़ बंधे से जो पानी लिया था उसमें विश्वासघात किया है। मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार की निराधार बात नहीं की जाय। यह भी सही है कि रामगढ़ बंधे से सिंचाई के लिये पानी नहीं मिलता है, किसी समय सिंचाई का बन्धा अवश्य था, लेकिन बाद में निश्चित किया गया कि इस बंधे से सिंचाई नहीं की जायगी और यह केवल ड्रिन्किग वाटर के लिये रहेगा। लेकिन इस वर्ष चूंकि यह अकाल का वर्ष है और इस वर्ष स्थिति खराब थी, काश्तकारों की स्थिति खराब थी।

ड्रिन्किग वाटर के बाद जो पानी बचता है उस पानी को भी हमने बैठकर तय किया है और यह तय किया कि 200 क्यूसेक पानी जो स्पेयर माना गया था ड्रिन्किग वाटर में से काटकर दिया गया है और वह एक इरिगेशन के लिये दिया गया है और उस पानी से तीन हजार एकड़ के अन्दर इरिगेशन हुआ है किन्तु जो इरिगेशन हुआ वह रामगढ़ बंधे से 8-9 मील तक हो सकता था, दौसा तक नहीं हो सकता था। वहां तक पानी ले जाते तो कोई फायदा नहीं होता। तीन हजार एकड़ में पानी दिया गया है। दौसा में मुख्य मंत्रीजी गये होंगे और यह भी हो सकता है कि उन्होंने निश्चित रूप से कहा होगा कि जितना स्पेयर पानी होगा हम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह की यहां बात कही गई है कि विश्वासघात किया गया है, बिलकुल निराधार बात है। कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया गया है और

(240)

(श्री हीरालाल देवपुरा)
जो पानी का मेक्सिमम फायदा लिया जा सकता था, वह लिया गया है।

इन्हीं बातों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि जो सिंचाई की मांगें मैंने प्रस्तुत की हैं उन्हें वे स्वीकार करें।

श्री मोहरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात . . . .

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान : अश्रव्य)

आप तशरीफ़ रखिये।

(व्यवधान: अश्रव्य)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

ऑर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 74,07,80,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37 के संबंध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,32,60,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (विराम)

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 14 मार्च, 1975 दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 11.10 रात्रि को शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च, 1975 के म०पू० 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)।

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्र० सं० 455 की सूची)

माह नवम्बर, 74 में जयपुर शहर में देशी एवं विदेशी मदिरा की बिक्री हुई उसका प्रतिदिन का मानचित्र

दिनांक	देशी मदिरा			भारत निर्मित विदेशी मदिरा			मिनेचर	विदेशी मदिरा			मिनेचर	बीयर	
	बोतल	अद्धा	पव्वा	बोतल	अद्धा	पव्वा		बोतल	अद्धा	पव्वा		बोतल	अद्धा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-11-74	6056	—	—	250	205	1268	56	1	1	—	14	805	2
2-11-74	6482	—	—	246	231	1061	38	1	1	—	—	709	2
3-11-74	6898	—	—	188	400	1123	48	2	1	—	8	791	1
4-11-74	6883	7	23	176	353	1133	30	—	—	—	—	630	1
5-11-74	8315	7	55	149	326	1052	41	4	—	—	1	600	—
6-11-74	7201	58	43	203	341	1187	54	—	—	—	—	520	1
7-11-74	7864	92	51	202	403	1034	56	—	—	—	—	618	—
8-11-74	9418	126	125	276	637	1256	56	2	—	—	—	704	—
9-11-74	7424	55	108	265	437	1189	60	1	—	—	—	627	—
10-11-74	6241	33	116	264	499	1332	50		2	—	—	643	—
11-11-74	5902	128	—	823	1115	2664	78	—	—	—	—	1267	—
12-11-74	—	—	—	—	—	—	—	—	शुष्क	दिवस	—	—	—
13-11-74	—	—	—	—	—	—	—	—	शुष्क	दिवस	—	—	—
14-11-74	—	—	—	—	—	—	—	—	शुष्क	दिवस	—	—	—
15-11-74	7773	25	132	449	549	1678	66	3	—	1	—	641	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16-11-74	8400	53	110	437	488	1452	45	2	3	—	—	633	1
17-11-74	9122	43	131	263	466	347	41	1	—	4	—	795	2
18-11-74	9154	16	87	264	557	1366	45	21	—	—	—	630	—
19-11-74	12008	29	95	283	370	1145	51	—	1	—	—	514	—
20-11-74	8311	46	75	281	409	1224	42	—	—	—	—	646	—
21-11-74	10061	28	65	293	307	1280	43	—	—	—	—	470	—
22-11-74	10167	41	91	239	333	1092	53	1	—	—	—	426	—
23-11-74	8615	27	71	271	284	1098	44	4	—	—	—	496	—
24-11-74	7178	35	113	232	403	1182	51	—	—	—	—	717	1
25-11-74	8352	31	103	260	421	1070	51	—	—	—	—	556	4
26-11-74	12929	29	75	207	366	1105	44	—	—	—	—	416	8
27-11-74	9328	25	74	244	524	1102	50	—	—	—	—	364	4
28-11-74	10374	34	140	282	553	1403	66	—	—	—	—	385	3
29-11-74	—	—	—	—	—	—	—	—	शुष्क	दिवस	—	—	—
30-11-74	9893	37	124	352	485	1435	73	—	—	—	—	424	2

243

परिशिष्ट–2

(ता० प्र० सं० 460 की सूची)

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के पद पर सेवारत व्यक्तियों की सूची

1.	श्री सौभागचन्द्र माथुर	6-9-1969 से 1-1-1971
2.	श्री कल्याणमल लोढ़ा	5-7-1971 से 27-12-1971
3.	श्री सत्येन्द्र	4-3-1973 से 3-3-1974
4.	श्री गोपीकृष्ण व्यास	15-5-74 से अभी तक कार्य कर रहे हैं ।

उक्त तारीखों के बीच में जो रिक्त स्थान रहा उसमें उप-निदेशक, श्री शल्य ने कार्यवाहक के रूप में कार्य किया ।

'2'

अकादमी के कार्य का विवरण

अ. पिछले आठ महीनों में साढ़े तीन लाख ग्रास मूल्य की अकादमी की पुस्तकों की बिक्री हुई ।

ब. 33 पुस्तकें विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में निर्धारित करवा दी गईं ।

स. विज्ञान और तकनीकी विषयों पर अकादमी द्वारा लिखवाई गई 38 पांडुलिपियां नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया द्वारा अनुदान हेतु स्वीकृत हो गई हैं, जिसके फलस्वरूप करीब 3 लाख रुपया अकादमी को अनुदान के रूप में नेशनल बुक ट्रस्ट से प्राप्त हो सकेगा ।

द. विश्व हिन्दी सम्मेलन, नागपुर में, राजस्थान में प्रकाशित हिन्दी की पुस्तकों की एक संयुक्त प्रदर्शनी आयोजित की गई ।

——

परिशिष्ट–3

(स्थगित प्रश्न सं० 169, दिनांक 26-2-75 की सूची)

Yearly Expenditure in Construction of New Bus Bodies from Private Firms

Year	Ordinary Bus Bodies				Deluxe Bus Bodies			
	Tata	Leyland	Dodge	Bedford	Tata	Leyland	Dodge	Bedford
1970	21945.00	23265.00	—	—	—		—	—
1970-71	21945.00	23265.00	—	—		(No Deluxe Body was built) 27142.50	27142.50	27142.50
1971-72 (Ist rate)	24805.00	26015.00	—	—		(No Deluxe Body was built)		
1971-72 (IInd rate)	25465 00	26959.00	26950.00	26950.00			—do—	
1971-72 (IIIrd rate)	24084.50	25184.50	—	—			—do—	
1972-73 (Ist rate)	23380.50	24810.50	—	—			—do—	
1972-73	—	24040.50	—	—			—do—	

1973-74 (1st rate)	26400.00	27500.00	—	—			—do—	
		(Rs. 1430/- extra charges for high back sheet)						
1973-74 (2nd rate)	27225.00	28325.00	—	—	34100.00	36300.00	for Rajasthan	
	26937.50	28512.50	—	—	34025.00	35600.00	for outside Rajasthan	
	(Due to taxes rates were increased in ratio of 4400.00 Body. Hence IIIrd rate.				(No Deluxe Body was built)			
1973-74 (3rd rate)	31625.00	32725.00	—	—	38500.00	40700.00	—	—
	31137.50	32712.50	—	—	39800.00	38225.00	—	—
1974-75	—do—	—do—	—	—	—do—	—do—	—	—
1974-75	36300.00	37950.00	—	—	—	—	—	—

NOTE :—All the rates are inclusive of 10% sales tax.

परिशिष्ट-4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये तारांकित प्रश्नोत्तर)

सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में पे-क्लिनिक योजना के तहत प्राप्त राशि व रोगियों की संख्या

462. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर): क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में जब से पे-क्लिनिक योजना शुरू की है तब से अब तक कितना रुपया जमा हुआ है ?

(2) जब से उक्त योजना लागू की है उसके प्रथम सप्ताह में कितना रुपया जमा हुआ एवं दूसरे, तीसरे, चौथे एवं पांचवें सप्ताह में कितना रुपया जमा हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) पे-क्लिनिक में औसतन एक डाक्टर रोजाना कितने मरीजों को देख लेता है ?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में पे-क्लिनिक योजना दि० 2-10-74 से शुरू की गई है। तब से फरवरी, 1975 तक पे-क्लिनिक में 1,18,676/- रुपये की आय हुई है।

(2) जब से उक्त योजना लागू की गई है तब से सप्ताह-वार आय का विवरण निम्न है :—

प्रथम सप्ताह	4,770-00
दूसरा सप्ताह	8,338-00
तीसरा सप्ताह	5,640-00
चौथा सप्ताह	4,814-00
पांचवा सप्ताह	3,328-00
कुल योग ..	26,890-00

(3) माह जनवरी, 1975 में 1461 मरीजों को 70 डाक्टरों द्वारा सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर की पे-क्लिनिक में देखा गया। इस प्रकार एक डाक्टर द्वारा मरीजों को देखने की प्रतिदिन औसतन 0.70 मरीज पड़ती है।

सूरजमुखी बांध को ऊंचा करने का कार्य

463. **श्री रतीराम यादव** (तिजारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तिजारा क्षेत्र में सूरजमुखी नामक पक्के बांध को ऊंचा करने के लिए सरकार ने एस्टीमेट बनाया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त बांध को ऊंचा करने से कितनी भूमि सिंचित होने का अनुमान लगाया गया था और उससे कितनी कृषि पैदावार बढ़ने का अनुमान था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बांध के कारण डूब में आने वाले गांवों को सरकार ने मुआवजा भी दिया था ? यदि हां, तो किन-किन गांवों व व्यक्तियों को मुआवजा मिला और कितना कितना पैसा दिया गया ?

(4) क्या यह सत्य है कि बांध को ऊंचा करने का कार्य अभी तक शुरू नहीं

(श्री रतीराम यादव)
किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? अब सरकार इस कार्य को कब से शुरू करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस बांध से कोई सिंचाई नहीं होती है केवल पेटा काश्त होती है।

(3) किसी को मुआवजा दिया जाना सिंचाई विभाग की जानकारी में नहीं है।

(4) बांध को ऊंचा करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

एस० टी० सी० करने वाले अध्यापकों को इन्क्रीमेंट

464. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सितम्बर, 1968 में एक बैच अध्यापकों का जो वर्षों से अध्यापक थे एस०टी०सी० पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए नियुक्त किया गया था।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पाठ्यक्रम दो वर्ष मई 1970 के प्रथम सप्ताह में हुई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उस समय एस० टी० सी० करने वाले इस प्रकार के पुराने अध्यापकों को दो इन्क्रीमेंट का फायदा दिये जाने का प्रावधान था ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त बैच का रिजल्ट 3 जुलाई, 1970 को घोषित हुआ और राज्य सरकार ने 30 जून, 1970 को ही दो इन्क्रीमेंट देने का आदेश रद्द कर दिया था ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार के अध्यापक पूरे राजस्थान में 20-25 से ज्यादा नहीं थे ? अगर नहीं, तो कुल कितने थे ?

(6) क्या राज्य सरकार इस प्रकार तीनदिन रिजल्ट लेट निकालने के कारण जिन अध्यापकों का नुकसान हुआ है उन्हें दो इन्क्रीमेंट देने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) सेवारत बी० एस० टी० सी० करने वाले अध्यापकों को 1-9-68 के पश्चात् अग्रिम वेतन वृद्धियां देने का प्रावधान नहीं है।

(4) जी हां। राज्य सरकार ने 1-9-68 के पश्चात् बी० एस० टी० सी० के पास करने वाले अध्यापकों को अग्रिम वृद्धियाँ देने हेतु कोई आदेश प्रसारित नहीं किये थे अतः रद्द करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) यह सही नहीं है। इस परीक्षा में 171 परीक्षार्थी पंजीकृत थे जिनमें 141 उत्तीर्ण हुए।

(6) जी नहीं।

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में एक्सरे प्लेट्स का अभाव

4.5. **श्री विजयसिंह राठौड़** (मांडल) : **क्या** स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में एक्सरे प्लेट्स अधिकतर उपलब्ध नहीं होतीं जिससे गरीब मरीजों को कई बार एक्सरे से वंचित रहना पड़ता है और समय पर उपचार प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकारी अस्पतालों के अतिरिक्त अन्य निजी अस्पतालों में हमेशा और जितनी आवश्यकता हो एक्सरे प्लेट्स उपलब्ध होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इसकी जानकारी सरकार को नहीं है।

ग्राम खंडेला (सीकर) में जलप्रदाय योजना का कार्य

466. **श्री सांवर मल मोर** (श्री माधोपुर) : **क्या** जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के खन्डेला ग्राम में पिछले काफी वर्षों से जलप्रदाय योजना का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो किस साल से तथा सरकार को कितना व्यय करना पड़ा है ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले कुछ अर्से से इस योजना के अन्तर्गत कस्बे को पानी सप्लाई नियमित नहीं है और कई मर्तबा तो कस्बे को तीन तीन दिन तक पानी नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो इस सर्दी के मौसम में भी पानी की सप्लाई की यह व्यवस्था है तो गर्मी के मौसम में कस्बे के निवासियों की क्या हालत होगी ? सरकार इसे गम्भीरता से लेकर क्या व्यवस्था कब तक कर देगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिन कुओं में पानी की सप्लाई है, उन कुओं में पानी सूख गया है या पानी काफी नीचे चला गया है ? यदि हां, तो क्या योजना को प्रारम्भ करते समय इस पर ठीक तरह से नहीं सोचा गया था ? सरकार इसके लिए किसे जिम्मेदार मानेगी तथा भविष्य में इस सारी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही सम्पन्न कर देगी ?

उत्तर

(1) जी हां। कार्य वर्ष 1968-69 से चल रहा है व अब तक कुल 6,48,000।- रु० खर्च हो चुके हैं।

(2) खण्डेला के पहाड़ी इलाके में होने के कारण पानी की कमी है, परन्तु पानी की सप्लाई शहर में दिन में एक बार नियमित की जाती है। गर्मियों में शहर के कुछ अन्य कुओं को भी चालू किया जाना प्रस्तावित है, जिससे पानी का वितरण यथावत रखा जा सके।

(3) हां यह सही है कि पानी जल योजना के कुओं में कम हो गया है, परन्तु स्वीकृत जल योजना शहर के कुओं से ही

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)
बनाई गई थी तथा उनमें आशा अनुरूप पानी की क्षमता नहीं मिली । पानी पूर्ति करने हेतु पुनर्गठित क्षेत्रीय योजना बनाई जा चुकी हैं व विचाराधीन हैं ।

बाड़मेर जिले के अकालग्रस्त गांवों को सहायता

467. **श्रीमती मदनकोर** (पचपदरा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष बाड़मेर जिले में कब और कितने गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया ?

(2) जिले में कितनी जनसंख्या अकाल से प्रभावित है ?

(3) अकाल से प्रभावित लोगों को राज्य सरकार ने अब तक क्या राहत पहुंचाई ?

(4) जिले के कितने लोगों को काम उपलब्ध कराया गया ? कहां कहां और कब से ?

(5) क्या राज्य सरकार यह अनुभव नहीं करती कि बाड़मेर जिले के लोग जिनकी अर्थव्यवस्था पशुधन पर आधारित है अपने पशुधन को छोड़कर राजस्थान नहर पर काम करने नहीं जा सकते ?

(6) क्या राज्य सरकार ने बाड़मेर जिले के लोगों को इस अकाल के समय में तात्कालिक राहत देने के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार किया है ? यदि हां, तो राहत किस रूप में, कब और कितने लोगों को दी जायेगी ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में 864 ग्रामों को दिनांक 20-12-74 को अकालग्रस्त घोषित किया गया है ।

(2) इस जिले की 7,18,617 जनसंख्या अकाल से प्रभावित है ।

(3) बाड़मेर जिले में प्रारंम्भ में प्रभावित लोगों को राजकीय खर्चे पर राजस्थान नहर योजना पर कार्य के लिये भेज गया और वहां उनकी हर प्रकार की पूरी व्यवस्था की गई । इसके अतिरिक्त प्रारंम्भ में 2 सड़कें योजना के अन्तर्गत एवं 5 सड़कें एम०एन०पी० के अन्तर्गत प्रारंम्भ की गई थीं । जिनकी लागत 28 लाख रुपये थी । इसी माह में 17 सड़कों पर और कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं ।

(4) बाड़मेर जिले से राजस्थान नहर परियोजना पर अक्टूबर से मजदूरों को भेजना प्रारम्भ हुआ था लेकिन अब तक 2,743 व्यक्ति ही राजस्थान नहर परियोजना पर जा पाये हैं । चालू सड़क योजना कार्यों पर अब तक 2,065 श्रमिक कार्य पर लगे हुये हैं ।

(5) जी नहीं । बाड़मेर जिले के लोग राजस्थान नहर पर काम करने को जा सकते हैं ।

(6) जी हां । बाड़मेर जिले से राजस्थान नहर परियोजना पर जितने श्रमिक जाना चाहें भेजे जा सकते हैं और वहां उनके भोजन, आवास एवं रहन-सहन की पूरी व्यवस्था की गई है । इस जिले में 7 सड़क योजना कार्य पहले ही चल रहे हैं और 17 को चालू कर दिया गया हैं जिस

(अकाल सहायता मन्त्री)

पर लगभग 2½ हजार व्यक्ति कार्य पर लग चुके हैं । अब तक असहाय सहायता 42,000) रुपये दी जा चुकी है । इसके अतिरिक्त पीने के पानी के लिये इस जिले में 24 टैंकर हैं और 54,000) रुपये इस कार्य हेतु दिया जा चुका है ।

अजमेर का नया बस स्टैण्ड

468. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर के नये बस स्टैण्ड का शिलान्यास कब और किसने किया था और उस समय इसे कब तक पूरा बना देने का तय हुआ था ?

(2) आज तक बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य आरम्भ क्यों नहीं किया गया है ?

(3) इस बस स्टैण्ड को न बनाने के कारण प्रशासनिक अथवा आर्थिक हैं ?

(4) अब सरकार इसका निर्माण कार्य कब से शुरू कराने का इरादा रखती है और यह कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ?

उत्तर

(1) अजमेर के नये बस स्टैण्ड का शिलान्यास दिनांक 19-1-73 को मनोनीत राज्यपाल, कर्नाटक श्री मोहन लाल सुखाड़िया द्वारा किया गया था । उस समय कोई तिथि निश्चित नहीं की गयी थी ।

(2) इस भूमि पर वन विभाग का कार्यालय भी है एवं उस समय वन विभाग को अन्य स्थान पर भूमि देने का कोई निर्णय नहीं हुआ था । भूमि देने का निर्णय जुलाई, 1974 में हुआ था परन्तु जिस हिस्से पर बस स्टैण्ड का निर्माण करना है उस पर कब्जा अभी तक निगम को नहीं मिला है अतः बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका ।

(3) प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में बताये गये कारण से इसका निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हो सका ।

(4) अब वन विभाग को जेल विभाग की भूमि देने के आदेश दिनांक 30-7-74 को प्रसारित कर दिये गये हैं । जब वन विभाग द्वारा जेल विभाग की भूमि पर कार्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा एवं भूमि निगम को दे दी जावेगी, निगम द्वारा बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा ।

भरतपुर व सवाई माधोपुर जिलों में कुओं पर कनेक्शन देने हेतु विचाराधीन आवेदन पत्र

469. **श्रीमती उषा प्रकाश** (बैर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर व सवाई माधोपुर जिलों में कुओं पर विद्युत् कनेक्शन हेतु अक्टूबर, 74 तक कितने आवेदनपत्र विचाराधीन थे ? तहसीलवार आंकड़े दें ।

(2) जनवरी, 1975 तक कितने आवेदकों को कनेक्शन दे दिये गये ?

(3) आवेदनों में से मार्च, 1974 के पूर्व के कितने आवेदनपत्र हैं जिन्हें विद्युत नहीं दी गई ?

(4) इन आवेदकों को कब तक विद्युत् कनेक्शन दिये जा सकेंगे ?

(विद्युत मन्त्री)

उत्तर

(1) भरतपुर व सवाई माधोपुर जिलों में कृषि कुओं के अक्टूबर, 74 तक पेन्डिंग आवेदनपत्रों का तहसीलवार ब्योरा देते हुए सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जनवरी, 1975 तक भरतपुर व सवाई माधोपुर जिलों में क्रमश: कुल 3,868 व 3,062 कनेक्शन दिये जा चुके हैं जिनमें चालू वित्त वर्ष में जनवरी, 75 तक इन जिलों में दिये गये कनेक्शनों की संख्या क्रमश: 635 व 604 है।

(3) मार्च, 74 से पूर्व प्राप्त भरतपुर जिले के 211 व सवाई माधोपुर जिले के 197 आवेदनपत्र अभी विचाराधीन हैं।

(4) आगामी वित्तीय वर्ष में इन विचाराधीन प्रार्थनापत्रों वाले कुओं को कनेक्शन दिये जाने का प्रयास किया जायेगा।

सूची 'अ'

भरतपुर और सवाई माधोपुर जिलों के विचाराधीन प्रार्थनापत्रों की सूची अक्टूबर, 74 तक।

नाम तहसील 1	विचाराधीन प्रार्थनापत्र 2
(अ) जिला भरतपुर :	
1. धौलपुर	31
2. बाड़ी	22
3. बसेड़ी	2
4. राजाखेड़ा	64
5. बयाना	107
6. वैर	337
7. डीग	78
8. नगर	61
9. कामां	110
10. नदबई	168
11. भरतपुर	17
12. रूपवास	26
(ब) जिला सवाई माधोपुर :	
1. महुवा	117
2. टोडाभीम	139
3. हिण्डौन	344
4. सवाई माधोपुर	53
5. मलारना चौर	61
6. खण्डार	17
7. करौली	156
8. गंगापुर	217
9. बामनवास	24
10. सपोटरा	40

पेन्शन नहीं मिलने वाले रिटायर अफसरों की संख्या

470. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में कितने अफसर, तहसीलदार या नायब तहसीलदार या आर०ए० एस० अफसर ऐसे हैं जिनको नौकरी से रिटायर हुये दो साल हो गये मगर अभी तक उनको पेन्शन नहीं मिली है ? कृपया सूची रिटायर होने की तारीख सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

(282)

जयपुर शहर को पेयजल योजना

471. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (हवामहल) जयपुर : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु सन् 1971-72, 1972-73 व 1973-74 में कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया था ?

(2) उक्त राशि में कितनी राशि नई पाइप योजना एवं टंकी बनाने हेतु खर्च की गई ?

(3) नई पाइप लाइन व टंकियां किस-किस स्थान पर उक्त प्रावधान के अन्तर्गत लगाई व बनाई जा चुकी हैं ?

(4) क्या जयपुर शहर की पेयजल योजना में स्थाई सुधार हेतु बनास योजना को लागू करने के लिये सरकार विचार रखती है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1971-72, 1972-73 व 1973-74 में क्रमशः 16.70, 49.40 व 46.00 लाख रु० का प्रावधान किया गया ।

(2) उक्त राशि में से 15.88 लाख रुपये टंकियां बनाने में व्यय किये गये हैं और पाइप लाइन (राइजिंग व डिस्ट्रीब्यूशन मेन) डालने में 49.12 लाख रुपये व्यय किये गये हैं ।

(3) 3" से 20" व्यास की पाइप लाइन जयपुर के भिन्न भिन्न स्थानों पर डाली गई जिसकी लम्बाई 95,000 मीटर है।

उच्च जलाशय निम्न स्थानों पर बन रही हैं :-

1. ट्रक स्टैण्ड	2. तिलक नगर
3. बापूनगर	4. गांधी नगर
5. सी-स्कीम हथरोई	6. शांति नगर
7. झोटवाड़ा	8. दुर्गापुरा
9. आदर्श नगर	10. कालीदास मार्ग

(4) बनास नदी से पानी लाने हेतु एक योजना 24 करोड़ रुपये की बनाई गई थी वह विचाराधीन है । इस समय भूगर्भीय जल स्रोतों की विस्तृत जांच की जा रही है व भूतल के ऊपर के जल स्रोतों की जांच की जावेगी । जांच के उपरान्त ही योजना के बाबत अन्तिम निर्णय लिया जावेगा ।

छात्रावासों, वाचनालयों तथा पुस्तकालयों को एडहॉक धनराशि

472. **श्री सज्जन सिंह** (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार विभिन्न जिलों के छात्रावासों, वाचनालयों, पुस्तकालयों व इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं को प्रति वर्ष एडहॉक सहायतार्थ धनराशि प्रदान किया करती है ?

(2) यदि हां, तो इस वर्ष प्रत्येक जिले में किस किस संस्था को कितनी कितनी धनराशि प्रदान की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री सज्जनसिंह)

(3) उक्त धनराशि प्रदान करने का सैद्धान्तिक आधार क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां। बचत उपलब्ध होने पर एडहॉक राशि दी जाती है।

(2) इस वित्तीय वर्ष में कोई तदर्थ राशि स्वीकृत नहीं हुई है।

(3) इनका स्तर, लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या, स्थानीय आवश्यकता आदि का ध्यान रखते हुए मद्द अनुदान दिया जाता है।

पंचायत समिति नीमकाथाना में कुओं पर विद्युत् कनेक्शन

473. **श्री माला राम** (नीम का थाना): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नीमकाथाना पंचायत समिति क्षेत्र में कितने कुओं को विद्युत् कनेक्शन दिया गया है ?

(2) उक्त क्षेत्र में अकाल सहायता के अन्तर्गत जो कुए निर्माण हुए थे उनमें से कितने कुओं को विद्युत् कनेक्शन दे दिये गये और कितने बाकी हैं ? तथा बाकी को कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति नीमकाथाना में फरवरी, 75 तक कुल 486 कुओं को विद्युत् कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

(2) अकाल राहत में बने कुओं के आवेदनों का अलग से लेखा नहीं रखा जाता है। अतः यह बताना संभव नहीं है कि इनमें से कितने कुओं को बिजली दी जा चुकी है। बाकी कुओं को बिजली देने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक मात्रा में धन व सामान की उपलब्धि के अनुसार किया जावेगा।

पेंशनर्स को मिलने वाली राशि में वृद्धि

474. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में गत 10 वर्षों में मूल्य वृद्धि किस गति से हो रही है ? वर्ष वार मूल्य सूचकांक दर्शावें।

(2) क्या इस वृद्धि के कारण सरकारी नौकरी में सेवारत कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की गई ? यदि हां तो कब कब और कितनी कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने उक्त वृद्धि के साथ रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन राशि में भी इसी अनुपात में वृद्धि की ?

(4) क्या सरकार मूल्य वृद्धि व वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर पेंशनर्स को मिलने वाली राशि में वृद्धि का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विद्युत् मन्त्री)

(2) जी हां । गत 10 वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में 1-4-66 एवं 1-9-68 को संशोधन किये गये हैं । महंगाई भत्ते एवं तदर्थ सहायता की राशि में भी वृद्धि समय समय पर की गई है – आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं ।

(4) अभी ऐसा विचार नहीं है । क्योंकि राज्य सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

हायर सैकण्डरी स्कूल, प्रतापगढ़ में टाइप राइटर्स की व्यवस्था

475. **श्री हर लाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला चित्तौड़गढ़, सब डिविजन प्रतापगढ़ के लड़कों की हायर सैकण्डरी शाला में वाणिज्य विषय कब से पढ़ाया जा रहा है और इसमें कितने टाइप राइटर्स हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त टाइप राइटर्स खराब हो चुके हैं और काम लायक नहीं है ? यदि हां, तो इनको ठीक कराने या नये टाइपराइटर्स अलॉट करने का सरकार का विचार है । यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त टाइप राइटर्स के खराब होने की सूचना विभाग को भी है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) सन् 1956 से । विद्यालय में 18 हिन्दी और अंग्रेजी के टंकण यन्त्र हैं ।

(2) जी हां । इनमें से अधिकतर ठीक नहीं हैं । प्रधानाध्यापक को इसे छात्र-कोष में से ठीक करवाये जाने के लिए लिखा जा रहा है ।

(3) इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । प्रधानाध्यापक को चाहिये था कि वह छात्रकोष से ठीक करवाने की कार्यवाही तुरन्त करता ।

निवाई का ट्रान्सफार्मर

476. **श्री बृजेन्द्र पाल सिंह** (करौली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि निवाई में लगा हुआ 132 के० वी० का ट्रान्सफार्मर जल गया है ? यदि हां, तो यह कब ? तथा इसकी क्या क्षमता थी और इसके जलने का क्या कारण है ? तथा इसके जलने से राजस्व की कितनी हानि हुई ?

उत्तर

जी हां । निवाई में स्थापित 132/33 के० वी० का 6 एम० वी० ए० का ट्रान्सफार्मर दिनांक 4-7-74 को खराब हो गया था । प्रारम्भिक जांच से मालूम हुआ कि उसकी दर्शरी वाइडिंग में कुछ खराबी हो गई है । जिन गांवों को इस सब-स्टेशन से विद्युत् प्राप्त होती थी उन्हें दूसरी ओर से (सवाई माधोपुर से) बिजली उपलब्ध करा दी गई थी । अतः राजस्व में कोई हानि नहीं हुई ।

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों की पैरवी हेतु नियुक्त वकील

477. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कितने अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों को न्यायालयों में चल रहे मुकदमों में समाज कल्याण विभाग की ओर से गत दो वर्षों में आर्थिक सहयोग अथवा वकील का सहयोग प्रदान किया गया ? तथा इसमें से कितने मुकदमों में अनुसूचित जातीय व्यक्ति जीते ?

(2) अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों में से कितने वकील अनुसूचित जातीय एवं जन-जातीय व्यक्तियों की पैरवी हेतु नियुक्त किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के वकीलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी वह नहीं दी गई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(स्थगित किया गया)

जोधपुर व पाली जिलों के गांवों को जवाई बांध से पानी

478. **श्री शंकर लाल** (पाली): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष पीने के पानी की समस्या के कारण जवाई बांध का पानी जोधपुर और पाली जिले के गांवों में देना आवश्यक होने से सिंचाई हेतु पानी बिल्कुल नहीं देने की मांग जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई थी ?

(2) जोधपुर और पाली जिले के गांवों के लिए पृथक्-पृथक् कितने एम० सी० एफटी० पानी की आवश्यकता आंकी गई थी ?

(3) पाली जिले के कितने और कौन कौन से गांवों में पानी देने की मांग जिला प्रशासन द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग को कब-कब भेजी गई और उसमें से कितने व कौन-कौन से गांवों को कब-कब कितना पानी दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) पाली जिले के अब कितने गांव शेष रहे हैं जिनमें पानी देने की मांग होते हुए भी अभी तक पानी नहीं दिया गया है और उन गांवों को पानी नहीं देने के क्या कारण हैं ? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) ऐसे गांवों को कब तक पानी दे दिया जायेगा ?

(6) जोधपुर को अब तक कितना पानी दे दिया गया है, और अब शेष कितना पानी देने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जोधपुर और पाली जिले के गांवों के लिए 1-10-74 को क्रमश: 150 एवं 45 एम० सी० एफटी० पानी की आवश्यकता आंकी गई थी ।

(3) पाली जिले के कुल 76 ग्रामों को पानी देने की मांग जिला प्रशासन द्वारा

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

समय समय पर प्राप्त हुई इनमें से 55 ग्रामों को जवाई नहर से नालियों द्वारा जल दिया जाना तय हुआ है शेष को नालियों द्वारा जल देना संभव नहीं है इनमें से 37 ग्रामों को जल दिया जा चुका है। ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई ।

(4) पाली जिले के शेष 18 गांवों को पानी देना बाकी है जिसकी सूची सलंग्न है, क्योंकि एक ही साथ सभी गांवों को पानी देना संभव नहीं हो सकता अतः क्रमानुसार पानी दिया जा रहा है ।

(5) शेष ग्रामों को अप्रेल, 75 व मई, 75 के अन्त तक पानी दे दिया जायेगा ।

(6) जोधपुर शहर को अक्टूबर, 74 से फरवरी, 74 तक 90 एम० सी० एफ० टी० पानी दिया जा चुका है तथा अब शेष 900 एम० सी०एफ०टी० पानी देने का प्रावधान है ।

प्रश्न सं० 3 की सूची

सूची उन गांवों की जिनका जवाई नहर से पानी देना तय किया गया है

क्र० सं० गांवों का नाम

1. हेमावास
2. मंडली खुर्द
3. मण्डीया
4. गिरावडा
5. गिरावडा की ढाणी
6. आई० जी० पी० व अन्य ढाणियां
7. कानदंला
8. गुरडाई
9. हाथलाई
10. देवानाडी (रुपावास)
11. कानेलाव
12. बाला
13. गुडा एन्दला
14. साबदडा
15. सुन्देलाव
16. सुकरलाई
17. रामासिया
18. गिरवर कुरना
19. गुडा बिच्छु
20. डिगाई
21. मुलियावास
22. दयालपुरा
23. पाडारला
24. कुरना
25. केरला
26. पुनायता
27. लालकी
28. आंटन
29. रोहिट
30. बुरयासनी
31. रामपुरा
32. कलाली
33. बागडिया
34. दूदिया
35. भीलडा
36. मण्डली दर्जियान
37. डाबर
38. सांवलता कलां
39. सांवलता खुर्द
40. मुकनपुरा
41. बाण्डाई
42. काला पिपल की ढाणी
43. निम्बली ढ़ेलान
44. निम्बली ब्राह्मणान
45. भाकरी वाला

46. अरटीया
47. मानपुरिया
48. चाणोंद
49. लाबोंद
50. धनीपपुरा
51. विठुडा
52. भानुण्डा
53. बडगावडा
54. किरवा
55. बालराई

उन ग्रामों की सूची जहां पानी दिया जाना शेष है

क्र० सं० ग्राम का नाम

1. दयालपुरा
2. भूलिया बास
3. पादडला
4. गिरवर
5. गुडा बिच्छु
6. भाचुण्डा
7. सांवलना कलां
8. निम्बली ब्राह्मणान
9. निम्बली पटेला
10. अरटिया
11. बान्डाई
12. ढ़ाबर
13. बागडिया
14. केरला
15. मण्डली दर्जियान
16. काला पीपल की ढ़ाणी
17. किरवा
18. बालराई

नाथद्वारा के औषधालयों का प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में परिवर्तन

479. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि उदयपुर जिले में कुछ नगरीय औषधालयों और डिस्पैन्सरियों को प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में परिवर्तित किया गया है। यदि हां, तो इस प्रकार का परिवर्तन कहां-कहां और कब-कब किया गया और उसकी क्या आवश्यकता थी ?

(2) उक्त परिवर्तन के लिए क्या राज्य सरकार ने कोई निर्देशक तत्व निर्धारित किये थे ? यदि हां, तो उक्त निर्देशक तत्वों सम्बन्धी निर्णय की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राजकीय गोवर्धन औषधालय, नाथद्वारा और जनाना अस्पताल, नाथद्वारा में से किसी एक को भी इस प्रकार प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में परिवर्तन नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

(4) क्या राज्य सरकार नाथद्वारा के किसी भी औषधालय को प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सत्य है कि नाथद्वारा की स्थाई जनसंख्या, निरंतर वर्षभर आने वाले यात्रियों की संख्या की दृष्टि से वर्तमान में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा अपर्याप्त है और सभी दृष्टिकोणों से नाथद्वारा के वर्तमान औषधालयों को संयुक्त कर क्रमोन्नत करना आवश्यक एवं उपादेय है ? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था कब तक करली जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इस प्रकार का परिवर्तन कस्बा राजसमन्द, देवगढ़,

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)
सलूम्बर में क्रमश: दिनांक नवम्बर, 54, जून, 64 एवं जनवरी, 66 में किया गया। परिवर्तन तत्कालीन परिस्थितियों के कारण एवं पंचायत समिति के सुझाव के अनुसार किया गया।

(2) जी हाँ। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) चिकित्सा एवं सामुदायिक विकास की संयुक्त विज्ञप्ति के आधार पर स्थानीय पंचायत समिति के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण, नाथद्वारा में प्रा० स्वा० केन्द्र नहीं खोला गया।

(4) जी नहीं। वर्तमान प्रणाली के अनुसार एक पंचायत समिति क्षेत्र में एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रावधान है। नाथद्वारा क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रूमनोर ग्राम में नवम्बर, 60 से कार्यरत है। अतः दूसरा केन्द्र खोलने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(5) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

ग्राम धनेरू-डूंगरगढ़ की जलदाय योजना

480. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या ग्राम धनेरू तहसील श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू किसी जलदाय योजना में शामिल है या नहीं ? यदि शामिल है तो किस-किस जलदाय योजना में ? क्या इसका लाभ इस ग्राम को मिल रहा है या नहीं ?

उत्तर

जी नहीं।

बजरांगसर से बीदासर की पाइप लाइन में से ग्राम धनेरू को भी जल दिया जा रहा है।

चित्तौड़गढ़ में रंगाई छपाई के कार्यों के लिए सस्ते दर पर कपड़ा

481. **श्रीमती निर्मला कुमारी** (चित्तौड़गढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ में रंगाई छपाई का काम काफी बड़े पैमाने पर होता है ?

(2) क्या यह सही है कि इस उद्योग के लिए कन्ट्रोल का कपड़ा सस्ती दर पर इन लोगों को दिया जाय इसके लिये इन लोगों के सहकारी संघ ने राज्य सरकार से निवेदन किया था ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्यों नहीं ध्यान दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

यह संभव नहीं पाया गया क्योंकि कन्ट्रोल का कपड़ा राशन कार्ड पर केवल उपभोक्ताओं को दिया जाता है।

स्थगित प्रश्न

28-2-75

आनन्दमार्गियों के विरुद्ध कार्यवाही

227. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़): **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा एवं श्री श्रीराम गोटेवाला)

कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में आनन्दमार्गियों के कितने केन्द्र चलते हैं और इनका मुख्य कार्यालय कहां है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के कई उच्च अधिकारी आनन्द मार्ग से दीक्षित हैं और इसके सक्रिय प्रचारक हैं ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान में जे० पी० के आन्दोलन को उकसाने में आनन्दमार्गी अधिकारी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं ? राजस्थान सरकार ने इनकी गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

(4) क्या यह राज्य सरकार की जानकारी में है कि कुछ निजी किन्तु सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाएं आनन्दमार्गी प्रवृत्तियों का विधिवत संचालन करती हैं ?

(5) क्या यह सही है कि कुछ सरकारी भवनों में भी आनन्दमार्ग के केन्द्र चलाये जाते हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में आनन्दमार्गियों के 6 केन्द्र चलते हैं जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर एवं कोटा में स्थित हैं। आनन्दमार्ग का राजस्थान में मुख्य कार्यालय जयपुर में है।

(2) राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती कि कौन व्यक्ति किस मत से दीक्षित है। राजस्थान का कोई उच्च अधिकारी आनन्दमार्ग का सक्रिय प्रचारक नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। जयपुर में एक मंदिर में केन्द्र चलता है।

परिशिष्ट–5

(ता० प्र० सं० 458 की सूची)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ईड़वा के भवन के कमरों की संख्या व नाप

क्र० सं०	कमरों की संख्या	कमरों का माप
1	6	24'×22'
2	2	23'×22'
3	1	27'×22'
4	3	17'×12'
5	1	22'×12'
6	1	11.5'×12'
	14 कमरे पूर्ण	
7	निर्माणाधीन कमरे-2	23'×22' ये दोनों कमरे 31-3-75 तक पूर्ण हो जायेंगे ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ईड़वा (नागौर) के कक्षा व सेक्शनवार छात्र संख्या

कक्षा या सेक्शन	33-7-74 छात्र संख्या	31-1-75 छात्र संख्या
कक्षा 9	30	33
कक्षा 8	34	34
कक्षा 7	47	48
कक्षा 6अ	30	32
कक्षा 6ब	20	21
कक्षा 5	31	32
कक्षा 4	33	32
कक्षा 3	72	73
कक्षा 2	52	62
कक्षा 1	22	45
कुल छात्र संख्या ..	371	412

परिशिष्ट–6

(अता० प्र० सं० 245 की सूची)

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

वास्तविक खर्चा का विवरण (वर्ष 1969 से 1974)

वर्ष	मदवार विवरण		
	प्रकाशन	लागत	योग
1969-70	12,497.70	43,359.32	55,857.02
1970-71	81,836.46	70,352.96	52,189.42
1971-72	7,34,261.92	95,678.72	8,29,940.64
1972-73	4,62,827.44	91,556.25	5,54,383.69
1973-74	5,80,596.73	97,374.72	6,77,971.45
	18,72,020.25	3,98,321.97	22,70,342.22

परिशिष्ट-ब

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

(वर्ष 1969-70 से वर्ष 1974-75 तक पुस्तक एवं पत्रिकाओं की बिक्री एवं उनसे नकद प्राप्ति का विवरण)

वर्ष	पुस्तकों की बिक्री शुद्ध	दर्शन समीक्षाक पत्रिका	इतिहास समीक्षा पत्रिका	रसायन समीक्षा पत्रिका	बिक्री का योग	नगद प्राप्त
1969-70	—	—	—	—	—	—
1970-71	2,952.25	—	—	—	2,952.25	634.90
1971-72	15,177.33	—	—	—	15,177.33	7,964.00
1972-73	31,659.35	1,259.00	767.00	—	33,685.35	12,115.99
1973-74	44,389.40	1,028.00	935.40	10.00	46,362.80	50,919.29
1974-75 (15-1-75 तक)	2,26,549.13	661.60	754.00	814.00	2,28,778.73	94,684.40
योग	3,20,727-46	2,948-60	2,456-40	824-00	3,26,956-46	1,66,318-58

परिशिष्ट–7

(अता० प्र० सं० 248 की सूची)

लेबर कोर्ट, राजस्थान, जयपुर, दिनांक 1-3-75 को विचाराधीन मुकदमों की सूची जो दो साल से अधिक चल रहे हैं

रेफरेन्स अन्तर्गत 10

1.	मुकदमा नं० एल० सी०–	81/70	एम्पलाइज एसोसियेशन, ब्यावर	बनाम	महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर	स्टे
2.	——	82/70	,, ,,	बनाम	,, ,,	,,
3.	——	115/70	श्री शंकरलाल कोठारी	बनाम	क्षीर सागर होटल, जयपुर	
4.	——	122/71	श्री गोविन्द प्रसाद	बनाम	जय ड्रिंक्स प्रा० लि०; जयपुर	
5.	——	153/71	वाणिज्य एवं लघु उद्योग श्रमिक संघ	बनाम	रमेश साईकिल रिपेयर्स, जयपुर	

कम्पलेन्ट अन्तर्गत 33 ए

1.	शिकायत नं० एल० सी०	6/71	श्री ए० डी० मेसी	बनाम	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर	

मु० द० नं० अन्तर्गत 33 सी (2)

1.	मु० द० नं० एल० सी०	119/72	श्री बच्चू सिंह	बनाम	राणा प्रताप सागर डेम, कोटा	
2.	,,	131/72	श्री गणपत लाल	बनाम	मेवा लाल गूजर, जयपुर	
3.	,,	138/72	श्री जी० के० चौहान	बनाम	राज० राज्य विद्युत् मण्डल, जयपुर	
4.	,,	171/72	श्री कमालुदीन	बनाम	पी० डब्ल्यू० डी०, जयपुर	स्टे
5.	,,	175/72	श्री हनुमान सहाय	बनाम	राज० राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर	

मु० द० नं० अन्तर्गत 33 सी (2) सेन्ट्रल

1.	मु० द० नं० सी० एल० सी०	6/70	श्री वी० एन० सुलमानिया	बनाम	दी न्यू ग्रेट इन्शोरेन्स कम्पनी, जयपुर	
2.	,,	7/70	श्री बी० एस० थामानी	बनाम	,,	
3.	,, 9 से	75/71	श्री वली मोहम्मद व अन्य 67	बनाम	वेस्ट बंगाल कोल फिल्ट, खेतड़ी नगर	
4	,, 1 से	8/72	श्री के० सी० राय व अन्य 7	बनाम	,,	

264

परिशिष्ट–8

(अता० प्र० सं० 249 की सूची)

वर्ष 1972-73 में अनुसूचित जाति व जन-जाति के मौहल्लों में नल लगाने के लिये जिलेवार स्वीकृत राशि की सूची

क्रमांक	नाम जिला	स्वीकृत राशि
1	बीकानेर	57606
2	चूरू	26550
3	गंगानगर	27300
4	भीलवाड़ा	20990
5	डूंगरपुर	76163
6	सीकर	21200
7	झुन्झुनू	58254
8	नागौर	29322
9	जयपुर	58053
10	झालावाड़	38325
11	टोंक	72017
12	कोटा	55264
13	अजमेर	8703
	योग ..	5,49,747

परिशिष्ट–9

(अता० प्र० सं० 262 की सूची)

विभिन्न नहरों में सन् 1973-74 में कितना कितना पानी चला उसकी सूची
(आंकड़े क्यूसक डेज में)

नहर		सन् 1973	1974
1	राजस्थान फिर सरहिन्द फीडर लिंक 496	1000	9,200
2	नार्थ घग्घर कैनाल	25600	25500
3	साउथ घग्घर कैनाल	12400	20950
4	नौरंग देसर डिस्ट्री०	100300	117500
5	रावतसर डिस्ट्री०	112300	145500
6	सूरतागढ़ ब्रांच	284000	277,500
7	खेतावाल डिस्ट्री०	11700	15850
8	जोरावरपुरा डिस्ट्री०	12500	14800
9	डाईरेक्ट डिस्ट्री० सरदारपुरा, खोडा, चुली जैसा भट्टी थेथार कनौर, भोजेवाला, सोमासर, फिफेरा डिस्ट्री०	40900	34500
10	अनूपगढ़ शाखा	290700	322000

राजस्थान कैनाल क्षेत्र में घग्घर के जल से सिंचित भूमि में नहरी पानी से हुई आय का विवरण

क्रम संख्या	नाम व फसल वर्ष		सिंचाई कर जो कायम किया गया
1	खरीफ	1973	20,402) 50
2	रबी	1973-74	25,531) 63
3	खरीफ	1974	38,640) 51

गंग व भाखरा क्षेत्र में घग्घर नदी की बाढ़ तथा राजस्थान नहर द्वारा छोड़े गये पानी से सिंचित क्षेत्र पर सिंचाई दर लगाई गई हैं फसलवार निम्न आय हुई:—

1	खरीफ	1973	47,023) रुपये
2	रबी	1973-74	1,78,133)
3	खरीफ	1974	97,501)

राजस्थान फीडर के ऐस्केप 629 आर० एफ० द्वारा घग्घर नदी में 1973-74 में छोड़े गये पानी का विवरण (क्यूसेक डेज में)

वर्ष	पानी
1973	1,21,900
1974	2,09,748

266

परिशिष्ट–10

(अता० प्र० सं० 263 की सूची)

सूची–अ

1. चक हनुतपुरा
2. जोधपुरा
3. गोविन्दपुरा
4. वासडी
5. चक श्योसिंहपुरा
6. निठारा
7. लाछनी
8. छारसा
9. सुराना
10. कुंभाबास
11. खीरा
12. सकतपुरा
13. आमलोदा
14. कल्याणपुरा
15. भिन्डोर
16. थेवता
17. बडोदिया
18. रामसिंहपुरा
19. पणोदा
20. बेरवाषा
21. तालवा बीहाजर
22. बादशाहपुर
23. बेरठी
24. गुढ़ा बेजनाथ

परिशिष्ट--11

(अता० प्र० सं० 265 की सूची)

वर्ष 1974-75 से जनवरी, 75 तक कुओं को दिये गये कनेक्शनों की जिलेवार सूची

1.	अजमेर	324
2.	अलवर	833
3.	बांसवाड़ा	198
4.	बाड़मेर	125
5.	भरतपुर	635
6.	भीलवाड़ा	377
7.	बीकानेर	—
8.	बून्दी	81
9.	चित्तौड़गढ़	653
10.	चूरू	27
11.	डूंगरपुर	75
12.	जयपुर	1560
13.	जैसलमेर	..
14.	जालौर	207
15.	झुंझुनू	573
16.	झालावड़	293
17.	जोधपुर	256
18.	कोटा	311
19.	नागौर	680
20.	पाली	454
21.	सवाई माधोपुर	604
22.	सीकर	1010
23.	सिरोही	54
24.	श्री गंगानगर	284
25.	टौंक	252
26.	उदयपुर	587
	योग ..	10453

(268)

शुद्धि-पत्र

(दिनांक 13 मार्च, 1975)

क्र०सं०	स्कम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4	5
1	1	ऊपर से 1	बुहस्पतिवार	बृहस्पतिवार
2	9	नीचे से 14	नियुक्तियां	नियुक्तियां हुई
3	20	ऊपर से 5	क्या यह मंत्री	क्या मंत्री
4	24	,, 1	डाक में	डाक्यूमेन्ट
5	32	,, 11	एक भी	एक ही
6	34	,, 13	बोलने	बोलने एवं
7	37	,, 5	यह	—
8	39	,, 5	की गयी	से की गई
9	46	नीचे से 15	बांढीज	बाडीज
10	63	नीचे से 8	अंशुदान	अंशदान
11	76	ऊपर से 5	ट्रान्स्फार्मस	ट्रान्सफर्मरस्
12	95	नीचे से 12	का	—
13	96	ऊपर से 6	शिकाय न	शिकायत
14	98	ऊपर से 4	अप्लीकेशन	एप्लीकेशन
15	155	नीचे से 17	कि	को
16	177	ऊपर से 1	मनाया	मचाया
17	,,	नीचे से 6	क्लीतिक	क्लीनिक
13	121	ऊपर से 1	श्री रामकिशन	श्री गिरधारी लाल भार्गव
19	123	नीचे से 2	वान	वने
20	129	नीचे से 3	प्रावद्यान	प्रावधान
21	130	ऊपर से 9	डेपीनेशन	डेफीनेशन
22	,,	ऊपर से 15	सी	तो
23	,,	नीचे से 14	दंने	देनें
24	134	नीचे से 4	—	सोचना

Page No 268

(269)

1	2	3		4	5
25	135	नीचे से	7	कोशिश	कांग्रेस
26	151	ऊपर से 15,	17	प्राइलेट	प्राइवेट
27	155	नीचे से	14	पद्धिति	पद्धति
28	157	,,	8	533	333
29	160	ऊपर से	2	533	333
30	166	,,	14	57	51
31	169	ऊपर से	5	—	66
32	170	ऊपर से	1	निमि र	निर्मित
33	,,	नीचे से	17	सरकार	—
34	175	नीचे से	6	10 :	103
35	178	ऊपर से	10	3	37
36	182	ऊपर से	12	पुरानी	पुराने
37	198	नीचे से	13	ईएन	ई०
38	209-224 तक)	शीर्षक		मांग संख्या 45 व 37 37-13 मार्च 1975 पर कटौती प्रस्ताव	अनुदानों की मांगों 13 मार्च, 1975 पर विचार
39	252-253	शीर्षक से	1	गरुदयालसिंह संधु	गुरदयालसिंह संधु
40	256-257	,,		,,	,,
41	261	ऊपर से	4	है	से
42	265	,, से	8	रखना	रखता
43	274	,,	13	चले	चल
44	288	,,	16	हांनि	हानि
45	350	नीचे से	8	माननीय	मानवीय
46	358	नीचे से	4	समाप्ति	समाप्त
47	496	नीचे से	10	अक्टबर	अक्टूबर
48	497	नीचे से	13	बाद्रीप्रसादगुप्ता	बद्री प्रसाद गुप्ता